खण्ड-282, अंक-4
शुक्रवार, 18 वैशाख, शक संवत् 1892
(8 मई, 1970 ई0)

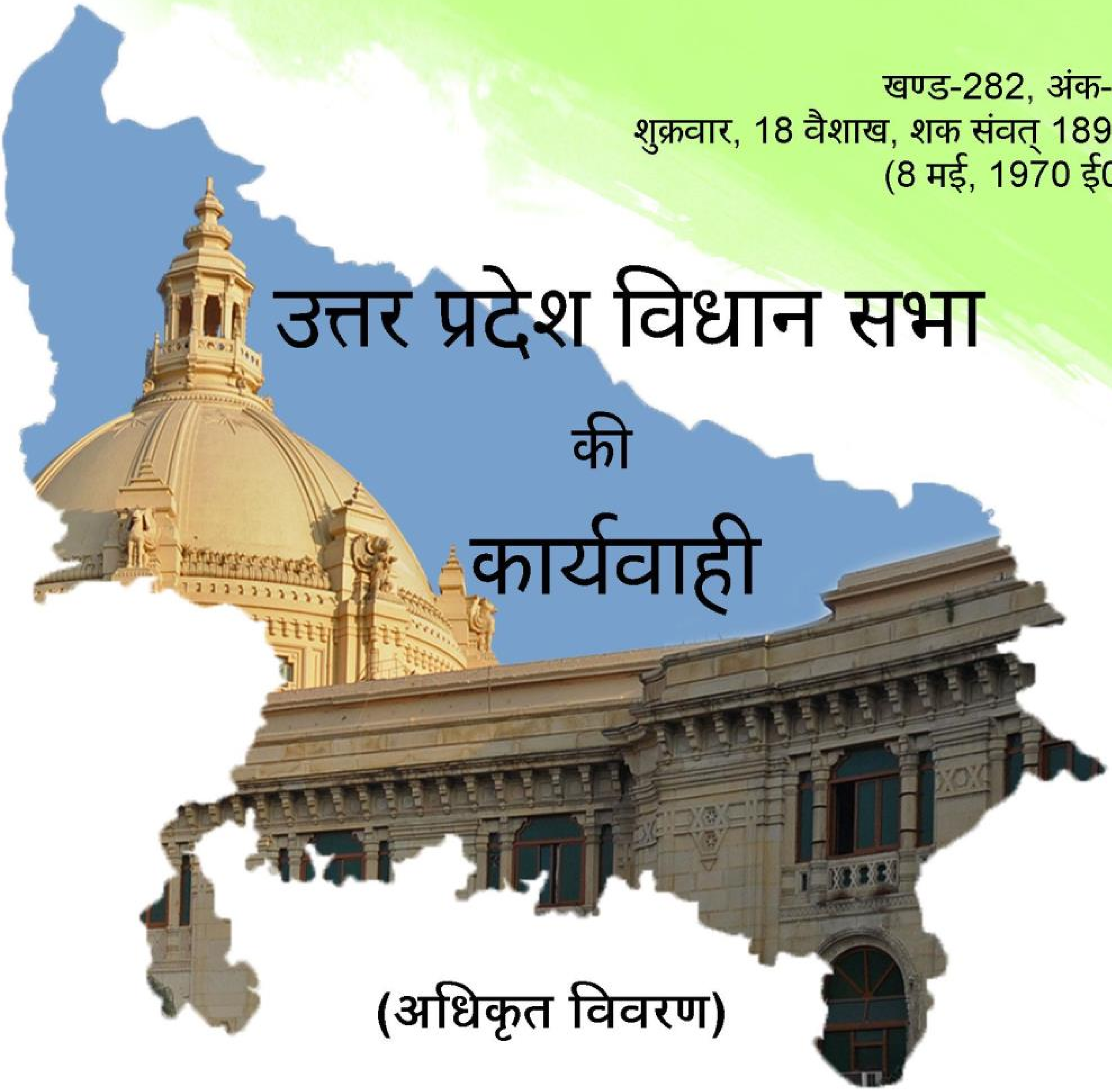

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 282 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७०

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	३८७–३९२
प्रश्नोत्तर	३९२–४२१
विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न	४२२
भूतपूर्व सदस्य, श्री रामकृष्ण सारस्वत के निधन पर शोकोद्गार ..	४२२–४२३
मुख्य मंत्री के विरुद्ध आजमगढ़ के विधायकों की शिकायत ..	४२३–४२४
उत्तर प्रदेश पंचम विधान सभा की प्राक्कलन समिति (१९६९–७०) का द्वितीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	४२४–४२६
मुख्य मंत्री के विरुद्ध उनके द्वारा चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की घोषित नीति में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गयी)	४२६–४३०
मुख्य मंत्री व श्री राजबहादुर द्विवेदी के विरुद्ध सदन द्वारा पारित विधान परिषद् के उत्सादन के संकल्प पर पुनर्विचार हेतु हस्ताक्षर करवाने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गयी)	४३०–४३२
प्रश्नों के सम्बन्ध में श्री उपाध्यक्ष की रिपोर्ट (प्रस्तुत की गई) ..	४३३–४३४
जिला देहरादून में कानून एवं शांति की व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	४३४–४३५
प्रदेश के पिछड़े भू-भागों के विकास के लिये धनराशि उपलब्ध करने के सम्बन्ध में संकल्प (जारी)	४३६–४६४
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं	४६४–४६६
प्रदेश के पिछड़े भू-भागों के विकास के लिये धनराशि उपलब्ध करने के सम्बन्ध में संकल्प (जारी)	४६६–४७४
बजट साहित्य की वितरण–व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना	४७५–४७६
१९७०–७१ का आय-व्ययक (प्रस्तुत किया गया)	४७६–४९९
नत्थियां	५००–५०८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ८ मई, १९७०

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३६०

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, राजा
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैयाजी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्यानसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम,
(बेगम एजाज रसूल) श्रीमती
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायन सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नरायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्र मोहन, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगरनाथ, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेज बहादुर गंगवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार, श्री
दीपनरायन बन, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीमउद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जटली, श्री
प्रमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बदन सिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
रामकुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
रामनिहोर राय, श्री

रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री
(जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
राम रतन, श्री
राम रतन पान्डेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
राम लाल, श्री
रामलाल राही, श्री
रामविलास पान्डेय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर्रफि खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मण स्वरूप, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम लाल, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामसुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री

सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह परिहार, श्री (जिला आगरा फतेहाबाद)
हुक्मसिंह श्री (जिला आगरा पश्चिम)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट—खाद्य तथा रसद मंत्री श्री बलदेव सिंह आर्य भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, ८ मई, १९७०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

राज्य कर्मचारियों की मांगें

**१—श्री रामगोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार को यह पता है कि राज्य कर्मचारियों ने सरकार के द्वारा स्थापित की जाने वाली व्हिटले कौंसिल का बहिष्कार करने का निश्चय किया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार कर्मचारियों की मांगों पर विचार कर उक्त कौंसिलों के निर्माण में संशोधन करने की योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह उपमंत्री (श्री ओमप्रकाश सिंह)—

शासन के पास इस प्रकार की कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं है कि राज्य कर्मचारियों ने सरकार द्वारा स्थापित किये जाने वाली स्टाफ कौंसिल का बहिष्कार करने का निश्चय किया है । इस परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न नहीं उठते ।

श्री राम गोपाल सण्ड—

माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १० मार्च और १ मई को कर्मचारियों के प्रतिनिधि उनसे मिले थे और उनको अपना मांग पत्र दिया था । क्या उसमें यह मांग भी सम्मिलित है ?

मुख्य मंत्री (श्री चरणसिंह)—

जिन लोगों ने मुझे मांग पत्र दिया है वह मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के कर्मचारी नहीं हैं । साथ ही वह सरकारी कर्मचारी भी नहीं हैं ।

श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य कर्मचारियों ने ३–४ प्रमुख मांगें रखी हैं और उनमें यह भी है कि उनको केन्द्रीय कर्मचारियों के समान ही महंगाई

भत्ता दिया जाय जो अभी तक नहीं दिया जा सका है। क्या उसमें यह भी है कि निकाले गये कर्मचारी रखे जायं, साथ ही विह्‌टले काउन्सिल ऐसी बनाई जाय जिससे कर्मचारियों की आगे आनेवाली समस्यायें हल हो सकें ? क्या माननीय मुख्य मंत्री जी उनकी मांगों की प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री चरणसिंह—

मैंने पहले ही अर्ज किया कि वह मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के नहीं हैं। वे लोग डिसमिस्ड इम्पलाइज हैं।

श्री राम गोपाल सण्ड—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ कौन सा है उसको माननीय मुख्य मंत्री जी बतायें ? हमारे प्रदेश में इस प्रकार से अप्रजातांत्रिक तरीका चल रहा है ?

श्री चरणसिंह—

हमारा सारा काम यू० पी० इम्पलाइज फेडरेशन तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ से होता है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

विह्‌टले काउन्सिल की योजना सरकार की है उसको सरकार कब तक सामने ले आयेगी ?

श्री चरणसिंह—

हमारी तरफ से परिपत्र जारी हो गया है, उनकी तरफ से आना शेष है।

श्री अनीसुर्रहमान (जिला अलीगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई स्टाफ काउन्सिल और आपकी बनाई काउन्सिल में कोई अन्तर है ?

श्री चरणसिंह—

जी हां, अन्तर है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो कुछ केन्द्रीय सरकार ने किया है वह हमारे लिये जरूरी तौर पर मान्य नहीं है।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

तो केवल इतना बता दिया जाय कि वे लोग निकाले क्यों गये ?

श्री चरणसिंह—

कर्मचारी क्यों निकाले गये इसकी पूरी सूचना मेरे पास इस वक्त नहीं है।

जिला निर्वाचन कार्यालयों में छटनी

**२.—श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है कि जिला निर्वाचन कार्यालयों के अस्थायी लिपिकों को सेवा से पहली मई, सन् ७० से मुक्त किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या उन कर्मचारियों को, जिनकी सेवायें ५ वर्ष से अधिक चल रही हैं, उन्हें दूसरी सेवाओं में उनको बिना किसी आर्थिक हानि के लगाने के क्या कोई प्रबन्ध किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ?

न्याय मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

जी हां।

जी नहीं।

जी नहीं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की छंटनी के इस निर्णय से कितने लोग प्रभावित होंगे और उनका सेवाकाल ज्यादा से ज्यादा और कम से कम कितना है ?

श्री स्वामीप्रसाद सिंह—

इसके फलस्वरूप १५० लिपिक और ८३ डुप्लीकेटर आपरेटर्स फालतू हो गये ।

श्री अनन्तराम जायसलाल—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उनका सेवाकाल अधिक से अधिक और कम से कम कितना-कितना है ?

श्री स्वामीप्रसाद सिंह—

सेवा काल ५ साल से लगाकर १२ साल तक का है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

इस बात को ध्यान में रखते हुये कि इन लिपिकों को हर बार ट्रेनिंग दी जाती है चुनाव के काम की और फिर छंटनी हो जाती है, क्या मंत्री जी इन पदों को स्थायी बनाने पर विचार करेंगे और जब चुनाव न हो तो उनसे दूसरा काम लिया जा सके ?

श्री स्वामीप्रसाद सिंह—

ऐसी कोई बात सरकार के सामने विचाराधीन नहीं है ।

श्री श्यामसूरत उपाध्याय (जिला इलाहाबाद)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन लिपिकों को सेवा मुक्त करने का क्या कारण है ?

श्री स्वामीप्रसाद सिंह—

इसके तीन कारण थे । सबसे पहले, जो सायकिलोस्टाइल होता था उसके बारे में यह तय हुआ कि प्रिन्ट हो । इसलिए १५० और ८३ बेकार हो गये । यह आदेश हुआ कि इनको और सेवाओं में जहां कहीं जरूरत हो टैम्पोरेरी पोस्ट पर प्रिफरेन्स दिया जाय । इस सायकिलो-स्टाइल की स्कीम में खर्चा बहुत होता है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जिस आदेश को माननीय मंत्री जी ने निर्दिष्ट किया है, उसको मैं उनको बाद में नोट करा दूंगा, लेकिन उसमें जो आरक्षण दिये गए हैं छंटनी शुदा कर्मचारियों को भर्ती के लिये वह इस प्रकार हैं कि सरकारी नौकरियों में भर्ती में इनको प्राथमिकता दी जायेगी, एज लिमिट में रिलेक्सेशन दिया जायगा और पेड अपरेन्टिस जो हैं उनको भर्ती में प्राथमिकता दी जायेगी । तो क्या माननीय मंत्री जी जो आरक्षण सन् ६५ से ६९ तक उन्हें देते रहे हैं, अब भी देंगे ?

श्री स्वामीप्रसाद सिंह—

जो लोग फालतू हो गये थे, जिनको प्रिफरेन्स का सवाल है, उनमें से कुछ कानपुर राशनिंग संगठन में ले लिये गये और कुछ जिलाधीश कार्यालय आदि में ले लिये गये ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, मेरा प्रश्न था कि पेड अप्रटिस और सरकारी कार्यालयों में भर्ती में जो एज लिमिट का रिलैक्सेशन और प्राथमिकता का आरक्षण मिला हुआ था, क्या मंत्री जी उसको देंगे ?

श्री स्वामीप्रसाद सिंह—

जो प्रिफरेंस दिया गया था वह भी सन् १९६७ में समाप्त हो गया है ।

श्री अध्यक्ष—

आरक्षण समाप्त हो गया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां । उन्हीं लोगों को कुछ मध्यावधि चुनाव की नियमावली, पंचायत इलेक्शन के रोल्स तैयार करने के लिए दिये गये थे । उसके बाद अब कुछ कामनहीं है। इसलिये जनहित में वह बात भी अब खत्म हो गयी ।

श्री राम चरण (जिला इलाहाबाद)

क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि वे लोग जो १२–१२ साल तक निर्वाचन कार्यालय में काम कर चुके हैं, उनको जल्दी ही अन्य सरकारी कार्यालयों में लेने की कृपा करेंगे ?

श्री स्वामीप्रसाद सिंह—

मैं इसका जवाब दे चुका हूं कि टैम्पोरेरी पोस्ट थीं । वह खत्म हो चुकी हैं । उनको लेने का अब कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या शासन के निर्वाचन विभाग के जी०ओ० नं० ई० १८४२९-सी० ई० ओ०–२६/६५, तथा जी० ओ० नं० ई०-१८४७७/१७ ए–२६/६५, तथा उत्तर प्रदेश कर्मचारियों की भरती करने की नियमावली तथा निर्वाचन विभाग के पत्र संख्या बी०-६९३६९-१७ए-२६-६५ दिनांक ९–७–६९····

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करें ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं कह रहा हूं कि इन जी० ओ० और नियमावली के अन्तर्गत जो आरक्षण प्राप्त थे उनको और जो अलग से उन की नियमावली बनी है उसमें जो आरक्षण उनको प्राप्त थे उन को देने में सरकार को क्या दिक्कत है ?

श्री स्वामीप्रसाद सिंह—

उसी आदेश के मातहत उन को आरक्षण दिये गये थे ।

श्री अध्यक्ष—

वह पूछ रहे हैं कि फिर से देने में क्या दिक्कत है ।

श्री स्वामीप्रसाद सिंह—

उस पर विचार का सवाल नहीं है, अब अस्थायी पोस्ट खत्म हो गई है ।

तारांकित प्रश्न

[वन मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित ४थे शुक्रवार (१–५–७०) के प्रश्न जो ५ वें शुक्रवार के लिये रखे गये ।]

आई० टी० आर० कम्पनी बरेली तथा पी० सी० एफ० हल्द्वानी को दिया गया लीसा

*१२—श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि आई० टी० आर० बरेली पी० सी० एफ० हल्द्वानी को सन् १९६७–६८ तथा १९६८–६९ में प्रति वर्ष कितना क्विन्टल लीसा दिया गया ?

वन मंत्री (श्री अजीतप्रताप सिंह)—

वांछित सूचना संलग्न तालिका १ में दी हुई है।

देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५०० पर)

*१३—श्री इन्द्रलाल—

क्या वन मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि जो लीसा इन फैक्टरियों को दिया गया है, वह किस भाव पर दिया गया और मार्केट भाव लीसे के क्या हैं ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

वांछित सूचना संलग्न तालिका २ व ३ में दी हुई है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५०० पर)

श्री इन्द्रलाल—

क्या वन मंत्री जी को जानकारी है कि जैसा कि तालिका नं० ३ व २ में दिया है कि लीसे का मार्केट भाव सन् ६७–६८ में १०९.९३ था और ६८–६९ में १४८.११ था और वह आई० टी० आर० कम्पनी बरेली को जो दिया जाता है वह ५०.७४ के भाव से दिया जाता है और इस तरह से जो आर्थिक हानि प्रति वर्ष सरकार को कई लाख रुपये की होती है उससे बचने के लिए बरेली फैक्टरी को भी क्या कंसेशन रेट पर न देकर सरकार वहां का रेट बढाने का आश्वासन देगी ?

श्री अजीतप्रताप सिंह—

लीसे की पैदावार और मांग को देखते हुए उसके दामों पर हमें फिर से विचार करना होगा और सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस कन्सेशन पर लीसा देने से लाखों रुपये की हानि सरकार को हो रही है क्या मंत्री जी इस प्रश्न पर जांच करायेंगे कि किन कारणों से भाव में इतनी भिन्नता रहती है ?

श्री अजीतप्रताप सिंह—

अभी तो मैंने उत्तर दिया कि इस की जांच की जायगी।

श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बरेली तथा पी० सी० एफ० रानी खेत को कुल कितना लीसा दिया गया और नये रेट क हिसाब से सरकार को कितनी हानि हुई ?

श्री अजीतप्रताप सिंह—

इसमें सरकार को हानि नहीं हुई है।

श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बरेली)—

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आई० टी० आर० कम्पनी बरेली और पी० सी० एफ० हल्द्वानी को जो लीसा दिया जाता है वह सस्ती दरों पर दिया जाता है जबकि उसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा है और इस तरह से सरकार की लाखों रुपये की हानि होती है, तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ऐसी नीति क्यों नहीं अपनाती कि लीसा उनको भी दिया जाय और वह बाजार में खुले आम बेंचा जाये ?

श्री अध्यक्ष—

वह उत्तर दे चुके कि विचार करने की यह बात है।

श्री भानु प्रताप सिंह (बरेली)—

मेरा प्रश्न यह है कि यह लीसा खुले बाजार में क्यों नहीं बेंचा जाता ?

श्री अजीतप्रताप सिंह—

यह बरेली की जो फैक्टरी है वह सरकारी है और उसको अलग रेट से दिया जाता है, उससे और कोआपरेटिव को देने से जो बचता है वह नीलाम हो जाता है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि जो लीसा वन विभाग द्वारा बरेली फैक्टरी को दिया जाता है, वे उसे सस्ते दाम पर खरीद कर फिर ओपिन मार्केट में ब्लैक में बेचते हैं और उससे नाजायज फायदा उठाते हैं ? यदि हां, तो क्या वे इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री अजीतप्रताप सिंह—

श्रीमन्, मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं है ।

शिवालिक वन-प्रभाग के डी० एफ० ओ०, श्री शिवदानसिंह के विरुद्ध जांच

*१४—श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि शिवालिक रेंज, सहारनपुर के जंगलों में सन् १९६९ में आग लगी ? यदि हां, तो इस आग के लगने के क्या कारण थे ? तथा उपरोक्त रेंज के डी० एफ० ओ० के विरुद्ध की गई जनता की शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अजित प्रताप सिंह—

शिवालिक वन प्रभाग, जिला सहारनपुर के जंगलों में सन् १९६९ में ३१ बार आकस्मिक आग लगी । इस आग लगने के कोई कारण प्रकाश में नहीं आये । प्रायः जंगलों में काम करने वाले मजदूरों, ग्वालों तथा यात्रियों की असावधानी को ही इन आगों का संभावित कारण माना गया है । शिवालिक वन प्रभाग के तत्कालीन डी० एफ० ओ० के विरुद्ध दी गई जनता की शिकायतों पर सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच कराई जा रही है ।

श्री मंजूर अहमद—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन जंगलों में ३१ बार आग लगने से सरकार की कितने रुपयों की हानि हुयी ?

श्री अजीतप्रताप सिंह—

श्रीमन्, ८२५ रुपये का कुल नुक्सान हुआ है ।

श्री मंजूर अहमद—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन डी० एफ० ओ० ने स्वयं पेड़ कटवा कर अपने घर में उस पैसे को रख लिया है और फिर वहां पर आग लगवा दी ? क्या इसकी कोई उन्हें जानकारी है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

जी नहीं ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

जो शिकायतें सरकार के पास आयी हैं, वे क्या हैं ? क्या मंत्री जी उनको पढ़ कर बता देंगे और बतायेंगे कि उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अजीतप्रताप सिंह---

शिकायतें आग लगाने और पेड़ कटवाने की हैं । उन पर यह मामला २६ जुलाई को विजीलेंस को रेफर कर दिया गया है। उनकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आयी है।

श्री मंजूर अहमद---

इन डी० एफ० ओ० साहब का नाम क्या है और वे कहां के रहने वाले हैं ?

श्री अजीतप्रताप सिंह---

इसके लिए सूचना की आवश्यकता है ।

श्री इन्द्रमणी (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

माननीय मंत्री जी ने जो बताया कि कुल ८२५ रुपये की हानि हुयी है तो उसमें कौन-कौन सी चीजें शामिल हैं ?

श्री अध्यक्ष---

क्या आपके पास कोई ऐसी रिपोर्ट है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री हिम्मत सिंह (बुलन्दशहर)---

इस मामले को विजिलैन्स में भेजने के आधार क्या हैं और कब तक रिपोर्ट आ जायेगी ?

श्री अजीतप्रताप सिंह---

जब शिकायतें आयीं थीं तब उसी के ऊपर डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी के बाद विजिलेन्स को २६-७-६८ को भेजा गया ।

श्री मंजूर अहमद--

माननीय मुख्य मंत्री जी अगर मेरी सूचना को सही मानें तो डी० एफ० ओ० का नाम शिव दानसिंह है। वे बुलन्दशहर के रहने वाले हैं और माननीय मुख्य मंत्री के रिश्तेदार हैं ?

श्री अध्यक्ष---

इसकी मैं इजाजत नहीं देता ।

श्री बंशीधर पांडेय---

माननीय मंजूर अहमद ने सीधा सवाल किया है। उसका जवाब दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---

यदि आप प्रश्न आक्षेप के साथ करेंगे तो उसका जवाब नहीं दिया जा सकता ।

श्री गंगा प्रसाद (गोंडा)---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि डी० एफ० ओ० के विरुद्ध जो शिकायतें थीं उसको आपने विजिलेंस को दे दिया है पर उन शिकायतों के आधार पर आपने उसको सस्पेंड किया या अन्य कोई कार्यवाही की ?

श्री अजीतप्रताप सिंह---

जब तक रिपोर्ट नहीं आ जायेगी तब तक कैसे कार्यवाही की जा सकती है।

श्री भानुप्रताप सिंह---

जब निरन्तर इस तरह की घटनायें होती हैं तो फिर क्या कारण था कि उनको हटाया नहीं गया ? जब शिकायत विजिलैन्स डिपार्टमेंट को भेज दी गई थी तो उनको क्यों नहीं हटाया गया है ? क्या उनको हटाने की कृपा करेंगे ?

(उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री अनन्तराम जायसवाल

अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय मंजूर अहमद ने एक जानकारी हासिल करनी चाही थी कि क्या मंत्री जी को मालूम है कि श्री शिवदान सिंह ही वहां के डी०एफ० ओ० हैं और क्या वे बुलन्दशहर के रहने वाले हैं और क्या मुख्य मंत्री के वे रिश्तेदार हैं । अगर मंजूर अहमद सवाल पूछ रहे हैं तो इनका "हां" या 'न' में जवाब दिया जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने तो सूचना दी है। प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें मालूम नहीं है। तो यह सूचना दे रहे हैं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

पहले मंजूर अहमद ने मालूम किया कि नाम क्या है । जब उन्होंने कहा कि नाम नहीं मालूम तब उन्होंने दोहराया था ।

श्री चरणसिंह---

मैंने डी० एफ० ओ० का नाम सुना और उसे मेरा रिश्तेदार बताया गया । श्री शिवदान सिंह, डी० एफ० ओ० हैं फारेस्ट डिपार्टमेंट में पर वे मेरे रिश्तेदार नहीं हैं । दूसरी बात यह है कि इनके खिलाफ शिकायत श्री मंजूर अहमद साहब ने की थी । उसकी इन्क्वायरी कंजरवेटर ने की । कंजरवेटर ने कहा कि उनका कोई दोष नहीं है वे निर्दोष हैं । कन्जर्वेटर के खिलाफ भी शिकायत की गई, यह गुप्ता जी के जमाने की बात है । डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी में दोनों अफसरों को निर्दोष करार दे दिया । फिर उन्होंने कहा कि विजिलेंस की इंक्वायरी हो । इसको भी उन्होंने उसी मुगालते में कर दिया था ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

जब कभी सदस्य का सवाल होता है तब कह दिया जाता है कि मामला विजिलेंस में है और उसकी जांच हो रही है । आप उसको कहकर डिसएलाऊ कर देते हैं या मुख्य मंत्री कह देते हैं कि यह जनहित में नहीं है । इस पर्टीकुलर केस में भी ऐसा ही किया गया है । यह कहां तक उचित है । इस पर आप अपनी व्यवस्था दें ?

श्री बंशीधर पांडेय---

मैं जानना चाहूंगा कि आपके जमाने में भी आप जो विजिलेंस को इंक्वायरी देते हैं वह मुगालते में दे देते हैं या उसमें कोई तथ्य रहता है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री कल्पनाथसिंह---

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जब इन्क्वायरी चल रही है उनके विरुद्ध तो प्राईमाफेसी एक केस एस्टेब्लिश्ड है । तब उसके बाद इन्क्यायरी हो रही है । आप देखें विजिलैन्स का तरीका यह है कि जांच हो जाती है प्रिलिमिनेरी तब उसके बाद विजिलन्स की जांच होती है । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जब विजिलैन्स द्वारा ओपेन जांच हो रही है तो क्या उस अधिकारी को मुअत्तल किया गया ?

श्री अध्यक्ष---

वह उन्होंने बता दिया है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मान्यवर, मैं यह निवेदन करूंगा कि यहां माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो कुछ कहा है उससे जांच करने वाले प्रभावित होंगे । कम से कम माननीय मुख्य मंत्री को थोड़ी सी अहतियात बरतना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

यह अपनी-अपनी राय हो सकती है ।

श्री मंजूर अहमद—

जिन मौजूदा डी० एफ० ओ० के खिलाफ जांच चल रही है उनकी बुलन्दशहर में डेढ़ लाख रुपये की कोठी है और ३ लाख रुपये के करीब का एक फार्म भी उनका है । क्या माननीय मंत्री जी मेरी इस सूचना को सही मान कर इसकी जांच करायेंगे और उनकी सम्पत्ति हड़प करेंगे ?

श्री अजीतप्रताप सिंह—

जी हां, जांच करा लगे ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, मैंने औचित्य का प्रश्न उठाया था कि माननीय मुख्य मंत्री क कथन से जांच पर असर पड़ेगा, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

आपने प्रश्न किया, उसका उन्होंने जवाब दे दिया । उससे नतीजा कुछ भी आप निकाल सकते हैं ।

श्री बंशीधर पांडेय—

इसमें माननीय मुख्य मंत्री की राय स्पष्ट हो गयी है । इन्होंने कह दिया कि माननीय गुप्ता जी ने मुगालते में विजिलेंस को दे दिया । इससे उन्होंने उस इन्क्वायरी को प्रभावित कर दिया है । विजिलेंस वाले उससे प्रभावति होंगे, फिर वे जांच क्या करेंगे, इस पर आप व्यवस्था दें ?

श्री अध्यक्ष—

आप उत्तर से अपनी राय कुछ बना सकते हैं । आप उसको गलत भी समझ सकते हैं, उसका भी आपको पूर्ण अधिकार है ।

* * * *

तराई जंगलों की साफ्ट उड बेचने की शिकायत

*२८—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या बन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तराई के जंगलों में वर्ष १९-८-६९ तथा १९६९-७० में उद्योग-धन्धों के लिये मुलायम लकड़ी (साफ्ट उड) काट कर किन-किन लोगों को दी गयी ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

वांछित सूचना संलग्न तालिका १ व २ में दी हुई है ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५०१-५०३ पर)

*२९—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या बन मन्त्री यह भी बतलायेंगे कि जिन लोगों को यह मुलायम लकड़ी (साफ्ट उड) दी गई है उन के विरुद्ध यह भी शिकायत सरकार को हाल ही में जनता की ओर से मिली है कि उन्होंने वह लकड़ी चोर बाजार में बेच दी है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

जी नहीं ।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो लकड़ी साफ्ट उड के नाम से बेची जाती है सरकार द्वारा, उस लकड़ी के साथ में बहुत सी ऐसी लकड़ी भी काट दी जाती है जो कि कीमती होती है और वहीं पर काफी दामों में बेंच दी जाती है ?

श्री अजीतप्रताप सिंह—

श्रीमन्, ऐसी कोई शिकायत सरकार के पास नहीं है ।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि रामनगर थाने में इसी वर्ष एक व्यापारी ने ७० पेड़ जंगलात विभाग से खरीदे और वहीं पर उसका नीलाम २० हजार रुपये में हुआ था, किन्तु ५७ हजार रुपये में उसी समय उस व्यापारी ने उसे बेंच दिया ? क्या इसको सही मानकर मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री अजीतप्रताप सिंह—

श्रीमन्, ऐसी कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं, यदि वह हमसे कहें तो उसकी जांच कराई जाएगी ।

श्री इन्द्रमणी—

इस प्रश्न के दूसरे प्रश्न में लिखा है कि ठेकेदारों के विरुद्ध कुछ लोगों की शिकायतें सरकार को हाल में मिली हैं, तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जनता की शिकायत क्या है ?

श्री अजीतप्रताप सिंह—

श्रीमन्, हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है ।

मैलानी तथा किशनपुर ब्लाक में नाजायज शिकार की शिकायत

*३०—श्री सुरेन्द्रविक्रम—

क्या सरकार को पता है कि खीरी डिवीजन के मैलानी और किशनपुर ब्लाक में फरवरी के दूसरे सप्ताह में किन्हीं विदेशियों ने दो शेर मारे तथा एक शेर जख्मी किया, जो बाद में वन विभाग के अधिकारियों को मरा हुआ मिला ? क्या यह भी सही है कि उनके पास केवल एक शेर मारने का परमिट था जिसके विरुद्ध उन्होंने तीन शेर मारे ? यदि हां तो सरकार ने उन विदेशियों और उस शिकार कम्पनी, जिसके द्वारा विदेशी आमंत्रित थे, के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री अजीतप्रताप सिंह—

यह सही नहीं है कि कथित अवधि में तथा कथित ब्लाकों में विदेशियों ने दो शेर मारे । जख्मी शेर के सम्बन्ध में जांच हो रही है । यह भी सही नहीं है कि एक शेर मारने के परमिट पर तीन शेर मारे गये इन उत्तरों की दृष्टि से विदेशियों तथा शिकार कम्पनी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

*३१—श्री सुरेन्द्रविक्रम—

क्या सरकार को यह जानकारी भी प्राप्त हुई है कि फरवरी, १९७० के १ तारीख से १५ तारीख तक के पक्ष में किशनपुर व माला ब्लाक में पचासों मुर्गे व तीतर मारे गये तथा पचासों चीतल आदि जख्मी किये गये । यदि हां, तो उस शिकार कम्पनी का जिसने इन शिकारियों के लिये व्यवस्था की, का लाइसेंस अविलम्ब जब्त किया गया ?

अजीतप्रताप सिंह

यह सही नहीं है कि कथित अवधि में तथा कथित शिकार खण्डों में पचासों मुर्गे तीतर मारे गये तथा पचासों चीतल जख्मी किये गये। इस उत्तर की दृष्टि से किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सुरेन्द्रविक्रम---

मैं आपकी आज्ञा से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जख्मी शेर जो प्राप्त हुआ है, वह काहे का जख्मी था और उसका मेजरमेंट क्या था ?

श्री अजीतप्रताप सिंह---

इसकी सूचना अभी आई नहीं है ।

श्री सुरेन्द्रविक्रम---

दूसरीबात यह है कि मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह वही शेर था जो वहां सबसे बड़ा था और जिसको बहुत समय से अधिकारियों ने सुरक्षित रख छोड़ा था यह देखने के लिए कि यह अधिक से अधिक कितना बड़ा हो सकता है ?

श्री अजीतप्रताप सिंह---

जब सूचना आ जाएगी तो उसके बारे में बताया जाएगा ।

श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)---

जो शेर के शिकार के सम्बन्ध में वहां कम्पनियां जाती हैं या लोग जाते है, वहां उनके लिए परमिट दी जाती है, तो परमिट का क्या भाव सरकार ने तय कर रखा है ?

श्री अजीतप्रताप सिंह---

श्रीमन्, इसके लिए नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री पारसनाथ सिंह (जिसा बहराइच)---

जिस शेर को सुरक्षित रखा गया था उसके मारने के अपराध में क्या दोषी व्यक्ति को जांच कराकर सख्त से सख्त सजा सरकार देने की कृपा करेगी ?

श्री अजीतप्रताप सिंह---

जो शेर वहां पर मारा गया वह उस शिकार कम्पनी द्वारा मारा गया जो वहां पर शिकार खेल रही थी या किसी और तरह मारा गया, जब तक इसकी जांच का परिणाम न आ जाए यह बताना मुश्किल होगा ।

श्री बंशीधर पाण्डेय---

इसे देखते हुए कि हमारे देश में इस प्रकार के शेर या वन्य जन्तु बहुत कम हैं, अभी दिल्ली में एक इन्टरनेशनल सेमिनार वन्य जन्तुओं के विषय में हुआ था जिसमें इस बात पर चिन्ता व्यक्त की गई थी कि देश में जो विशेष स्पेसीज हैं, किस्में हैं, उनका खात्मा होता जा रहा है । क्या वन मंत्री जी इस बात का आदेश करेंगे, हमारे प्रदेश में गिरी फारेस्ट से चन्द्रप्रभा सैंक्टुअरी में शेर लाये गये हैं, क्या शेर को न मारने का, एकदम प्रतिबन्ध लगाने का आदेश करेंगे ?

श्री अजीतप्रताप सिंह---

इसमें कोई दो राएं नहीं हैं कि शेर यहां पर कम होते जा रहे हैं, और जानवर भी कम होते जा रहे हैं । हमारे यहां वाइल्ड लाइफ बोर्ड है । उसमें यह प्रश्न उठा है । हम लोग जांच कर रहे हैं । बहुत जल्द कोई न कोई प्रतिबन्ध लगाया जायगा ।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायन सिंह (जिला देवरिया)---

मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि नेपाल बार्डर में वहां पर शेरों का शिकार भरवी बंदूक से किया जा रहा हैं और वहां से शेर की कच्ची खाल हजारों रुपयों में नेपाल के बाहर

जा रही है, इस सूचना को लेते हुए माननीय मंत्री जी यह आदेश देंगे कि जो शेर अब उत्तर प्रदेश में हैं उनको मारने का हुक्म न दिया जाय, इसलिए कि १५ वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में लगभग ४ हजार शेर थे और जहांतक मेरी सूचना है अब सिर्फ ४ सौ शेर हैं ?

श्री अजीतप्रताप सिंह—

माननीय सदस्य ने जो बताया उसकी हमारे पास कोई सूचना नहीं है ।

श्री हरनरायन (जिला पीलीभीत)—

जिला पीलीभीत के डी० एफ० ओ० श्री जोशी ने अपने लड़के जिसके पास राइफल का लाइसेंस नहीं है, को शेर मारने का परमिट दे दिया तथा श्री जोशी ने गेंडा मारा, क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री अजीतप्रताप सिंह—

माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है इसके ऊपर जांच करवायेंगे ।

श्री भानुप्रताप सिंह (बरेली)—

क्या माननीय वन मंत्री बतायेंगे कि जिस शिकार कम्पनी को यह लाइसेंस दिये गये वह शिकार कम्पनी कौन-सी है और विदेशी कहां के थे ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

मेसर्स कार्लटन टाइगर हंटर्स शिकारी कम्पनी, यह शिकार कम्पनी थी और शिकारी थे ए० एफ० शूलक जिन्होंने मैलानी में शिकार खेला और जैक एरो, जिन्होंने किशनपुर में शिकार खेला ।

श्री भानुप्रताप सिंह (बरेली)—

यह नहीं बताया कि किस देश के थे ?

श्री अजीतप्रताप सिंह—

बाहर देश के थे ।

श्री सुरेन्द्रविक्रम—

अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूं, हमारे प्रदेश में वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्ट होती जा रही है, इसके लिए सरकार ने वाइल्ड बोर्ड की स्थापना की है, जिसका मैं भी मेम्बर हूं । लेकिन दुख है कि वाइल्ड लाइफ बोर्ड द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं वह कार्यान्वित नहीं किये जाते, ३० दिसम्बर को यह निर्णय लिया गया कि दो महीने में रिपोर्ट दें और शेरों की सैंसस हो, इसी तरह से जैसे प्रश्न ३१ में मंत्री जी ने जवाब दिया कि तीतर और मुर्गी मारने की कोई सूचना उनके पास नहीं है, क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि क्या गांव वालों से जो जंगल के पास रहते हैं, इसकी उनसे इंक्वायरी हुई है या नहीं ?

श्री अजीतप्रताप सिंह—

इंक्वायरी करने के बाद ही उत्तर दिया गया ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

माननीय वन मंत्री बता सकें तो वन मंत्री, नहीं, तो माननीय मुख्य मंत्री बताएं कि जो शेर, तीतर और बटेर गलती से मारे गये क्या उनके परिवारों को मुआवजा दिलायेंगे ?

(उत्तर नहीं दिया गया ।)

* * *

हरिजन सहायक संघ, बस्ती द्वारा वन विभाग की भूमि की मांग

*३९—श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी) तथा श्री परमाई लाल (जिला हरदोई)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के अन्तर्गत नौगढ़ तहसील के ग्राम वर्णपुर नं० १४ (टोला, अमारी, अमौरा, फसादीपुर, तमतिहवा, मिर्जापुर, नौगढ़ बाजार खास, नौगढ़ भरटोलिया, नौगढ़ पश्चिम, झंडेनगर, बसौनी), ग्राम वर्णपुर नं० ९ (टोला वर्णपुरखास) अलीदापुर (गौरा बाजार, सरसा), धवरेकुईया (कुढवा) के भूमिहीन तथा पिछड़ी जाति के कितने लोगों ने दिसम्बर, १९६९ ई० और फरवरी, १९७० ई० में जिला हरिजन सहायक संघ, बस्ती के माध्यम से माननीय वन मन्त्री जी को बस्ती जिले के नदी जमुआर के वन विभाग से खेती करने के लिये जमीन पाने के लिये आवेदन-पत्र समर्पित किया है ?

श्री अजीतप्रताप सिंह—

२१७ व्यक्तियों के सम्बन्ध में इस प्रकार के आवेदन-पत्र प्राप्त हुये हैं ।

*४०—श्री जगन्नाथ प्रसाद तथा श्री परमाई लाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भूमिहीन हरिजन पिछड़ी जाति के लोगों द्वारा दी गई उपरोक्त आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अजीतप्रताप सिंह—

शासन की नीति है कि वन विभाग की भूमि कृषि हेतु किसी को भी न दी जाय । अतः वन भूमि के आवंटन का प्रश्न नहीं उठता ।

गोरखपुर जिले में लक्ष्मीपुर फारेस्ट ट्रामवे के मजदूरों को सुविधायें देने की सिफारिश

* * *

*४६—श्री रामलगन दूबे (जिला गोरखपुर)—

क्या मन्त्री, वन विभाग को इस बात की जानकारी है कि विभाग के गोरखपुर जनपद लक्ष्मीपुर फारेस्ट ट्रामवे में कार्य करने वाले कर्मचारियों को दिये जाने वाले मासिक वेतन का हिसाब किताब दैनिक मजदूरों की श्रेणी में रखा जाता है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

जी हां, वन विभाग के गोरखपुर जनपद लक्ष्मीपुर फारेस्ट ट्रामवे में कार्य करने वाले ५५ कर्मचारियों को दिये जाने वाले मासिक वेतन का हिसाब-किताब दैनिक मजदूरों की श्रेणी में रखा जाता है ।

*४७—श्री रामलगन दूबे—

यदि हां, तो क्या मन्त्री जी ऐसे कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों की भांति सुलभ सुविधा प्रदान करने की घोषणा शीघ्र करने का कष्ट करेंगे तथा नियुक्ति के समय से ही सुविधाओं को प्रदान कराने की व्यवस्था भी करेंगे ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

इन कर्मचारियों को अस्थायी अधिष्ठान में रखने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

श्री रामलगन दूबे—

क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि इन ५५ कर्मचारियों को जो ४४ वर्ष से मासिक वेतन दिया जाता है लेकिन कुछ सुविधाओं से वंचित रखने के लिये जंगल विभाग उनको दैनिक श्रेणी के मजदूरों में रखता है ?

श्री अजीतप्रताप सिंह—

यह बहुत पुरानी बात है लेकिन इनको टेम्पोरेरी एस्टेब्लिशमेंट में लाने पर विचार हो रहा है जो बहुत जल्द हो जायगा ।

श्री रामलगन दूबे—

क्या शासन सन् ६० से काम करने वाले कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारी घोषित करने तथा उनको व्यापक सुविधायें प्रदान करने के लिये तैयार है ?

श्री अजीतप्रताप सिंह—

जी नहीं ।

* * *

चमोली जिले में जंगलों की आय ग्राम सभाओं को न मिलना

*६१—श्री शेरसिंह दानू—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद, चमोली के सिविल जंगलों की आय कब से और कितनी धनराशि का भुगतान ग्राम सभाओं को अदा नहीं किया गया है और क्यों ?

श्री अजीतप्रताप सिंह—

जनपद चमोली के सिविल वनों से वर्ष १९६८-६९ तक प्राप्त कुल आय में से ग्राम सभाओं को देय भाग १,४२,७०३-६० रु० है । वर्ष १९६९-७० में जिलाधिकारी द्वारा प्राप्त ग्राम सभाओं की मांग के अनुसार १,४२,४०० रु० की धनराशि उनको जनोपयोगी प्रयोजनाओं पर व्यय हेतु राजाज्ञा दिनांक २१ जनवरी, १९७० द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है । जिलाधिकारी द्वारा, स्वीकृत धनराशि को सम्बन्धित ग्राम सभाओ को वितरित करने की कार्यवाही की जा रही है ।

उक्त आय की शेष ३०३·६० रु० की धनराशि को स्वीकृत करने के लिये ग्राम सभाओं की कोई मांग नहीं थी ।

[८ मई, १९७० के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१-२—श्री जगदीश गांधी—

[५ मई, १९७० को प्र० सं० १२-१३ के अन्तर्गत उत्तरित]

मोहम्मदी नगरपालिका द्वारा शिक्षा अनुदान का अनियमित प्रयोग

*३—श्री कृष्णस्वरूप (जिला बदायूं)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९६४-६५ से १९६९-७० के बीच नगरपालिका मोहम्मदी जिला खीरी को मैचिंग ग्राट के रूप में कितना धन अनुदान के रूप में दिया गया ? क्या उसका उपयोग शासन के नियमानुसार नगरपालिका द्वारा किया गया ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त धन को तत्काल वापस लेने की कृपा करेगी ?

शिक्षा राज्य मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

जी हां, नगरपालिका मोहम्मदी जिला खीरी को वर्ष १९६४-६५ से १९६९-७० तक कुल १७,२५० रुपये की धनराशि (१६,१२५ रु० १९६४-६५ में एवं १,१२५ रु० १९६५-६६ में) मचिंग ग्रान्ट के रूप में दी गई थी जिसका उपयोग उक्त नगरपालिका ने नियमानुसार नहीं किया । शासन द्वारा इन अनुदानों के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने पर विचार किया जा रहा है ।

श्री कृष्णस्वरूप—

सन् १९६४-६५ में जो शिक्षा अनुदान दिया गया उसका उपयोग नहीं किया गया तो अब तक वह वापस क्यों नहीं लिया गया ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी—

वापस देने के लिये उन्हें लिखा गया था लेकिन वहां जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उन्होंने स्वयं मांगा है। इसलिये शासन उस पर विचार कर रहा है।

श्री कृष्णस्वरूप—

शासन को कब सूचना प्राप्त हुई कि नगरपालिका ने उस धन का उचित रूप से इस्तेमाल नहीं किया है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी—

शासन को सन् १९६८ में यह सूचना मिल गयी।

श्री कृष्णस्वरूप—

क्या यह सही है कि यह शिक्षा अनुदान मोहम्मदी नगरपालिका ने अपने कर्मचारियों के वेतन देने में खर्च कर लिया ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी—

जी हां।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

सन् १९६७-६८ में सूचना प्राप्त हो गयी और इस प्रकार दो वर्ष गुजर गये तो अब तक कोई कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी—

उस वक्त लिखा गया था कि अनुदान की धनराशि ट्रेजरी में जमा कर दी जाय।

श्री सतीशचन्द्र (जिला एटा)—

जब १९६८ में आदेश दे दिया गया कि ट्रेजरी में रुपया जमा कर दिया जाय और वह जमा नहीं किया गया तो उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी—

कार्यवाही की गई इस रूप में कि जिला निरीक्षक के द्वारा नगरपालिका मोहम्मदी का पत्र आने पर इंक्वायरी की गयी। और उसके बाद नगरपालिका के अध्यक्ष को लिखा गया कि वे वापस कर दें। इस सम्बन्ध में कार्यवाही जारी है।

तराई भावर वन खण्डों में चरागाहों संबंधी आवेदन पत्र

*४—श्री इन्द्रलाल—

क्या वन मंत्री कृपया बतावेंगे कि तराई भावर वन खंड में स्थित बौड़खता खमारी व कोटखर्रा खतों के निवासियों का दिनांक १८ जुलाई, १९६९ का मेमोरेण्डम वन विभाग द्वारा पूर्व उपलब्ध चरागाहों की जमीनों की कमी करने सम्बन्धी शासन को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अजीतप्रताप सिंह—

तराई भावर वन खण्ड में स्थित बौड़ खत्ता, खमारी खत्ता व कोटखर्रा खत्तों के निवासियों का चरागाहों की भूमि सम्बन्धी मेमोरेन्डम श्री प्रेमसिंह रावत के हस्ताक्षर से केन्द्रीय राज्य मंत्री

श्री के० सी० पन्त को सम्बोधित माननीय सदस्य के पत्र दिनांक १८-७-६९ सहित केन्द्रीय मंत्री श्री पन्त के पत्र दिनांक २३-७-६९ के साथ प्राप्त हुआ था । मामला शासन के विचाराधीन है ।

श्री इन्द्रलाल---

क्या माननीय वन मंत्री कृपया बातायेंगे कि तराई भावर के वन खन्डों में खत्तों वाली और हकूक की लकड़ी की समस्याओं पर वन विभाग ने या शासन ने जो कुमाऊं वन तथ्य निरोपण समिति बैठाई थी और उसने कुछ संस्तुतियां की थी और सरकार ने इन संस्तुतियों को मान भी लिया था किन्तु अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है क्या सरकार इस पर शीघ्र कदम उठायेगी ?

श्री अजीतप्रताप सिंह---

यह मामला अभी विचाराधीन है ।

श्री इन्द्रलाल---

क्या माननीय वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फरवरी में जो वन समिति की बैठक हुई थी और उसने निर्णय लिया था कि हम शीघ्र ही विभाग के अधिकारियों को आदेश देने जा रहे हैं । शासन से हमेंशा यह उत्तर दिया जाता है कि यह मामला सरकार के विचाराधीन है। तो कब तक यह मामला विचाराधीन रहेगा ।

श्री अजीतप्रताप सिंह---

बहुत जल्दी कर दिया जायेगा ।

तराई भावर वन खण्ड में फारेस्ट गार्डों की मुअत्तली

*५---श्री इन्द्रलाल---

विधान सभा की बैठक दिनांक २४ जुलाई, १९६९ ई० को अतारांकित प्रश्न सख्या ५ के उत्तर के क्रम में क्या वन मन्त्री कृपया बतावेंगे कि जिन सात फारेस्ट गार्डों को निलम्बित किया गया, उन्हें निलम्बित करने के कारण क्या थे और जिन-जिन फारेस्ट गार्डों ने अवैध कटान किया वह अवैध कटान किस रेंज में किन वृक्षों का हुआ ?

श्री अजीतप्रताप सिंह---

जिन ७ फारेस्ट गार्डों को निलम्बित किया गया उनमें से ६ फौरेस्ट गार्डों को उनके बीच में हुए नाजायज कटान, कर्त्तव्यहीनता तथा अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना के आरोप पर तथा १ फारेस्ट गार्ड को अपनी ड्यूटी पर अनुपस्थिति रहने के कारण निलम्बित किया गया । जिन २ फारेस्ट गार्डों की सेवायें अवैध कटान के कारण समाप्त की गईं उन अवैध कटान से संबंधित रेंजों और वृक्षों का विवरण निम्न प्रकार ---

रेंज का नाम	नाजायज काटे गये पेड़ों का विवरण	
वरहनी	खैर	५४ पेड़
	शीशम	५८ ,,
	कुकाट	३९ ,,
वाराकोली	साल	११ ,,
	खैर	१ ,,
	कुकाट	४ ,,
	सैमल	१ ,,

श्री इन्द्रलाल---

क्या माननीय वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बारागोली और बरहनी रेन्ज में कम से कम लाखों रुपये की प्रापर्टी कट चुकी है। यहां के जो अधिकारी जैसे डी० एफ० ओ०, ए० सी० एफ० हैं, उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है जब कि यह प्रश्न इसी विधान सभा में २९ अप्रल, १९६९ को उठाया गया था। तो मैं जानना चाहता हूं कि उन अधिकारियों के खिलाफ क्यों अभी तक कार्यवाही नहीं हुई ?

श्री अजीतप्रताप सिंह---

जिन कर्मचारियों और अधिकारियों की गलती पकड़ी गई थी उनके ऊपर आवश्यक कार्यवाही की गई है।

परीक्षितगढ़ विकासखण्ड में वन भूमि

*६---श्री मंजूर अहमद---

क्या वन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विकास खंड परीक्षितगढ़, तहसील मवाना, जिला मेरठ में वन विभाग की भूमि का क्षेत्रफल क्या है और उसमें जंगल हैं या नहीं ?

श्री अजीतप्रताप सिंह---

विकास खण्ड परीक्षितगढ़, तहसील मवाना, जिला मेरठ में वन विभाग की भूमि का क्षेत्रफल ५८०७ एकड़ है और उसमें अभी अच्छे प्रकार का वन नहीं है।

श्री मंजूर अहमद---

क्या माननीय वन मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि जैसे उन्होंने अभी बतलाया कि वहां लगभग ६ हजार एकड़ जमीन वन विभाग की है और उसमें वन के दरख्त हैं। तो मैं उनसे यह पूछना चाहूंगा कि उसमें वन के दरख्त कितने हैं और कितनी जमीन खाली है ?

श्री अजीतप्रताप सिंह---

प्लान्टेशन हो रहा है। उसकी तादाद बताना मुश्किल है।

श्री मंजूर अहमद---

माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि लगभग ६ हजार एकड़ भूमि खाली पड़ी है। तो क्या मंत्री जी अन्न की समस्या को हल करने के लिये उस जमीन को भूमिहीनों में बांट देने का इरादा रखते हैं ?

श्री अजीतप्रताप सिंह---

जी नहीं।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह जमीन कितने दिनों से फारेस्ट विभाग में है और अब तक तौंगियां के आधार पर इस पर खेती क्यों नहीं करायी गयी ?

श्री चरणसिंह---

वह भूमि तौंगिया काश्त के काबिल भी नहीं है। ऊंची नीची और खराब जमीन है। कटान को रोकने के लिये वहां पर वृक्ष लगाये जा रहे हैं।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)---

जब वह जमीन प्लान्टेशन के योग्य नहीं है तो भूमिहीनों को देने में सरकार को क्या एतराज है ?

श्री चरणसिंह---

अध्यक्ष महोदय, यों तो यह बात हो जायगी कि जंगल की सारी भूमि भूमिहीनों को बांट दी जाय। पंजाब को छोड़ कर वन भूमि का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में सबसे कम है। इसलिये वन की भूमि को किसी को दिया जाना मुनासिब नहीं है। इसके अलावा एक सुझाव यह भी है कि गंगा आदि बड़ी नदियों के कटान को रोकने के लिये एक दो मील तक जंगल लगा दिये जायं। जहां वृक्ष नहीं हैं वहां भी वृक्ष लगा दिये जायं। इसलिये यह प्रेक्टीकेबिल नहीं है कि जंगल की जमीन को भूमिहीनों में बांट दिया जाय।

श्री मंजूर अहमद---

क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि इस भूमि के बीच में कितने काश्तकारों के फार्म हैं ?

श्री चरणसिंह---

मैंने जहां तक उस जमीन को देखा है, उसके अन्दर तो कोई फार्म नहीं है, अड़ोस-पड़ोस में भले ही होंगे।

श्री सुरेन्द्रविक्रम---

यह भूमि गंगा के किनारे है। वहां बबूल का वृक्ष आसानी से लग सकता है। क्या मंत्री जी वहां बबूल का जंगल लगवाने की कृपा करेंगे ?

(मंत्री जी को उत्तर के लिये नहीं पुकारा गया।)

श्री मंजूर अहमद---

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी मेरी जानकारी को ठीक मान कर कि वहां सैकड़ों चौधरियों के फार्म हैं, उस काबिल काश्त जमीन को भूमिहीनों को देंगे ?

श्री अध्यक्ष---

आप उनको लिखकर दे दें। वे देख लेंगे।

श्री मंजूर अहमद---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १९६७-६८, १९६८-६९ में सरकार का कितना खर्च हुआ इस जमीन की देखरेख में ?

श्री अजीतप्रताप सिंह---

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

जवाहर इण्टर कालेज, इगलास में प्रशासक नियुक्त करने की सिफारिश

*७---श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)---

क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि जिला विद्यालय निरीक्षक, अलीगढ़ ने दिनांक २७ दिसम्बर, १९६९ को सबल संस्तुति की थी कि जवाहर इण्टर कालेज, इगलास में प्रबन्धक नियुक्त किया जाय ? यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रबन्धक की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जिला विद्यालय निरीक्षक, अलीगढ़ ने २८–११–६८ को मंडलीय उप निदेशक शिक्षा को यह संस्तुति की थी कि विद्यालय में प्रशासक नियुक्त किया जाय। मंडलीय उप शिक्षा निदेशक से प्राप्त अन्तिम रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् प्रशासक नियुक्त करना आवश्यक नहीं समझा गया।

श्री जगदीश गांधी—

क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि इस विद्यालय में सरकारी धन का दुरुपयोग होता है और वहां पर काफी गड़बड़ी है और वहां की पढ़ाई लिखाई भी काफी खराब है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

यह बात सही है कि पहले कुछ अभिभावकों और वहां के क्षेत्र के लोगों की शिकायत आयी थी और उसी पर यह जांच पड़ताल की गयी कि प्रशासक वहां नियुक्त किया जा सकता है या नहीं। काफी छानबीन की गयी। बाद में रिपोर्ट के आधार पर यह समझा गया कि इससे पहले कि कोई कार्यवाही की जाय उन्हें शो काज नोटिस दी जाय और वह नोटिस दी गयी। बाद में प्रबन्धक महोदय के आश्वासन पर और जो उनकी विशेष त्रुटि थी कि एक क्लर्क को उन्होंने जो हाई स्कूल पास नहीं था नियुक्त कर रखा था उसे जब निकाल दिया गया तो विभाग इस बात से संतुष्ट हो सका और यह निर्णय लिया कि उन्हें फिर मौका दिया जाय और प्रशासक नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री जगदीश गांधी—

जवाहर इन्टर कालेज, इगलास की प्रबन्धक कमेटी कोई धन चन्दे से इकट्ठा करके विद्यालय को देती है या यह विद्यालय विद्यार्थियों की फीस और सरकारी अनुदान से ही चलता है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जहां तक रुपये का मामला है उस विद्यालय के भवन में और उसके बनाने में वहां के लोगों का काफी हिस्सा है।

श्री जगदीश गांधी—

श्रीमन्, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। भवन बनना अलग बात है। मेरा प्रश्न यह था कि जो विद्यालय चल रहा है क्या वह बच्चों की फीस और सरकारी अनुदान जो मिलता है इन्हीं दो से चलता है या वहां का मैनेजमेंट कुछ रुपया चन्दा करके भी विद्यालय को देता है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

यह तो हर कालेज में होता है, वहां भी होता होगा कि जो फीस और अनुदान का पैसा आता है उससे चलता है। अगर बिल्डिंग या किसी और चीज के लिये वह चन्दा मांगना चाहें तो ले सकते हैं, इस पर कोई रोक तो है नहीं।

श्री कल्यानसिंह (जिला अलीगढ़)—

जिला विद्यालय निरीक्षक, अलीगढ़ ने यह संस्तुति की उप संचालक, आगरा के लिये कि उसमें प्रशासक नियुक्त कर दिया जाय। तो उसकी संस्तुति में किन-किन आरोपों का उल्लेख था और क्या मंडल के संचालक ने उन आरोपों की पुष्टि करके सरकार को सूचना दी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

आरोप इस प्रकार थे कि श्री सुखबीर सिंह कर्णी की नियुक्ति करना जो हाई स्कूल पास नहीं थे और आय-व्यय लखा में हाई स्कूल योग्यता दिखा कर विभाग को धोखा देना। इन्हीं

श्री सुखबीरसिंह कर्णी द्वारा विद्यालय के अनुत्तीर्ण छात्रों से रुपया ले कर उत्तीर्ण होने का टी० सी० देना, स्थायी प्रधानाचार्य की नियुक्ति न करना, विभागीय आदेशों का पालन न करना, आदि। और यह क्लर्क जब निकाल दिया गया तो सबसे बड़ी जो अनियमितता कालेज की थी वह दूर हो गयी।

गवर्नमेन्ट गर्ल्स इण्टर कालेज, उन्नाव का भवन

*८---श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)---

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि गवर्नमेंट गर्ल्स इन्टर कालेज, उन्नाव के भवन निर्माण कराने की कोई योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से और इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

शिक्षा मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)---

जी हां, भवन निर्माण का प्रस्ताव १९६३ से विचाराधीन है। प्रारम्भिक कार्यवाही पूरी हो चुकी है। भवन निर्माण के लिये प्रस्तावित भूमि पर विवाद खड़ा हो जाने के कारण निर्माण-कार्य आरम्भ न हो सका। अब विवाद ग्रस्त भूमि को छोड़ कर भवन निर्माण का प्रस्ताव है और आशा की जाती है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा शीघ्र निर्माण-कार्य आरम्भ किया जायगा।

टिहरी गढ़वाल के अध्यापकों का वेतन भुगतान

*९---श्री इन्द्रमणी---

क्या शिक्षा मन्त्री को मालूम है कि टिहरी गढ़वाल में प्रान्तीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय चमियावा कैमर, डिंडोला खाल, कीर्तिनगर, कमाद रमोली में अध्यापकों को सन् १९६९ सितम्बर से अभी तक वेतन नहीं मिला? यदि हां, तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र---

इन विद्यालयों के अध्यापकों के रुके हुये वेतन का भुगतान फरवरी तथा मार्च, १९७० में कर दिया गया है।

*१०---डाक्टर भगवत दयाल सिलोइया---

[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

बहराइच जिले में मुर्तिहा क्षेत्र के रेंजर के विरुद्ध शिकायतें

*११---श्री पारसनाथ सिंह---

क्या वन मन्त्री को इसकी जानकारी है कि बहराइच जिले के मुर्तिहा रेंजर के विरुद्ध इस आशय की शिकायत अप्रैल अथवा मई, १९६८ में मिली कि उन्होंने ग्रामीणों को भूमि देने का लोभ देकर लगभग ६२ हजार रुपया घूस लिया? यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री अजीतप्रताप सिंह---

जी नहीं।

*१२---श्री पारसनाथ सिंह---

क्या सरकार को यह शिकायत भी मिली है कि उल्लिखित रेंजर ने बहराइच के ग्राम लालपुर तथा आसपास बसे ८१ हरिजनों के झोपड़ों में आग लगवा दी जिससे कि उनकी सम्पत्ति नष्ट हो गई? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

नोट---तारांकित प्रश्न ७ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री अजीतप्रताप सिंह—

बहराइच जिले के ग्राम लालपुर के संबंध में इस प्रकार की शिकायत शासन को प्राप्त नहीं हुई है ।

हंडिया तहसील में लड़कियों का स्कूल खोलने की जानकारी

*१३—श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

क्या शिक्षा मन्त्री बतायेंगे कि हंडिया तहसील में लड़कियों का कोई स्कूल खोलने की योजना है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

दुर्गा गीता विद्यालय, लखनऊ के विरुद्ध जांच

*१४—श्री हिम्मत सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६७–६८ में लखनऊ स्थित दुर्गा गीता विद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं की जांच तत्कालीन शिक्षा मन्त्री के आदेश पर कराई गई ? यदि हां, तो मुख्य शिकायतें क्या थीं, जांच के परिणाम स्वरूप क्या तथ्य प्रकाश में आये तथा उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां ।

प्रधानाचार्य के पद पर प्रबन्धक द्वारा मनमाने अध्यापक की नियुक्त, अध्यापकों की वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकना, विद्यालय के भवन का किराया अनुपालन अनुदान से निकालना जबकि भवन सरकारी अनुदान से बन गया था । विद्यालय की साइकिल चोरी हो जाने के कारण स्टाक रजिस्टर से खारिज कर देना, अध्यापकों की अस्थाई नियुक्ति करना तथा मनमाने ढंग से निकाल देना, प्रशासन योजना का अनुमोदन न करना, गीता भवन के लिये चन्दा लेकर रसीद न देना आदि मुख्य शिकायतें थीं ।

जांच में अधिकांश शिकायतें निराधार पाई गईं और शेष जो शिकायतें सत्य पाई गईं उनका निराकरण विद्यालय के अधिकारियों ने कर लिया है । अतः कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

गोंडा जिले में जंगल की माफी की लकड़ी न मिलना

*१५—श्री विजयपाल सिंह (जिला गोंडा)—

क्या यह सही है कि गोंडा जिले में चन्दनपुर, डेरवा, रज डेरवा रमवापुर, जनकपुर आदि जंगलों में पड़ोस के ग्रामवासी काफी समय से वन की लकड़ी माफी में पाते चले आ रहे थे, उसे आकस्मात बन्द कर दिये जाने से जनता में बड़ी परेशानी है ? यदि हां, तो क्या वन मन्त्री जी इस आदेश को पुनः लागू करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब से आदेश लागू होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अजीतप्रताप सिंह—

गोंडा जिले के कथित जंगलों के पड़ोस के ग्रामवासियों को माफी की लकड़ी देना बन्द नहीं किया गया है । अतः इस सम्बन्ध में आदेशों को पुनः लागू करने का प्रश्न नहीं उठता ।

कुक्कुट आहार केन्द्र, हापुड़ के नमूनों की जांच

*१६—श्री लक्ष्मण स्वरूप (जिला मेरठ)—

क्या पशुपालन मन्त्री यह बतायेंगे कि अक्तूबर, १९६९ में राजकीय कुक्कुट आहार केन्द्र, हापुड़ में २१ नमूने मिलावट के सम्बन्ध में जो सील किये गये थे, उनके ऊपर क्या कार्यवाही की गई ?

पशुपालन मंत्री (डाक्टर सीताराम)—

१६ नमूनों का विश्लेषण परीक्षण अनुसंधान अधिकारी (कुक्कुट आहार), चक गंजरिया फार्म, लखनऊ द्वारा कराया गया जिसके फलस्वरूप तीन नमूने स्वीकृत स्तर से अवर पाये गये। इनमें से दो नमूने राईस पालिश एवं खली के थे, जो वस्तुएं ठेकेदारों द्वारा प्राप्त की गई थीं और एक नमूना शीरे का था जो चीनी की मिलों से खरीदा गया था।जहां तक प्रथम दो वस्तुओं का संबंध है विश्लेषण के परिणाम स्वरूप संबंधित ठेकेदारों के बिलों में से ५८५९.५० रुपये की कटौती कर दी गई। शीरे के नमूने के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि उसमें पानी अधिक था। इसका कारण यह था कि विभाग के उस तालाब में, जिसमें शीरा जमा किया जाता है, दरार हो जाने से कुछ बरसाती पानी पहुंच गया था जिससे शीरा पतला हो गया। शीरे के तालाब की आवश्यक मरम्मत करा दी गई है।

*१७—श्री श्याम सूरत उपाध्याय तथा श्री राम पूजन पटेल—

[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित।]

पशुपालों का कथित चुनाव

*१८—श्री रामबचन यादव तथा श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

क्या पशुपालन मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि फरवरी, १९६९ में पशुपालों का जो चयन किया गया उसमें कुल कितने पशुपाल चुने गये तथा उसमें छंटनी शुदा कर्मचारी कितने लिये गये ?

डाक्टर सीताराम—

फरवरी १९६९ में पशुपालों के प्रशिक्षण हेतु कोई चुनाव निदेशालय में नहीं हुआ था। अतः छटनी शुदा कर्मचारियों के चयन का प्रश्न नहीं उठता है।

टिहरी गढ़वाल की किसान पार्टी

*१९—श्री इन्द्रमणी—

क्या मुख्य मन्त्री को मालूम है कि टिहरी-गढ़वाल में साम्यवादियों ने एक किसान पार्टी संगठित की है ? यह दल नक्सलाइट की तरह यह नीति अपना रहा है कि वन विभाग में जितने भी सुरक्षित वन हैं उनको जबरदस्ती आबाद किया जाय और इस प्रकार का अभियान भी उन्होंने आरम्भ कर दिया है ? यदि हां, तो कहां-कहां यह कार्य उन्होंने आरम्भ किया है तथा उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री अजीतप्रताप सिंह—

किसान सभा का साइनबोर्ड टिहरी बाजार के कई स्थानों पर लगा हुआ देखा गया है किन्तु इस पार्टी द्वारा वन विभाग के सुरक्षित वनों को जबरदस्ती आबाद किये जाने की कोई घटना घटित नहीं हुई है। शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

जनकपुर वन क्षेत्र, जिला गोंडा में चोर शिकारियों को दण्ड

*२०—श्री सन्तराम (जिला गोंडा), श्री गंगा प्रसाद, श्री विजयपाल सिंह तथा श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोंडा में २२ फरवरी, १९७० की रात में वनाधीश उत्तरी के द्वारा जनकपुर रेंज में अवैधानिक रूप से कुछ सरकारी कर्मचारी शिकार खेलते हुये पकड़े गये थे ? यदि हां, तो उनके सम्बन्ध में क्या वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अजीतप्रताप सिंह—

जी हां, चार सरकारी कर्मचारी पकड़े गये थे। मामले को अभिसन्धान (कम्पाउन्ड) करके चोर शिकारियों से कुल १५५० रुपये अर्थ दण्ड वसूल किया गया।

*२१—श्री सन्तराम, श्री गंगा प्रसाद, श्री विजय पाल सिंह तथा श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या यह सही है कि जो सरकारी कर्मचारी शिकार में पकड़े गये थे उन्होंने सरकारी वैहिकिल का प्रयोग किया था तथा वे कौन-कौन एवं किस-किस पद के सरकारी कर्मचारी थे ?

श्री अजीतप्रताप सिंह—

जी हां, चोर शिकारियों ने सरकारी जीप का प्रयोग किया था। चोर शिकारी सरकारी कर्मचारियों के विवरण निम्नलिखित हैं :—

(१) श्री के० एस० प्रधान, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल आफीसर आफ हेल्थ, बस्ती।

(२) श्री ए० एस० परमार, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एजूकेशन ऐण्ड इनफारमेशन आफिसर, बस्ती।

(३) श्री आर० एस० यादव, सहायक यूनिट अधिकारी, मलेरिया विभाग तुलसीपुर, गोंडा।

(४) श्री तारा चन्द्र गुप्ता, स्वास्थ्य निरीक्षक, तुलसीपुर, गोंडा।

विद्यालय प्रति उप निरीक्षकों के दक्षता-रोक-पार सम्बन्धी मामले

*२२—श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उपशिक्षा निदेशक, बरेली तृतीय मंडल के अन्तर्गत पिछले पांच वर्ष में किन-किन प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों के दक्षतारोक पार करने के विषय में प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये तथा उनमें से कितने पर निर्णय हो गया ? और कितने मामलों पर निर्णय होना बाकी है तथा क्यों ? क्या सरकार उन पर शीघ्र निर्णय कराने की वव्यस्था करेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

६० विद्यालय प्रति उप निरीक्षकों के दक्षता रोक पार करने के विषय में प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये। उनमें से केवल एक वर्ष १९६५–६६ में शिक्षा निदेशालय में तथा शेष उप शिक्षा निदेशक, बरेली के कार्यालय में प्राप्त हुये। सम्बन्धित विद्यालय प्रति उप निरीक्षकों के नाम संलग्न तालिका में अंकित हैं। सर्वश्री ठाकुर शरण सिंह तथा राम कुमार शर्मा को छोड़कर अन्य ५८ मामलों में निर्णय हो चुका है। शेष दो मामले अभी अनिर्णित हैं, चूंकि गोपनीय आख्या और अन्य वांछित सूचना प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है। वांछित गोपनीय आख्या तथा सूचना प्राप्त होते ही इन मामलों पर निर्णय ले लिया जायेगा।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५०४–५०६ पर)

कान्यकुब्ज वोकेशनल कालेज, लखनऊ में हरिजन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलने में विलम्ब

*२३—श्री कन्हैयालाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि स्थानीय कान्य कुब्ज वोकेशनल कालेज में हरिजन छात्रों को इस शिक्षा सत्र में अभी तक छात्रवृत्ति क्यों नहीं दी गई है ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्रीमती विद्यावती राठौर)—

शिक्षा सत्र के प्रारम्भ में सम्बन्धित छात्रों द्वारा आवेदन-पत्र देर से प्रस्तुत किये जाने के कारण छात्रवृत्तियों का भुगतान समय से नहीं किया जा सका। प्राप्त सूचना के अनुसार रु० ४३,२२१ प्रधानाचार्य के निवर्तन पर रख दिया गया था जिसमें से रु० ३१,८०३ का भुगतान उक्त छात्रों को किया जा चुका है तथा केवल रु० ११,४१८ का भुगतान शेष है, जो परीक्षाकाल होने के कारण छात्रों से सम्पर्क स्थापित न हो पाने के फलस्वरूप नहीं किया जा सका है।

*२४—श्री कन्हैयालाल सोनकर—

क्या सरकार उक्त कालेज पर भविष्य में हरिजन लड़कों को समय पर छात्रवृत्ति दिलाने के लिये आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

श्रीमती विद्यावती राठौर—

ये छात्रवृत्तियां समय से उपलब्ध हो जाया करें, इसके लिये कार्यवाही की जा रही है।

बाराबंकी जिला परिषद् में अप्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति

*२५—श्री मुस्तफा कामिल किदवाई (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार को जानकारी है कि जुलाई, १९६९ में बाराबंकी जिला परिषद् में ६० प्रतिशत अध्यापकों को नियुक्त करने के अवसर पर यह कहकर नियुक्त नहीं किया गया कि विभाग में "ओवर स्टाफिंग" है जगह नहीं है और २२ फरवरी, १९७० को २५० अप्रशिक्षित अध्यापकों को नियुक्त किया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि बाराबंकी जिला परिषद् में इन २५० अप्रशिक्षित अध्यापकों को नियुक्ति करने में "एजूकेशन कोड" के नियमों का पालन किया गया है या नहीं ? यदि नहीं, तो सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जुलाई, १९६९ में ६० प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में ओवर स्टाफिंग की कोई बात नहीं कही गई। २१-२-७० को शिक्षक चुनाव समिति ने २५० नवीन अप्रशिक्षित अध्यापकों का चयन किया, जिनकी नियुक्तियां १२-३-७० को की गयीं। यह नियुक्तियां उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम के अनुसार की गयीं।

गवर्नमेन्ट बालिका हायर सेकेन्डरी स्कूल, नौतनवा बाजार का भवन

*२६—श्री रामलगन दूबे—

क्या शिक्षा मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि गोरखपुर जनपद के सम्बन्धित पिछड़े तराई भू-भाग में संचालित गवर्नमेंट बालिका हायर सेकेंडरी स्कूल, नौतनवां बाजार के पास लड़कियों की शिक्षा तथा अध्यापिकाओं के आवास के लिये पर्याप्त भवन नहीं है ? यदि हां, तो सरकार कब तक व्यवस्था करने जा रही है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां।

विद्यालय भवन के विस्तार हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है और शीघ्र ही निर्माण कार्य प्रारम्भ हो जायगा।

विद्यालय में चार आवास गृह उपलब्ध हैं। अभी और आवास गृह निर्माण कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*२७—श्री उमाशंकर शुक्ला—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

बाराबंकी जिले में हरिजन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

*२८—श्री शिवकैलाश (जिला बाराबंकी)—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष १९६८–६९ व १९६९–७० में विभाग द्वारा जिला बाराबंकी में कितने हरिजन व पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी गईं ?

श्रीमती विद्यावती राठौर—

बाराबंकी जिले में स्वीकृत की गई छात्रवृत्तियों की संख्या निम्न प्रकार है—

		१९६८–६९	१९६९–७०
अनुसूचित जाति	..	६९३	७३८
पिछड़ी जाति	..	१३३	१५०

*२९—श्री शिवकैलाश—

क्या मन्त्री जी यह भी कृपया बतायेंगे कि जिला बाराबंकी में कितने ऐसे हरिजन एवं पिछड़ी जाति के विद्यार्थी हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है और क्यों ?

श्रीमती विद्यावती राठौर—

उक्त वर्षों में जो छात्रवृत्ति हेतु प्राप्त आवेदन-पत्र स्वीकृत नहीं किये जा सके उनकी संख्या निम्नलिखित है :—

		१९६८–६९	१९६९–७०
अनुसूचित जाति	..	३४६	३९६
पिछड़ी जाति	..	७१९	८५९

ये छात्रवृत्तियां धनाभाव के कारण स्वीकृत नहीं की जा सकीं।

*३०—श्री जगन्नाथ प्रसाद—

[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

*३१—श्री रामनिहोर राय तथा श्री सूबेदार प्रसाद—

[स्पष्टीकरण के अभाव में हटा दिया गया]

दसवीं कक्षा तक फीस माफ करने की जानकारी

*३२—श्री श्यामसूरत उपाध्याय तथा श्री रामदेव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश के दसवीं कक्षा तक के समस्त विद्यार्थियों की फीस माफ करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो दसवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की फीस सरकार कब तक माफ कर देगी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं ।

जौनपुर जिले के विद्यालयों के प्रबन्ध में अध्यापक

*३३—श्री सूर्यनाथ उपाध्याय (जिला जौनपुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले के अन्तर्गत कौन-कौन से ऐसे माध्यमिक विद्यालय एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं जिनमें अध्यापक एवं प्राध्यापक उसी विद्यालय के मैनेजर या मैनेजिंग कमेटी के मेम्बर भी हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जौनपुर जिले के सभी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में, जिनकी प्रशासन योजना अनुमोदित है, प्रधानाचार्य तथा दो अध्यापक अपने विद्यालय की प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य हैं ।

केवल किसान आदर्श राष्ट्रीय इण्टर कालेज प्रतापगढ़ की प्रबन्ध समिति में तीन पदेन सदस्यों के अतिरिक्त अन्य अध्यापक अथवा प्राध्यापक भी मैनेजर तथा मेम्बर हैं ।

इस जनपद के किसी भी जूनियर हाई स्कूल की प्रबन्ध समिति में कोई अध्यापक मैनेजर अथवा मेम्बर नहीं है ।

अलीगढ़ जिले में अध्यापकों को वेतन न मिलने की शिकायत

*३४—श्री कल्यानसिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अलीगढ़ में ऐसे कौन-कौन से मान्यता प्राप्त एवं सहायता प्राप्त गैर-सरकारी हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज हैं जहां के अध्यापकों को दो अथवा दो से अधिक महीनों का वाजिब वेतन वितरित नहीं किया गया है? उनके वेतनों को नियमित रूप से वितरित कराने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

ऐसे विद्यालयों की सूची संलग्न है । विभाग द्वारा सम्बन्धित विद्यालयों को वेतन वितरण के आदेश समय-समय पर दिये जाते हैं ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५०७ पर)

हरदोई जिले के गोसवां ग्राम से हरिजनों का कथित आवेदन-पत्र

*३५—श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या सरकार अभ्यर्थना विभाग के पत्र संख्या ५२९३३] चौंतीस १९६९, दिनांक ९ जनवरी, १९७० के सदर्भ में यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम गोसवां, परगना मल्लावां, तहसील बिलग्राम, जिला हरदोई के हरिजनों का जो प्रार्थना-पत्र उसे प्राप्त हुआ था उसके सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रीमती विद्यावती राठौर—

प्रश्न में संदर्भित अभ्यर्थना विभाग के पत्र दिनांक ९ जनवरी, १९७० के माध्यम से ग्राम गोसवां, परगना मल्लावां, तहसील बिलग्राम, जिला हरदोई के हरिजनों का कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ । अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

वन विभाग द्वारा गढ़वाल जिले में मोटर मार्गों का निर्माण

*३६—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या वन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९७०–७१ में उनके विभाग द्वारा जिला गढ़वाल में किन-किन मोटर मार्गों का निर्माण-कार्य आरम्भ होगा ?

श्री अजीतप्रताप सिंह—

वर्ष १९७०–७१ में वन विभाग द्वारा जिला गढ़वाल में किसी भी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य आरम्भ करने का कोई कार्यक्रम नहीं है।

*३७—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या वन मन्त्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि फरसुंडाखाल-पैठाणी वन मोटर मार्ग कब तक बन कर तैयार हो जायगा ?

श्री अजीतप्रताप सिंह—

फरसुन्डाखाल से चरी तक मार्ग लगभग बन चुका है। चरी से पैठाणी तक वन मोटर मार्ग बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्रीमती कृष्ण प्यारी गुप्ता, प्रधानाचार्या, आर्य कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल बिल्सी, बदायूं की अपील में निर्णय

*३८—श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मार्च, १९७० में बदायूं जिले के कन्या विद्यालय का इण्टर एजूकेशन ऐक्ट की धारा १६ जी ३ (सी) के अन्तर्गत कोई ऐसा निर्णय हुआ है जिसमें यह आदेश दिया गया है कि प्रार्थिनी की मृत्यु हो गई अतः उसकी अपील रद्द की जाती है ? यदि हां, तो किस प्राविधान के अन्तर्गत जबकि प्रार्थिनी ने बीमारी के दौरान न्यायकर्त्ता से निवेदन किया था कि उसके प्रतिनधि को मामला प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाय। क्या शिक्षा मन्त्री उक्त निर्णय की एक प्रति सदन के सम्मुख रखेंगें ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां। प्रार्थिनी ने अपने प्रतिनिधि द्वारा मामला प्रस्तुत करने की अनुमति २३–१२–१९६९ को होने वाली सुनवाई के लिये मांगा था। चूंकि उक्त तिथि को सुनवाई स्थगित कर दी गई थी अतः उसके बाद १८ फरवरी, १९७० को निर्धारित सुनवाई में मामले की पैरवी करने के लिये प्रार्थिनी को स्वयं बुलाया गया। उनकी मृत्यु हो जाने के कारण अपील रद्द कर दी गई।

निर्णय की प्रति संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ५०८ पर)

*३९—श्री राम गोपाल सण्ड—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

महाराजगंज इण्टर कालेज, जिला आजमगढ़ में वेतन भुगतान तथा डा० जाकिर हुसैन की मृत्यु पर विद्यालय न बन्द होने की शिकायत

*४०—श्री निर्भयनारायन सिंह (जिला बलिया)—

क्या यह सत्य है कि महाराज गंज इन्टर कालेज, महाराजगंज, जिला आजमगढ़ के कुछ अध्यापकों द्वारा बार-बार मांग करने पर भी आवाक्ता (रिसीवर) द्वारा उनका वेतन गत २१ माह से नहीं दिया जा रहा है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं, समस्त अध्यापकों एवं कर्मचारियों का वेतन माह नवम्बर, १९६९ तथा महंगाई भत्ता फरवरी, १९७० तक का जो नियमतः देय था दे दिया गया है ।

*४१—श्री निर्भयनारायन सिंह—

क्या यह सत्य है कि सरकार ने जांच द्वारा सही पाया था कि स्वर्गीय राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसैन की आकस्मिक मृत्यु पर महाराजगंज इण्टर कालेज, महाराजगंज, जिला आजमगढ़ को बन्द नहीं किया गया ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं । दिनांक ४-५-१९६९ को स्वर्गीय राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसैन की मत्यु की सूचना प्राप्त होने पर विद्यालय तुरन्त बन्द कर दिया गया तथा ५-५-१९६९ को भी बन्द रखा गया ।

उत्तराखण्ड के विद्यालयों के प्रबंध में अध्यापक

*४२—श्री शेर सिंह दानू —

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तराखंड में ऐसे अध्यापक अध्यापिकाओं की संख्या कितनी है जो किसी राजकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की प्रबन्ध कार्यकारिणी के पदाधिकारी भी हैं तथा उन्हें ऐसी द्वैत स्थिति ग्रहण करने की अनुमति क्यों दी गई है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

उक्त मण्डल के एक डिग्री कालेज के केवल एक अध्यापक ऐसे हैं जो एम० बी० इण्टर कालेज, हल्द्वानी के प्रबन्धकारिणी समिति के प्रबन्धक हैं । डिग्री कालेज के अध्यापकों को राजकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की प्रबन्ध समिति के पदाधिकारी होने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । अतः अनुमति देने का प्रश्न नहीं उठता ।

*४३—श्री राम प्यारे—

[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित ।]

*४४—श्री मोतीलाल यादव—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*४५—श्री इम्तियाज हुसैन—

[७ वें शुक्रवार के लिये स्थगित ।]

अतारांकित प्रश्न

१—श्री सतीश चन्द्र—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त ।]

ग्राम फतेहपुर कलां, जिला शाहजहांपुर में वन भूमि

२—श्री शिव कुमार (जिला शाहजहांपुर)—

क्या वन मन्त्री यह सूचित करने की कृपा करेंगे कि ग्राम फतेहपुर कलां परगना खुटार, जिला शाहजहांपुर में कितनी भूमि में जंगल है और कितनी भूमि जंगल विभाग की ऐसी है जो खाली पड़ी हुई है ?

श्री अजीतप्रताप सिंह—

ग्राम फतेहपुर कलां परगना खुटार जिला शाहजहांपुर में वन विभाग के अन्तर्गत केवल ३१८.३४ एकड़ भूमि पर जंगल है । वन विभाग के अन्तर्गत कोई भूमि खाली नहीं पड़ी है ।

३—श्री शिव कुमार—

क्या वन मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि यह जंगल लगाया हुआ है या खुद उग गया है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

यह जंगल प्राकृतिक है ।

४–५—श्री राम चरण—

[५ मई, १९७० को प्र० सं० ५–७ के अन्तर्गत उत्तरित ।]

६—श्री जय राम यादव—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त।]

अवकाश प्राप्त अध्यापकों की पेन्शन के लिए प्रार्थना

७—श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या सरकार को गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के अवकाश प्राप्त शिक्षकों का जो ३० सितम्बर, १९५४ के पूर्व रिटायर हुये हैं कोई स्मरण पत्र प्राप्त हुआ है कि उन्हें भी लाभत्रयी योजना के अन्तर्गत पेंशन दी जाय ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां ।

३० सितम्बर, १९६४ से पूर्व अवकाश प्राप्त अध्यापकों को लाभयत्री योजना के अधीन पेंशन स्वीकार करना संभव नहीं हुआ ।

लखनऊ सिटी माण्टेसरी स्कूल

८—श्री नैपाल (जिला मेरठ)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ स्थित सिटी माण्टेसरी स्कूल की कितनी शाखायें सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं तथा गत ५ वर्षों में किस-किस शाखा में किस-किस को कितना तथा १५ मार्च, १९७० तक कुल कितना अनुदान दिया गया ?

श्री श्रीपति मिश्र—

लखनऊ सिटी माण्टेसरी स्कूल की १७ शाखायें अस्थायी मान्यता प्राप्त हैं ।

पिछले पांच वर्षों में किसी शाखा विशेष के नाम से कोई अनुदान नहीं दिया गया, बल्कि सिटी मान्टेसरी स्कूल के नाम से कुल रुपये ३६०० का अनुदान १५-३-७० तक दिया गया ।

हरिजन वर्ग के हरिजन समाज कल्याण अधिकारी

९—श्री मुन्शी लाल चमार (जिला मैनपुरी)—

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ५४ जिलों में कितने हरिजन समाज कल्याण अधिकारी हरिजन वर्ग के है और वह किन-किन जिलों में कार्य कर रहे हैं ।

श्रीमती विद्यावती राठौर—

इस समय प्रदेश के निम्नलिखित १३ जिलों में हरिजन वर्ग के हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी कार्यरत हैं —

(१ सहारनपुर
(२) एटा
(३) आगरा
(४) बरेली
(५) बिजनौर
(६) शाहजहांपुर
(७) पीलीभीत
(८) मिर्जापुर
(९) बस्ती
(१०) नैनीताल
(११) सीतापुर
(१२) बाराबंकी
(१३) अल्मोड़ा

सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षिका, पिथौरागढ़

१०—श्री गोपाल दत्त (जिला पिथौरागढ़)—

क्या सरकार यह बतायेगी कि पिथौरागढ़ जिले में सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षिका कब से कार्य कर रही है और उसका तबादला न करने का क्या कारण है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

पिथौरागढ़ में केवल एक सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षिका है जो १५ अप्रैल, १९६४ से कार्य कर रही हैं । सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षिकाओं के लिये स्थानान्तरण की कोई अवधि निर्धारित नहीं है ।

कन्हैयालाल इण्टर कालेज, जिला गोंडा में अनियमितताएं

११—श्री त्रिवेणी सहाय—

प्रश्न संख्या ३३ नत्थी (क) दिनांक २० मार्च के क्रम में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कन्हैयालाल इन्टर कालेज के सम्बन्ध में पाये गये आर्थिक तथा वैधानिक अनियमितताएं कौन सी हैं और उनमें से क्या किसी का सम्बन्ध जिला विद्यालय निरीक्षक, गोंडा से भी है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

उक्त कालेज में अनुपालन कोष की कैश बुक नियमानुसार प्रतिदिन न भरना, छात्र कोषों से अमान्य व्यय करना, विद्यालय में लगे टेलीफून से निजी ट्रंक काल करना, विद्यालय के नाम पर चल रहे भट्टे की आय विद्यालय अनुपानलन कोष में जमा न करना, प्राभूत सम्पत्ति की सम्पूर्ण आय का अनुपालन कोष में जमा न किया जाना, फर्जी चपरासियों का नाम दिखा कर उनका वेतन निकालना एवं उस धन का अपहरण करना, प्रधानाचार्य द्वारा छात्रों की छात्रवृत्ति का धन लम्बी अवधि तक न वितरित करना इत्यादि अनियमिततायें दृष्टिगोचर हुयी हैं। इन अनियमितताओं से जिला विद्यालय निरीक्षक, गोडा का कोई सम्बन्ध नहीं है।

कार्बेट नेशनल पार्क को विदेशी पर्यटकों से आय

१२—श्री सुरेन्द्रविक्रम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १ अप्रैल, १९६७ से ३१ मार्च, १९७० तक प्रदेश के कार्बेट नेशनल पार्क को विदेशी पर्यटकों के आने से कितनी आय हुई ?

श्री अजीतप्रताप सिंह—

कथित अवधि में पार्क में बिदेशी पर्यटकों के आने से रुपये ७३,७१९.२६ की आय हुई।

सीतापुर जिले के पशु चिकित्सालयों को दवाइयां

१३—श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष १९६८–६९ व १९६९–७० में अलग-अलग कुल कितने की दवाइयां जिला सीतापुर के पशु चिकित्सालयों को दी गई ?

डाक्टर सीताराम—

जिला सीतापुर के पशु चिकित्सालयों को वर्ष १९६८–६९ तथा १९६९–७० में क्रमशः रुपये २२,३५२.७७ तथा रुपये २४,२७१.२१ की दवाइयां दी गई।

१४—श्री रामलाल राही—

[७ वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

नैनीताल तथा पिथौरागढ़ जिले में साइप्रेस के पेड़ों की बिक्री

१५—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नन्दन ऐंड नन्दन, रामनगर, जिला नैनीताल वालों को सन् १९६९–७० में साइप्रेस के कितने पेड़ किस भाव से दिये गये ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

सर्व श्री नन्दन एण्ड नन्दन, रामनगर, जिला नैनीताल को सन् १९६९–७० में साइप्रेस के कोई पेड़ नहीं दिये गये।

१६—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या सरकार यह भी कृपया बतायेगी कि मुन्सयारी, जिला पिथौरागढ़ में साइप्रेस के कितने सूखे पेड़ सन १९६९–७० में किस को किस भाव पर बेचे गये ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

मुन्सयारी रेंज, जिला पिथौरागढ़ में साइप्रेस के ७० सूखे, उखड़े व खड़े पेड़ सन् १९६९–७० में श्री रवि कुमार, ठेकेदार, भोटिया पड़ाव, हल्द्वानी को बीस हजार रुपये में सार्वजनिक नीलाम द्वारा बेचे गये।

विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। करोड़ों मन गन्ना मुख्य मंत्री जी के ऐश्योरेंश पर काश्तकारों-ने बोया और वह खड़ा सूख रहा है, उसके बारे म आप उनसे वक्तव्य दिलवायें कि वह क्या इन्त-जाम करेंगे।

श्री अध्यक्ष--

जनरल डिस्कशन में दिलवायेंगे।

एक सदस्य--

मेरा प्रश्न जो आना चाहिये था पहले, आज भी वह १६ नम्बर पर लगा दिया गया, जो उत्तर आया वह संतोषजनक नहीं है, मुझे आधा घंटे का टाइम दीजिये।

एक सदस्य--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें, पहले शोक प्रस्ताव आ रहा है।

भूतपूर्व सदस्य श्री रामकृष्ण सारस्वत के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)--

अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को यह सूचना देते हुये खेद होता है कि अभी २६ अप्रैल को हमारे इस सदन के सदस्य जो रह चुके हैं एक सज्जन, रामकृष्ण सारस्वत, वह सन् १९५२ से सन् १९६२ तक इस हाउस के सदस्य थे और बहुत बड़े सार्वजनिक कार्यकर्त्ता थे अपने जिले के गांव में उनका जन्म हुआ था-वह था कूचा, और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो स्वराज्य का संग्राम था उसमें बहुत दिनों तक सक्रिय हिस्सा लिया। घर के बहुत गरीब थे और सारी उम्र वह जूझते रहे इस इंडिपेन्डेंस स्ट्रगिल में, कई बार जेल गये। जेल जाने के अलावा और भी सार्वजनिक कार्यों में उनकी दिलचस्पी रही और वह अपना समय लगाते थे। मैं यह चाहता हूं कि आप इस सदन की तरफ से उनके परिवार वालों को हमारी सब की संवेदना पहुंचा दे और इसके साथ ही मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे।

*चौधरी गिरधारी लाल (जिला बिजनौर)--

अध्यक्ष महोदय, नेता सदन ने जो प्रस्ताव रखा है श्री रामकृष्ण सारस्वत के स्वर्गवास के विषय में, मैं भी अपने आप को और अपने दल को उससे सम्बद्ध करता हूं। श्री सारवस्त से मेरा व्यक्तिगत सम्पर्क था। मुझे खेद है कि एक नौजवान स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाला आज हमारे बीच में नहीं रहा। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि उस दिवंगत आत्मा के परिवार को हमारे सब की तरफ से संदेश भेज दें और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वह उनकी आत्मा को शान्ति और संतोष दे।

*श्री कमलापति त्रिपाठी (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, श्री रामकृष्ण सारस्वत इस प्रदेश के बड़े कर्मठ और पुराने कार्यकर्त्ता रहे हैं। स्वराज्य की लड़ाई में उनका बड़ा योगदान रहा है। कई बार वह जेल गये हैं और हम लोगों के साथ भी जेल में रहने का उनको मौका मिला। वह इस सदन के भी बहुत समय तक सदस्य रहे हैं। वह एक बहादुर आदमी थे और तगड़े आदमी थे और अपने विचारों को व्यक्त करने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में भी निडर थे और निस्संकोच अपनी भावनाओं को व्यक्त किया करते थे। उनकी क्षति हुई है। हम सब उनके परिवार के प्रति अपनी सहानुभूति और संवेदना प्रकट करते हैं और उनकी आत्मा की शान्ति के लिये भगवान से प्रार्थना करते हैं। नेता सदन ने अभी जो विचार व्यक्त किये हैं, हम अपने को उनसे सम्बद्ध करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि हम सब की संवेदना उनके दुखित परिवार को पहुंचा दें।

*श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री सारस्वत के निधन पर अभी जो नेता सदन और नेता विरोधी दल ने विचार व्यक्त किये हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप हमारी तरफ से और हमारे दल की तरफ से उनके परिवार को संवेदना भेजने का कष्ट करें।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, श्री सारस्वत जी के निधन पर मुझे और हमारे दल के लोगों को हार्दिक दुख है और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हम सब की संवेदना उनके दुखित परिवार को पहुंचा दें।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, रामकृष्ण जी सारस्वत के निधन पर जो प्रस्ताव नेता सदन की तरफ से आया और अन्य दलों के नेताओं ने अपने को उससे सम्बद्ध किया, मैं भी अपने को और अपने दल को उससे सम्बद्ध करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि हम सब की संवेदना कृपा करके उनके दुखित परिवार को पहुंचा दें।

श्री अध्यक्ष—

श्री रामकृष्ण सारस्वत एक अच्छे देशभक्त और वीर व्यक्ति थे। उन्होंने हर तरह से कष्ट झेले हैं, जेल में भी और बाहर भी, और उनकी आर्थिक अवस्था भी खराब रही है फिर भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। बड़े बहादुर राष्ट्र के सेनानी थे। आज वह हम लोगों के बीच से चले गये। इसलिये मुझे बड़ा दुख है। मेरा उनका बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध रहा है। वह फर्रुखाबाद के रहने वाले थे। जब मैं दो मर्तबे उस क्षेत्र से खड़ा हुआ था तो मुझे उनसे बड़ी सहायता मिली और प्रेम भी मिला। वह जब सदन के सदस्य नहीं थे तो भी जब कभी आते थे प्रेम से मिलते थे और अपने जिले की हालत बताते थे। उन्होंने जेल में रह कर और बाहर भी अनेकों कष्ट झेले। जेल में जो उनको कष्ट दिये गये उनको खुशी-खुशी बर्दास्त किया और कभी सिर नहीं झुकाया। आज उनके चले जाने से नेता सदन को दुख होना, विरोधी दल के नेता को दुख होना और कमलापति जी को खासतौर से दुख होना जरूरी है क्योंकि वह प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। तो इस तरह से उनका जो दुःख है वह हम सभी का दुःख है। मैं भी जो सभी लोगों ने भावनायें व्यक्त कीं, उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं और उनके दुखित परिवार को सदन की ओर से और अपनी तरफ से संवेदना का संदेश भेज दूंगा और यह प्रार्थना परमात्मा से करते हैं कि उनके परिवार वालों को शक्ति दे, धैर्य दे जिससे वह इस दुख को सहन कर सकें। इसके बाद हम लोग दो मिनट के लिये खड़े होकर उनकी आत्मा की शान्ति के लिये भगवान से प्रार्थना करें।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हुए।)

मुख्य मंत्री के विरुद्ध आजमगढ़ के विधायकों की शिकायत

श्री श्यामलाल (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर को सूचना देना चाहता हूं। आज ६ बजे के करीब आजमगढ़ जिले के ७,८ विधायकों का एक प्रतिनिधि मंडल माननीय मुख्य मंत्री जी के निवास-स्थान पर गया। बातचीत के दौरान माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने यह कहा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्यामलाल]

कि सदन के अन्दर, खास कर कुछ माननीय सदस्यों का उन्होंने नाम लिया जैसे माननीय कृष्णानन्द जी राय, श्री अनन्तराम जायसवाल नेता संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, विधान मंडल तथा अन्य माननीय सदस्यों के लिए कुछ इस तरह की बातें उन्होंने कहीं, जिससे हमारे इस माननीय सदन के सदस्यों के मन पर ठेस पहुंची है। माननीय चौधरी चरण सिंह ने कहा कि.....

श्री अध्यक्ष—

आप लिखकर दे दें ।

(व्यवधान)

श्री श्यामलाल—

सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों को या अन्य सदस्यों को पुलिस के द्वारा खिचवा और पिटवा सकता हूं ।

(व्यवधान)

कई सदस्य—

शेम शेम ।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा होगा आप मुझे लिखित दे दें ।

श्री श्यामलाल—

हमारे जिले के पुलिस अधिकारी विजय सिंह के लड़के डकैतों के गिरोह में शामिल होते हैं और पूरे आजमगढ़ जिले में अराजकता की स्थिति है और वहां आतंक और भय का वातावरण बना हुआ है। ऐसी स्थिति में आजमगढ़ के विधायक उनसे बात करना चाहते थे, लेकिन उस बात पर आश्वासन न देकर के उन्होंने धमकी की बात कही । मैं आपके माध्यम से चौधरी साहब से पूछना चाहता हूं कि उनकी नीयत क्या है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों के प्रति या अन्य सदस्यों के प्रति ?

उत्तर प्रदेश पंचम विधान सभा की प्राक्कलन समिति (१९६९–७०) का द्वितीय प्रतिवेदन†

*श्री रामसिंह (जिला सहारनपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभापति, प्राक्कलन समिति की हैसियत से उत्तर प्रदेश पंचम विधान सभा की प्राक्कलन समिति, १९६९-७० का द्वितीय प्रतिवेदन, जो आय-व्ययक में सम्मिलित व्ययों के प्राक्कलनों को और अधिक यथार्थिक (रियलिस्टिक) बनाने के सुझावों से संबंधित है, प्रस्तुत करता हूं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो प्रतिवेदन को प्रस्तुत करते समय कोई भाषण देने की आवश्यकता नहीं थी किन्तु यह एक विशेष प्रतिवेदन है और इसमें बजट की कुछ विशेष त्रुटियों की ओर ध्यान दिलाया गया है इसलिये मैं केवल दो-तीन मिनट में ही कुछ निवेदन करना आवश्यक समझता हूं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रतिवेदन में केवल २ बड़ी-बड़ी बातों का उल्लेख किया गया है । एक तो यह है कि आय-व्ययक में जो प्राक्कलन सदन के समक्ष रखे जाते हैं वे बहुत ही

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

†छापा नहीं गया ।

अयथार्थिक (अनरियलिस्टिक) होते हैं। समिति ने १९६१-६२ से १९६८-६९ तक के ८ वर्षों के आंकड़ों का अध्ययन करने के उपरान्त यह देखा कि सदन में प्रस्तुत करते समय तो बजट घाटे का होता है, किन्तु वर्ष के अन्त में वही घाटा बचत में परिणत हो जाता है। समिति को यह आभास हुआ कि प्राक्कलन तैयार करते समय आय के अनुमान उचित से कम और व्यय के अनुमान बढ़ा चढ़ा कर रखे जाते हैं।

स्पष्ट है कि इस प्रकार के प्राक्कलनों को किसी भी दशा में यथार्थिक या रियलिस्टिक नहीं कहा जा सकता।

प्रस्तुत प्रतिवेदन में उन कारणों की समीक्षा की गई है, जिनकी वजह से प्राक्कलन ठीक-ठीक तैयार नहीं हो पाते और समिति ने प्राक्कलनों को यथार्थिक रूप देने के संबंध में अपने कुछ सुझाव दिये हैं।

दूसरी बात जिसका समावेश इस प्रतिवेदन में है वह इस माननीय सदन के अधिकारों के संबंध में है। संविधान के अनुच्छेद २०३(२) के अन्तर्गत अनुदान मांग के रूप में रखे जाते हैं और विधान सभा को शक्ति रहती है कि किसी मांग को वह स्वीकार करे या अस्वीकार करे अथवा किसी मांग की उसमें उल्लिखित राशि को कम करके स्वीकार करे। यह माननीय सदन जब किसी मांग को स्वीकार करता है तो उसका आधार वे तथ्य और आंकड़े होते हैं जो बजट साहित्य में दिये रहते हैं किन्तु पुनर्विनियोग अर्थात् रिएप्रोप्रियेशन की प्रथा के द्वारा इन आंकड़ों में तथा तथ्यों में परिवर्तन करने का अधिकार वित्त विभाग तथा शासकीय विभागों को बजट मैनुअल में दिया गया है। इस प्रकार के फेर बदल से विधान सभा ने जो धन किसी कार्य विशेष के लिए दिया था वह उस कार्य पर खर्च न करके अन्य कार्यों पर व्यय किया जाता है। स्पष्ट है कि इससे विधान सभा का वित्तीय नियंत्रण कम हो जाता है। हो सकता है कि पुनर्विनियोग द्वारा धन की व्यवस्था करना टेक्निकली संविधान के अनुकूल न हो किन्तु यह भी सही है कि उससे इस माननीय सदन के अधिकारों तथा शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। समिति ने इस संबंध में कुछ सुझाव दिये हैं और यह संस्तुति की है कि पुनर्विनियोग द्वारा ५,००० रु० से अधिक की जो धनराशियां व्यय की जायं उनका ब्योरा यथासमय सदन के समक्ष प्रस्तुत करके उस पर सदन की स्वीकृति प्राप्त की जाय।

एक बात और जिसका इस प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है वह यह है कि नई मदों के जो प्रस्ताव वित्त विभाग के पास प्रि-बजट स्क्रूटनी के लिए आते हैं उनमें से अधिकांश प्रस्तावों की प्रि-बजट स्क्रूटनी नहीं की जाती और उनको स्क्रूटनी के बिना ही बजट में रख दिया जाता है। हम लोग तो यहां पर यह समझते हैं कि जो बजट हमने पास किया है उस पर ज्यों का त्यों अमल किया जायगा किन्तु वास्तव में ऐसा होता नहीं है। गत वर्ष लगभग ३० करोड़ रुपये के प्रस्तावों की स्क्रूटनी इस सदन द्वारा बजट पास करने के बाद की गई जिससे आंकड़ों में काफी परिवर्तन हुये। यह एक प्रकार से इस सदन के अधिकारों पर कुठाराघात है। सदन द्वारा बजट पारित होने के उपरान्त किसी प्रस्ताव की स्क्रूटनी नहीं होनी चाहिये। बजट में केवल वही प्रस्ताव रखे जाने चाहिये, जिसकी पहले से स्क्रूटनी की जा चुकी हो, यह प्राक्कलन समिति ने इस प्रतिवेदन में सिफारिश की है।

आज ५ बजे अपराह्न चालू वित्तीय वर्ष का बजट प्रस्तुत किया जायगा और ११ मई से हम लोग उस पर वाद-विवाद आरम्भ करेंगे। मुझे आशा है कि जो प्रतिवेदन मैं इस समय प्रस्तुत कर रहा हूं, उससे माननीय सदस्यों को बजट पर वाद-विवाद में पर्याप्त सहायता मिलेगी।

माननीय वित्त मंत्री तथा माननीय मुख्य मंत्री दोनों ही जनतंत्र में आस्था रखते हैं और इस माननीय सदन के अधिकारों के प्रति जागरूक रहते हैं। इसलिये मैं आशा करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री इस प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के उपरान्त उनको यथासंभव शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए भरसक प्रयत्न करेंगे।

श्री भाभी (जिला आजमगढ़)—

मैं आपके सामने व्यवस्था का प्रश्न रखना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

इस समय कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

मुख्य मंत्री के विरुद्ध उनके द्वारा चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की घोषित नीति में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब मैं विशेषाधिकार के प्रश्न लेता हूं । श्रीकृष्णानन्द राय जी तथा बंशीधर पाडेय जी ने दिये हैं । मैं इन पर अभी फैसला दे सकता हूं लेकिन मैं संबंधित एक ही व्यक्ति को इजाजत दे दूंगा कि वह मुझे बतायें कि यह किस प्रकार से विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न बनता है। आप इस पर बोल लें । केवल आप अकेले को ही मैं इजाजत दूंगा ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

मैं तो उसको प्रस्तुत करने वाला हूं । और सदस्य भी बोल सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

मैं किसी से पूछूंगा नहीं । आप नियम का पालन करें ।

"यदि अध्यक्ष आवश्यक समझें तो अपना निर्णय देने के पहले वह संबंधित सदस्य को सुन सकेंगे" तो मैं पूछ सकता हूं इसलिये मैं आपसे पूछ रहा हूं ।

आपने लिखा है कि "चौधरी चरण सिंह ने जिस दिन से मुख्य मंत्री का भार ग्रहण किया है इस सदन में स्वयं तथा राज्यपाल के सम्बोधन के माध्यम से यह घोषणा की थी कि वे प्रदेश की चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं । इस संबंध में उन्होंने ३ सदस्यों की एक समिति बना दी है जो चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की पूरी योजना एक महीने के अन्दर प्रस्तुत करेगी । बावजूद इस घोषणा के चौधरी चरण सिंह ने न तो आज तक राष्ट्रीयकरण किया और न उसकी तीन सदस्यों की समिति ने इस संबंध में कोई रिपोर्ट ही प्रस्तुत किया । गत सप्ताह में विधान सभा में मुख्य मंत्री जी ने एक प्रश्न के उत्तर में घोषणा की थी कि दो-तीन दिन के अन्दर चीनी मिलों के संबंध में योजना प्रस्तुत कर देंगी । उसी के साथ मुख्य मंत्री ने सदन में राष्ट्रीयकरण की जो उनकी पूर्व घोषणा थी उसे एकदम अस्वीकार कर दिया और उन्होंने कहा कि समिति को चीनी मिलों के संबंध में रिपोर्ट देने में कठिनाई हो रही है । यह जितना आसान लोग समझते हैं उतना आसान यह मामला नहीं है। चीनी मिलों के संबंध में मुख्य मंत्री की सदन में घोषणा जानबूझ कर ऐसी हो रही है जिससे सदन में एक भ्रम का वातावरण फैल गया है । वह चीनी मिलों के संबंध में स्पष्ट घोषणा न करके अपने पूर्व घोषणा से विचलित होकर सदन को गुमराह कर रहे हैं । सदन को जानबूझ कर अन्धकार में रखना और गलत नीतियों की घोषणा सदन में करना सदन के विशेषाधिकार की स्पष्ट अवहेलना है। अतः यह सूचना प्रस्तुत कर रहा हूं ।"

श्री बंशीधर पांडेय—

इस विशेषाधिकार की सूचना को हम लोगों ने दिया है। जब से यह सरकार बनी और जिस दिन महामान्य राज्यपाल महोदय का सम्बोधन हुआ, उसमें जहां तक कि मुझको याद है सम्बोधन तो बहुत ही संक्षिप्त था परन्तु चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण को प्रमुख स्थान प्राप्त था। माननीय गेंदा सिंह जी, जो इस समय नहीं है, और अब मंत्रि-मंडल में सम्मिलित हैं, उन्होंने भी अपना धन्यवाद का प्रस्ताव पेश करते हुये कहा था कि गत २० वर्षों में भी उन्होंने इतनी प्रमुख घोषणा नहीं सुनी और इसके लिये माननीय चौधरी चरण सिंह जी बधाई के पात्र हैं कि आज सरकार

ने और राज्यपाल महोदय के सम्बोधन में भी चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की बात कही गई है जो उन्होंने सबसे बड़ा काम किया है । अपना यह प्रस्ताव पेश करते हुए माननीय गेंदा सिंह जी ने इन शब्दों को कहा था । मुख्य मंत्री जी ने भी अपने भाषण में चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की बात कही थी और तुरन्त ही एक छोटी-सी समिति की स्थापना भी कर दी जिसमें मंत्रि-परिषद् के सदस्य, वीरेंद्र वर्मा जी, गेंदा सिंह जी तथा पृथ्वीनाथ सेठ हैं ।

अभी पिछले सप्ताह में मुख्य मंत्री जी ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की बात मैंने नहीं की थी बल्कि उसको टेक ओवर की बात की थी और सरकार उनको अपने कब्जे में लेगी । इस के लिए एक कमेटी भी निर्धारित की है। समाचार पत्रों में भी आपने देखा होगा कि इस सरकार की तरफ से दो-तीन तरह की बातें आ चुकी हैं । उन्होंने कहा था कि एक हफ्ते में फिर ३ दिन में उसकी रिपोर्ट आ जायेगी । उन्होंने यह भी कहा था कि जो लोग इस काम को आसान समझते हैं वह उतना आसान काम नहीं है और उन्होंने तो यह कहा कि राष्ट्रीयकरण नहीं बल्कि टेक ओवर होगा । इसकी भी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। अध्यक्ष महोदय, चीनी उद्योग इस प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है ।

श्री अध्यक्ष—

आप इस प्रकार का भाषण न दें । अगर इस पर आपको भाषण ही देना था तो कल दे सकते थे । आप उसी बात को कहें जो आपको कहना हो ।

श्री बंशीधर पांडेय—

इन्होंने एक बार सदन में घोषणा की कि राष्ट्रीयकरण करेंगे, एक कमेटी बैठायी कि राष्ट्रीयकरण की सारी चीजों पर विचार करके रिपोर्ट देगी और सरकार सदन की जानकारी के लिये उसे यहां प्रस्तुत करेगी । उसके बाद सदन में कहा कि राष्ट्रीयकरण की बात नहीं कही, गवर्नमेंट टेक-ओवर की बात कही । श्रीमन्, इन्हीं सीटों पर बैठकर, जब वह नेता विरोधी दल थे, तो कहा करते थे कि यह सरकार पूंजीपतियों से मिली हुई है, चुनाव में रुपया चाहती है, इसलिये राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहती । आज उस पार्टी के दो अंग हो गये । एक ने बम्बई अधिवेशन में पास किया कि उत्तर प्रदेश के चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है और उनको करना चाहिये । उसके बावजूद जिसके बल पर यह शासन कर रहे हैं. . . .

श्री अध्यक्ष—

आप यह राजनीति की बात न कहें । विशेषाधिकार की अवहेलना के संबंध में कहिये ।

श्री बंशीधर पांडेय—

वही कह रहा हूं । मुख्य मंत्री जी ने उनके प्रभाव में आकर कहा कि राष्ट्रीयकरण करेंगे और कमेटी बैठायी । उसके बाद मुकर जाते हैं कि राष्ट्रीयकरण नहीं टेक-ओवर की बात कही थी । श्रीमन्, अभी कल ही यहां चर्चा थी कि काश्तकार बहुत परेशान है, गन्ना खेतों में पड़ा हुआ है। तो मुख्य मंत्री जी ने जानबूझकर इस सदन को और इस प्रदेश की जनता को गुमराह किया है । राष्ट्रीयकरण की बात कहे जाने से एक बार लोगों के मन में आशा बंधी की इससे मजदूरों का, किसानों का भला होगा ।

श्री अध्यक्ष—

आप भाषण न दें । विशेषाधिकार की बात कहें ।

श्री बंशीधर पांडेय—

मैं वही बात कह रहा हूं । मुझे दो मिनट बोलने दें । मुख्य मंत्री जी पांच घंटे लेते हैं तो मुझे भी तो कुछ समय मिलना चाहिये । मुख्य मंत्री जी ने एक बड़ा भारी भ्रम पैदा कर दिया है इस प्रदेश की जनता में और इस सदन में । माननीय गेंदा सिंह जी नहीं हैं । गेंदा

[श्री बंशीधर पांडेय]

सिंह जी और राष्ट्रीयकरण तो पर्यायवाची शब्द हो गये थे । उनको तो मंत्रि-मंडल से इस्तीफा दे देना चाहिये । तो श्रीमन्, मुख्य मंत्री जी ने जो कहा वह स्पष्ट विशेषाधिकार की अवहेलना है । आप इस पर माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दें और फिर अपनी व्यवस्था दें ।

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, इतनी देर तक मेरे माननीय मित्र बोले, मैं सोच रहा था कि आखिर मेरा कसूर कौन-सा बतलाने वाले हैं, सिर्फ यह बतलाया कि मैंने गवर्नर साहब के अभिभाषण में यह कहा था कि नेशनेलाइजेशन होगा और अब टेक-ओवर की बात कर रहा हूं । पहली बात तो यह है कि आज और कल में तो टेक-ओवर की बात नहीं कही । जब मैंने कही थी तो उसी वक्त यह प्रश्न लाते विशेषाधिकार का तो बात समझ में आती ।

श्री बंशीधर पांडेय—

परसों या चौथे दिन कही है, तभी मैंने विशेषाधिकार की सूचना दी है ।

श्री चरण सिंह—

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि राज्यपाल जी का जो अभिभाषण हुआ था, उसमें मैंने नेशनेलाइजेशन लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया, उसमें टेक-ओवर था । वही बात अब कह रहा हूं । उससे पहले भी जब यह गवर्नमेंट नहीं बनी थी. . .

श्री अध्यक्ष—

आपने कब कहा था ?

श्री चरण सिंह—

गवर्नर साहब के एड्रेस में टेक-ओवर लफ्ज है, न कि नेशनेलाइजेशन ।

एक सदस्य—

श्रीमन्, व्यवस्था के प्रश्न पर. . . .

(व्यवधान)

श्री भाभी (जिला आजमगढ़)—

जब व्यवस्था का प्रश्न उठाते हैं तो आप मौका हमें दें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठें । यह प्रश्न विशेषाधिकार का जो है . . . .

श्री भाभी—

अध्यक्ष महोदय, आप के माध्यम से मैं विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना देना चाहता हूं और दोबारा खड़ा हुआ हूं, आप के कहने से मैं बैठ गया था ।

श्री अध्यक्ष—

आप कौन-सी सूचना देना चाहते हैं ?

श्री भाभी—

श्रीमन्, बड़े दुख की बात है कि सवेरे ९ बजे मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के यहां गया और मैंने उन से एस०पी०, आजमगढ़ की शिकायत की · · · · · ·

श्री अध्यक्ष--

मैंने कहा कि आप वह सब मुझे लिखकर दे दें ।

श्री भाभी--

श्रीमन्, मैं यह कह रहा हूं कि उन के द्वारा एस०एस०पी० के माननीय सदस्यों को जो धमकी दी गई है, उनके सामने उसका हमें बहुत दुख है । सन् १९६४ में बिना किसी कसूर के सरकार की साजिश से मुझे कुछ लोगों ने गोली भी मारी थी और उससे मेरी बांई आंख भी खराब हो गई थी, उस समय मैं यहां का सदस्य नहीं था और मैंने उसी वक्त हाईकोर्ट तक मुकदमा लड़ा था । मैं कोई धमकी में आने वाला सदस्य नहीं हूं और किसी से डरने वाला आदमी नहीं हूं । जो कुछ मुख्य मंत्री जी ने कहा उस का मुझे दुख है कि इस तरह की बात उन्हें उनके सामने नहीं कहनी चाहिये थी । इससे मेरी आत्मा को ठेस पहुंची है और जो हमारे विशेषाधिकार हैं उन की अवहेलना उनके द्वारा हुई है । मैं आप से फिर दोबारा निवेदन करूंगा कि हम लोगों की रक्षा के लिए आप ही एकमात्र अधिकारी यहां हैं, मैं इस विषय में लिखकर दूंगा और मैं उन से निवेदन करूंगा कि इस तरह की धमकी से एस० एस० पी० का कोई भी सदस्य डरने वाला नहीं है ।

श्री सुरेंद्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

क्या मंत्री जी ने जो क्लेरिफिकेशन दिया है उसके अनुसार क्या वह अब नेशनेलाइजेशन नहीं कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

अब आप बैठें । मैंने कहा था कि कोई भी सूचना जो माननीय सदस्य यहां देते हैं या राज्यपाल महोदय अपने अभिभाषण में कोई घोषणा करते हैं उसमें परिवर्तन कभी भी हो सकता है और इस सदन को यह अधिकार है कि वह किसी चीज को पास करे या न करे । कांग्रेस की, कमलापति जी की और मुख्य मंत्री जी की दोनों की मिलकर इतनी बड़ी पार्टी है और अगर सदन नेशनेलाइजेशन नहीं चाहता है तो घोषणा कुछ भी की जा चुकी हो, सदन को बाद में हर वक्त परिवर्तन करने का अधिकार है और अगर वह कोई कमेटी भी उस पर विचार के लिए बैठाते हैं तो उस को भी अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है और आप को टीका करने का अधिकार है, इस तरह से टीका उन्होंने की और यहां से दूसरी बात कही गई । आप का कहना सही है कि वह आसान चीज नहीं है । हो सकता है कि बाद में जो परिस्थिति सामने आई और वह ठीक आई तो मान लीजिये कि उनका विचार बदल गया, तो इसमें भी कोई धोखे की बात नहीं है । जहां तक विशेषाधिकार का प्रश्न है तो वह चीज धोखा देने के लिये नहीं थी, सच बात उन्होंने कह दी और अगर सच बात कही तो विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं आता । इस में प्राक्दर्शन में भी विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता । अगर सूचना देते समय कोई चीज कही थी तो उसी समय प्रश्न उठाया जा सकता था लेकिन प्राक्दर्शन में उस को भी विशेषाधिकार की अवहेलना नहीं मान सकते । आप यह कह सकते हैं कि गलत बात कही । मैं यह भी कह सकता हूं कि आप ने उस दिन कहा था कि दो-तीन रोज में कमेटी की रिपोर्ट आ जायगी लेकिन न आने पर उस के लिये मजाक भी कर सकते हैं । पर जहां तक प्रश्न विशेषाधिकार का है, मंत्री जी के यह बात कहने पर कि राष्ट्रीयकरण या टेक-ओवर भी कठिन है, उस में मंत्रि-परिषद् की कठिनाई अब दीख रही है । अगर अब यह उन्हें जानकारी है और सदन में यह सच बात कह दी तो उसका मजाक आप उड़ा सकते हैं पर सदन के अवमान का उसमें कोई प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बंशीधर पांडेय--

श्रीमन्, इसके लिए २ घंटे का समय दे दीजिए ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने देख लिया है। प्रादर्शन में यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता। आप इसको मजाक उड़ा सकते हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

लेकिन, श्रीमन्, अगर ये मजाक को भी न समझें तो फिर क्या करें ?

श्री अध्यक्ष—

तो फिर यह हो सकता है कि आप और मैं इनके घर चलें और वहां चाय पियें और उन्हें समझा दें। (कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

मजाक का मतलब है कि ऐसा मजाक जिसमें प्रेम बना रहे, क्रोध न आवे लेकिन अगर मजाक में दूसरे को क्रोध हो गया और धक्का-मुक्की होने लगी तो वह मजाक नहीं रहा।

श्री चरणसिंह—

श्रीमन्, आपको अख्तियार है चाहे यह भी मशविरा दें कि मजाक बना सकते हैं लेकिन यह तो बिना मशविरे के भी मजाक बना सकते हैं। जहां तक टाइम का प्रश्न था मैंने कहा था मुमकिन है ३–४ दिन में और मुमकिन है १ महीने में। अगर मैंने नहीं कहा था तो अब कहता हूं। तो विशेषाधिकार का प्रश्न कैसे उठता है ?

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, उन्हें अधिकार है कि वे एक ही विषय पर जो चाहें कहें। लेकिन ऐसा तो न कहें जिससे सदस्यों के मन में भ्रम पैदा हो।

श्री चरणसिंह—

श्रीमन्, मैंने कहा था कि एक महीना भी हो सकता है और ३-४ दिन में भी हो सकता है।

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, अगर मैं इस्तीफा देकर हट जायं तो फिर. . . .

मुख्य मंत्री व श्री राज बहादुर द्विवेदी के विरुद्ध सदन द्वारा पारित विधान परिषद् के उत्पादन के संकल्प पर पुनर्विचार हेतु हस्ताक्षर करवाने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

यह सवाल अनन्तराम जायसवाल जी का है। मैं एक बार कह चुका हूं कि यह प्रस्ताव आपने पास किया था कि परिषद् का उत्सादन किया जाय। उस उत्सादन के बारे में कुछ माननीय सदस्य फिर से विचार कर रहे हैं और दस्तखत भी कर रहे हैं। आपने कहा कि हाथ पैर पटक रहे हैं। इस तरह से परिषद् के लोग ऐसी चीज करते हैं। वे जो कुछ भी करते हों। ८० आदमियों ने दस्तखत किए हैं लेकिन ८१ वें के दस्तखत मेरे पास नहीं आये हैं। आप कह रहे हैं कि वे इस तरह से दबाव देकर काम कर रहे हैं। पहले दिन ही, जब मैं दिल्ली गया था, मैंने कहा था कि ८० आदमियों ने दस्तखत किए हैं। और आप चार्ज करते हैं कि बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं। विशेषाधिकार का प्रश्न इसलिए नहीं उठता क्योंकि हर एक आदमी को कन्वैंसिंग करने का अधिकार है अ र अगर कोई दबाव से करवाना चाहता है तो जिसके ऊपर दबाव डाला जाय, अगर वह आकर विशेषाधिकार का प्रश्न उपस्थित करे तो मैं मान लेता। दूसरों का यह कहना कि वे हाथ पैर पटक रहे हैं, इस बात को स्पष्ट नहीं करता है कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है। और अगर आप कहते हैं तो मुझे पता नहीं है कि वह कैसे हो सकता है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

श्रीमन्, यह प्रश्न बहुत गम्भीर है। इसलिए मैं तर्क के साथ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आज बहुत से असरकारी कार्य हैं और बिल्स भी हैं। इसलिए अगर ज्यादा समय न लें, तो बहुत अच्छा हो।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, २ दिन के विचार विमर्श के उपरान्त माननीय नित्यानन्द स्वामी जी का विधान परिषद् के उत्सादन का प्रस्ताव इस आदरणीय सदन ने पास किया। सदस्यों ने लाबी में जाकर लिखित अभिमत जाहिर किया और मान्यवर, यहां पर मुख्य मंत्री जी का जो वक्तव्य हुआ वह एक तरफ है और पार्टी के नेताओं का जो मत था वह भी एक तरफ है। वह विषय ऐसा महत्वपूर्ण था कि उस दिन बल के व्हिप ने काम नहीं किया। यह भी हुआ कि शौहर एक तरफ और बीबी एक तरफ.....

श्री अध्यक्ष—

यह कह दिया गया था कि आज कोई व्हिप नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

और लोगों ने आजाद होकर मतदान किया। दुःख यह है कि हम लोग विधान सभा के सदस्य हैं और जिन क्षेत्रों से चुनकर आये हैं वह क्षेत्र तथा सारे सूबे की जनता हमसे यह अपेक्षा करती है कि हम यहां पर सोच विचार कर मजबूती से कोई फैसला लेते और अगर किसी तरह से यह आभास मिले इस प्रदेश की जनता को कि यहां पर जो सदस्य बैठे हुए हैं उनके अपने पैर न होकर मिट्टी के पैर हैं तो माननीय सदस्यों का ही अपमान नहीं है इससे तो माननीय सदन का भी अपमान होता है। जैसा कि आपने कहा कि कन्वेंसिंग कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि कान-वेंसिंग कर सकते हैं और छः महीने की मुद्दत बीत जाय तो उस प्रस्ताव को निरस्त करने के लिये नये सिरे से दूसरा प्रस्ताव भी ला सकते हैं। मगर किसी के पैर पकड़ लिये जायं और खुशामद की जाय, तो सारी बात ही बदल जाती है। वे तो भारतीय क्रान्तिदल, उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं। उनके अपने ओहदे की अहमियत है। अगर मुख्य मंत्री सचमुच इसको रोकना चाहें तो उनकी हिम्मत न पड़ती। उससे साफ साफ यह जाहिर होता है कि मुख्य मंत्री जी की भी कनाइवन्स उसमें शामिल है। इस तरह से मुख्य मंत्री भी सदन के मत के विरुद्ध जो कार्यवाही चल रही है उसमें शामिल हैं। अगर इस तरह की कार्यवाही.....

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने तो विरुद्ध मत दिया था। उसके विरुद्ध उन्होंने, लोगों ने मत दिया है। इतनी हिम्मत है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जो सदस्यों ने राय व्यक्त की उसके विरोध में कार्यवाही करने के लिए आज बाहर से उन पर असर डाला जाता है। उस असर में पैर का पकड़ना शामिल हो गया और उससे माननीय सदस्यों के ऊपर इतना दबाव पड़ता है कि वे पिघलकर एक फैसला लेते हैं अन्दर और बाहर दूसरा फैसला लेते हैं। यहां के सदस्यों का विशेषाधिकार है कि बाहर का कोई दखल न हो। स्वतन्त्र रूप से सदन की कार्यवाही में हिस्सा लें। आप देखें इससे ज्यादा गम्भीर बात क्या हो सकती है। आपने सदन को सूचना दी कि कम से कम ८० विधायकों ने दस्तखत करके पुनर्विचार के लिये एक प्रस्ताव दिया। उस दिन जो यहां पर मतदान हुआ है उसमें २१ या २० आदमी

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

थे, सम्भवतः २१ आदमी थे और अगर २१ से फिगर ८० पर पहुंची है तो उसमें नाजायज दबाव शामिल है। यह विषय ऐसा है कि इसमें माननीय सदस्यों के अधिकारों की रक्षा के लिये सदन की गरिमा को बचाने के लिये इस सदन का हस्तक्षेप बहुत आवश्यक है। मैं उन सदस्यों के नाम भी बता सकता हूं जिनके सचमुच पैर पकड़े गये लेकिन उसको बताने से कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। शायद वे अपनी बात न कर सकें। आज जिस तरह का चरित्र उभर रहा है उससे यह भी सम्भावना है कि लोग सही बात से इन्कार कर जायं। इसलिये आवश्यक है कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कर दें और वहां से जब जांच आ जाय तब कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष---

प्राग्दर्शन में इसमें भी मैं कहता हूं कि विशेषाधिकार की अवहेलना का यदि प्रश्न होगा तो उनको भी इजाजत दे दूंगा। मुझे तय करना है इसमें विशेषाधिकार की अवहेलना का कोई प्रश्न नहीं है। कोई, जिस आदमी के हाथ पैर पकड़े गये वह कहे कि मेरे ऊपर दबाव डाला गया उसी को अधिकार है यह प्रश्न उठने का। इस तरह से कल्पना करके कि इससे मालूम होता है कि नाजायज दबाव डाला गया दूसरा व्यक्ति यह कह नहीं सकता कि अमुक सदस्य कमजोर है। मैं इस सदन के सदस्य को कमजोर नहीं मानता हूं। वह इतने मजबूत हैं कि उन्होंने मुझसे यह कहा था कि आप इसको छिपा कर रखिये, ४ रोज में यह संख्या २०० के ऊपर हो जायेगी, मगर अभी तक ८० से इक्यासीवां भी नहीं बढ़ पाया। मैंने कहा कि मैं ४ रोज तक नहीं बताऊंगा, फिर मैंने सब जगह उसकी सूचना भेज दी। अब अगर हृदय परिवर्तन हो जाये स्वतंत्र रूप से, तब तो बात दूसरी है, लेकिन दबाव में माननीय सदस्य आ जायेंगे, ऐसी बात मैं नहीं मानता। इसलिये मैं इसको अस्वीकार करता हूं।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

श्रीमन्, एक मछली सारे तालाब को गन्दा कर देती है। ८० विधायकों ने यह परिचय दिया कि वे चंचल चरित्र के हैं, तो हमारी क्या तस्वीर बनेगी।

*श्री कमलापति त्रिपाठी (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से माननीय जायसवाल जी से विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि वे किसी भी प्रस्ताव को उठाते समय ऐसी बात न कहें जिससे इस सदन के माननीय सदस्यों का भी अपमान हो और दूसरे सदन के माननीय सदस्यों का भी अपमान हो। वह सदन भी एक आदरणीय सदन है और हमारे संविधान के अनुसार बना हुआ है और जब तक वह बना हुआ है तब तक सदन है और वह आदर और सम्मान का पात्र है। इस सदन को यह अधिकार है कि वह उस सदन को खत्म करने का निश्चय प्रकट करे। वह अगर मिटता है तो मिट जायेगा और सदन के बाद जो लोग चले जायेंगे वह हमारे आदर और सम्मान के साथ जायेंगे। अब यह जो विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया गया कि पैर पकड़ते हैं, यह उन सदस्यों के प्रति थोड़ा सा अन्याय हो जाता है और उनका एक तरह से अपमान भी होता है। यह कह देना कि यहां के लोग कमजोर हैं, पैर पकड़ने से पिलपिला उठते हैं, पैर उनके मिट्टी के हैं, यह सब कहना भी उचित नहीं है। बहुत से लोग तो मेरे भी पैर छूते हैं। तो उसकी वजह से यह गड़बड़ा जायेंगे, ऐसा कहना उनका भी अपमान करना है। यह सदन का भी अपमान है। किसी भी प्रश्न को उठाने का सदन को पूरा अधिकार है लेकिन माननीय सदस्यों का सम्मान भी करना चाहिये, यही मैं माननीय जायसवाल जी से आग्रह करूंगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

पैर छूने से न सही, पैर छुआने से पंडित जी का मामला तो बिगड़ ही गया। (हंसी)।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रश्नों के सम्बन्ध में श्री उपाध्यक्ष की रिपोर्ट

उपाध्यक्ष (श्री वासुदेव)—

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने प्रश्नों की जांच के सम्बन्ध में निर्देश दिया था, मैंने जांच की और उसकी रिपोर्ट में सदन के समक्ष रखता हूं ।

३०-४-७० व १-५-७० को कुछ सदस्यों द्वारा सदन में यह चर्चा उठाई गई कि प्रश्नों की कार्य सूची पर प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक रहती है और प्रश्नों के घंटे में बहुत कम सदस्यों को बोलने का अवसर मिल पाता है इन दोनों दिनों की कार्यवाहियों के उद्धहरण नीचे प्रस्तुत हैं । इसके अतिरिक्त श्री उमाशंकर शुक्ल का एक पत्र भी प्राप्त हुआ है जो पत्र क 'स' पर प्रस्तुत है ।

अल्पसूचित प्रश्नों के सम्बन्ध में यह निवेदन है कि उनके स्वीकृत होते ही उनकी सूचना सरकार को यथासम्भव शीघ्र ही भेज दी जाती है और उनके उत्तर प्राप्त होने पर उनको आगामी दिन की कार्य सूची में रख दिया जाता है । एक सदस्य के कितने अल्पसूचित प्रश्न एक दिन की कार्यसूची में रखे जायें इस बारे में अल्पसूचित प्रश्नों की संख्या पर कोई प्रतिबन्ध नहीं बरता जाता । नियम ३३ के अनुसार केवल तारांकित प्रश्नों की संख्या अधिक से अधिक दो रखी जाती है । अतारांकित प्रश्नों की संख्या पर भी कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

प्रश्न जिस क्रम से प्राप्त होते हैं उसी क्रम से उन्हें रजिस्टर में चढ़ाया जाता है और उसी क्रम के अनुसार उनकी जांच करने के बाद उन पर आदेश प्राप्त किये जाते हैं । तारांकित प्रश्नों के सम्बन्ध में ऐसा होना सम्भव है कि जिन प्रश्नों की सूचना पहले प्राप्त हुई है वह बाद में आ जायें और जिनकी सूचना बादमें प्राप्त हुई है वह पहले आ जायें क्योंकि प्रक्रिया इस प्रकार है कि जब किसी सदस्य के कुछ तारांकित प्रश्न स्वीकृत हुए, यदि विषय के हिसाब से उनको किसी सोमवार में जाना चाहिए तो पहले यह देखा जाता है कि प्रथम उपलब्ध सोमवार में उस सदस्य के प्रश्नों को तब ही रखा जायगा जब कि उस सोमवार में उस सदस्य के दो प्रश्न पहले से ही न रख दिये गये हों । यदि प्रथम सोमवार में उस सदस्य को स्थान नहीं मिल पाता तो दूसरे सोमवार में उसी सिद्धान्त से स्थान ढूंढ़ा जाता है और यदि उसमें भी उसके प्रश्न पहले से मौजूद हैं तो फिर उन प्रश्नों को तीसरे सोमवार में या उसके बाद किसी सोमवार में जैसी भी स्थिति हो, स्थान दिया जाता है । इस प्रकार यदि किसी अन्य सदस्य ने भी उसी दिन प्रश्न दिये हों और उस अन्य सदस्य के अन्य प्रश्न पहले सोमवार में मौजूद न हों तो उसको पहले सोमवार में ही स्थान मिल जाता है ।

इस प्रकार समस्त तारांकित व अल्पसूचित प्रश्नों की व्यवस्था की जाती है । बहुत से प्रश्न जो अल्पसूचित रूप में आते हैं तारांकित रूप में स्वीकार हो जाते हैं और वे साधारण तारांकित प्रश्नों की सूची में रखे जाते हैं । अनेक प्रश्न अल्पसूचित रूप में स्वीकार होने पर भी नियम २९(४) के अनुसार तारांकित हो जाते हैं क्योंकि उनका उत्तर सरकार अल्प सूचना पर देने की स्थिति में नहीं होती और जिन सदस्यों ने नियमों का भलीभांति अध्ययन किया हो वे यह शिकायत भी करते हैं कि मैंने तो प्रश्न "अल्पसूचित" लिखकर दिया था, तारांकित कैसे हो गया या 'मेरा प्रश्न अल्प सूचित स्वीकार हुआ था तारांकित क्यों हो गया ।"

एक दिन की कार्य सूची पर बहुत से अल्प सूचित प्रश्न आ जाने से यह अवश्य है कि तारांकित प्रश्नों को यथेष्ट समय नहीं मिल पाता जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री ने १-५-७० की कार्यवाही में स्थल 'के' पर कहा है । इसका उपाय यह हो सकता है कि एक दिन की कार्य-सूची पर रखे जाने वाले अल्प सूचित प्रश्नों की भी अधिकतम संख्या निर्धारित कर दी जाय । अधिक से अधिक सदस्यों को अवसर देने के विचार से यह भी उचित होगा कि एक दिन की कार्यसूची पर एक सदस्य का एक ही अल्प सूचित प्रश्न रखा जाय ।

कुछ सदस्यों के प्रश्न दूसरों की अपेक्षा अधिक आते हैं और यदि वे जांच में ठीक हों तो स्वीकार भी होते हैं । यह संयोग की ही बात है कि १-५-७० की कार्य-सूची में श्री नित्यानन्द स्वामी के प्रश्न दूसरे सदस्यों की अपेक्षा अधिक आ जांय ।

कार्यालय के द्वारा सभी प्रश्नों का निस्तारण नियमानुसार किया जा रहा है। यह भी निवेदन है कि इस सत्र में अभी तक तारांकित प्रश्नों के २४२० सेट (लगभग ४८०० प्रश्न) और अल्प सूचित प्रश्नों के १४२८ सेट (लगभग २६०० प्रश्न) प्राप्त हो चुके हैं।

३०-४-७० की कार्यवाही में श्री चन्द्रभान शर्मा ने यह शब्द कहे हैं—"आप के दफ्तर वालों ने कुछ ऐसा रवैय्या बना रखा है कि चार पांच आदमियों के नाम पराष्ट पेज पर आ जाते हैं।" आप का जो प्रश्नोत्तर का दफ्तर है ऐसा मालूम पड़ता है कि उसमें सांठगांठ है, इन शब्दों पर इस सचिवालय को आपत्ति है। यह शब्द श्री अध्यक्ष की जानकारी में ला दिये जायें और उन से प्रार्थना की जायं कि इस विषय में समुचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

१-५-७० को श्री अनन्तराम जायसवाल ने यह आपत्ति उठाई थी कि उनको उस दिन के प्रश्न १०-११ का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (पताका 'च'), किन्तु यह उत्तर उनको भेजे गये थे और किसी 'रामबरन' नाम के व्यक्ति ने प्राप्त किये जिसका हस्तन्क्षर पताका 'छ' पर प्रस्तुत है।

ऐसे तो यह बहुत बड़ी रपट है, लेकिन मैंने इसको संक्षेप में, इसका कुछ अंश रख दिया है। यदि किसी को कोई स्पष्टीकरण आवश्यक हो तो वह मिलकर देख सकता है और अपनी निराकरण कर सकता है। मैं समझता हूं कि एक सदस्य का एक ही प्रश्न अल्प सूचित में लिया जाय तो समस्या का कुछ निराकरण होगा।

श्री अध्यक्ष—

लेकिन उसकी सीमा और बांध देंगे। चार प्रश्नों से ज्यादा एक दिन में अल्प सूचित न हों। चार-पांच आदमियों के भी प्रश्न हों, लेकिन चार से ज्यादा अल्प सूचित प्रश्न न हों क्योंकि अल्प सूचित में लोगों को बड़ी दिलचस्पी रहती है और उसी में सब समय चला जाता है, क्योंकि वे इम्पार्टेंट होते हैं। इसलिए चार से ज्यादा न हों और एक आदमी का एक ही अल्पसूचित रखा जाय। यह निश्चय हम कर देते आप नोट कर लें।

जिला देहरादून में कानून एवं शांति-व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

उप-गृह मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

देहरादून जिले में पुलिस प्रशासन सुचारु रूप से चल रहा है। अपराधों के आंकड़ों में कुछ वृद्धि अवश्य हुई है किन्तु यह, हर प्रकार की घटनाओं को थानों में अंकित किये जाने के फलस्वरूप हुई है। अपराध स्थिति पूर्ण रूप से नियन्त्रण में है।

जहां तक श्री राजबहादुर और श्री कृष्ण गोपाल की घटना का सम्बन्ध है ये दोनों ही घटनायें दिनांक १८-३-७० को प्रातः प्रेम नगर से काफी दूर आई० एम० ए० की चांदमारी के स्थान पर हुई जहां पर चांदमारी की टिन शेड में गले में रस्सी के फन्दे से श्री कृष्ण गोपाल, पुत्र जिया लाल को लटका हुआ मरा पाया गया तथा कुछ ही फासले पर दूसरा व्यक्ति श्री राजबहादूर, अर्दली आई० एम० ए० पड़ा हुआ मिला जिसके सिर के आगे के कुछ बाल झुलसे हुए थे। श्री राजबहादुर के कथनानुसार लगभग ५ बजे प्रातः जब वह अपने घर से ड्यूटी के लिये जा रहा था, रास्ते में ४ अज्ञात व्यक्ति उसे जबरन पकड़ कर शार्ट रायफल रेन्डा के पास ले गये, उसका हाथ पैर बांध दिया और उसके मुंह के पास माचिस जला कर देखा जिससे उसके सिर के आगे के कुछ बाल जल गये। मुंह देखकर अज्ञात व्यक्तियों ने यह कहकर उससे क्षमा मांगी कि उसे भूल से पकड़ लाया गया था। जहां उसे छोड़ा गया था वहां कांटेदार तार का बाड़ा था जिससे वह उलझा हुआ था। उसे कोई चोट नहीं पहुचाई गई और न ही उसे जीवित जलाने का प्रयत्न किया गया।

थाना कैन्ट पर धारा ३०२/३०७ भा० दं० वि० का मुकद्दमा दर्ज करके जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार श्री कृष्ण गोपाल की मृत्यु का कारण निश्चित नहीं हो सका। परीक्षण के लिये विसरा केमिकल एक्जामिनर को भेजा गया है। घटना के सम्बन्ध में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

यह कहना सही नहीं है कि डकैती और हत्याओं की घटनाओं में इतनी वृद्धि हुई है कि जन-जीवन असुरक्षित हो गया है । एक ही रात में एक ही मुहल्ले में आधी दर्जन चोरियां होने की बात जांच से सही नहीं पाई गई । इस वर्ष ३० अप्रैल तक हुई चोरी की घटनाओं की संख्या पिछले दो वर्षों में इसी अवधि में हुई घटनाओं की अपेक्षा कम है । इस वर्ष के पहले चार महीनों में गोली चलने और छूरा भोकने की घटनायें भी पिछली दो वर्षों की अपेक्षाकृत कम ही हुई हैं ।

यह बात सही नहीं है कि पुलिस के उच्चाधिकारियों को सरकार के उच्चस्तरीय अधिकारियो का प्रश्रय मिल रहा है अथवा जिले में आतंक छाया हुआ है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

स्पष्टीकरण के लिए एक दो प्रश्न करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

आप अल्पसूचित प्रश्न पूछ लें । नहीं तो यह प्रथा पड़ जायगी ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आपने मुझे कहा भी था, पहली बार जब बात हुई थी ।

श्री अध्यक्ष—

लेकिन दूसरे नहीं पूछेंगे । दूसरों की राजी कर लीजिए ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

कल भी मैं चुपचाप बैठ गया था । ५६ का था ।

श्री अध्यक्ष—

स्पष्टीकरण करवा लें ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलायेंगे कि जो सूचना दी गयी कि अपराधों में विशेष वृद्धि नहीं हुई, कुछ वृद्धि ज्यादा हुई है, क्या उनकी सूचना में यह है कि कोर्ट के लगातार पुलिस के खिलाफ स्ट्रिक्चर्स हो रहे हैं और लगभग सभी प्रमुख अखबारों ने पुलिस के खिलाफ एडीटोरियल्स लिखे हैं और सूचना नहीं है तो क्या जानकारी करेंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री चरणसिंह)—

ऐसी कोई सूचना नहीं है । न मैंने यह कहा है कि अपराधों में वृद्धि हुई है । अपराधों की तादाद में जो वृद्धि मालूम होती है वह करेक्ट रिपोर्ट की वजह से है । जो अपराध उन्होंने बताये उनकी हमने डिटेल दे दी ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

जो स्ट्रिक्चर्स कोर्ट से पास हुए हैं या जो अखबारों के एडिटोरियल्स हैं उनको दृष्टि में रखकर माननीय मुख्य मंत्री जांच कराने को तैयार हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आप कटिंग्स भेज दीजिये वह जांच करा लेंगे ।

प्रदेश के पिछड़े भू-भागों के विकास के लिये धनराशि उपलब्ध करने के संबंध में संकल्प (क्रमागत†)

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, इन्द्रमणि द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है उस संबंध में मैं अपने विचारों विचारों का इजहार करना चाहता हूं । प्रस्ताव में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के पिछड़े हुए भू भागों, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुन्देलखंड और पहाड़ी क्षेत्र के विकास के लिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत रुपया मुहइया होना चाहिये । यह जो भावना है, इसको मद्दनजर रख कर मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि पिछले तीन प्लानों में उत्तर प्रदेश के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपया खर्च किया गया और चौथी प्लान के लिए ९५१ करोड़ रुपया प्रदेश की प्रगति के लिये रखा गया है । पिछले तीन प्लानों में हजारों करोड़ रुपया खर्च करने के बाद तथा और भी साधन जुटाने के बाद इस वक्त उन बैकवर्ड इलाकों की पोजीशन क्या है, उसके ऊपर मैं आपके द्वारा थोड़ा सा जिक्र कर देना चाहता हूं। जब यह मंत्रिमंडल पहले-पहल बना सन् १९६९ के चुनाव के बाद तो इस समय जो वित्त मंत्री हैं उस समय वह मंत्रिमंडल में प्लानिंग के मिनिस्टर थे और उन्होंने आगरे में नाफेन को एक स्टेटमेंट दिया था २४-४-६९ को और उसकी चार लाइनें मैं पढ़ कर सुना देना चाहता हूं जिसमें हमारी स्टेट के बैकवर्ड एरियाज तथा पूरे सूबे की क्या हालत है इसका जिक्र किया गया था ।

"Uttar Pradesh has perhaps the lowest per capita income in the country. People in some districts are earning less than 50 paisa a day.

A spokesman of the State Government told NAFEN that per capita income in 29 districts was only Rs.146 per annum.

He said that U. P. claimed 22 of the 58 most backward districts of the country.

The per capita income in U. P. as a whole at the end of the third plan was Rs.244 compared with the Punjab's Rs.619. The all India figure is Rs.315."

"उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम देश में सबसे कम है । प्रदेश के कुछ जिलों में लोगों की परकैपिटा इनकम ५० पैसे से भी कम है। ५४ जलों में से २९ जिलों में सालाना इनकम एक आदमी की १४६ रुपये है । पूरे देश में जो ५८ जिले बैकवर्ड माने गये हैं उनमें से केवल उत्तर प्रदेश में २२ जिले हैं । उन्होंने यह कम्पेयर किया कि यू०पी० के तीन प्लांस की पर-कपिटा इनकम २४४ रुपये हुई जब कि पंजाब की ६१९ रुपये हुई और तमाम देश की ३१५ रुपये हुई ।" इस प्रकार श्रीमन्, आप देखें कि मौजूदा वित्त मंत्री ने जो स्टेटमेंट आगरा में दिया नाफेन एजेंसी के द्वारा उसमें सारे देश व प्रदेश की तस्वीर हमारे सामने आती है जिसमें इतने जिले तो केवल उत्तर प्रदेश में ही पिछड़े हुए हैं, जिसमें पर्वतीय क्षेत्र, बुन्देलखंड तथा पूर्वी क्षेत्र आता है। करोड़ों रुपया प्लान में खर्च करने के बाद और सरकार की पोथी के मुताबिक विकास के बाद भी बुन्देलखंड में क्या सूरत हुई, उसके मुताल्लिक २३-४-६९ को यह रिपोर्ट छपी है जिसमें कहा गया है ।

"Draught spreads to all five Tahsils of Banda district"

(इस समय १ बजकर ५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुये ।)

आज भी इतना खर्च करने के बाद भी उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है ।

---

†२९ अप्रैल, १९७० की कार्यवाही से ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आज पूर्वी क्षेत्र की हालत बहुत ही खराब है । वहां बेरोजगारी दिन-ब-दिन बढ़ती जा जा रही है। सरकार जानती है और इस प्रदेश का बच्चा-बच्चा जानता है कि पहाड़ी क्षेत्र से मिला हुआ जो पूर्वी क्षेत्र है उसकी हालत खराब है साथ ही बीच का जो क्षेत्र है उसकी हालत भी खराब है । श्री इन्द्रमणि जी ने यह कहा कि अगर ईमानदारी के साथ सरकार चाहती है कि इन बैकवर्ड इलाकों का तथा बुन्देलखंड का विकास चाहती है तो चौथी पंचवर्षीय योजना में जो ६५१ करोड़ रुपये की जो धनराशि रखी गई है उसमें से इन इलाकों के विकास हेतु अलग से व्यवस्था की जाय । जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक इन इलाकों का विकास नहीं हो सकता है। श्रीमन्, मैं समझता हूं कि पहले हमें पिछड़े हुये क्षेत्र लेना चाहिये और वहां की बेरोजगारी की समस्या को हल करना चाहिये । हिन्दुस्तान का हर व्यक्ति डायरेक्टिव प्रिसिपल्स आफ फंडामेंटल राइट से गवर्न होता है । आज उसकी रोटी का सवाल है, कपड़े का सवाल है, रोजगार का सवाल है और उसके बच्चों की तालीम का सवाल है, सभी तरफ से वहां असंतोष फैला हुआ है और वहां के लोग समझते ही हैं कि हमारी सरकार का ध्यान उनके ऊपर नहीं जाता है। इसलिये कभी-कभी वे कहते हैं कि हमारी कमिश्नरी अलग कर दीजिये, इसका विभाजन होना चाहिये ताकि हम अलग से विकास कर सकें । यह बात बहुत कुछ लोगों की तरफ से आती है जो कि हमारे देश के बिलकुल हित में नहीं है। इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर वे लोग क्यों ऐसा चाहते हैं । कोई डेवेलमेंट बोर्ड बने या न बने लेकिन हमें देखना यह है कि उसके डिस्पोजल पर कोई पैसा है या नहीं है । आपने पर्वतीय क्षेत्र में डेवेलपमेंट बोर्ड बनाया, बुन्देलखंड में आपने डेवेलपमेंट बोर्ड बनाया और पूर्वी जिलों में आपने पटेल कमीशन नियुक्त किया । किन्तु केवल बोर्ड बना देने से और उनकी स्थापना कर देने से वहां का विकास नहीं हो सकता है । उन्हें पैसा चाहिये । तभी इन इलाकों का विकास हो सकता है । उनकी जो समस्यायें हैं उनको आप देखें । जो बोर्ड बना दिये गये हैं क्या बिना पैसे के वे कोई विकास का कार्य कर सकते हैं ?

यदि हम पहाड़ी क्षेत्र की तरफ निगाह दौड़ाते हैं तो वहां के जो लोग रहने वाले हैं और उनके यहां जो विकास कार्य हुये हैं उससे उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ है । मैं आपके द्वारा सदन को बतलाना चाहता हूं कि बम्बई फिल्म कम्पनियों में जो कार्य करने वाले हैं उनके वहां फार्म मौजूद हैं, टाटा और बिरला के फार्म मौजूद हैं । उस क्षेत्र में उन सारे लोगों के फार्म हैं जो समझते हैं कि काश्तकारी नम्बर १ का प्रोफेशन नहीं है बल्कि साइड बिजनैस है । उनका मुख्य प्राफेशन है बिजनैस अथवा सर्विस। इसके साथ ही साथ फार्म भी रखे हुये हैं । गरमी के दिनों में जब हम नैनीताल आदि क्षेत्रों में जाते हैं तो देखते हैं वहां के मुख्य रहने वाले थारू बुक्सा लोगों की अब भी वही हालत है । जो हालत उनकी उस जमीन को क्लेम किये जाने से पहले थी । रुद्रपुर में जाकर देखिये तो आपको बड़ी-बड़ी इमारतें दिखायी देंगी जो इन फार्मों के बन जाने के बाद ही बनायी गयी हैं। लेकिन वे भी उन्हीं बाहर के रहने वाले लोगों की हैं। मद्रास, बम्बई और पंजाब से आकर लोगों ने फार्म बनाये और उसी के पैसे से बड़ी-बड़ी इमारतें बनायीं। लेकिन बड़े खेद की बात है कि रुद्रपुर के बराबर ही वहां के ओरीजनल रहने वालों की वही झोंपड़ियां हैं जो पहले थीं। यह उसके साथ में ज्यादती है। जब वहां और शेर और चीते लगते थे तब तो वे लोग अपनी जान की बाजी लगाकर वहां खेती करते थे और जब वह भूमि शेर और चीतों से बरी कर दी गयी तो उसका उनको कुछ भी लाभ न मिला। उनको अफसोस होना लाजिमी है। जब वह यह देखते हैं कि उनके बच्चों की तालीम का कोई प्रबन्ध नहीं है, उनको १०–१२ मील तक पढ़ने के लिए स्कूलों जाना पड़ता है। वे अब भी कुछ पैसों से, मेहनत मजदूरी करके पेट पालते हैं। जो कुछ वे भी करते हैं, वह शाम को शराब की दूकान पर लुटा देते हैं। शराब के कारण घर के घर बरबाद हो रहे हैं । यह बड़े दुख की बात है ।

यह सभी जानते हैं कि तमाम पहाड़ी क्षेत्र की साल भर की कमाई गर्मियों के दिनों में ही हो जाती है । गर्मियों का मौसम उनकी साल भर की एकोनामी को कंट्रोल करता है। लेकिन आप देखें कि पिछली बरसात में कई स्थानों पर सड़कों पर पत्थर लुढ़क आये । सारा जाड़े का मौसम गुजर गया लेकिन बहुत से स्थानों से पत्थर अभी तक हटाये नहीं गये हैं और

[श्री रियासत हुसैन]

सड़कें ब्लाक पड़ी हैं। जब लोग देखेंगे कि वहां जाने में खतरा है तो लोगों का ट्रैफिक उधर को और कम होगा। और इसका असर पूरे पर्वतीय क्षेत्र की एकोनामी पर पड़ेगा। वहां पर एक सैनिक विद्यालय चल रहा है। लेकिन देश की जो रक्षा करने वाले सिपाही हैं उनके बच्चों को वहां मुफ्त तालीम दी जानी चाहिये, उनके लिये खाना-पीना और रहना सब मुफ्त होना चाहिये। लेकिन ७०–७५ हजार के बजट में सरकार उनको क्या देती है केवल ६ हजार रुपया।

इसी प्रकार से बुन्देलखंड में ला एन्ड आर्डर की हालत क्यों खराब है? बांदा जिले के हर शख्स का जान व माल खतरे में है। उसका भी मूल कारण यह है कि आज इतना देश का विकास हो जाने के बाद भी देश का बच्चा-बच्चा मकरूज है। ६ हजार करोड़ रुपये का मकरूज यह देश है। १३० रुपया प्रतिकेपिटा मकरूज है। जिसकी खाली इन्टरेस्ट ही १४३ करोड़ रुपया होता है जिसको अदा नहीं कर पा रहे हैं। इतना कर्जा होने पर भी हालत क्या है? समस्त उत्तर के ज्यादातर गांव बैकवर्ड हैं। हमारे यहां १ लाख १२ हजार गांव हैं जिनमें से २७ हजार गांवों में हरिजनों के पानी पीने का प्रबंध नहीं है। यह हालत है। हम इतने मकरूज हो गये हैं और दूसरी तरफ इतने बैकवर्ड हैं। इसलिये श्रीमन्, जो प्लान का ९५१ करोड़ रुपया है जबतक उसमें से कुछ मुस्तकिल रकम निकाल कर इन पिछड़े हुये इलाकों के विकास के लिये नहीं रखेंगे, चाहे उसके लिये हिल बोर्ड बनायें, चाहे बुन्देलखंड बोर्ड बनायें और चाहे फाइनैन्सल बोर्ड बनायें, तबतक इन जिलों का विकास होना गैरमुमकिन है। इसलिये मैं इन्द्रमणी जी द्वारा रखे गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज पिछड़े हुये क्षेत्रों पर विचार करने के लिये समय दिया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुन्देलखंड और पहाड़ी क्षेत्र, यही तीन इलाके पिछड़े हुये हैं। प्रथम, द्वितीय और तृतीय, तीन पंचवर्षीय योजनायें समाप्त हो गयीं और चौथी चल रही है लेकिन आज भी ऐसे इलाके हैं जिनका कोई विकास नहीं हुआ। आज से २० वर्ष पहले जो स्थिति उनकी थी वही आज भी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में पार्लियामेंट ने पटेल कमीशन बिठाया था। उसकी रिपोर्ट इस सरकार के पास भी होगी और केन्द्रीय सरकार के पास भी है। पटेल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारतवर्ष में सब से पिछड़ा हुआ इलाका पूर्वी उत्तर प्रदेश माना गया है। आमदनी के जरिये, उनके साधन और जो खेती से उनकी उपज होती है सब को मिला कर पूर्वी उत्तर प्रदेश के आंकड़े सारे भारतवर्ष में पिछड़े हुये हैं। यही नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में ऐसे जिले भी हैं, जैसे जनपद आजमगढ़, वैसे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश गरीब है ही लेकिन जनपद आजमगढ़, मैं समझता हूं सारे भारतवर्ष में सब से पिछड़ा हुआ है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में और जनपद आजमगढ़ में ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां कुंओं में आज पानी नहीं मिल रहा है और इन्सान पानी के बजाय कीचड़ पी रहा है जैसे हमारा क्षेत्र है। विधान सभा लालगंज २२२। उसके बारे में कई रिपोर्ट आ चुकी हैं और असेम्बली में बहस भी हो चुकी है। माननीय माल मंत्री मौजूद नहीं हैं, पिछले वर्ष वे वहां गये थे और पूरे क्षेत्र का सर्वे किया था और यह रिपोर्ट दी थी कि बीसों कुंये मैंने देखें जिनमें पानी नहीं है और इन्सान कीचड़ पी रहा है। पटेल कमीशन की सिफारिश के मुताबिक ज्यों ही वहां काम शुरू हुआ त्यों ही वह कमीशन समाप्त कर दिया गया पता नहीं किन कारणों से और वहां कोई विकास नहीं हो सका। चाहे सिंचाई के साधन ले लीजिये, चाहे सड़क के साधन ले लीजिये, चाहे स्वास्थ्य के साधन ले लीजिये, चाहे शिक्षा के साधन ले लीजिये हर माने में वह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। सिंचाई के मामले में, हमारे सिंचाई मंत्रीजी मौजूद नहीं हैं, हमारे भूतपूर्व सिंचाई मंत्री पंडित जी, जो १९५३–५४ में सिंचाई मंत्री थे तब उन्होंने वहां कुछ साधन दिये थे लेकिन वह बहुत ही नगण्य हैं जो किसी इलाके में हुये और किसी इलाके में नहीं हुये। यही हालत बुन्देलखंड की भी है और पहाड़ की भी है।

आज सब से बड़ा सवाल हमारे सामने यह है कि जो क्षेत्र अविकसित हैं वह अविकसित रह गये और जो क्षेत्र विकसित हैं वह विकसित होते जा रहे हैं। और जो क्षेत्र हमारे साधन

के मामले में आगे हैं वह और आगे हो जा रहे हैं। तो एक तरफ तो हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे हैं। जब वह माल मंत्री थे तो उन इलाकों को मुख्यमंत्री जी को दिखाया है और यह इलाका ऐसा है जहां अन्न पैदा होने का सवाल पैदा नहीं होता। हमारे मुख्यमंत्री जी एक इलाके में गये जोकि ५-६ मील का इलाका है वहां एक कुंआ भी नहीं है। तो वह उस समय भी नहीं था और आज भी नहीं है। मुख्यमंत्री जी नें कहा कि त्रिवेणी राय का इलाका इतना खराब है वहां कैसे लोग जीवित रहते हैं। तो ऐसे भी इलाके हैं। सबके सामने यह सवाल है कि यह पिछड़ा इलाका कैसे आगे हो, इन इलाकों को क्या साधन दिया जाय और केन्द्रीय सरकार से क्या साधन मांगा जाय और कौन सी चीज दी जाय कि यह इलाका तरक्की करे। २४ अरब रुपया प्रथम पंचवर्षीय योजना पर खर्च हुआ। ४८ अरब सेकेंड फाइव ईयर प्लान पर खर्च हुआ और अरबों खरबों रुपया तृतीय और चतुर्थ योजना पर खर्च किया और किया जा रहा है, लेकिन वह इलाका विकसित नहीं हो रहा है, वहां की गुरबत नंगी नांच रही है, वहां का इन्सान कराह रहा है कि हमारे देश में स्वराज्य हुआ, स्वराज्य के हम भागी हैं लेकिन विकास के सिलसिले में २२ साल पहले जो अंग्रेजों के जमाने में दशा थी वही दशा आज भी है। अंग्रेजों ने यह इतिहास लिख कर छोड़ा है कि वहां का इंसान बड़ा लड़ाकू होता है। मोरलैंड की रिपोर्ट है कि कुंवर साहब जो बागी था उसके इलाके से यह सटा हुआ है, इसलिये यहां कोई विकास की आवश्यकता नहीं है। वहां के लोगों को इतना मजबूर कर दो कि वहां सब मजदूर ही मजदूर रह जांय, विकसित होने का कोई सवाल ही नहीं है। अंग्रेजों के जमाने में वहां से कुली लिये जाते थे मिलिटरी में खाई खुदाने के लिये और घोड़ों की लीद साफ करने के लिए, क्योंकि वहां का इनसान बागी था, हमेशा बगावत की है। तो उस दृष्टिकोण से अंग्रेजों ने भी किया।

लेकिन आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले २० साल से, स्वराज्य प्राप्ति के बाद वहां पहले जो दशा थी वही अब भी है। न खाने को अन्न, न पहिनने को वस्त्र और न शिक्षा-दीक्षा का कोई साधन। ५-५, ६-६ मीलपर कोई कुएं नहीं बने हैं। मुख्य मंत्री जी भली भांति जानते हैं। वह कांग्रेस के लीडर रहे हैं साल दो साल से कांग्रेस से अलग हुए, वह मंत्रिपरिषद् के वरिष्ठ मंत्रियों में थे और रेवेन्यु मंत्री की हैसियत से उसका कई बार सर्वे कर चुके हैं।

आज यह इलाका चिल्ला रहा है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चहता हूं कि उस इलाके के लिये जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जहां गरीबी है, जहां शिक्षा के कोई साधन नहीं हैं जहां स्वास्थ्य के लिये कोई दवाखाने नहीं हैं, जहां खेती के लिये पानी के साधन नहीं हैं उस इलाके के लिये जो भी संभव होसके करें और जो भी केन्द्र से सहायता मांग सकें उस इलाके के लिये वह मांगें। मान्यवर, इस इलाके के लिये बजट में स्पेशल प्राविधान होना चाहिये। अगर स्पेशन प्राविधान नहीं किया गया तो यह इलाका विकसित नहीं हो सकता है। यह मेरे कहने का मतलब नहीं है कि दूसरे इलाकों से मुझे द्वेष है। आज जहां बिजली है, ट्यूबवेल लगे हैं वहां यूनिवर्सिटी खुल रही हैं, वहां मेडिकल कालेज खुल रहे हैं, बड़े-बड़े फर्टिलाइजर के कारखाने खुल रहे हैं, लेकिन जो इलाके सब से पिछड़े हुए हैं, जहां इंसान कराह रहा है उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मान्यवर, मैं एक बात कह कर आप के माध्यम से पूरे हाउस का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि खाली उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका ही नहीं पिछड़ा हुआ है, और भी इलाके पिछड़े हुए हैं।

मान्यवर, पूर्वी इलाकों के बारे में दो रिपोर्ट मौजूद हैं एक तो बहुत ही ऐतिहासिक रिपोर्ट है जो अंग्रेजी सरकार ने तैयार कराई थी और दूसरी है। पटेल कमीशन रिपोर्ट मान्यवर, एक कहानी सुना दूं। पटेल कमीशन जब दौरा करके मेरे जिले में आया तो हमने उनको एक बोतल में बरेली का सड़ा हुआ शीरा दिखाया। उस पर एक सदस्य ने कहा कि यह तो ऊसर गलाने के काम आता है। तो हमने कहा कि यह ऊसर नहीं इंसान को गलाता है, इसको लोग यहां पीते हैं। जो अन्न, बैल और गाय खा लेते हैं उनके गोबर में जो अन्न रह जाता है उसको यहां का आदमी निकाल कर खाता है और जो जूठी पत्तल फेंक दी जाती हैं उनको खाता है। आज

[श्री त्रिवेणी]—

हमारे देश पर यह कलंक का टीका है कि यहां इंसान जूठी पत्तल का अन्न खाता है। मान्यवर, मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि पूरब और पश्चिम बंट जाय। यह नारा हमने कभी नहीं लगाया और मैं चाहता हूं कि अगर पश्चिम का इंसान सूखी रोटी खा रहा है तो उसमें से एक टुकड़ा हमें भी दे जो पिछड़े इलाके के रहने वाले हैं। मान्यवर, मैं एक बात और कह कर बैठ जाऊंगा। मान्यवर, अगर केन्द्रीय सरकार ने कुछ जिलों को चुना है या चुनने जा रही है तो जो सब से पिछड़े हुए इलाके हैं उनकी प्लानिंग कमीशन को विशेष ध्यान देना चाहिये और मदद करनी चाहिये। प्लानिंग कमीशन ने यह भी कहा है कि प्रदेशीय सरकार द्वारा या केन्द्रीय सरकार के सोर्सेज से इन क्षेत्रों का सर्वे कराया जायेगा। मान्यवर, केन्द्रीय सरकार ने आजमगढ़ जनपद का सर्वे कराया है। तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पूर्वी क्षेत्र में बहुत से पिछड़े हुए जिले हैं उनके लिये केन्द्रीय सरकार के सामने प्रस्ताव प्रस्तुत करें। आजमगढ़ जनपद में अट्ठाईस लाख इंसान रहते हैं लेकिन आज उसमें छोटा या बड़ा कोई उद्योग नहीं है, सिंचाई का कोई साधन नहीं है और यही नहीं विधान सभा क्षेत्र २२१ लालगंज में दस, दस और बारह बारह मील तक पीने का पानी नहीं है, पेड़ पर हरी पत्ती दिखाई नहीं देती हैं, कोई भी ऐसा कुआं नहीं है जो सूखा न हो। ऐसे क्षेत्र को विकसित करना मनुष्यता होगी। अगर यह क्षेत्र विकसित न हुआ तो आगे आने वाली पीढ़ी कहेगी कि यहां के चुनकर जाने वाले प्रतिनिधि सरकार का साथ देते थे, वहां जा कर बैठते थे और क्षेत्र के साथ उन्होंने विश्वासघात किया है। मैं इन शब्दों के साथ जो प्रस्ताव आया है उसका जोरदार समर्थन करता हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वह इस इलाके को प्रोत्साहन देने की कृपा करें।

*श्री गिरजा शंकर (जिला बाराबंकी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री इन्द्रमणी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, वैसे तो सारा प्रदेश पिछड़ा है मगर कुछ इलाके विशेष रूप से पिछड़े हैं। कुछ बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र हैं और उनमें सरकार की कोई विशेष योजनायें नहीं बनीं जिससे कि वहां के लोगों को राहत मिले। मान्यवर, मैं तो उस क्षेत्र से चुनकर आया हूं जिस क्षेत्र के अन्दर हर साल करीब-करीब १०, १२ और १५ बार बाढ़ आती है और उस इलाके में करीब-करीब तीन, चार सौ ऐसी ग्राम सभायें हैं मान्यवर, जहां चार साढ़े चार माह तक पानी भरा रहता है जिससे बाराबंकी जिले की फतेहपुर राम सनेही घाट आदि तहसीलें प्रभावित होती हैं। इनमें मान्यवर, सरकार के कई मंत्री गए, पिछली बार माननीय नियोजन मंत्री, श्री नारायणदत्त जी तिवारी ने भी वहां का दौरा किया और उनको सारी परिस्थितियों से अवगत कराया। मान्यवर, दुःख इस बात का होता है कि जिस समय योजनायें बनाई जा रही थीं, प्रदेश के विकसित करने के लिये और विकास खंड खोले जा रहे थे, प्रदेश को विकसित करने के लिए और यह समझा जा रहा था कि लोगों का विकास होगा, लोग तरक्की करेंगे, मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आता हूं वहां एक विकास खंड खोला गया जो सबसे पिछड़ा क्षेत्र था। वहां के लोग बहुत दुखी और परेशान थे और जहां सबसे पहले विकास खंड खोला जाना चाहिये था वहां सबसे पीछे विकास खंड खोला गया और जिस समय सुचेता जी की सरकार थी वह समाप्त भी कर दिया गया। उस विकास खंड की गतिविधि चार पांच महीने तक ही हो पाई। वह विकास खंड मान्यवर, बन्द हो गया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चहता हूं कि इस प्रजातन्त्र के युग में, इस नियोजन काल में सारे प्रदेश की जनता को बराबर लाभ पहुंचाना चाहिये। आज इस २०, २२ साल के शासनकाल में जो योजनायें अन्य क्षेत्रों में चलाई गई उनका एक, दो आना भी इस क्षेत्र में नहीं हुआ। मान्यवर, आज उस क्षेत्र में जब पानी भरा होता है तो चार महीने तक रास्ते बन्द हो जाते हैं और वहां के लोग बीमारी की हालत में या किसी अन्य गम्भीर परिस्थिति में सड़क तक पहुंच पाने में असमर्थ हो जाते हैं। मान्यवर, ऐसा होता है कि आदमी बीमार होता है और दवा के लिये जाता है और रास्ते में मर जाता है। मान्यवर, इन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

परिस्थितियों को देखकर ऐसा आभास होता है कि वहां नियोजन का कोई कार्य नहीं हुआ है। श्रीमन्, भदौसरांय से एक सड़क बनाने की मंजूरी हुई थी किन्तु पता नहीं कि उसका क्या हुआ।

मान्यवर, उपमंत्री जी बैठे हैं। वह उस क्षेत्र से चुनकर आये हैं और वह जानते हैं कि उस क्षेत्र की क्या हालत है। मगर इस सरकार ने जितनी योजना बनाई, उस इलाके के सम्बन्ध में कोई भी योजना नहीं बनाई जिससे पानी निकल जाय। बरसात के दिनों में तालाब छोटे छोटे भर जाते हैं इस तरह से कि पूरे साल तक वहां पर आने जाने में कठिनाई होती है। पर सरकार इस पर नहीं सोचती है। बाराबंकी का वह बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र बार-बार बाढ़ से पीड़ित होता है लेकिन उसको बाढ़ ग्रस्त एरिया घोषित नहीं किया जाता है जब कि एक महीने के अन्दर ही गोंडा को बाढ़ पीड़ित क्षेत्र घोषित किया गया। वहां पर भी इसी नदी का प्रभाव था। दोनों क्षेत्रों में एक ही नदी है और एक ही प्रकार का प्रभाव है लेकिन एक भाग को छोड़ दिया जाता है और दूसरे भाग को बाढ़ पीड़ित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। ऐसी आशा थी कि इस क्षेत्र को भी बाढ़ पीड़ित एरिया घोषित किया जायगा लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

जहां तक मकानों का प्रश्न है गोंडा जिले में कुछ मकानों के लिये गांवों में काम हुआ लेकिन पूरी तरह से उनकी मदद नहीं होती है। जो लोग अपना मकान बाहर बनाना चाहते हैं और सरकार से वह लोग चाहते हैं कि सहायता मिले मगर सरकार के पास किसी प्रकार की इस सम्बन्ध में कोई योजना नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं अपने साथियों को लेकर जिलाधीश के पास गया। और इस सम्बन्ध में उनके सामने योजना रखी लेकिन उन्होंने इन्कार कर दिया कि इस सम्बन्ध में उनके पास कोई योजना नहीं है। दवाइयों की जो व्यवस्था होती है वे लोग दवाई देना नहीं जानते हैं। लेखपाल किसी तरह से देते भी हैं लेकिन वह फायदे के बजाय लोगों को नुकसान पहुंचाती हैं। मान्यवर, यह सोचा गया था कि कुछ नावों की व्यवस्था की जायगी लेकिन सरकार के पास कोई किसी प्रकार की नाव की योजना नहीं है। साल में जब कोई बाढ़ आती है तो लोगों को कुछ पैसा देकर नावों की व्यवस्था की जाती है। उनको भी वह पैसा समय पर नहीं मिलता है। वे लोग चाहते हैं कि नाव चलायें लेकिन उनको सहायता नहीं मिल पाती है।

एक बात मैं सीलिंग के सिलसिले में भी निवेदन करना चाहता हूं। सीलिंग की जमीन वहां पर पड़ी हुई थी। जितनी भी जमीन थी वह जितने भी राजा महाराजा थे उन्होंने अपने कब्जे से छोड़ी थी उनके पास ही रह गई है और उनका ही कब्जा उस पर है। जो साधारण काश्तकार और साधारण इन्सान चाहते हैं कि उनको जमीन मिल जाय, उनको जमीन नहीं मिल पाती है क्योंकि सरकार के पास उनके लिये कोई योजना नहीं है। जो तालाब या झील पड़े हुये हैं उनके लिये छोटे-छोटे कार्यक्रम बनाकर मछली पालन का उद्योग बढ़ाया जा सकता है लेकिन सरकार के पास इसकी कोई योजना नहीं है। इतना ही नहीं कुछ इलाका ऐसा है गोंडा में और कुछ बाराबंकी में कि जहां पर गोंडा के लोग आकर लगान वसूल करते हैं और उधर से बाराबंकी के लोग जाकर लगान वसूल करते हैं। दो साल से यह बराबर लिखा पढ़ी कर रहा हूं और मैं आयुक्त से भी मिला लेकिन कोई उसका निराकरण नही हो पाया है। इसमें धन लगाने की आवश्यकता है। धन के अभाव में यह योजना नहीं बन रही है। योजना बन जाय तो इससे किसानों की कठिनाई दूर की जा सकती है। आज जब गांवों में जाकर देखते हैं जो वहां पर दशा है उसको देखकर दुख होता है। आज वहां पर शुद्ध पानी भी नहीं मिल पा रहा है। तालाब के अन्दर थोड़ा पानी रह जाता है लेकिन उसी के अन्दर इन्सान पानी पीते हैं और उसी के अन्दर जानवर भी पानी पीते हैं। यह हालत उस क्षेत्र की है। यह सोचा गया था कि पीने के पानी की योजना बनेगी। कुछ कुंये बनाने की योजना हरिजन विभाग के द्वारा बनी भी है और २,४ कुयें बनाये भी गये और उसके लिए सहायता दी गई लेकिन उससे सारी समस्या हल नहीं हुई है। आज सहकारिता के द्वारा विकास खंड में जितनी भी योजना बनाई गई हैं उसके लिए सरकार ने यह किया है कि उनसे पैसा वसूल किया जाता है।

[श्री गिरजाशंकर]

इसलिए मेरा निवेदन है कि बाढ़ के इलाके में सरकार अलग से स्वतंत्र योजना बनाये। इस तरह से दो बात ध्यान देने की है। आज पैसे की कठिनाई से जो योजना नहीं बन रही है। उनमें अलग से कटौती करके नई योजना बनायें। जो आज योजनायें शासन के द्वारा चल रही हैं उनमें बहुत सी कठिनाइयां हैं उनको हम देखें और देखने के बाद उन योजनाओं को हम लागू करें जिससे उन लोगों को लाभ मिले। इन शब्दों के साथ इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि जो आनेवाला बजट है उस बजट में ऐसी योजनायें बनाई जायंगी जिससे उस इलाक़े को राहत मिलेगी।

*श्री शिवा नन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय इन्द्रमणी जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प का कुछ संशोधनों के साथ समर्थन करता हूं। उन्होंने अपने संकल्प में कहा है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा का यह निश्चित मत है कि सरकार के पिछड़े हुये भू भागों, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुन्देलखंड और पहाड़ी क्षेत्रों के विकास हेतु चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत धनराशि उसी आधार पर उपलब्ध करें जिस आधार पर केन्द्रीय वित्त आयोग ने उत्तर प्रदेश को प्रदान किया है"। मेरा इसमें थोड़ा सा संशोधन है कि इस धनराशि को उसी आधार पर उपलब्ध करें जिस आधार पर विभिन्न आवश्यकताओं के लिये, वहां के पिछड़ेपन के आधार पर किया जाना चाहिये। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में जो हमारी योजना है वह ९५१ करोड़ की है। स्वयं केन्द्रीय सरकार के नेशनल वाटर सप्लाई ऐन्ड सेनीटेशन प्रोग्राम से उत्तर प्रदेश को इतना कम बजट मिला है अगर हम इसको देखें तो प्रतीत होगा कि न तो यहां की जन संख्या को आधार माना गया है और न तो उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को ही ध्यान में रखा गया है और न तो इसके आकार को ही आधार माना गया है, साथ ही न तो यहां की आवश्यकताओं को ही ध्यान में रखा गया है। यदि हम इनमें से कोई आधार लेकर अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप मांगे जो उचित ही है तो इसमें कोई अनैतिकता की बात नहीं होगी। हमारे प्रदेश की ८ करोड़ की आबादी है और हमको कुल १७ करोड़ रुपया दिया गया है। महाराष्ट्र इसका आधा है जन संख्या में परन्तु उसको ८२.०५ करोड़ रुपया दिया गया है। जम्मू, कश्मीर जो सबसे छोटा प्रदेश है उसको भी ५.९ करोड़ रुपया मिला है। यदि इस प्रकार से इन पिछड़े प्रदेशों की उपेक्षा होगी तो विकास नहीं हो सकेगे। हमारे प्रदेश की घाटी-घाटी और रास्ते-रास्ते हमारी दुर्दशा और पिछड़ेपन के द्योतक हैं। यदि इन सब चीजों के होने के बावजूद हमारे पिछड़ेपन को दूर करने की चेष्टा राज्य और केन्द्र की तरफ से नहीं होती है तो मैं समझता हूं कि इस योजना के हिसाब से आगामी २० वर्षों में भी हम बढ़ नहीं सकेंगे और न तो हमारी कोई योजना ही पूरी हो सकेंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के जो पिछड़े क्षेत्र हैं, अविकसित क्षेत्र हैं उनके लिये विशेषरूप से बजट बनाया जाय। मान्यवर, मुझे बुन्देलखंड और पूर्वी जिलों में जाने का सौभाग्य तो मुझे नहीं मिला है लेकिन पर्वतीय जिलों में हर स्थान पर गया हूं और उसके प्रत्येक जिले को मैंने देखा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से ही नहीं बल्कि यहां के प्रत्येक माननीय सदस्य तक से भी वहां के दुख दर्द की बात पहुंचाना चाहता हूं। जहां तक सड़कों का सवाल है, आज भी वहां का इंसान जानवरों का सा जीवन बिता रहा है। कुछ ऐसे स्थान आज भी हैं जहां न मोटर जा सकती है और न खच्चर ही जा सकता है, मनुष्य को खुद अपनी पीठ पर बोझा ले जाना पड़ता है।

(व्यवधान)

मैं तो चाहता हूं कि पहाड़ के ऐसे रास्ते को सभी लोग देखें तो बड़ा अच्छा होगा। मंत्री जी देखें तो और भी अच्छा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जहां तक चिकित्सा का प्रश्न है, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। पिछली बार भी मैंने कहा था, ४५–५५ मील की दूरी तक आज भी वहां अस्पताल नहीं मिलता है और जो मिलता है उसमें दवा नहीं होती। श्रीमन्, मेरे क्षेत्र में एक आदमी के पेट में दर्द हो गया। कोई अस्पताल नजदीक नहीं था। सौभाग्य से एक जानवरों का अस्पताल था। उसमें जानवरों के डाक्टर थे। गांव वालों ने सोचा कि डाक्टर है कुछ तो दवा देगा ही। वहां पहुंचे तो उसने भेड़ों पर लगाने वाला इंजेक्शन लगा दिया और उस गरीब आदमी की जान चली गयी....।

कृषि मंत्री श्री (शिवराज सिंह)—

किस सन् की बात है ?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

इसी सन् की बात है। जबकि लोग चन्द्रमा पर जा रहे हैं और हमारे यहां यह हाल है।

श्री शिवराज सिंह—

गांव बताइए।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

मैं बता दूंगा आपको। चौपड़ाकोट में ऐठीगांव है.....

(व्यवधान)

श्री डूंगर सिंह बिष्ट (जिला नैनीताल)—

माननीय सदस्य अब तो उधर पहुंच गए हैं.....

श्री शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, मैं पहाड़ की बात बता रहा था। जितना वहां बजट जाता है ठीक ढंग से खर्च नहीं होता, उससे जनता को कोई लाभ नहीं पहुंचता है।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा बगीचा गढ़वाल जिले में भरसार है। ५०० एकड़ का बगीचा है। मैं समझता हूं भारतवर्ष में अपने किस्म का यह एक पहला बगीचा है। दूसरा बगीचा अल्मोड़े में चौपटिया का है जो १०० एकड़ का है। इसी वर्ष २ लाख ३१ हजार रुपए के फल चौपटिया से बेचे गए जबकि ५०० एकड़ का जो हमारा बगीचा है उसमें कुल ४७ हजार रुपए के सेव बेंचे गए। कारण क्या है ? कारण यह है कि बगीचा तो है लेकिन मोटर रोड नहीं है। इसलिये फल वहां पर सड़ गए। न सरकार को फायदा हुआ और न वहां के लोगों को मालूम हो सका कि फलों के पेड़ लगाने से भी कुछ फायदा हो सकता है। चौपटिया अल्मोड़ा में है वहां पर मोटर रोड है और पिछले साल वहां २ लाख ३१ हजार रुपए के फल बिके इसलिए अगर फल उद्यान के साथ वह भी रोड योजना होती तो वास्तव में पहाड़ी प्रदेश का विकास हो सकता था, कहीं योजना है तो रोड नहीं, कहीं अस्पताल है तो डाक्टर नहीं, सड़कें हैं तो उनको मिलाने वाले छोटे रास्ते नहीं हैं। इस तरह से हमारे पर्वतीय प्रदेश का नक्शा बना है जिसका कि कोई तारतम्य नहीं लगाया जा सकता।

इसके अतिरिक्त मैं पर्वतीय प्रदेश की एक और समस्या की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। वहां के लिए जितनी भी योजनायें और बजट स्वीकृत किया जाता है उसको सही ढंग से चलाने के लिए, मैं आप के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि उसके लिए उसको चलाने के लिए तमाम विभागों का हाथ होना बहुत जरूरी है। अगर बजट का दुरुपयोग न होगा तो लाभ हो सकता है। वहां एक गम्भीर समस्या और है जैसे कि यहां पर कहा जाता है कि वहां की परकेपिटा आय बहुत ज्यादा है और दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि पहाड़ी क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। यह एक बड़ा विरोधाभास है। पहाड़ की जमीन में तो कुछ पैदा नहीं होता और जो रुपया वहां जाता है वह इसलिये जाता है कि वहां की सबसे बड़ी इंडस्ट्री वहां के

[श्री शिवानन्द नौटियाल]

बच्चे हैं, वहां के लोग छोटी अवस्था से ही मैदानों में चले आते हैं। ७५ लाख ४६ हजार रुपए के मनीआर्डर केवल गढ़वाल डिवीजन में गये और इसी से आंका जाता है कि पर्वतीय इलाके बहुत प्रास्पर हैं, वहां की परकेपिटा आय बहुत ज्यादा है। लेकिन वहां की वास्तविक आर्थिक स्थिति कुछ और ही है। यदि वास्तव में वहां के लोगों की आर्थिक दशा सुधरे तब ही समझा जा सकता है कि परके पटा आय बड़ी है। लेकिन एक बात और भी है कि पहाड़ के आदमी इस देश की सेवा में हर तरह से लगे हैं और ८० प्रतिशत लोग हमारे यहां के सेनाओं में काम करते हैं। हमारे घरों में हमारी औरतें काम करती थीं तो थोड़ा बहुत सहारा मिलता था। इस सरकार ने भी और भारत सरकार ने भी कानून पास किया कि १५ से ५० साल की औरतें कम्पल-सरी राइफिल ट्रेनिंग लेंगी। अब वह काम नहीं करतीं और गांव के हवालदार के अन्डर मे उनका रायफिल ट्रेनिंग होता है। जो जहां के पुरुष इस तरह से देश की सेवाओं में लगे हों, नेफा और लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों पर अपनी जान की बाजी लगा रहे हों, वही उन के बच्चे दवा के लिये तड़प कर मर जाय, उनके बाप की अंधी आंखें अपने बेटे को देखे बिना बन्द रह जांय यह बड़ी दुखद समस्या है। भारत सरकार ने एक बड़ा भारी अहसान हम पर किया है कि उसने हमारे ३ जिलों को सीमान्त जिले घोषित किया है, हमारा गौरव है और हमें गर्व है कि हम देश के सीमान्त के रहने वाले हैं और हर पर्वतीय के लिये यह गौरव की बात है लेकिन दुख तो इस बात का है कि सीमान्त की जो सहूलियतें मिलना चाहिये थीं वे भी हमारे इन जिलों को नहीं मिल पा रही हैं। एक तरफ तो हमारे भाईयों को बहुत सी सहूलियत मिलती हैं लेकिन दूसरी तरफ वह नहीं मिलतीं .....

श्री डूंगर सिंह बिष्ट—

बड़ी मुश्किल से केवल एक मंत्री जी यहां बैठे थे और वह भी अब उठकर जा रहे हैं और शासन की तरफ से कोई नहीं सुन रहा है।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

इस कारण से पर्वतीय जिलों का हर आदमी देश की सेवा करता है लेकिन उन को समान रूप से, समान प्रकार की सुविधायें न मिलने से पारस्परिक द्वेष की भावना काम कर रही है। इस कारण से गढ़वाल और अल्मोड़ा जिले के भाई-भाई में द्वेष फैल चुका है। इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि पहाड़ी इलाके में एक समय में और एक ही विषय के अन्तर्गत समान सुविधा दी जांय ताकि विषमता न हो सकें और वे ही नियम बनायें जो पहाड़ के रहने वालों के लिए उपयुक्त हों।

मैंने एक बार मत्स्य पालन और पशुपालन की स्थायी समिति में एक अधिकारी से पूछा था कि क्या कारण है कि पहाड़ी इलाके में मत्स्य उत्पादन क्यों नहीं किया जाता। तो उस विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उनके पास रिपोर्ट आयी है कि अगर वहां पर मछलियां पाली जांय तो सारी की सारी वे पहाड़ों से बहकर मैदानों में आजांयगीं तो इस प्रकार की योजना वहां पर चलाने के क्या फायदा? यह वैसे ही हुआ किसी ने पूछा कि पहाड़ पर लोग कैसे रहते हैं तो एक ने उत्तर दया हम अपनी चारपाई की एक टांग पेड़ पर बांध देते हैं। गंगोत्री पर्वत से लकर हरिद्वार तक हर मील पर एक फुट की गहराई है। हमारा एक स्थान है श्रीनगर वहां पर गंगा का बहाव नहीं है जो इलाहाबाद में है। पानी को रोक दीजिए तो पानी की तो समस्या हल होगी ही, मत्स्य उत्पादन भी होगा। हमारे अधिकारी जो हैं वे वहां पर जाकर सर्वेक्षण नहीं करते हैं इसलिये कि पहाड़ पर अपना बोझ लादकर जाने के लिये तैयार नहीं हैं। जो भी वहां पर जाता है एक साल तक तो वह इसको दंड समझता है कि उसे दंड दिया गया है और फिर जब वह समझता है कि उसे वहां पर ही रहना है तो वह कुछ कार्य करने की सोचता है लेकिन जब वह कुछ करना चाहता है, तो उसका स्थानान्तरण कर दिया जाता है। यह भी एक कारण है कि वहां पर कोई विकास नहीं हो रहा है। वहां की भूमि, वहां की लकड़ी,

वहां के काम नहीं आती । आज प्रातः प्रश्न उठा था कि इस प्रदेश में वन विभाग सबसे कम है लेकिन सबसे ज्यादा पहाड़ी इलाके में ही है । २० करोड़ रुपये की आमदनी हमारे जंगलों से से होती है जिसमें से १० करोड़ अकेले पर्ववतीय इलाके से होती है । इस तरह से अगर यहां के लिए लैंड यूज के आधार पर सर्वेक्षण कर दिया जाय और जहां पर इस प्रकार की समस्यायें हैं, अगर उनको हल कर दिया जाय तो पहाड़ का भी विकास भी होगा और वहां का पिछड़ापन भी दूर होगा । इन पिछड़ेपन वाले इलाकों की गरीबी को दूर करने के लिए मेरी प्रार्थना है कि इसी बजट में प्राविधान कर दिया जाय और अतिरिक्त धनराशि इसके लिए दी जाय और अलग ढंग से सोचा जाय और यदि इस साल के बजट में न हो सके तो अगले वर्ष के बजट में इसका प्राविधान कर दिया जाय ताकि वहां पर असंतुलन न बढ़ने पाये जिससे वहां की गरीबी और बेकारी न बढ़ सके और जिस बेकारी के कारण असंतोष फैल रहा है और तथाकथित नक्सलवादिता बढ़ रही है वह न बढ़े । पहाड़ में तो अब औरत और मर्द भी सब ट्रेनिंग पर चुके हैं ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मान्यवर, मैं माननीय इन्द्रमणि जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं समझता हूं कि जो भी नैतिक आदमी होगा और आदमी ही नहीं बल्कि सरकार भी नैतिक होगी, उसे इस प्रस्ताव को मानने के लिए एक पल भर भी देर नहीं करनी चाहिये । क्योंकि यह सीधा प्रस्ताव है कि जिस आधार पर उत्तर प्रदेश को पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने धन दिया है उसी आधार पर पहाड़ी इलाकों और पूर्वी जिलों को दिया जाय । इससे कोई दूसरा नैतिक आधार हमें नहीं सूझता है । इस पर दो दिन से बहस चल रही है, सरकार चुप क्यों ह ? इससे सरकार का इरादा साफ नहीं दिखाई देता है । इसलिये मुझे कुछ कहना पड़ रहा है । आप देखें कि उत्तर प्रदेश की बराबर उपेक्षा केन्द्रीय सरकार करती रही है । और इस सदन में बहस चलती रही है । जब गुप्ता जी मुख्य मंत्री थे तब गुप्ता जी ने कहा था कि बराबर उपेक्षा हो रही है । मैंने कहा था कि गुप्ता जी आप केन्द्रीय सरकार से लड़ें, हम साथ देने को तैयार हैं । इस लड़ाई में केवल गुप्ता जी ही नहीं बल्कि सभी सदस्यों ने इस उपेक्षा की तरफ सरकार का ध्यान दिलाया और सबसे पहले हम लोगों को राजनारायण जी को धन्यवाद देना चाहिये कि उन्होंने केन्द्रीय सरकार के सामने एक तालिका प्रस्तुत की कि १८ वर्षों में प्रति व्यक्ति प्रत्येक राज्य को केन्द्रीय सरकार ने कितना दिया । उसमें उन्होंने दर्शाया है कि आन्ध्र प्रदेश में १८ वर्षों में प्रति वर्ष जहां सरकार ने १३८ रुपये दिया, आसाम में १८२ रुपये, जम्मू काश्मीर, जहां से नेहरू परिवार आता है, में ३६१ रुपये दिया । उड़ीसा में २०१ रुपये प्रति व्यक्ति, पंजाब में २२१ रुपये, राजस्थान में १८१ रुपये दिया । वहां उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति १०२ रुपये और बिहार में केवल ९९ रुपये प्राप्त हुए । यह जब पार्लियामेंट में आया तो सरकार के भी कान खड़े हुए । यही समस्या पिछले महीनों उत्तर प्रदेश में आई तो एक सवाल पैदा हो गया । गुप्ता जी कहते थे कि इसका कारण इन्दिरा की सरकार है । इन्दिरा जी कहतीं थीं कि इसका कारण है गुप्ता जी की सरकार । नहीं समझ में आता कि क्या गुप्ता जी और इन्दिरा जी देश को एक समझ रही हैं कि नहीं । और मैं समझता हूं कि इसके लिये गुप्ता जी कम पापी हो सकते हैं लेकिन इन्दिरा की सरकार इस देश की सबसे बड़ी पापिनी है । क्योंकि श्रीमन, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है ।

हिन्दुस्तान की एक बटा पांच जनसंख्या यहां रहती है । इसकी उपेक्षा अंग्रेजों ने केवल एक मकसद से किया क्योंकि जब जब आजादी की लहर उमड़ी तब तब उत्तर प्रदेश से थी और जब आजादी की लहर उमड़ी तो अंग्रेजों ने दबाया और उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की । और जब अपनी सरकार आई तो उत्तर प्रदेश के लोगों को बड़ी आशा थी कि जिस प्रकार अंग्रेज हमारी उपेक्षा करते थे केवल एक कारण के लिये कि आजादी की लहर हम पैदा करते रहे हैं । आजादी की लहर से पैदा हुई सरकार आ रही है अब हमारी उपेक्षा नहीं होगी । लेकिन उपेक्षा हुई । क्योंकि उत्तर प्रदेश के ही प्रधान मंत्री रहे हैं इसलिये बराबर हम पर लांछन न लगे अपने घर को ही उन्होंने बरबाद किया । और जो नतीजा है वैसा कि आज हमारे साथी कहते हैं पूर्वी जिलों में चले

[श्री शम्भूनाथ चौधरी]

जाइये वहां के लोग गोबर का अन्न खाते हैं। बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़ में जिस दिन कहेंगे जेठ, असाढ़ के महीनों में जहां चाहोगे मैं दिखा दूंगा कि आदमी गोबर से, जो पशुओं का मैला होता है अन्न निकाल कर गरीब जनता अपने पेट का पालन करती है। यह दुर्दशा आज है। तो मैं श्रीमन्, मैं यह साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि इनकी तरफ आप निहारें। इनकी तरफ आप देखें। अभी मैं बलिया (पूर्वी जिलों) की बात कहता हूं। सार्वजनिक निर्माण मंत्री बैठे हैं। मैंने उनसे निवेदन किया था कि पूर्वी जिलों में सड़कें नहीं हैं जब कि बाम्बे प्लान में ६० प्रतिशत हैं। आज जब कि आप यह कह कर केन्द्र से धन की मांग करते हैं कि हमारा प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है, हमें अधिक धन चाहिये, तो उसी आधार पर आपको क्या गुरेज है कि आप पिछड़े हुये क्षेत्रों के लिये धन का वितरण करें? घनत्व के हिसाब से भी अगर देखा जाय तो वह पूर्वी इलाकों में सब से ज्यादा है। पश्चिमी जिलों में जहां घनत्व फी वर्ग मील ६४९ और पूर्वी सम्पूर्ण जिलों में ८५५ है, वह गोरखपुर और बलिया आदि जिलों में १,२०० से १,५०० तक है।

आप पटेल आयोग की रिपोर्ट को भी उठा कर देख लीजिये। उसकी सिफारिशों पर भी आपने गौर नहीं किया। उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पूर्वी जिलों की आमदनी कितनी कम है। अंग्रेजों ने भी पश्चिमी जिलों को ही नहरें तथा अन्य सुविधायें दीं और हमको इसलिये नेगलेक्ट किया क्योंकि पूर्वी जिलों के लोग आजादी की लड़ाई में सब से आगे रहते थे। मैं कहता हूं कि आज की सरकार इस बात को देखे कि उसने मेरठ पर कितना खर्च किया है और बलिया पर कितना खर्च किया है। विकास के नाम पर यदि देखा जाय तो पता चलेगा कि पूर्वी जिलों पर नाम मात्र का धन खर्च किया गया है। यह सरकार आज पूर्वी और पश्चिमी जिलों में भेदभाव बरतती रही है। आज भी माननीय मुख्य मंत्री के दिमाग में पूर्व और पश्चिम भरा हुआ है। आज भी विशाल हरियाना की मांग जोरों पर है। यह सरकार चाहती है कि पूर्वी जिलों का कतई विकास न हो। जब यह सब स्थिति होती है तो लोग मजबूर होकर नक्सल-पंथी बनने लगते हैं। कुछ लोग जानबूझ कर चाहते हैं कि पूर्वी जिलों में समस्यायें पैदा कर दी जायं। हमारा इलाका पाकिस्तान और चीन की सरहद से मिला हुआ है। मैंने भुटवल आदि बार्डर पर जाकर देखा है। चीनी लोग हमारे लोगों को यह कह कर भड़काते हैं कि यह सरकार तो पूंजीपतियों की सरकार है। बड़े-बड़े लोगों की कोठियां बन रही हैं, तुम्हारे लिये एक झोपड़ी तक नहीं है। वे लोग खूब भड़काते हैं। फिर भी आप उस तरफ कोई ध्यान नहीं देते, वहां का विकास नहीं करते। तब क्या होगा? उनका प्रचार बढ़ता जायगा और उसका असर होता जायगा।

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सरकार विचार करे और उसी आधार पर पूर्वी जिलों के लिये धन का आवंटन करे, जिस आधार पर यह सरकार केन्द्र से प्राप्त करती है। पता नहीं इस प्रश्न पर सरकार क्यों मौन साधे रहती है? आज सारे विश्व में जिस तरह हिन्दुस्तान अछूत बना हुआ है, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के नक्शे में पूर्वी क्षेत्र और पहाड़ी इलाके अछूत बने हुए हैं। जिस तरह अछूतों को आगे बढ़ाने के लिये आपने वास्तविक अर्थों में कुछ नहीं किया उसी तरह से आपने इन क्षेत्रों के लिए कुछ नहीं किया। फिर भी जिस प्रकार से आपने हरिजनों को संरक्षण दिया है, मैं मंत्रियों से निवेदन करूंगा कि आप इसमें भी तनिक देर किए बिना एक नीति के आधार पर उन पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दें। उसी आधार पर नहीं जिस तरह से आप को केन्द्र से धन मिला है, बल्कि उस से भी आगे बढ़ कर। क्योंकि आप खुद कहते हैं कि पूर्वी जिलों में आए दिन अकाल पड़ता है, सूखा पड़ता है, बाढ़ आती है, और पूर्वी जिलों में समस्या खड़ी रहती है, तो आपको धन भी वहीं खर्च करना चाहिए। इन समस्याओं के हल के लिए ही इस प्रकार का प्रस्ताव है। इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह इस प्रस्ताव को स्वीकार करके इस सदन के सामने अपनी नैतिकता को दर्शा दे। कम से कम नैतिकता के आधार पर ही इस प्रस्ताव को सरकार को अवश्य तुरन्त स्वीकार करना चाहिए। मैं सरकारी पक्ष से आशा करता हूं कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में उनको देर नहीं करनी चाहिए।

श्री मेहरबान सिंह (जिला गढ़वाल)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संकल्प इन्द्रमणि बड़ोनी जी ने प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करने आया हूं। जिस तरह से यह प्रस्ताव रखा गया है कि केन्द्रीय आयोग ने जो धन प्रदान किया है, मैं नहीं कह सकता कि कोई धन इस प्रकार से प्रदान किया है, लेकिन हमारे जिले बैकवर्ड हैं और उत्तर प्रदेश में ये २२ जिले पिछड़े हुए हैं, इन के लिए मैं समझता हूं कि सरकार कुछ विशेष ध्यान देगी, ताकि जो अब तक विकास के काम इन जिलों में कम हुए हैं—जैसे सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है, स्कूलों, कालेजों का कोई प्राविधान नहीं किया गया है, उनको पूरा किया जा सके। मैं आशा करता हूं कि इन सब के लिये बजट में प्राविधान किया जाएगा।

मैं गढ़वाल जिले से आया हूं। नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि इस जिले में पहले जमाने में जो जंगल थे उनको काट कर चीड़ के पेड़ अंग्रेज सरकार ने लगाये थे, जिनसे काफी मात्रा में शीशा, रेजिन निकलता है। किन्तु रेजिन का उपयोग करने के लिए सरकार उसे बरेली ले जाती है और दूसरी जगह भी भेजती है। यदि यह गढ़वाल में ही दिया जाता और वहां पर उसके जगह-जगह धन्धे खोल दिये जाते, गांव-गांव में फैक्टरी लगा दी जाती, तो बहुत से हरिजनों और लैण्डलेस लेबरर्स की समस्या हल हो सकती थी। ऐसा होने से उनको रोजगार मिलता और उनकी बेकारी और गरीबी की समस्या हल होती। आज लोग जबरदस्ती दूसरों की जमीन जोत रहे हैं, नक्सलपंथी दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, और हरिजनों की समस्या खास कर कोटद्वार में खड़ी है, यह सब समस्यायें समाप्त हो जातीं। लीसा मिलने से वे लोग अपना धन्धा शुरू कर देते। उद्योग के सिलसिले में मैं निवेदन करूंगा, पिछली दफा जब जंगलात की मीटिंग हुई थी उसमें भी निवेदन किया था इस पर अवश्य ध्यान दिया जाय। हाल में जंगलात के अफसरों ने व्यक्तिगत रेजिन दिया है। इससे समस्या हल नहीं हो सकती है। इससे एक आदमी मालदार हो सकता है लेकिन गरीब जनता जिसमें ज्यादातर हरिजन और लैण्डलेस हैं, जो बाहर जा कर गुजारा करते हैं, उनकी समस्या हल नहीं हो सकती है। हम समाजवाद का नारा लगा रहे हैं तो अवश्य सरकार इस बात पर ध्यान दे।

इंडस्ट्रियल कालोनी, कोटद्वार में और श्रीनगर में खोली गयी। चार पांच साल से वहां कोई उद्योग-धन्धा नहीं है, खाली पड़ी हुई है। बिल्डिंग में चार-पांच लाख रुपये खर्च हो गया। बिजली भी उपलब्ध है लेकिन एक भी धन्धा शुरू नहीं किया गया। वहां पर उद्योग-धन्धा शुरू किया जाय या वह बिल्डिंग डिग्री कालेज के लिये दे दी जाय। इस तरह की बैड प्लानिंग हुई है और विकास का काम धीमा चल रहा है। एक निवेदन और है। पहाड़ों में टूरिस्ट का धन्धा बहुत अच्छा चल सकता है। बहुत से इलाके कश्मीर से भी अच्छे हैं। वहां पर सड़कें बनायी जायं। जिस देश में गंगा-यमुना बहती हैं, जहां अच्छे पहाड़ हों वहां पर सैकड़ों टूरिस्ट जाने की कोशिश करेंगे और हर साल जाते भी हैं। लेकिन चूंकि रहने के लिए व्यवस्था नहीं है और खाने के लिए भी सुविधा ठीक तरह से वहां पर उपलब्ध नहीं है इस कारण लोग उधर बहुत कम जाते हैं। अगर जगह-जगह टूरिस्ट के लिए भवन बनाये जायं, तो बहुत से लोग जो बेरोजगार हैं, उनको रोजगार मिल जायंगे और जो भूखों मर रहे हैं, उनकी गुजर हो सकेगी।

श्रीमन्, शिक्षा के सम्बन्ध में भी पहाड़ों में बहुत कमी है, हाल में एक यूनिवर्सिटी की बातचीत चल रही थी। वह भी मेरे खयाल में बन्द कर दी गयी है। उस पर निर्णय लेना जरूरी था। लेकिन पता नहीं वह फाइल कहां गयी तथा उसमें क्या हुआ? अभी तक उसमें न कोई रिपोर्ट आयी है न उसकी कुछ चर्चा हुई। मैं नहीं कहता कि आप पौड़ी-गढ़वाल में ही खोलें, कहीं खोलिये। चाहे देहरादून में खोलिये, नैनीताल में खोलिए, गढ़वाल में खोलिए, खुलना चाहिए। अगर किसी वजह से आप यूनिवर्सिटी नहीं खोल सकते हैं तो हर जिले में दो-दो डिग्री कालेज अवश्य दें। आप देखते हैं कि लड़कों के पढ़ने की समस्या कितना कठिन है। हम जब यहां पर आकर लखनऊ, इलाहाबाद या आगरा में पढ़ते थे उस वक्त भी ५० रुपये खर्च होते थे। आज कल डेढ़ सौ रुपये हर लड़के पर खर्च होता है। गढ़वाल में कोई डिग्री कालेज आसपास में नहीं

[श्री मेहरबान सिंह]

है। पिछली मर्तबा हिल बोर्ड में तय हुआ था कि तीन डिग्री कालेज गढ़वाल को दिये जायं। उसके बाद जब श्रीमान् गुप्ता जी मुख्य मंत्री की हैसियत से गढ़वाल गये, कम से कम दो डिग्री कालेज खोलने की बात हुई थी और एक डिग्री कालेज का पौड़ी में शिलान्यास भी कर आये थे। दूसरा डिग्री कालेज कोटद्वारा में खोलने के लिए भूमि के बारे में बातचीत हो रही थी। वहां पर लोगों ने कुछ रुपया भी जमा किया था। मैं आशा करता हूं कि मुख्य मंत्री जी उसे अवश्य बजट में रखेंगे और डिग्री कालेज खोलने की व्यवस्था अवश्य करेंगे वर्ना लोगों में बड़ी निराशा होगी। मैं सदन को यह अवगत करा दूं कि गढ़वाल-पौड़ी में कोई सरकारी स्कूल नहीं है। लैंसडाउन में एक इंटरमीडियेट कालेज खुला। चूंकि वहां एक पलटन है जिसे १९१३ से १८ की लड़ाई में दो विक्टोरिया क्रास मिले थे इस पलटन ने चन्दा जमा कर के एक सरकारी स्कूल खुलवाया। इन सब बातों को देखते हुए जो कमियां गढ़वाल जिले में हैं उनको सरकार शीघ्रातिशीघ्र पूरा करेगी।

एक माननीय सदस्य ने पहाड़ी क्षेत्र में सड़क की कमी के विषय में जिक्र किया। भरसार का जो बगीचा है उसमें १५ हजार पेड़ सेब के लगे हुए हैं लेकिन कोई सड़क उधर से नहीं निकलती अगर सड़क वहां से निकलती तो वह बगीचा दो-तीन लाख रुपये में नीलाम में जाता और सरकार की आमदनी होती। उसके मुकाबले में एक बगीचा चौपटिया में है उस बगीचे से आमदनी दो लाख रुपये सालाना है। मुझे आशा है कि सरकार गढ़वाल में सड़कों का जाल बिछायेगी। "१९६८-६९ का वार्षिक सिंहावलोकन" यह पुस्तिका मेरे पास भी आई है। इसमें साफ मालूम हो जायगा कि गढ़वाल में केवल ४८ परसेंट सड़कें बनीं हैं। इसी प्रकार गढ़वाल में ही नहीं और भी पहाड़ी जिले हैं जहां सड़कें बहुत कम बनाई गयी हैं, मैं आशा करता हूं कि वहां भी सड़कों का जाल बिछाया जायगा ताकि टूरिस्ट जा सकें और लोगों को कुछ धन्धा करने का मौका मिल सके।

*श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि इन्द्रमणि जी द्वारा प्रस्तुत विवाद पर बोलने का मुझे अवसर मिला। सौभाग्य से मुझे पहाड़ी क्षेत्रों के साथ बुन्देलखंड तथा पूर्वी क्षेत्रों में रहने का काफी समय तक मौका मिला है। मैं उनकी व्यथा तथा करुण कहानी कहां तक सुनाऊं। इसके बारे में पूर्व वक्ताओं ने बहुत सी बातें कहीं। मैं उस वर्ग के बारे में कहने के लिये खड़ा हुआ हूं जिसको प्रत्येक आने वाली सरकार नेग्लेक्ट करती आ रही है। जब तक नवयुवकों की बेरोजगारी तथा बेकारी को दूर करने के लिये कोई भी सरकार खास तौर से कोई प्लान नहीं लायेगी तब तक वह सरकार लोक कल्याणकारी या प्रभावी सरकार नहीं हो सकती।

हमारे सूबे के अन्दर पढ़े-लिखे, एम० ए०, बी० ए० तथा इंजीनियर, टेक्निशियन वर्ग के लोग बेकारी से पीड़ित हैं। मैं स्वयं इस बात को देखता हूं कि प्रातःकाल ६ बजे से मेरे दरवाजे पर फर्स्ट क्लास बी० ए०, बी० एस-सी० तथा एम०-एस० सी० लोग बेकारी से परेशान होकर सामने आकर गिड़गिड़ाते हैं कि विधायक जी ८०, ९० रुपये की नौकरी दिलवा दीजिये। इस सूबे की सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि जब चरण सिंह जी के नेतृत्व में सरकार बनी उनको इस बात की आशा थी कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसी स्कीम बनाई जायंगी जिसके माध्यम से नौजवानों की बेरोजगारी का सामना कर लिया जायेगा। मैं जानता हूं कि उनके मन में यह जिज्ञासा है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि शिया और सुन्नी के ऊपर पड़ने वाले मुकदमें वापस किये जा सकते हैं तो कोई वजह नहीं है कि विद्यार्थियों के ऊपर पड़ने वाले मुकदमें वापस न किये जा सकें। मैं, श्रीमन्, माननीय सदस्यों से और साथ ही माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि छात्रों के ऊपर जो मुकदमें चल रहे हों, खासतौर से जो इन नवयुवकों की समस्यायें हैं उनके लिये आप एक नया बोर्ड बनायें, एक नई स्कीम चालू करें और उसमें छात्र नेताओं को भी रखें। उस बोर्ड और स्कीम के बनने से उनकी कुछ समस्यायें दूर हो सकती हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कल इसी माननीय सदन में नक्सलपन्थियों के आन्दोलन के बारे में काफी चर्चा हुई। मैं घमण्ड के साथ कह सकता हूं कि चाहे मजूमदार हों, चाहे विश्वनाथ तिवारी हों, चाहे शिवकुमार हों या चाहे राममूर्ति हों, देश के अधिकांश लोग उन्हें अपना नेता क्यों मानते हैं। नवयुवक के प्रति उनकी कोई भावना है जिसकी वजह से वे उनके पीछे आकर खड़े हुये हैं। श्रीमन्, जब तक इन मूलभूत सिद्धान्तों का निराकरण कोई सरकार नहीं करती है तब तक वह सरकार सफल नहीं हो सकती। मैं माननीय मुख्य मंत्री से तथा मंत्रि परिषद् के उन साथियों से निवेदन करूंगा कि चाहे वे पूर्वी उत्तर प्रदेश के हों, चाहे पश्चिमी जिलों के हों या बुन्देलखंड के हों या पहाड़ी इलाके के हों उनकी समस्याओं को हल करने की कोशिश करें तभी हमारा प्रदेश तरक्की कर सकता है। आज हम शिक्षा की दुहाई देते हैं। शिक्षा के सम्बन्ध में कहा जाता है कि और स्कूल खुलने चाहिए किन्तु पढ़ने-लिखने के बाद वे बेकार घूमते रहते हैं उनको रोजगारी नहीं मिलती है तो वे वायलेन्ट एक्टीविटी करने के लिये मजबूर हो जाते हैं। जब तक आप उनकी समस्याओं को हल नहीं करेंगे और उनके निराकरण के बारे में आप नहीं सोचेंगे तब तक यही स्थिति बनी रहेगी। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुन्देलखण्ड या पहाड़ी क्षेत्र की समस्याओं की ओर बल देने की कोशिश करें तभी हमारा देश तरक्की की ओर जा सकता है।

श्री शेरसिंह दानू (जिला चमोली)—

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर जो प्रस्ताव श्री बडोनी जी ने रखा है उसके पक्ष में कुछ कहने के लिये खड़ा हुआ हूं। महोदय, यह बड़े दुःख की बात है कि २०–२२ साल आजादी के बाद भी आज हमारे प्रदेश के पर्वतीय, पूर्वी एवं बुन्देलखण्ड के इलाके पिछड़े हुये हैं। इन पिछड़े क्षेत्रों में सब से पिछड़े हुये क्षेत्र पर्वतीय सीमान्त के तीन जिले हैं–चमोली, उत्तर काशी और पिथौरागढ़। यों तो सरकार ने इन जिलों के विकास के लिये एक विभाग खोल रखा है जो उत्तराखण्ड के नाम से है लेकिन अब भी वहां की बहुत-सी जटिल समस्यायें रह गई हैं जिनका निराकरण नहीं हुआ है उनको हल करने का सरकार को जल्दी से जल्दी प्रयत्न करना चाहिये।

पहाड़ों की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। वहां बहुत से पढ़े-लिखे नौजवान बेकार हैं जिनको अभी तक कोई रोजगार नहीं मिला है। यह भी आपको याद होगा कि पहाड़ के लोगों ने ही देश की आजादी की लड़ाई में सब से ज्यादा हिस्सा लिया है। पहाड़ के बहादुर सिपाही आजाद हिन्द फौज में भी थे और आज भी हर फौज में वे देश की सेवा कर रहे हैं। यह बड़े शर्म की बात है कि उनकी संतान होटलों में नौकरी करने के लिये दिल्ली और लखनऊ और देहरादून जैसे शहरों में फिरते रहे। अगर वे भूखे और प्यासे रहें तो बड़े शर्म की बात होगी। नक्सलपन्थियों के बारे में काफी चर्चा हो रही है। उनका आतंक बंगाल से चल कर तराई तक आ गया है। अगर वहां पर शिक्षित लोगों को बेरोजगारी की समस्या हल नहीं हुई तो यह भय है कि वे अपनी गरीबी के कारण अपने धर्म और देश को भी न भूल जायं। सरकार को इस पर विचार करना ही चाहिये।

वहां पर केवल सामरिक दृष्टि से मार्गों का निर्माण हुआ है। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी और भी ज्यादा मार्गों का वहां पर निर्माण होना चाहिये ताकि संकट के समय हम दुश्मन का मुकाबला कर सकें। वहां पर तो मोटर रोड्स का जाल बिछा दिया जाना चाहिये। केवल सामरिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि विकास की दृष्टि से भी मार्गों को बनाया जाना चाहिये। वहां पर बहुत से इलाके अब भी ऐसे हैं जहां पैदल मार्ग भी नहीं हैं। वहां पर सामान लाने और ले जाने में काफी कठिनाई होती है। वहां पर आलू और सेब की अच्छी पैदावार होती है, यातायात की कमी के कारण जिसका निर्यात आसानी से नहीं हो पाता है जिससे जनता को लाभ नहीं हो पाता।

अभी भी वहां पर शिक्षा साधनों की बहुत कमी है। स्कूल तो खोले जा रहे हैं लेकिन न जाने क्यों सरकार विद्यालयों, छात्रावासों के भवन नहीं बनवा रही है। अतः भवन बनाये

[श्री शेर सिंह दानू]

जाने चाहिए। बिजली वहां केवल २–४ नगरों में ही लगी है।

अतएव देहाती क्षेत्रों में भी बिजली पहुंचाई जानी चाहिये। सीमान्त जिलों में जितने भी निर्माण कार्य हुये हैं उनमें से अधिक व्यय टिन शेडों, भत्तों और भ्रष्टाचार में हुआ है। वहां की गरीब जनता को कोई लाभ नहीं हुआ है, गरीबों के बच्चों को पढ़ने के लिये भवन, बीमारों के लिये अस्पतालों के भवन दवाइयां आदि चाहिये जिनका वहां पर अभी भी अभाव है और इसकी व्यवस्था सरकार को शीघ्र करना चाहिये।

पेय जल की समस्या भी अभी वहां पर जटिल है। उसके लिये सरकार को अधिक से अधिक धन की व्यवस्था करनी चाहिये। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा शासन से अनुरोध करूंगा कि आगामी वित्तीय वर्ष में इन जिलों का विशेष ध्यान रख कर ही योजनायें बनायें ताकि जो पिछड़े हुये जिले हैं वह विकसित जिलों के बराबर आ सकें।

श्री डूंगर सिंह विष्ट—

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे साथी इन्द्रमणी बडोनी जी ने जो गैरसरकारी संकल्प प्रस्तुत किया है कि—

"उत्तर प्रदेश विधान सभा का यह निश्चित मत है कि सरकार उत्तर प्रदेश के पिछड़े हुये भू-भागों, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुन्देलखंड और पहाड़ी क्षेत्र के विकास हेतु चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत धनराशि उसी आधार पर उपलब्ध करे जिस आधार पर केन्द्रीय वित्त आयोग ने उत्तर प्रदेश को प्रदान किया है।"

मैं उसका समर्थन करता हूं। इस प्रस्ताव का असली मकसद यह है कि पंचम वित्तीय आयोग के सामने उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले साल जो तर्क पेश किये थे उत्तर प्रदेश के पिछड़े इलाकों के लिये धन देने के लिये उसी के तहत में हम लोगों को साहस हुआ कि हम भी उत्तर प्रदेश सरकार से इस तरह की तर्कसंगत मांग करें। हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत-सी बातें कही हैं। सब से बड़ी बात तो मैंने तब देखी जब शिवानन्द जी नौटियाल बोल रहे थे। पहले जब वह बोला करते थे उसको देखते हुये आज उनकी आवाज बिल्कुल ही दब गयी। उसके कुछ कारण हैं। उनकी आवाज इन्द्रा कांग्रेसियों ने दबा दी है।

यह जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, पूर्वी जिले हैं, बुन्देलखण्ड का हिस्सा है ये इलाके बहुत पिछड़े हुये हैं इसको सभी लोग कहते रहते हैं। आज चौधरी जी हैं, वह भी दिखावे के रूप से कहते रहते हैं। गुप्ता जी थे, वह भी कहते रहते थे और उन्होंने पहाड़ का कुछ भला भी किया इससे पहले जो सरकारें बनीं वह भी यही बातें दोहराती रहती थीं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिये पटेल आयोग के सुझावों के अनुसार कदम उठाने के लिये हमारे साथियों ने कहा और पर्वतीय क्षेत्र के लोग पाटस्कर आयोग के बारे में कहते हैं हम तो समझते थे कि चौधरी जी होते तो कुछ बातें वे सुनते। (सुनाइये, सुनाइये की आवाजें) बेकार है सुनाना। हम तो उपाध्यक्ष महोदय समझ गये कि पिछड़े इलाकों की बात आयी नहीं कि चौधरी साहब तुरन्त खिसक गये। मैं जानता हूं कि माननीय ओम प्रकाश जी जो कुछ यहां कहते हैं वह चौधरी जी के सामने दब जायेंगे। अतीक साहब भी दब जायेंगे। यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि चौधरी साहब के सामने किसी की दाल गलने वाली नहीं है और चौधरी साहब को प्रदेश के पिछड़े इलाकों से कोई हमदर्दी नहीं है क्योंकि अभी हाल ही में जब मैं उनके पास सम्पूर्ण सातों पर्वतीय जिलों में पूर्ण शराब बन्दी के लिये गया तो उन्होंने तुरन्त उत्तर दे दिया कि मेरे मेरठ में क्यों न हो। एक बार हम लोग चौधरी जी केपास

पर्वतीय क्षेत्र के यातायात में विशेष धनराशि देने की मांग लेकर गये तो भी चौधरीजी ने कहा कि मेरे मेरठ में क्यों न विशेष धनराशि मिले ? तो मैं उनको सुनाना चाहता था। खैर, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने इतना साहस कर लिया कि हमारी बातें उनको सुना देंगे।

पर्वतीय क्षेत्र के पिछड़ेपन की बातें २०–२२ साल से कही जा रही हैं। चौधरी साहब भी २०-२२ साल से लगातार सरकार में रहते आये हैं और दल बदलू के सरदार बनकर आज मुख्य मंत्री हैं। वह स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी भी रहे हैं। तो उनको भी यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि कहीं न कहीं हमारी गलती २०-२२ साल के प्लानिंग में रही है कि जिसमें पिछड़े इलाके आगे नहीं बढ़ सके। प्लानिंग का कोई न कोई गलत तरीका रहा है जिसके कारण विकसित क्षेत्र तो विकसित होते ही चले गये और पिछड़े क्षेत्र पिछड़े रह गये। पर्वतीय क्षेत्र में जैसा कि अभी आपके सामने कई सदस्यों ने कहा कि अभी भी ऐसे इलाके हैं जो अन्तिम मोटर स्टेशन से सैकड़ों मील की दूरी पर हैं। यह बिल्कुल सही है कि पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, गढ़वाल के सीमावर्ती स्थानों तक जाने वाले लोगों को सैकड़ों मील पैदल जाना पड़ता है। और अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि बरसानी में एक राजकीय उद्यान है और वहां इसलिए आमदनी कम होती है कि मोटर-रोड नहीं है। पिथौरागढ़ जो सीमावर्ती जिला माना गया है, मुंशियारी में एस० डी० एम० तथा विकास खंड का हेडक्वार्टर है लेकिन वहां तक मोटर सड़क जाना कई साल तक दूभर मालूम देता है और जितने वहां गार्डेन हैं, जितना बढ़िया उन में सेब होता है और साइट्रस में मालटा, नारंगी जितनी बढ़िया होती है उतनी बढ़िया शायद ही हमारे देश के किसी हिस्से में होती हो। पिछले दिनों उत्तराखंड कुमायूं के फ्रूट शो के हल्द्वानी में उद्घाटन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ तो उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जिलों से साइट्रस के इतने बढ़िया बढ़िया फल आये हैं और आकार उनका नागपुर के सन्तरे से दूना और ढाई गुना होगा। तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां मोटर स्टेशन से पचासों मील पैदल चला जाता है और जहां १५–१५, २०–२० २५–२५ रुपया मन तक किराया सामान का पिथौरागढ़ से वहां जाता है और पिथौरागढ़ तक सामान ढोने में लगता है।

मान्यवर, गढ़वाल के एक माननीय सदस्य ने एक बढ़िया बात कही है। हम सभी लोग लगातार कहते आये हैं कि सीमावर्ती ३ जिले भारत सरकार ने बनाकर बीच में पर्वतीय क्षेत्रों में बरार पैदा कर दी। कुमायूं और गढ़वाल की तथा उत्तराखण्ड डिवीजन के तीनों जिलों की समस्याएं बराबर हैं, बिल्कुल एक तरह की हैं और एक तरह से दोनों की आवश्यकताएं हैं, किन्तु जब चीन ने सन् ६२ में भारत पर आक्रमण किया तो ये तीन सीमावर्ती जिले बना दिये गये और ४–५ साल तक केवल सामरिक दृष्टि से वहां पर थोड़ा सा रुपया खर्च किया गया, सामरिक दृष्टि से ही सड़कें बनायी गयीं और मैं विश्वास के साथ बता दूं कि वह सड़कें भी गलत तरीके से बनायी गयी हैं। एक सड़क नैपाल के सरहद से मिली हुई टनकपुर, पिथौरागढ़, झूलाघाट, धारचूला तक बनायी गयी है। लेकिन अगर एक ही स्थान पर घाट पर वह दुश्मन द्वारा नष्ट कर दी जाय तो शायद दो दिन क्या ७ दिन में मुंशियारी या आगे सरहद तक सामरिक सामान या फौज, कुछ भी नहीं पहुंच सकती। इसलिये सीमावर्ती इलाकों के यातायात का साधन सहायक सड़कों का जाल बिछाया जाय। यह बात सरकार और भारत सरकार के, सब के अध्ययन करने की है कि सीमावर्ती जो इलाका है वह सात के सात जिलों का है, तीन जिलों का नहीं, केवल पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी ही सीमावर्ती क्षेत्र नहीं हैं बल्कि नैनीताल, अल्मोड़ा, गढ़वाल, टेहरी-गढ़वाल सभी हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि चौधरी साहब हमारा यही एक बहुत बड़ा हित करेंगे अगर सातों के सात जिलों को सीमावर्ती घोषित करा दें और हम बड़े आभारी रहेंगे। अगर वे भारत सरकार से इसी तरह का निर्णय करा दें। यूनिवर्सिटी की बात भी कुमायूं उत्तराखण्ड में खोलने के लिये सन् ५७ की द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल से कही जाती रही है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपको तो मुख्य मंत्री जी के समक्ष कहना है।

श्री डूंगरसिंह बिष्ट—

हमारे उप मंत्री जी सुन रहे हैं तब भी हम उम्मीद करते हैं कि वह हमारे निवेदन को चौधरी साहब से भी कहेंगे। मान्यवर, पिछली गुप्त सरकार के समय उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय की बात आयी। इस विश्वविद्यालय का कुमायूं विश्वविद्यालय के नाम से १९५७ में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राविधान हुआ था और तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्वीकार हो गया कि कुमायूं यूनिवर्सिटी खुलेगी। उसके साथ-साथ की गोरखपुर और मेरठ यूनिवर्सिटी तो खुल गयीं लेकिन कुमायूं यूनिवर्सिटी खुलने से रह गयी। उसके बाद पिछले साल बड़े वादविवाद के बाद कुमायूं यूनिवर्सिटी को उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के नाम से पिछले साल खोले जाने का निश्चय किया गया और इसका स्वरूप और जगह तय करने के लिये एक एक्सपर्ट कमेटी बनी और उस कमेटी की रिपोर्ट आयी है किन्तु अफसोस है कि पिछले दिनों जब उस यूनिवर्सिटी के बारे में विधान सभा में हमने प्रश्न द्वारा कुछ जानना चाहा तो शिक्षा मंत्री द्वारा उत्तर मिला कि जनता के हित में बताना गलत है। बताना तो पड़ेगा ही—१० दिन में, दो महीने में, कभी न कभी बताना पड़ेगा। अगर लम्बे समय तक यह मामला दबाया जाता है तो उसका अर्थ यही होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार की नीयत में खराबी है और यही समझा जावेगा कि पर्वतीय क्षेत्र की इस तरह से उपेक्षा की जा रही है। तो मैं समझता हूं कि यह ईमानदारी है चौधरी साहब की सरकार की कि इस उत्तराखंड विश्वविद्यालय को जल्दी स्थापित करें और माननीय मेहरबान सिंह नेगी के प्रस्ताव का मैं स्वागत तो करता हूं कि उत्तराखंड विश्वविद्यालय नैनीताल में खुले या कहीं किन्तु मैं यह अवश्य मांग करता हूं कि एक्सपर्ट कमेटी ने जो जगह तय कर रखी हो और इस विश्वविद्यालय के लिये नैनीताल द्वारा वर्षों से किये गये प्रयासों के इतिहास को भी दृष्टिपात करते हुये और पिछली सरकार द्वारा नियुक्त किये गये विशेष अधिकारी तथा उत्तराखंड विश्वविद्यालय नैनीताल के लिये एक लाख का अनुदान दिये जाने की बातों को ध्यान रक्खा जाय मैं समझता हूं कि इस सबका निर्णय नैनीताल होगा।

मान्यवर, मैं इसके अलावा कुमायूं के वन सम्पदा की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में लोगों की यह धारणा होती जा रही है कि चौधरी साहब की सरकार आ गई है इसलिये पर्वतीय क्षेत्र के उत्थान की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। ऐसी वहां लोगों की धारणा क्यों बनी है? इसका कारण यह है कि इस सरकार के मुख्य मंत्री सहित जितने मंत्री हैं उन्होंने पहाड़ी क्षेत्र के किसी भी हिस्से का कोई अध्ययन नहीं किया है। पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, रानीखेत, कोटद्वार से आगे शायद ये कभी नहीं गये हैं। मगर पर्वतीय क्षेत्र की सरहद इन स्थानों से २०० और ३०० मील आगे है। मान्यवर, ये सीमावर्ती इलाके हैं यह स्पष्ट तथ्य है कि चीन का आक्रमण हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा वरदान सिद्ध हुआ है। अगर चीन का आक्रमण न होता तो संभवतः भारत सरकार का ध्यान उधर कभी भी न जाता। आज नैपाल की स्थिति ऐसी हो गई है जहां से हमको काफी खतरा पैदा होने की गुंजाइश है। चीन नैपाल के रास्ते घुसने की कोशिश कर रहा है। नक्सलपंथियों के बारे में भी यहां चर्चा की गई। वह भी नेपाल की तराई में छिपकर प्रदेश में अशान्ति पैदा कर रहे हैं। हमारा जो पर्वतीय क्षेत्र है बड़े महत्व का है। अगर सरकार की ओर से उदासीनता दिखाई गई और यहां सड़कों का जाल न बिछाया गया, अधिक से अधिक बिजली के साधन नहीं उपलब्ध किये गये और औद्योगीकरण नहीं किया गया तो बहुत बड़ी हानि होने की संभावना है। मान्यवर, मैं आपसे वन सम्पदा के बारे कह रहा था कि हमारे यहां ३ लाख टन लीसा निकलता है बरेली और लखनऊ चला जाता है। जो सहकारी तरीके से या व्यक्तिगत तरीके से लीसा उद्योग चलाना चाहते हैं उनको बिल्कुल प्रोत्साहन नहीं मिलता है। बरेली टरपनटाइन फैक्टरी या उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव फेडरेशन को जहां केवल ८२ रु० क्विंटल में वन विभाग लीसा देता है वहां व्यक्तिगत लीसा उद्योग को लीसा ही नहीं दिया जाता है और किसी व्यक्तिगत उद्योग को लीसा मिला तो खुले बाजार भाव लगभग २०० रु० क्विन्टल मिल पाता है। इसी तरह पहाड़ों से छः आने घनफुट पर करोड़ों मन लकड़ी स्टार पेपर मिल सहारनपुर चली जाती है।

बागेश्वर, दानपुर, जिला अल्मोड़ा में मेगनासाइट और सिलखड़ी की खानें निकली हैं यह कहा गया था कि इनका कच्चा माल की यह फैक्टरी लगेगी किन्तु आज मैगनासाइ और सिल खड़ी को राजस्थान ल जान की आज्ञा द दी गई। मान्यवर, शायद यह बिड़ला कम्पनी है या और कोई कम्पनी है उसको मेगनासाइट को राजस्थान ले जाने की आज्ञा दे दी गई।

हमारे यहां खनिज पदार्थ बहुत हैं। पर्वतीय क्षेत्र में लाखों खानें ऐसी हैं, जो हमारे बुजुर्गों ने बिना साइंस के खोज निकालीं और उन खानों से तांबा, पीतल और लोहा लाखों मन निकलता था। वहां भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। वहां जियोलौजी डिपार्टमेंट आज तक नहीं पहुंच पाया जिन जगहों पर भूगर्भ वेत्ताओं द्वारा किया जाना था और लाखों मन खनिज पदार्थ का सामान निकलता। तो मान्यवर, यह खनिज पदार्थों का कच्चा माल पहाड़ों पर बहुत है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा सरकार से कि यह जो असन्तोष है पर्वतीय क्षेत्रों में इसके कारण थोड़ा सा सन्तोष देने के लिये विकास परिषद् बनी लेकिन इस सरकार के बनने के बाद उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पिछले साल गुप्ता सरकार क जमाने में लगभग ६० करोड़ रुपया परिषद् के लिए रखा गया था और योजनाएं बनी थीं लेकिन यह सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। सारे प्रदेश में बम्बई प्लान से सड़क बनती है लेकिन पर्वतीय क्षेत्र के लिये जब तक बम्बई प्लान खत्म नहीं होगा सड़कें बसियों साल तक एक मील नहीं बन सकती हैं। मान्यवर, मैं इतना और निवेदन कर देना चाहता हूं कि सन् ६६–६७ में एक कमेटी द्वारा पर्वतीय क्षेत्र के रहन-सहन के भी आंकड़े बनाये गये हैं। इसमें वहां यह दिखाया गया है कि किसके यहां कैसे जूते पहने जाते हैं, किसके यहां कितनी कच्ची अलमारी है किसके यहां पक्की लोहे का बक्सा है, किसके यहां ट्रांजिस्टर है। मान्यवर, हमारे यहां रोजी के लिए परेशान होने के कारण नौजवान बाहर नौकरी के लिए फौज में या मजदूरी के निकल जाते हैं। जब लौट कर या छुट्टी में घर आये तो अपने साथ एकाध ट्रांजिस्टर ले आये, आलमारी ले आये या सन्दूक ले आये या अच्छे जूते ले आये तो केवल इस तरह आंका गया कि रहन-सहन अच्छा है इनकी संख्या दस पांच प्रतिशत होती है। यह लोग आंकड़े कहां से तैयार करते हैं। नैनीताल के आ पास जात हैं और भीमताल क निकट ही लत हैं। इस तरह अल्मोड़ा के निकट के ग्रामों में चले गये और इस तरह कम जानकारी से गलत आंकड़े तैयार कर लिए जाते हैं। मान्यवर, शून्य से वहां दो से पांच एकड़ तक पचास प्रतिशत लोगों के पास भूमि है बाकी लोग भूमिहीन हैं। श्रीमन्, यह कहना कि जूत अच्छ पहनते हो, ट्रांजिस्टर रखते हो, पक्की लोहे की सन्दूक रहते हो इसलिए रहन-सहन पहाड़ का ऊंचा है यह बात हास्यास्पद है। रहन-सहन का स्तर तो स्थायी रोजगार या स्थायी जैसे अच्छी खेती या बागवानी या आमदनी हो या उद्योग हो उससे आंकना चाहिए।

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करूंगा जब मेघालय बना इन्हीं तरह की परिस्थितियों में बना है जैसा कि पिछले साल तेलंगाना आन्दोलन जिस तरह से हुआ था उसी तरह से यहां पर्वतीय क्षेत्र में भी आन्दोलन होने में देर नहीं लगेगी अगर उत्तर प्रदेश व भारत सरकार द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ ऐसी ही उदासीनता बरती गई। जिस तरह स मघालय के लिए भारत सरकार को मजबूर किया गया हमारे पवतीय क्षेत्र वाले आपको उसी तरह से मिजो आन्दोलन की तरह से मजबूर कर देंगे, चौधरी साहब को मजबूर कर देंगे, चौधरी साहब जो क्रूर तथा तानाशाह मुख्य मंत्री हैं हम उनको चुनौती देते हैं। अगर हमारे पर्वतीय प्रदेश की द्रुतगति से विकास की बात नहीं मानी जायगी तो निश्चय ही पर्वतीय क्षेत्र में विस्फोट होगा और एक पर्वतीय राज्य की मांग पुनः जोर पकड़ेगी। मैं नहीं कह सकता हूं कि इस उपेक्षा का परिणाम क्या होगा? फिर भी सरकार इस सीमावर्ती क्षेत्र की भावना का ध्यान रक्खे और इस सीमावर्ती क्षेत्र का तुरन्त समुचित विकास करे। इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं। धन्यवाद!

श्री नरेन्द्र सिंह (जिला चमोली)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो संकल्प उपस्थित है और उसको जिस ढंग से माननीय नौटियाल जी ने प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। माननीय डूंगर सिंह विष्ट और नौटियाल जी ने तीन सीमान्त जिलों के बारे में कहा कि उनको विशेष सुविधायें दी जा रही हैं। उनके प्रति उन्हें आपत्ति है तो मैं बताऊं कि हमारे पर्वतीय जिलों के बीच जो विद्वेष उन्होंने बताया है वह वहां पर है या नहीं यह मैं नहीं कह सकता लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि इन पर्वतीय जिलों का सीमान्त या गैर सीमान्त कहना एक बहुत गलत बात है। ये सब जिले सीमान्त हैं हम सबके ऊपर सीमा की रक्षा का भार समान रूप से है। इसलिये जब १९६० में इस प्रदेश की तीन सीमान्तिक तहसीलों को लकर ३ सीमान्त जिले बनाये गये तो मैं उस समय इस आदरणीय सदन का सदस्य था और इस रूप में मैंने शासन से निवेदन किया था कि सभी पर्वतीय ७ जिलों को सीमान्त जिले घोषित किया जाय। इन १० वर्षों में सीमान्त जिलों में जो कुछ भी हुआ इस पर मनन होना चाहिए, मैंने अगर डूंगर सिंह विष्ट जी तथा नौटियाल की बात को सही रूप से समझा तो वे समझते हैं कि वहां बहुत कुछ हुआ, वहां जो हुआ वह चार अन्य पर्वतीय जिलों में न हुआ तो मेरा निवेदन यह है कि वे जरा इस पर गौर करें कि इन १० वर्षों के अन्दर इन तीन जिलों में हुआ क्या है? यह हुआ है कि आपने इन तीन जिलों के अन्दर पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली में सघन शासन कायम किया। दूर-दूर गांवों में जहां पर पटवारी की सूरत तक दिखाई नहीं देती थी वहां पर कई प्रकार के राज्य कर्मचारी तैनात किये गये। आपने इतना ही नहीं किया बल्कि गांव-गांव में सी० आई० डी० का जाल वहां पर बिछा दिया। सरकार को जैसे एक तरह हम लोगों पर विश्वास न हो, जैसे वहां के लोगों का देश के प्रति वह प्रेम वह भक्ति न हो जैसी कि देश के अन्य लोगों में है। ऐसा काम वहां पर आपने किया। आपको आश्चर्य होगा मुझे भी आश्चर्य होगा यदि घास काटने वाली महिलाओं और खेत तथा खलिहान में काम करने वाले किसानों के बीच में कोई सी० आई० डी० कर्मचारी न हो। यह स्थिति उन जिलों के अन्दर है।

शासन ने क्या किया? शासन ने सघन शासन कायम करने के लिये वहां सरकारी कर्मचारियों की फौज बढ़ाई, लेकिन वहां के लोगों को वहां नहीं रखा। ज्यादातर लोगों को बाहर से वहां पर भेजा गया। ऐसा क्यों किया? वह इसलिये कि उन सीमान्त जिलों में काम करने वाले कर्मचारियों को विशेष वेतन और विशेष भत्ता मिलता है गोया कि उसके हकदार स्थानीय लोग न हों। इसलिये मैं कहता हूं कि श्री डूंगर सिंह विष्ट या अन्य लोगों को बड़ा भ्रम है। वे कहते हैं कि नक्सलपन्थी वहां आ जायेंगे। वहां पर नक्सलपन्थी कोई नहीं है, लेकिन ऐसी गलत नीतियों के कारण हो जायेंगे। आपने दो किस्म के वहां पर विद्यालय बनाये। एक मील के फासले पर एक विद्यालय तो राजकीय है और दूसरा परिषद् का है। इन दोनों स्थानों में जो इन दो प्रकार के विद्यालयों के शिक्षक हैं उनको जो वेतन मिलता है उसमें जमीन और आसमान का अन्तर है। यही नहीं राजकीय विद्यालय का अपने स्तर का भवन है। तो कई एक परिषदीय विद्यालयों के पास कोई भवन नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सौभाग्य है कि माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर पधार गये हैं। मैं कहता हूं कि आपने जो सुविधाएं सीमान्त जिलों को दी हैं अगर आप उनको हटा भी लें और वहां के नागरियों को जो नागरिक आजादी आपने उनसे छीन ली है वह हमको लौटा दें तो हमें बहुत बड़ी खुशी होगी। जो भी व्यवस्था आपने वहां पर की है उससे जनता में असंतोष ही बढ़ा है और यह कम नहीं हुआ है, आप सोचें कि क्या इस प्रकार इन क्षेत्रों का और देश की जनता का उससे कोई हित होगा? आपको चाहिये कि वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था करें स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, उनकी आय बढ़े, असंतोष मिटे। यदि आप यह समझते हैं कि वहां के रहने वाले लोग भी प्रदेश के नागरिक है और देश की रक्षा व्यवस्था में उनका भी हाथ है तो ऐसी व्यवस्था से देश और प्रदेश का हित ही होगा। अफसोस तो यह है कि आपने वहां के रहने वालों को अविश्वास की नजर से देखा और

उसको रोजगार देने के लिये, उसकी आय की बढ़ोत्तरी करने के लिये आपने कोई भी तो काम नहीं किया। यही नहीं श्रीमन्, मेरा आरोप यह भी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी वहां कुछ नहीं किया गया है। हमारे पर्वतीय क्षेत्र में तीन दर्रे हैं उत्तर काशी में हरतिया, चमोली में बड़ाहोती और पिथौरागढ़ में लीपूलेख। यदि इन तीनों दर्रों तक यातायात रुक जाय या कोई गड़बड़ हो जाय तो हमारे पास कोई भी आल्टरनेटिव रूट (वैकल्पिक मार्ग) नहीं है। कभी यदि हमारे ऊपर हमला हो जाय और ये रूट (रास्ते) जो आज हैं कट जाएं तो हमारी फौजें क्या करेंगी। हमारे देश की सुरक्षा किस प्रकार से हो सकेगी? नेफा में यही हुआ। जिस समय शत्रुओं ने रास्ता काट दिया था तो हमारे फौजियों के पास न तो युद्ध करने का सामान पहुंच पाता था और न कोई खाने पीने की वस्तु। हमको कितनी कठिनाई का सामना वहां पर करना पड़ा था इससे सभी लोग वाकिफ हैं। श्रीमन् हमको पर्वतीय क्षेत्र का स्वदित एवं समुचित विकास करने के लिये चाहिये रुपया। रुपया हमको इसलिये चाहिये आप सीमान्त प्रदेश में सुरक्षा के लिये अजेय रक्षा व्यवस्था कर सकें, स्थानीय लोगों के मनोबल को ऊंचा उठा सकें।

श्रीमन्, मैं जिस क्षेत्र से प्रतिनिधि होकर आया हूं और जिस क्षेत्र विशेष के बारे में यहां पर जिक्र चल रहा है उसकी भौगोलिक स्थिति हिमांचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर की भौगोलिक स्थिति से भिन्न नहीं है परन्तु आज हम लोग जिस स्थिति में वहां पर रह रहे हैं वह बड़ी ही खेदजनक है। दूसरी ओर जम्मू और कश्मीर अपने पर्यटन व्यवसाय और हस्तशिल्प, गृह उद्योगों के कारण बहुत आगे बढ़ गया है और इसी प्रकार से हिमांचल प्रदेश भी बागवानी के कारण एक अग्रगणी राज्य बन गया है लेकिन हमारा उत्तर प्रदेश और विशेषकर हमारा पर्वतीय क्षेत्र आज से २० वर्ष पूर्व जिस स्थिति में था उसी स्थिति में आज भी बना हुआ है। आखिर ऐसा क्यों है? हमें शौक नहीं है कि हम अपने को पिछड़ा हुआ कहें परन्तु हम आपसे यह अपेक्षा करते हैं कि आप हमारे इस क्षेत्र का विकास इस ढंग से करें कि राज्य भी समृद्ध हो और हम लोगों को भी रोजगार का अवसर प्राप्त हो सके, हमारी आय के साधन बढ़ें और वहां के अब तक अगम्य, अविकसित क्षेत्रों का भी विकास हो। श्रीमन्, इस प्रदेश के, पर्वतीय क्षेत्र में ८२ प्रतिशत जन संख्या अभी तक खेती पर निर्भर करती है और वह खेती कैसी है? हमारे पर्वतीय अंचल का कुल रकबा जो है, उसके केवल १४.७ परसेंट भूमि पर इस क्षेत्र में खेती होती है। मैदानी इलाके में ५६ परसेंट भूमि को सिंचाई के साधन सुविधाएं उपलब्ध हैं लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में यह सुविधा केवल २० प्रतिशत को ही हासिल है। आपने ऐसा कार्यक्रम शुरू किया था कि सिंचाई की सुविधा के लिये जगह-जगह पर नहरें बना दें परन्तु इस दिशा में थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि रुक गये वहां पर इस कार्य को भी बन्द कर दिया गया है और कहा गया है कि वहां पर यह कार्य बहुत महंगा साबित हुआ है। तो अगर आपने नहरों को काटना बन्द कर दिया तो वहां चीन के जैसी सिंचाई की व्यवस्था क्यों नहीं की? चीन में यूनान प्रदेश वैसा ही पर्वतीय है जैसा हमारा पर्वतीय क्षेत्र। वहां हर गांव में चीन की नई सरकार ने सिंचाई की व्यवस्था की है। क्या किया है - हर पर्वत शिखर पर विशालकाय हौज बनाये हैं जहां वे बरसाती पानी जमा करते हैं इस प्रकार सिंचाई के समय हर गांव और हर खेत को पानी मिलता है। अगर हमारे पर्वतीय क्षेत्र में यह व्यवस्था करें तो आप अच्छा काम करेंगे नहरों से हमें कोई विशेष मोह नहीं है। आज चीन ने जो व्यवस्था की है, जो तजर्बा हासिल किया है, हमें उससे लाभ उठाना चाहिये।

श्रीमन्, मैं इस बात को दोहरा रहा हूं कि हमारे पर्वतीय क्षेत्र में केवल १४.७ प्रतिशत भूमि में खेती होती है। २५ प्रतिशत भूमि में बारह महीने बर्फ रहती है। ४८ प्रतिशत में जंगल है। और ये जंगल कैसे हैं? जैसा कि मेरे साथी शिवानन्द नौटियाल जी ने कहा, जंगलों से हमारे प्रदेश को २० करोड़ रुपया मिलता है जिसमें से १० करोड़ रुपया अकेले पर्वतीय क्षेत्र के जंगलों से मिलता है। अगर आप पर्वतीय क्षेत्र का विकास करते हैं तो वहां के लोगों को तो रोजगार मिलेगा ही उससे सारा देश वैसे ही लाभान्वित होगा जैसे जम्मू काश्मीर और हिमांचल प्रदेश के त्वरित विकास से सारा देश लाभान्वित हुआ है। श्रीमन्, दुख तो इस

[श्री नरेन्द्र सिंह]

बात का है कि जहां आज भी खेती किसानी हमारा मुख्य धन्धा है हिमाचल प्रदेश ने खेती का मोह बिलकुल छोड़ दिया है। खेतिहर भूमि के सारे रकबे पर बागवानी शुरू कर दी। जब राजा भद्री वहां उप राज्यपाल थे तो वे सैलानियों के आकर्षण के लिये आस्ट्रेलिया और कैनाडा से भांति-भांति के पक्षी और बेले वहां लाए और हर गांव में उनको पहुंचाया। मनाली हिमांचल प्रदेश में सैलानियों के लिये एक स्थान है। पंडित नेहरू जी १० वर्ष पहले वहां गये थे। उस वर्ष केवल ५६ पर्यटक वहां गये थे, लेकिन पिछले वर्ष ३५ हजार पर्यटक वहां गये। उससे स्थानीय लोगों को तो लाभ हुआ ही, सारे देश को भी लाभ हुआ पर्यटन उद्योग जोरों से पनपा। तो राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि के लिये और सुरक्षा के लिये हमारे पर्वतीय क्षेत्र का विकास कीजिए। यह हमारी मांग है इन शब्दों के साथ मैं श्री इन्द्रमणि जी के संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री हरीसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बडोनी जी ने जो संकल्प इस समय सदन के सामने प्रस्तुत किया है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं, बड़े दुख की बात है कि इस बीसवीं सदी के तीसरे चरण में भी जब कि देश आजाद हो गया और उस को आजाद हुए आज २३ वर्ष बीत गये हैं तब भी हम उसी स्थान पर हैं जहां आजादी से पहले थे।

हमारा जिला एक पर्वतीय जिला है और जो इतना पिछड़ा हुआ है कि उस पर किसी का ध्यान तक नहीं जाता। आजादी के लिये सारे देश ने और साथ ही पर्वतीय जिलों ने भी कुरबानी की है। हमारे पर्वतीय जिलों ने राष्ट्रीय आन्दोलन में सबसे प्रथम भाग लिया है लेकिन स्वराज्य के बाद जो उन्नति हुई है वह मैदानी भागों तक ही सीमित रह गई। वहां पर सड़कें और यातायात की सुविधा न होने के कारण वास्तविक स्वराज्य वहां तक नहीं पहुंच सका। इतने दिनों के बाद भी जब कि दूसरे देशों के लोग चन्द्रमा पर जा रहे हैं और उससे भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं हमारे पर्वतीय प्रदेश में पैदल चलने तक के लिये सड़कें नहीं हैं। यह और भी बहुत ही दुख की बात है और सरकार के लिये यह एक विचारणीय विषय है। यह सरकार की जिम्मेवारी है और उसको इस तरफ ध्यान देना चाहिये। हमारे इस अल्मोड़े के क्षेत्र में जो कुमायूं के चन्द्र राजाओं की राजधानी रही है, यह १०० मील लम्बा क्षेत्र पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है। डिफेंस की सुविधा के लिये एक रोड वहां से पिथौरागढ़ को जाती है वह बनाई गई है लेकिन वहां के लिये ४०–५० मील तक पैदल आदमी चलते हैं। यह अल्मोड़े का क्षेत्र पिछड़ा हुआ और गरीब क्षेत्र है, वहां कोई उद्योग धन्धे नहीं हैं। वहां पर सबसे बड़ा उद्योग फल उत्पादन का है और बड़ी कठिनाई से वह लोग मजदूरी देकर फलों को बाजार तक पहुंचा पाते हैं और उनका मूल्य उन्हें इतना नहीं मिल पाता जितना कि उनका भाड़ा लग जाता है और मजदूरी देना पड़ती है। इससे वह लोग निरुत्साह होते हैं और हतोत्साह होते हैं और इस तरह से वह मेहनत करना पसन्द नहीं करते और इस तरह से बड़ी भारी हानि होती है, इससे उस क्षेत्र की ही नहीं बल्कि सारे प्रदेश की और देश की हानि होती है।

मैदानों में सब जगह बड़े-बड़े कारखाने हैं और उद्योग धन्धे लगे हैं कारखाने चल रहे हैं जिनमें लाखों आदमी काम करते हैं लेकिन पर्वतीय प्रदेश में इन उद्योगों को लगाने की ओर कभी भी ध्यान नहीं दिया गया। हमारे क्षेत्र में और पर्वतीय प्रदेश में बड़ी मात्रा में लीसा पैदा होता है लेकिन उसकी फैक्टरी मैदान में लगी है, इसी तरह से वहां लाखों मन जड़ी बूटियां पैदा होती हैं लेकिन वे सब बाहर जाकर बिकती हैं, सेलखड़ी या सोपस्टोन के भी वहां बड़े बड़े भण्डार हैं और हजारों वर्ष तक कारखाना चल सकता है लेकिन वह भी वहां से मैदानी हिस्सों को भेज दी जाती है और वह उसका उपयोग होता है। पर्वतीय क्षेत्र में ही बहुत आसानी से यह कारखाने चलाये जा सकते हैं जिनमें इन चीजों का उपयोग किया जा सकता है। चीड़ की लकड़ी हमारे

यहां से सहारनपुर चली जाती है। हमारे यहां कारखाना न होकर दूसरे स्थानों पर बनाया जाता है। अगर हमारे यहां यह उद्योग लगाये जाते तो पर्वतीय क्षेत्र इतने गरीब और पिछड़े न होते। पंजाब की औसत आय ३१५ रुपया है और हमारे प्रदेश की २९६ रुपया है जबकि पर्वतीय प्रदेश की साल भर की औसत आय केवल १४३ रुपया ही है। हमारे देश में ५९ जिले सबसे पिछड़े हुए हैं, जिसमें से २८–२९ जिले यू० पी० के ही हैं। इसमें से बुन्देलखण्ड और प्रथम श्रेणी में पहाड़ के जिले ही अधिक पिछड़े हैं। चाहे यहां सरकार किसी की रही हो, पन्त जी की रही हो, संपूर्णानन्द जी की ही हो, गुप्ता जी की रही हो या अब चौधरी साहब की हो सब जानते हैं और यह बातें बार-बार सामने आती हैं लेकिन उधर कोई ध्यान नहीं दिया जाता।

(इस समय ३ बजकर १५ मिनट पर अधिष्ठाता श्री होती लाल अग्रवाल, पीठासीन हुए।)

हमेशा ही पहाड़ी प्रदेश को एक अपेक्षा की दृष्टि से देखा गया है। अभी कल यहां चर्चा हुई थी और उसमें कहा गया था कि हरिजनों को अछूतों की निगाह से देखा जाता है। मेरा कहना है कि केवल हरिजनों को ही नहीं बल्कि पर्वतीय प्रदेश व बुन्देलखण्ड के लोगों को भी उपेक्षा से देखा जाता है। परन्तु यदि इसी तरह की उपेक्षा जारी रही तो इससे देश का हित न होगा। शिक्षा के लिये भी बहुत से छोटे-छोटे स्कूल्स अन्य स्थानों पर खुल रहे हैं और लोगों की शिक्षा के प्रति भूखे जागृति हुई है लेकिन हमारे यहां कोई स्कूल नहीं है, न डिग्री कालेज है और न तकनीकी स्कूल ही है कि जहां गरीबों के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकें और बड़े होकर किसी तरह से अपनी गुजर बसर कर सकें। हमारे यहां जो आदमी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं वे इसलिये पढ़ाते हैं कि उनके बच्चे हाई स्कूल या मिडिल पास कर लें और मैदानी इलाकों में जाकर कमाकर हमें रुपया भेजें। श्रीमान् बहुत दिनों से इस सरकार में विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात चल रही है। यदि ऐसी ही स्थिति रही तो कुछ दिनों में शायद ये विश्वविद्यालय का नाम ही लेना भूल जायगें। सुचेता जी के समय में ३ विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात चली थी। एक मेरठ में, एक या गोरखपुर में और एक कुमायूं क्षेत्र में। गोरखपुर और मेरठ में तो विश्वविद्यालय स्थापित हो गये और अच्छे ढंग से चल रहे हैं लेकिन पर्वतीय क्षेत्र के लिये कुमायूं में विश्वविद्यालय खोलने की बात हो समाप्त जान पड़ती है। अल्मोड़ा में भी विश्वविद्यालय खोलने की बात हुई थी। गुप्ता जी ने सिद्धान्त रूप से तो मान लिया था और यह आश्वासन भी दिया था कि विश्वविद्यालय बनें, वह कहीं भी बने चाहे गढ़वाल में बने, चाहे कुमायूं में बने परन्तु उन्होंने यह भी कहा था कि सरकारी डिग्री कालेज तो हर जिले में होना चाहिये। मुझे नहीं मालूम कि अब सरकार क्या कर रही है, डिग्री कालेज के लिये भी कुछ करेगी या नहीं। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जहां जहां पर सरकार के डिग्री कालेज नहीं है, वहां वहां पर डिग्री कालिज खोले जाएं और देश की जागृति को देखते हुए हमारे पर्वतीय इलाके में वह चाहे कुमायूं में हो या गढ़वाल में हो, विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय।

मान्यवर, इस सदन के माननीय सदस्यों को सुनकर आश्चर्य होगा कि आज भी पहाड़ में पानी पंचा गांव मौजूद है। वहां पर खाने को तो मिल सकता है लेकिन पीने के लिये पानी नहीं मिल सकता है। अगर किसी के यहां पर कोई मेहमान आ जाता है तो पड़ोस से पानी ले लिया जाता है और उसके बदले में लेने वाले के यहां जब पानी आता है तो वह पानी के बदले में पानी देता है। आज भी वहां पर ऐसे भी गांव हैं जहां पर पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। मैं सिंचाई के लिये पानी की बात नहीं करता हूं मैं पीने के पानी की बात कह रहा हूं। आज हमारे देश को आजाद हुए लगभग २३ वर्ष हो चुके हैं लेकिन सरकार आज तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। हमारे इलाके बहुत गरीब हैं और पिछड़े हुए हैं। आज जहां भी सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उसका ३ / ४ हिस्सा सरकार के अधिकारियों के भत्ते और उनके टी० ए० व वेतन आदि में चला जाता है और केवल १ / ४ ही इन कामों पर लगता है। यदि इन पिछड़े हुए इलाकों की ओर, इन गरीब हिस्सों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया तो देश के लिये एक खतरा पैदा हो जायगा। अभी मेरे एक मित्र, पूर्व वक्ता, ने कहा कि वहां भी नक्सल-

[श्री हरी सिंह विष्ट]

पन्थी सक्रिय होने की बात कही जाती है, मेरा निवेदन है कि हमारा प्रदेश चीन की सीमा से मिलता है। हमें इस बात पर सोचना और समझना चाहिये कि हमारे पढ़े लिखे नौजवानों की प्रवृत्ति इस ओर न बढ़े।

यदि आसाम में मेघालय बन सकता है तो यह भी संभव हो सकता है,यद्यपि मैं इसके खिलाफ हूं, कि हमारे प्रदेश के इसी प्रकार से टुकड़े हों, लेकिन यदि यही स्थिति रही, और हमारे पूर्व के और बुन्देलखण्ड के जो पिछड़े इलाके हैं, उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया तो जब ३ लाख की जनसंख्या वाले इलाके में मेघालय बन सकता है तो लगभग ४० लाख जनसंख्या वाले पर्वतीय क्षेत्र में वह आवाज उठ सकती है, लेकिन वहां की जनता को ऐसा करने के लिये यह सरकार बाध्य न करे, यह मेरी इनसे प्रार्थना है। इन्हीं परिस्थितियों में मैं निवेदन करूंगा कि यह सौभाग्य की बात है। यहां सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्री चौधरी चरण सिंह नहीं थे। उन्हें उलाहना भी दिया गया कि चौधरी साहब यहां होते तो वहां ध्यान देते। मेरा सौभाग्य है कि वे आ गये हैं.....

श्री चरणसिंह—

मेरी बात सुन लीजिए। मैं ११ से ५ बजे तक बठूं। आपकी मर्जी जब हो तब आएं। मैं इंसान हूं। मैं क्या जा नहीं सकता ?

श्री हरी सिंह विष्ट—

मान्यवर, चौधरी जी ने बतलाया कि मैं ११ से ५ बजे तक नहीं बैठ सकता हूं। चाहे वे यहां रहें चाहे वे अपने कार्यालय में रहें इस सदन के नेता होने के नाते, यहां के मुख्य मंत्री होने के नाते उनकी पूरी जिम्मेदारी है, हमारा उलाहना पहुंचाना सही है। हमें भी इसका अधिकार है। उसकी जिम्मेदारी उन पर है। तो मैं निवेदन करूंगा कि विशेषकर हमारे पर्वतीय जिलों पर और पूर्वी जिलों पर विशेष ध्यान देकर वहां की समस्याओं को शीघ्र सुलझाने की कृपा करें। आज यह कहा जाता है कि बाम्बे प्लान के अनुसार प्रत्येक जिले को सौ मील लम्बी सड़कें दी जा रही है। सबसे पहले स्वराज्य उन्हीं जिलों को मिला है जहां सड़कें, कारखाने, विश्वविद्यालय बने हैं, वहां हमारे हिस्से कुछ भी नहीं आया। जहां सौ मील सड़कें पहले थीं, हमारे जिले में पांच मील भी नहीं थीं। अगर हमारे यहां आप पांच मील और देते हैं इस समय तो वहां मैदानी हिस्सों में १०५ मील हो जायेगी और हमारे यहां १५ मील ही होगी। हमारे यहां का क्षेत्र पिछड़ा होने की वजह से वहां ध्यान दिया जाय। पहाड़ी इलाकों में भी कम से कम वही सुविधा पहुंचानी होगी जो मैदानी इलाकों में दी जा रही है।

*श्री भवन मोहन मिश्रा (जिला रायबरेली)—

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। मैं श्री मणि द्वारा जो यह संकल्प प्रस्तुत किया गया है कि "उत्तर प्रदेश विधान सभा का यह निश्चित मत है कि सरकार उत्तर प्रदेश के पिछड़े हुए भू-भागों, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुन्देलखण्ड और पहाड़ी क्षेत्र के विकास हेतु चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत धनराशि उसी आधार पर उपलब्ध करें जिस आधार पर केंद्रीय वित्त आयोग ने उत्तर प्रदेश को प्रदान किया है।" इसीके संदर्भ में मैं यह मांग करता हूं कि मध्यवर्ती उत्तर प्रदेश जिसमें यह विधान भवन स्थित है की बात करने वाला कोई नहीं है। पहाड़ों की बात हुई, पश्चिमी जिलों की बात हुई, पूर्वी जिलों की बात हुई लेकिन मध्यवर्ती उत्तर प्रदेश पर किसी को दया या तरस नहीं है। पता नहीं क्या भाग्य लेकर हम पैदा हुए हैं। हमारे ऊपर किसी को दया नहीं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिये पटेल आयोग की नियुक्ति की गई उसने कहा कि बाईस साल पिछड़े हुए हैं। लेकिन जब बात आयेगी तबसुल्तानपुर और प्रतापगढ़

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के बाद के कि जिलों से शुरू होगी। गरीब जितने हैं सभी गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर और देवरिया की तरफ हैं। मैं चाहता हूं कि उनका उत्थान हो। पश्चिमी जिले पहले से ही अपना विकास किये हुए हैं और जब कभी उनको मौका लगता है...

श्री इन्द्रमणी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

माननीय सदस्य को मैं सूचना देना चाहता हूं। इन्होंने यह आक्षेप लगाया है कि इस संकल्प में मध्य का सवाल ही नहीं है। इसलिये यह बात साफ हो जानी चाहिये। बुन्देलखण्ड वाले रीजन सेंट्रल जोन में हैं।

श्री अधिष्ठाता—

आप पर तो उसका कोई भार नहीं है।

श्री मदनमोहन मिश्रा—

ये बुन्देलखण्ड में दूसरे आते हैं। मध्य यू० पी० में रायबरेली, उन्नाव, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, शाहजहांपुर, ये जो दस-बारह जिले हैं इनकी तरफ कोई देखने वाला ही नहीं है।

(इस समय ३ बजकर २५ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

पता नहीं कब हम लोगों की तरफ कोई देखेगा। पूर्व पश्चिम वालों से जब कुछ जूठन बच जाती है तो वह हमारे लिये मिल जाती है। क्या हमारे यहां किसी चीज की जरूरत नहीं है। मान्यवर, आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा योगदान हमारे राय बरेली के आदमियों ने दिया है। हमारे राय बरेली के राणा बेनीमाधो की बहादुरी को कौन नहीं जानता जिसकी तलवार कभी भी अंग्रेजों के सामने नहीं झुकी। उनकी कुरबानी को कौन नहीं जानता। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे मध्यवर्तीय उत्तर प्रदेश के जो थोड़े से इलाके हैं उनकी ओर भी ध्यान देने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष—

जो संकल्प है उसी तक अपने को सीमित रखिए। इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुन्देलखण्ड और पहाड़ी क्षेत्र आता है।

श्री मदनमोहन मिश्रा—

उससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। हमारा सेन्ट्रल उत्तर प्रदेश भी उसमें आना चाहिये। हमारे कन्धों के ऊपर लटक कर दूसरे फायदा उठाएं और हमें उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाय यह कहां तक न्याय संगत है? यूं तो पूरा उत्तर प्रदेश ही पिछड़ा हुआ है। हिन्दुस्तान के किसी भी हिस्से के लोगों को जब तबियत आती है भाग कर हमारे यहां चला आता है, यहां आकर फायदा उठाता है और फिर कहीं और चला जाता है। लेकिन बरबाद किया जाता है उत्तर प्रदेश को। पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में पटेल आयोग की नियुक्त की गई, मैं चाहता हूं कि रीजन वाइज आयोग की नियुक्ति होना चाहिये जो सही स्थित की जांच करके अपनी रिपोर्ट दे। मैं रायबरेली जिले का रहने वाला हूं और निश्चय ही मेरा झुकाव अपने जिले के लिये है। वह जिला बहुत पिछड़ा हुआ है। आजादी की लड़ाई में उसका एक महत्वपूर्ण कन्ट्रीब्यूशन रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे राय बरेली की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दें।

मैं अपने जिले की कुछ महत्वपूर्ण सड़कों के बारे में, जिनके बारे में पहले भी मैं कह चुका हूं, सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

रायबरेली—फजाबाद, रायबरेली—डलमऊ आदि सड़कें हैं,

श्री उपाध्यक्ष—

जब आप बोल रहे हैं तो दूसरे जिले के लोग भी बोलने का हक रखेंगे। इसलिये आप अपने को सीमित रखिये। यह जो विषय है पूर्वी क्षेत्र आदि का उसी तक आप अपने को सीमित रखिये या आप अगर इसकी परिधि को बढ़ायेंगे तो मन्तव्य इस संकल्प का खत्म हो जाता

[श्री उपाध्यक्ष]

है। यह जो विशिष्ट संकल्प है वह पूर्वी उत्तर प्रदेश और पहाड़ी क्षेत्र, और बुन्देलखंड के बारे में है। यह जो संकल्प तीन के बारे में, इसकी परिधि में अन्य जिले को लाना ठीक नहीं है। रायबरेली के बारे में आप कहेंगे, तो प्रतापगढ़ के बारे में कोई कहेगा। इस प्रकार से आप आमूल-चूल परिवर्तन करना चाहें संशोधन रूप में तो यह उचित नहीं है।

श्री मदन मोहन मिश्रा--

यह जो प्रस्ताव है कि उत्तर प्रदेश के पिछड़े हुए भू-भागों, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुन्देलखंड और पहाड़ी क्षेत्र के विकास हेतु चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत धनराशि उसी आधार पर उपलब्ध करें जिस आधार पर केन्द्रीय वित्त आयोग ने उत्तर प्रदेश को प्रदान किया है, इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि जो केन्द्रीय सरकार ने यहां के लिए पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत धन प्रदान किया है, वह कम है उसमें बढ़ोत्तरी होनी चाहिये। मेरा निश्चित मत है कि जितना धन केन्द्रीय सरकार ने यहां के लिए उपलब्ध करवाया है वह नाकाफी है। जरूरत से बहुत कम है, उसमें बढ़ोत्तरी होनी चाहिये, तभी यहां का विकास हो सकता है।

एक सुझाव और देना चाहता हूं इरीगेशन और पावर के बारे में। आबादी और आवश्यकता के हिसाब से यहां पर बिजली शक्ति का अभी तक विकास नहीं हो पाया है। इसलिए मेरा सुझाव है कि यहां पर एटामिक एनर्जी का प्रयोग होना चाहिये। कानपुर में यदि एटामिक एनर्जी से एलेक्ट्रिक सप्लाई की जाए तो हमें बहुत लाभ हो सकता है। उद्योग अधिक से अधिक खोले जा सकते हैं और सेना के कामों में उस शक्ति का इस्तेमाल हो सकता है इस शक्ति के उपलब्ध होने से जो समय-समय पर बिजली चली जाती है, लाइन कट जाती है ये सारी समस्यायें समाप्त हो जाएंगी। बहुत सी बिजली सीधे पश्चिमी जिलों की तरफ चली गई है। जिसका नतीजा यह है कि उसका यहां के जिले नहीं लाभ उठा पाते हैं। तो अगर एटामिक एनर्जी का सहारा लिया जाए तो मेरा यह विश्वास है कि बिजली की समस्या बहुत कुछ हल हो सकती है और यह हल हो जाएगी तो यहां के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा सहारा और सहयोग मिलेगा। यहां पर एक रोहताश इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी चल रही है, उसको जो सरकारी लोन और शेयर दिया गया है, वह बेकार है, उनका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। क्योंकि वह ठीक ढंग से अपना काम नहीं कर रहे हैं, बिजली ठीक सप्लाई नहीं कर रहे हैं।

इसके साथ-साथ उसके जो प्रोपराइटर साहब हैं श्री दयाल, जो कि शान्ति प्रसाद जैन के सम्बन्धी हैं बहुत बड़े इन्डस्ट्रिलिस्ट हैं। ये बड़े-बड़े पूंजीपति सांठगांठ करके जनता का शोषण कर रहे हैं, उनके कुकर्मों का फल गरीब आदमियों को भोगना पड़ रहा है। यहां के विकास के लिए मैं आप से कहना चाहता हूं कि जैसे पहले बिजली वाले पंपिंग सेट्स पर २५ परसेन्ट और डीजल वाले पंपिंग सेट्स पर ५० प्रतिशत छूट दी जाती थी, जो कि अब खत्म कर दी गई है जिसे संविद सरकार के समय में बन्द कर दिया गया था, यह छूट देना पुनः प्रारम्भ करना चाहिए। इसके बिना किसानों को कल्याण नहीं हो सकता है। अब यह इन्डीकेट और बी० के० डी० की जो मिलीजुली सरकार चल रही है, जिससे लोगों को नई प्रेरणा मिली है किसान आशाभरी दृष्टि से देख रहा है उसको सुविधा दी जायगी। साथ ही यू० पी० के डेवलपमेंट के लिए हम को सिंचाई की सुविधाएं मिलनी चाहिये। किसानों में ८० फीसदी लोग गरीब हैं, छोटी छोटी बोतें हैं, न पम्पिंग सेट लगवा सकते हैं, न कुएं खुदवा सकते हैं। इसलिये स्टेट ट्यूबवेल्स होने चाहिये जिससे वे आसानी से पानी पा सकें और अपने खेतों को ठीक समय पर पानी दे सकें। उनको जो पानी देने की कीमत देनी पड़ रही है वह भी कम पड़े। लिफ्ट इरीगेशन स्कीम्स में जो पम्प कैनाल्स बनाये जा रहे है उनकी सिंचाई दर बहुत अधिक है। इनकी सिंचाई दरें वही होनी चाहिये जो नहर की सिंचाई दरें हैं। मैं माननीय सिंचाई मंत्री से प्रार्थना करूंगा, वह बातों में लगे हुए हैं, वह सुन ही नहीं रहे हैं, वर्मा जी, मैं खास तौर से आप से प्रार्थना करता हूं कि जो पम्प कैनाल बनाये जाते हैं, उनका रेट किसानों की रीढ़ की हड्डी तोड़ रहा है। मेरी आप से प्रार्थना है कि आप स्टेट ट्यूबवेल्स दीजिये और जो पानी दियाजाता है उसका रेट वही होना चाहिये जो नहर के पानी का रेट होता है। गांवों में बहुत ही त्राहि-त्राहि मची हुई है।

यू० पी० का डेवलपमेंट तब हो सकता है, और जो संकल्प है इसकी मंशा तब पूरी होगी जब यहां हैवी इंडस्ट्रीज लगायी जायं। आप बंगाल की तरफ नजर उठाइये। बंगाल में सनसनी फैली हुई है, बंगाल का पूंजीपति भाग रहा है। आप उनको आकर्षक शर्तें दीजिये जिससे वे अपनी पूंजी लगाकर यू० पी० में बड़े-बड़े कारखाने खोलें। इससे दो फायदे होंगे—एकतो आपका विकास होगा अर्थ में, आप अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे। दूसरे जो हजारों लाखों आदमी प्रदेश का बाहर जा कर कहीं पान बेचता है, कहीं फेरी लगाता है, बम्बई या कलकत्ते या दूसरे सूबों में उसकी दयनीय दशा है, उसको एक्सप्लायट किया जाता है, दिन भर काम करने के बाद उसको दो रुपये दिये जाते हैं, वह यू० पी० के अन्दर टी० बी० ले कर आता है, खाज में कोढ़ पैदा होता है, कम से कम वह दूर हो। अगर यहां पर हैवी इंडस्ट्रीज लगेंगी तो इससे बहुत कुछ यू० पी० उन्नति करेगा और वह उन्नतिशील सूबों के स्तर पर आ सकेगा।

श्री भाभी (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, इंद्रमणी जी ने जो संकल्प उत्तर प्रदेश के पिछड़े हुए भू-भागों, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के बारे में पेश किया है उसके सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना है। पहाड़ी क्षेत्र के बारे में हमारे बहुत से विधायकों ने सुझाव दिये है। मैं पूर्वी जिले के बारे में विशेष सुझाव देना चाहता हूं। पूर्वी जिले उत्तर प्रदेश के गरीब जिले हैं। पूर्वी जिले के लोगों को लोग गरीब कहा करते हैं। और पूर्वी जिले में आजमगढ़ जिला जो है सबसे गरीब जिला है। वहां की जनसंख्या ज्यादा है और वहां पर इतने गरीब लोग हैं जिनमें ८० फीसदी पिछड़े लोग हरिजन एवं बुनकर हैं जिनके पास न खेती के लिये जमीन है, न कोई नौकरी है और न कोई उद्योग-धन्धा है। वहां पर सिंचाई के साधन ही कम हैं और मुख्य मंत्री महोदय वहां के एक-एक चप्पे से जानकार हैं। वहां पर छोटे-छोटे किसान अलाभकर जोत के हैं। वे स्वयं अपनी सिंचाई की व्यवथा नहीं कर पाते हैं। उनक पास न कोई अन्य आमदनी के जरिये हैं जिनसे वह सिंचाई की व्यवस्था कर सकें। यही नहीं, आजमगढ़ के अलावा गाजीपुर, बलिया तथा गोरखपुर में भी अधिकांशतः छोटे-छोटे किसान हैं जिनके पास अपनी सिंचाई के कोई साधन नहीं हैं, उनके लिये सरकार को सुचारु रूप से सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिये। ऐसी हालत में सिंचाई के साधन न होने के कारण बड़े किसानों के मुकाबले उनका उत्पादन भी कम होता है। आजमगढ़ जिले में छोटे-छोटे ५, ६ किसान कर्जा ले कर ट्यूबवेल की बोरिंग कराये हुए हैं लेकिन दो साल हो चुके उनको लाइन नहीं मिल सकी। बड़ा किसान रिश्वत दे कर फौरन बिजली का कनेक्शन पा जाता है और उसको लाइन पहले मिल जाती है। छोटे किसान से कह दिया जाता है कि पावर की बड़ी कमी है। आजमगढ़ जिले में ८० फीसदी जनता की हालत यह है कि उसको भरपेट भोजन नहीं मिलता, पहनने को पूरा कपड़ा नहीं मिलता, न रहने के लिये उसके पास मकान है, न बच्चों के लिये स्कूल है और अगर बीमार पड़ जायं तो उनका इलाज भी नहीं हो पाता है। खेती के उत्पादन को बढ़ाने के लिये पूर्वी जिलों में सिंचाई की सुचारु रूप से व्यवस्था होनी चाहिये और इसके लिये चाहे केन्द्र की सरकार हो अथवा प्रदेश की सरकार हो उसको धन की अधिक व्यवस्था करनी चाहिये।

स्कूलों की हालत आजमगढ़ में यह है कि अगर पानी बरसने लगता है तो स्कूल की छुट्टी हो जाती है क्योंकि बच्चे पेड़ों के नीचे पढ़ते हैं स्कूल की इमारत न होने के कारण। वहां स्कूलों के लिये भवन निर्माण होना नितान्त आवश्यक है। शिक्षा के क्षेत्र में वह बहुत पिछड़ा हुआ है।

सड़कों की हालत यह है कि श्रमदान से अथवा टेस्ट वर्क्स के जरिये जो सड़कें बनाई भी जाती हैं वे बरसात में बराबर हो जाती हैं। सड़कों की व्यवस्था होना अनिवार्य है ताकि आने-जाने के साधन सुलभ हो सकें।

एक निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि वहां कुछ व्यक्ति जैसे मुसहर जाति के लोग हैं हरिजनों को विशेष सुविधा दी जाय। हमारे आजमगढ़ जिले के जो डोम एवं मुसहर जाति

[श्री भामी—]

के लोग हैं उनकी हालत बहुत ही खराब है । फेंके हुए अनाज के जूठे दानों को वे इकट्ठा करते हैं और उसको सुखाते हैं और उसे खाते हैं । इस प्रकार ३–४ दिन तक वे इन जूठे दानों पर रहते हैं । श्रीमन्, बड़े दुःख की बात है कि इस प्रकार के लोग हमारे पूर्वी जिले आजमगढ़ में हैं । श्रीमन्, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है और इसे कोई गलत साबित नहीं कर सकता है । पशु जो अनाज के दाने खाते हैं और गोबर वे करते हैं तथा उनमें जो अनाज के दाने निकलते हैं उसको हमारे आजमगढ़ के लोग सुखा–सुखा कर खाते हैं । पहले हमारे जिले के लोग महुए पर अपनी गुजर करते थे । किन्तु अब वह भी नहीं मिलता है उसकी भी कभी हो गई है ताकि वे कुछ दिन तक उसी में गुजर कर लें । आजमगढ़ के जो बुनकर लोग हैं विशेषकर बलिया, देवरिया और गोरखपुर में हैं उनके लिये सरकार की तरफ से सहायता मिलनी चाहिये । वहां इस प्रकार के उद्योग-धन्धे स्थापित होने चाहिये ताकि उनकी आमदनी का जरिया बढ़ सके । श्रीमन्, आजमगढ़ जिले के जो ३/४ लोग हैं वे भूमिहीन, बुनकर एवं पिछड़े हुए हैं । ८० प्रतिशत लोग हरिजन हैं । उनके पास न तो जमीन है, न उनके पास कोई नौकरी है, न उनके पास कोई उद्योग-धन्धा है । छोटे-छोटी मजदूरी लोग करते हैं । आजमगढ़ के लोग कलकत्ता और बम्बई में नौकरी के लिए जाते है, दूसरे शहरों में जाते हैं किन्तु उनको कहीं रोजी-रोटी नहीं मिलती है और वे मजबूर होकर वापस आते हैं । कर्ज लेकर जाते हैं और वहां से ठोकर खाकर वापस आ जाते हैं ।

मैं निवेदन करना चाहता था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की हालत बहुत ही खराब है । वहां उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिये । बच्चों की पढ़ाई के लिए वहां स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिये । श्रीमन्, सिंचाई के बारे में छोटे-छोटे जो काश्तकार हैं अगर आप उन्हें ट्यूबवेल न दें सकें तो अलाभकर जोतों के जो छोटे-छोटे किसान हैं जैसे कि पटेल आयोग ने सुविधा दी थी, वह सुविधा उन्हें दी जानी चाहिये । जो छूट सरकार की तरफ से ट्यूबवेल, बिजली और निर्माण-कार्यों के लिए रहती है, श्रीमन्, इस जिले में अभी उसकी आवश्यकता है । यह जो संकल्प है इसकी जितनी सराहना की जाय उतनी ही कम है । तो श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि जो सरकारी पक्ष के लोग हैं और विरोधी पक्ष के लोग हैं सब एक मत होकर इस संकल्प पर विचार करें । अतः इस पर सदन का अधिक समय न लेकर मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सभी लोग इस पर एक मत से सोचें । इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*कुंवर चन्द्र प्रताप नारायन सिंह (जिला देवरिया)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संकल्प का समर्थन करते हुये यह निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ जरूर है किन्तु इसका कारण सरकार पर ही नहीं छोड़ना चाहिये । मैं सोचता हूं कि वहां से जो लोग यहां चुन कर आते हैं वे अगर कायदे से अपने क्षेत्र की त्रुटियों पर विचार नहीं करते हैं, उस पर जोर नहीं डालते हैं तब तक हमारा कार्य ठीक नहीं होगा । पश्चिम की बात कही जाती है कि वह आगे बढ़ गये हैं । उसका एक कारण है कि वहां के प्रतिनिधियों ने मेहनत की है और अपने यहां कार्य करवाये हैं इसलिए वह आगे बढ़ गये हैं । पूर्वी क्षेत्रों की समस्या जरूर है । एक उदाहरण म आप क सामन पेश करना चाहता हूं । उद्योग कमेटी का सदस्य होने के नाते यह बात मेरे सामने आयी कि पटेल आयोग ने यह सिफारिश की थी कि पूर्वी जिलों के विकास के लिए देवरिया में एक पेपर मिल बैठायी जाय क्योंकि वहां पर १४ गन्ने की मिलें हैं जिसकी खोई से कागज तैयार कराया जा सकता है । उद्योग कमेटी में जब मैंने इस बात को उठाया तो मुझे ऐसा जवाब मिला जिसको सुनकर हंसी आती है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मुझे बताया गया कि वह नहीं लग सकती । मैंने जब उसका कारण पूछा तो चारन साहब ने कहा कि पटेल आयोग के द्वारा तो इसकी सिफारिश की गयी थी लेकिन इस बारे में प्रदेश ने भी एक आयोग बैठाया उसने रिपोर्ट दी है कि यहां पर कागज का प्लान्ट नहीं लगाया जा सकता। यहां के विकास के लिये जब गंडक प्रोजेक्ट बन जायगा तब योजना बनायी जायगी । यानी सन् ७२ में गंडक प्रोजेक्ट तैयार होता तब वहां ऐग्रो-इन्डस्ट्रियल काम्प्लेक्स बैठाया जायगा । जब पूछा गया कि उसमें क्या होगा तो कहा गया फलों की इन्डस्ट्री बैठायी जायगी । मैं सरकार को बता देना चाहता हूं कि हमारे यहां कटहल और आम के सिवाय और कोई फल नहीं होता है । अगर इसकी फैक्ट्री लगायी गयी तो वह केवल २ महीने चल पायेगी । इससे हमारी आर्थिक सहायता किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती ।

यह बात भी बहुत कही जाती है कि भूमि को बांट कर वहां की गरीबी को दूर किया जाय लेकिन मेरा विचार है कि जमीन को बांटकर वहां की गरीबी को किसी भी प्रकार से दूर नहीं किया जा सकता । वहां छोटे-छोट कुटीर उद्योगों स ही गरीबी मिटाई जा सकती है, जिसके लिये पावर की अत्यन्त आवश्यकता है । कुछ सड़कों और कुछ शहरों में बत्ती लगा दी गयी है लेकिन उन स्थानों में बिजली नहीं है जहां पर कुटीर उद्योग पनप सकते हैं । हमारे यहां एक गांव में कपड़े का बहुत सा काम होता है वहां अगर बिजली आ जाय तो पावर लूम लगाये जा सकते हैं और वहां के लोगों को बहुत-सा काम मिल सकता है ।

खेतिहर लोगों का काम भी खेती से पूरी नही चल सकता, जब तक कि अपने जीवन निर्वाह के लिए वे मजदूरी न करें । यह समस्या भी कुटीर उद्योगों से हल हो सकती है ।

मेरा एक सुझाव यह भी है कि सड़कों को बढ़ाया जाना चाहिये । मुझे बताया गया कि देवरिया जिले में ८० फीसदी सड़कें बन चुकी हैं । लेकिन जनसंख्या के हिसाब से देखा जाय तो अभी वहां सड़कें बहुत कम हैं । जिलेवार सड़कों को नहीं देखा जाना चाहिये बल्कि यह देखना चाहिये कि वहां आबादी कितनी है । जब तक आबादी के हिसाब से आंकड़े नहीं बनाये जायेंगे तब तक हमारे यहां सड़कें पूरी तरह से नहीं बन सकतीं । किसी क्षेत्र के विकास के लिए क्या चाहिये ? कम्युनिकेशन और पावर । जबतक हमको ये दोनों चीजें नहीं मिलेंगी तब तक हमारे पिछड़े हुये क्षेत्र आगे नहीं बढ़ सकते । पिछले बीस वर्षों से बहुत से विधायकों ने पिछड़े क्षेत्रों की समस्या पेश की लेकिन उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्य मंत्री जी अब उस तरफ ध्यान देंगे । एलेक्शन के जमाने में जब वह हमारे क्षेत्र में आये थे, मैं भी उनके साथ था, तो वह एक गांव में उतरे जो रास्ते में पड़ता था। तो उनके मुंह से पहली बात यही निकली कि यहां तो सब छप्पर के घर हैं गांव जरूर बड़ा है लेकिन छप्पर के घरों की सख्या अधिक है । मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्य मंत्री जी समझ गये कि यह गरीबी सिर्फ जमीन देने से ही नहीं दूर होगी बल्कि वहां छोटे-छोटे उद्योग और नौकरी देने से ही गरीबी दूर होगी । एक फर्टिलाइजर प्लांट गोरखपुर में बिठा दिया गया । इससे कितने लोगों को मजदूरी मिल गयी ? मेरा विश्वास तो यह है कि बड़े-बड़े उद्योग लगाने से कुछ लोगों को मजदूरी जरूर मिल जायगी लेकिन तब भी वहां की पापुलेशन के हिसाब से परिस्थिति ठीक नहीं हो सकेगी । लिहाजा वहां कुटीर उद्योगों का निर्माण किया जाय और उसमें मेरा नम्र निवेदन यही है कि बिजली का प्रबन्ध किया जाय ।

एक और समस्या है । आजादी के बाद एक चीज में जरूर बहुत विकास हुआ कि गांव-गांव में स्कूल खुल गये लेकिन वही लड़के नौकरी के लिये लखनऊ और पंजाब तक जाते हैं । उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है लिहाजा हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट से आगे वह पढ़ ही नहीं सकते । कहा जाता है कि आज बी०ए० पढ़कर लोग चपरासीगीरी कर रहे हैं । तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को आजादी के बाद शिक्षा तो गवर्नमेंट ने दी लेकिन पूर्ण शिक्षा नहीं दी । अब वह खेत में जाकर काम नहीं करना चाहते, उनको नौकरी चाहिये और नौकरी बाहर मिलेगी । लेकिन कम्पिटीशन में वह दूसरे लड़कों के मुकाबले में कम्पीट नहीं कर पाते । इसलिये मैं

[कुंवर बज्र प्रताप नारायन सिंह---]

मुख्य मंत्री जी से यह भी कहूंगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लड़कों के लिये कुछ ऐसा प्रबन्ध हो जाय कि कम्पटीशन में उन के लिये कुछ जगहें रिजर्व हो जायं ताकि उनको नौकरी मिलन में आसानी हो ।

ज्यादा न कह कर एक चीज में फिर यही कहना चाहता हूं कि हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन के बारे में सब लोग कहते रहे लेकिन इस दृष्टि से उन्होंने नहीं सोचा कि हम उसके लिये क्या करें। अगर हम एक हो कर सरकार से कहें कि हमारे लिये यह यह चीजें होनी चाहिये तो मुझे विश्वास है कि वह होंगी। इसलिए मेरा नम्र निवेदन यह भी है उधर के विधायकों से कि अगर वह मिलजुल कर कोई योजना बनायें जिस हम अपने मुख्य मंत्री जी से कह सकें तो हमें उसमें कामयाबी होगी ।

*श्री रामचरण (जिला इलाहाबाद)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे दो मिनट का समय बोलने का दिया। सही बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा ही क्यों बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है लेकिन विशेषतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश इसलिये ज्यादा पिछड़ा हुआ है कि वहां पर न तो कोई यातायात के साधन हैं, न कोई बड़ी इंडस्ट्री है और न कोई ऐसी सिंचाई की योजना है जिससे वहां के लोग तरक्की कर सकें। अभी सरकार बनने के पहले इंदिरा जी ने दोष लगाया उत्तर प्रदेश के मंत्रियों पर....

श्री उपाध्यक्ष---

अब दूसरा काम होगा, उसके बाद आप जारी रखेंगे ।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष---

नियम ५१ में प्राप्त ध्यान अकार्षण प्रस्तावों का विवरण में आपके समक्ष रख रहा हूं---

माननीय उमाशंकर शुक्ला ने "शाहजहांपुर में सस्ते गल्ले की दूकानों में थोक विक्रेताओं के माध्यम से जिला पूर्ति अधिकारी ने सड़ा, पुराना आटा बेचने के मौखिक आदेश दिये हैं जिसके कारण सस्ते गल्ले के दूकानदारों में असंतोष है।" दिया है माननीय अध्यक्ष ने इसे स्वीकार नहीं किया ।

माननीय शिव प्रसाद पांडिया तथा अन्य सदस्यगण ने "हाई कोर्ट के फैसले के कारण यू० पी० पोस्टल प्राइमरी कोआपरेटिव बैंक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का कामकाज २२-४-७० से ठप्प है। रजिस्ट्रार सरकारी समितियां उ० प्र० ने अभी तक बैंक में प्रशासक की नियुक्ति नहीं की है जिससे जनता व सदस्यों में भारी कष्ट है।" यह दिया है, इसको भी माननीय अध्यक्ष ने स्वीकार नहीं किया ।

माननीय रूपनाथ सिंह यादव का इस प्रकार है-"इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पुस्तकालय भवन में पंखे, पानी तथा फर्नीचर आदि का प्रबन्ध न होने तथा अध्यापकों में गुटबन्दी के कारण छात्रों एवं अध्यापकों के बीच तनाव होने की संभावना है"। उसको भी स्वीकार नहीं किया।

शेष जो स्वीकार किये हैं वे हैं---एक माननीय रामधारी शास्त्री तथा अन्य सदस्यगण द्वारा "गोरखपुर फर्टीलाइजर फैक्टरी में १-५-१९७० को मजदूर यूनियन के नेता श्री किस्टो सिंह की गुंडों द्वारा हत्या के कारण औद्योगिक अशान्ति की आशंका" से संबंधित है, उसको

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

स्वीकार किया है।' दूसरा मा० भानुप्रताप सिंह तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम आदि ने "बरेली में एक रबड़ फैक्टरी के लिए जरूरत से ज्यादा भूमि अधिगृहीत की गयी, बाद में शासन ने आदेश दिया कि अतिरिक्त और अनावश्यक भूमि को पुनः किसानों को लौटा दिया जाय परन्तु यह नहीं हुआ जिसके कारण किसानों में क्षोभ है—अन्देशा है कि १५ मई, १९७० के बाद वे लोग उक्त भूमि पर कब्जा करें।" यह दिया है, इसको स्वीकार किया है वक्तव्य के लिए।

शेष केवल प्रश्न के लिए है। जैसे मा० उमाशंकर शुक्ला हैं, माननीय शिव प्रसाद पांडिया, ये प्रश्न पूछ सकते हैं। इसी प्रकार बजट की बहस में मा० रूपनाथ सिंह यादव इस प्रश्न को उठा सकते हैं। वैसे ही माननीय रामधारी शास्त्री का जो व्यक्तिगत मामला है—पिस्तौल से गोली मार कर हत्या की गयी है—यह मंत्री जी को कार्यवाही के लिये भेज दिया गया। वह स्वीकार नहीं किया गया, उसके बारे में आप प्रश्न कर सकते हैं और चिट्ठ लिख सकते हैं। दो स्वीकृत हुए हैं जिन पर वक्तव्य दिये जायेंगे। कल सूचना दी जायगी। मंत्री जी के पास सूचना भेज दी गयी और वह सूचचनाएं लेकर कल वक्तव्य दे देंगे।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

मैंने दफा ३०० के अन्तर्गत एक औचित्य के प्रश्न की सूचना दी थी, वह शायद श्रीमन् को पहुंच गयी होगी। बहुत पहले ही दे दिया था जब सदन की कार्यवाही प्रारंभ हो रही थी। उसमें यह था, यह व्यवस्था से संबंधित था कि २८-४-७० को···

श्री उपाध्यक्ष—

अभी इस पर निर्णय नहीं हुआ है।

श्री रामधारी शास्त्री—

आम नियम की ओर ध्यान दें। नियम ३०० में हमने औचित्य का प्रश्न उठाया है। जिसमें यह है कि २८-४-७० को···

श्री उपाध्यक्ष—

आपने औचित्य के प्रश्न पर जो दिया है वह विचाराधीन है। इसलिये इसको अभी क्यों उठा रहे हैं ?

श्री रामधारी शास्त्री—

यह प्रश्न दो मद के बीच कभी उठाया जा सकता है। नियम ३०० की उपधारा (२) को देखें जिसमें लिखा हुआ है कि औचित्य प्रश्न तत्समय सदन के समक्ष कार्य के संबंध में उठाया जा सकेगा। परन्तु अध्यक्ष किसी सदस्य को कार्य की एक मद समाप्त होने और दूसरी प्रारम्भ होने के बीच की अन्तरावधि में औचित्य प्रश्न उठाने की अनुमति दे सकेंगे यदि वह सदन में व्यवस्था बनाये रखने या सदन के समक्ष कार्यविन्यास के संबंध में हो। तो इसको देख लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर अभी मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मेरी सूचना में नहीं है। श्री अध्यक्ष की सूचना में होगा।

श्री तिरमल सिंह (जिला एटा)—

कल मैंने नियम ५२ के अन्तर्गत एक प्रस्ताव दिया था जो रात में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्मारक तोड़ने के सम्बन्ध में था। उस पर क्या निर्णय हुआ मैं जानना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

वह अभी विचाराधीन है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

मान्यवर, यू० पी० कोआपरेटिव पोस्टल बैंक के बारे में आपका ध्यान आकर्षित किया था कि २२-४-७० से बैंक का सारा काम बन्द है। आप समझ सकते हैं कि वहां लोगों को कितनी तकलीफ होगी। अब वह मंत्री जी की नोटिस में आ गया है। अगर कोई प्रबंधक नियुक्त कर दें तो काम आसान हो जाय और बैंक चलने लगे।

श्री उपाध्यक्ष---

यह नियुक्ति का प्रश्न है। जो सूचनायें मेरे पास हैं उनमें आपका प्वाइन्ट नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

वह पांडिया जी का है।

श्री उपाध्यक्ष---

आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अल्पसूचित प्रश्न कर दें। मंत्री जी उसका जवाब दे देंगे।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

अल्प सूचना का प्रश्न पहले से पड़ा था और उसमें देर हो रही थी और लोगों को परेशानी थी इसलिये नियम का सहारा लिया गया।

श्री उपाध्यक्ष---

आपने ध्यान आकर्षित कर दिया और मंत्रीजी अपना कर्त्तव्य जानते हैं।

उत्तर प्रदेश के पिछड़े भू-भागों के विकास के लिये धनराशि उपलब्ध करने के सम्बन्ध में संकल्प---(क्रमागत)

*श्री रामचरण (जिला इलाहाबाद)---

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि इंदिरा जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री जी के अकर्मण्यता के कारण पिछड़ा रहा और माननीय गुप्ता जी ने कहा कि केन्द्र की वजह से उत्तर प्रदेश पिछड़ा रहा है। मतलब यह है कि यह अपने आप सिद्ध हो गया कि उत्तर प्रदेश पूरे हिन्दुस्तान में सबसे पिछड़ा प्रदेश रहा। जिस प्रकार जियोमेट्री में सिद्ध हो जाता है कि तीनो कोणों का का योग २ समकोंण के बराबर होता है उसी तरह से गुप्ता जी और इंदिरा जी के बयान से सिद्ध हो गया कि उत्तर प्रदेश सारे प्रदेशों से पिछड़ा हुआ प्रान्त है। एक संकल्प जो पूर्वी जिलों के बारे में रखा गया है उसके सिलसिले में मैं मान्यवर, प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले न होते तो पटेल आयोग बैठाने की आवश्यकता न होती। उस पटेल कमीशन के बैठाने का तात्पर्य यह हुआ और परिणाम यह हुआ कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा, बुन्देलखंड पहाड़ी हिस्सा और जो अन्य हिस्सों से मिले हैं इधर बिहार से मिले हैं उधर मध्य प्रदेश से मिले हैं इन जिलों में बहुत कम तरक्की हो पाई है। वैसे तो पंचवर्षीय योजनाओं के बनाने वालों ने माना है कि पंचवर्षीय योजनायें असफल रही है और असफलता का कारण भी उन्होंने बताया है लेकिन उत्तर प्रदेश में ये योजनायें विशेषकर इसलिए असफल रहीं कि जो माननीय मंत्रीगण रहे और मुख्य मंत्री रहे उन्होंने इस प्रान्त की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इसकी तरक्की की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पूर्वी जिलों की यह हालत है कि वहां पीन के लिए पानी नहीं मिलता, खाने के लिए अन्न नहीं मिलता है जैसा अभी माननीय भामी यादव ने बताया वहां के लोग बैलों के गोबर से दाने निकाल कर सुखाकर खाते

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं। और मान्यवर, आप क्षमा करें, दिल्ली में ढाई करोड़ रुपये का नाचघर बने और उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के लोग गोबर के अन्न पर गुजारा करें इस प्रकार इस देश और उत्तर प्रदेश में समाजवाद आ रहा है। लखनऊ में चारों तरफ फव्वारे लगायें ज.यं, ल.ल बत्ती और हरी बत्ती देखने को मिले लेकिन देहात के बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूलों की छत न मिलें यह हो रहा है समाजवाद।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्रियों से और अपने अन्य साथियों से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर पूर्वी जिलों की हालत न सुधरी तो जितने प्रश्न आपके सामने सदन में माननीय सदस्य उठाते हैं नक्सलपन्थी के और वहां जो पानी के बिना प्यासे मर रहे हैं यह सभी प्रश्न बने रह जायेंगे। पूर्वी जिले ही नहीं बल्कि बुन्देलखंड का वह हिस्सा जहां पानी का इन्तजाम नहीं है, सिंचाई का इन्तजाम नहीं है, खाद और बीज का कोई इन्तज.म नहीं हो पाया है उस तरफ भी मुख्य मंत्री जी और अन्य माननीय मंत्रियों को ध्यान देना है। इसके बाद मान्यवर, मैं आपका ध्यान सिंचाई योजना की तरफ ले जाना चाहता हूं जिसके लिए काश्तकारों ने आज तीन-तीन साल से गवर्नमेन्ट से पैसा लेकर के गवर्नमेन्ट के खजाने में जमा कर रखा है और उनको आज तक बिजली नहीं मिल पाई है और उसका ब्याज उनको लगातार देना पड़ रहा है। मान्यवर, जरा आप सोचें हमनें सरकार से पैसा लिया और सरकार के खजाने में जमा कर दिया और बिजली नहीं मिली और हम उसका ब्याज देते जा रहे हैं और वारंट और कुर्की हो रही है। मान्यवर, अगर इस तरह से ज्यादती होती रही, इस प्रकार से हमारा शोषण होता रहा तो हम कहां से जिन्दा रह सकेंगे। एक काश्तकार ने अपने खेत को गिरवी रखकर दो हजार रुपया कर्जा लिया। बिजली वालो ने उससे कहा हमारे यहां दो हजार रुपया जमा करदो तो बिजली दे दें। उसने १९६७ में दो हजार रुपया जमा कर दिया और १९६८-६९ और ७० तक बराबर लगातार ब्याज देता जा रहा है और उसे बिजली नहीं मिल पाई। इस प्रकार से मान्यवर पूर्वी जिलों में ही नहीं बल्कि सारे उत्तर प्रदेश में हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस जिले का हूं वह न पूर्वी जिलों में आता है न पश्चिमी जिलों में आता है, इलाहाबाद। इलाहाबाद अपने को उसी प्रकार अभागा मानता चला आ रहा है जिस प्रकार से आजमगढ़, देवरिया, बलिया और गोरखपुर तथा अन्य जिले अपने को मानते हैं। उसका दुर्भाग्य है यह कहूं या सौभाग्य कहूं कि देश के तीन प्रधान मंत्री वहां के रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नहरू जी वहीं के थे, लाल बहादुर शास्त्री जी वहीं के थे और श्रीमती इन्दिरा गांधी जी वहीं की हैं। लेकिन इन्दिरा जी हैवी इन्डस्ट्रीज को दक्षिण भारत में केवल राजनीतिक तिकड़मबाजी से ले जाने की कोशिश की। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि उत्तर प्रदेश जो औद्योगिक ढंग से पिछड़ा है वहां भी उद्योग की आवश्यकता है और अगर हैवी इन्डस्ट्रीज कोई पूर्वी जिलों में लगा दी जाय तो वहां की हालत सुधर सकती है। समाजवाद के लिए कहा जाता है कि पांच योग की आवश्यकता है खाना, कपड़ा, रहने के लिए मकान और शिक्षा और दवा। तो यह चीजें सभी को चाहिए। तो मान्यवर, इन पांच अभाव के पूर्वी जिलों के विषय में सोचना चाहिये। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से और केन्द्रीय सरकार से भी यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि पटेल आयोग की तरह दूसरा आयोग बैठाने की आवश्यकता नहीं है बल्कि उसी आयोग ने जो रिपोर्ट दी है उसी रिपोर्ट को लागू किया जाय और चौथी योजना के अन्तर्गत धनराशि उसी आधार पर प्राप्त करे जिस आधार पर केन्द्रीय वित्त आयोग ने इस प्रदेश को दी है। अन्त में आपके माध्यम से मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि इन्द्रमणि जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है मेरे खयाल में दलगत भावना से ऊपर उठ कर चाहे सिंडीकेट वाले हों, चाहे इंडीकेट वाले हो या बी० के० डी० वाले हों उन सब की दया इन पूर्वी जिलों के ऊपर होनी चाहिये और बुन्देलखंड तथा पर्वतीय जिलों के ऊपर दया होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी तक १०, १२,१५ मिनट बोलने के लिये मैं देता था लेकिन अब ऐसा लगता है कि बोलने वाल अधिक हैं तो अब ५, ५ मिनट का समय दिया जायगा।

*श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव बुन्देलखंड, पर्वतीय जिले और पूर्वी जिलों को ज्यादा रिसोर्सेज दिलाने के लिये उनके उत्थान के लिये आया है उसमें कोई आदमी ऐसा नहीं हो सकता है कि जो अपने प्रदेश के किसी हिस्से को पिछड़ा रखें। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो असल बीमारी है उसका इलाज ही दूसरा हो रहा है। अभी मिश्र जी कह रहे थे कि जो उत्तर प्रदेश का बीच का हिस्सा है उसको नजरन्दाज किया जाता है। पच्छिम हिस्से वाले कहते हैं कि हम नजरन्दाज होते हैं और बुन्देलखंड वाले कहते हैं कि हम नजरन्दाज होते हैं और पर्वतीय हिस्से वाले कहते हैं कि हम नजरन्दाज होते हैं। इस तरह की हालत है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सिलसिले में एक आयोग बिठाया जाय या कोई कमेटी बिठाई जाय तो कम से कम इस बात को देखे कि जो इलजाम लगाया जाता है वह सदा-सदा के लिये दूर हो जाय।

(इस समय ४ बजकर १९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

यह हमारा प्रान्त हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्दर आठवां बड़ा मुल्क है। वह सारा एक जगह के एडमिनिस्ट्रेशन से खींचा जाता है। इसी के साथ साथ मंत्री लोग पूरे पांच साल में अगर एक एक जिल को देखना चाहें तो देख नहीं सकते हैं। पूर प्रान्त में घूम नहीं सकत ह और वह एक जगह से आसानी से रेगुलेट नहीं हो सकता है।

इस बात पर विचार हो सकता है कि जिस तरह से हरियाणा और पंजाब के अन्दर छोटे-छोटे सूबा बना कर आज वहां पर तरक्की हो रही है और दुनिया के सामने चमक रहे हैं यहां पर भी वैसा हो सकता है। वे लोग अपने हिसाब से बहुत तरक्की करते जा रहे हैं। अपने हिसाब से कानून बनाते हैं और अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश के अन्दर ऐसी व्यवस्था कायम कर दी जाय तो बहुत आसानी हो सकती है। जैसे कि हाई कोर्ट का मसला उठाया गया है। यूनिवर्सिटी का मसला, मेडिकल कालेज का मसला उठाया जाता है तो उसमें भी वह बात आसानी से हल हो सकती है। हम भी यह महसूस करते हैं कि हमको भी नजरन्दाज किया जाता है। अगर इस तरह से कोई अलग प्लान बनेगा तो वह ज्यादा गौर के काबिल होगा। उनको यह आजादी होगी कि वह सेन्टर से अपने डेवलपमेंट के लिये ज्यादा रिसोर्सेज का मतालबा कर सकेंगा। आज पूरे उत्तर प्रदेश को जिस तरह से हिस्सा दिया जाता है वह बहुत कम मिलता ह। अगर यह अलग-अलग प्रान्तों में हो जाय तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्वाइन्ट से अच्छा शासन भी होगा और सेन्टर से अपने डेवलपमेंट के लिये ज्यादा मतालबा कर सकेगा। खुद आगे बढ़ने की कोशिश करेगा और पंजाब और हरियाणा की तरह से बराबर तरक्की करेगा। जब तक यह स्कीम कारगर नहीं होगी तब तक चाहे वह पूर्वी इलाका हो, चाहे पहाड़ का हो और चाहे बुन्देलखंड का हो उतनी मदद उनको नहीं मिल सकती है जितनी उनको मिलनी चाहिये। इन जगहों की वाकई ऐसी हालत है कि उनकी तरफ ज्यादा खयाल होना चाहिये और ज्यादा मदद उनको दी जानी चाहिये ताकि वह बराबरी के स्थान पर आ सकें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सिलसिले में बिल्कुल एक नई चीज सदन के सामने रख रहा हूं। अगर मेरी यह बात काबिले गौर समझी जाय तो इस पर जरूर गौर किया जाय। बस इतना ही मुझे आपकी खिदमत में अर्ज करना था।

श्री कन्हैयालाल बाल्मीकी (जिला हरदोई)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्द्रमणि जी ने जो प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया है मैं उसके समर्थन में बोलता हुआ आपके माध्यम से कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। वैसे तो मैंने रूहेलखंड

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

टेहरी-गढ़वाल, पौड़ी-गढ़वाल, चकराता आदि स्थानों का भ्रमण किया है वास्तव में ये पिछड़े हुये क्षेत्र हैं और इनमें बहुत ही विकास की आवश्यकता है। मैं गत वर्ष टेहरी गढ़वाल गया था वहां के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक मीटिंग की और उसमें यह सुझाव दिया था कि यदि इस पिछड़े हुये क्षेत्र को सरकार ने इसी प्रकार से पिछड़ा हुआ रखा और विकास की चीजों की यहां पर शुरुआत नहीं की तो हो सकता है कि यहां पर नक्सलपन्थी लोगों का आतंक बढ़ जाय और यहां की दशा बहुत अधिक बिगड़ जायगी। इसको शीघ्र ही देखना चाहिये। इसलिये मैं निवेदन कर रहा था आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी की सेवा में कि इन क्षेत्रों का विकास होना बहुत ही जरूरी है। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि पूर्वी और पश्चिमी जिलों को देखा जाता है परन्तु जो मध्य के जिले हैं उनको यों ही छोड़ दिया जाता है और उनके विकास की तरफ उतना अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं भी जिस क्षेत्र से चुनकर आता हूं वह जिला है, हरदोई जो कि प्रदेश में एक बीच का जिला है। हरदोई जिले में विकास की बहुत अधिक आवश्यकता है। वहां पर सिंचाई के साधन नहीं हैं और सैकड़ों गांव ऐसे हैं जिले में जहां पर न तो सिंचाई की सुविधा है और न बिजली की ही सुविधा है। हमारे क्षेत्र में ऐसे भी गांव हैं, जहां पर बिजली की लाइन लाने के लिये वहां के काश्तकार दो-दो वर्ष से चेष्टा कर रहे हैं, लिखित प्रार्थना-पत्र दे रहे हैं पर उस पर आज तक कोई भी विचार नहीं किया गया, कोई भी उत्तर नहीं दिया गया। १०, ५ गांव ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने यहां माइनर बनाने के लिये प्रार्थना-पत्र दिये, ट्यूबवेल्स को लगाने के लिये प्रार्थना-पत्र दिये, बिजली लाने के लिये प्रार्थना-पत्र दिये पर उस पर कोई भी विचार नहीं किया गया है।

हमारे जिले के गांव, बद्धापुर पंडरवा के पास लगभग १५ ट्यूबवेल्स खुदे हुये हैं सब चीजें पूरी हो गई हैं लेकिन उनको बिजली की लाइन नहीं मिली। बिजली की लाइन न होने से वह सब गों ही पड़े हैं। सन् १९६२ से क्षेत्र की जनता बराबर यह आवाज उठा रही है और इसको मैंने सदन में भी कहा कि शाहाबाद से पिहानी तक एक सड़क बना दी जाय। यह केवल १६ मील का मार्ग है। उसको बनाने के लिये न मालूम कितने प्रार्थना-पत्र दिये, मैं स्वयं सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी से मिला, आयुक्त महोदय से भी मिला परन्तु आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। वैसे तो सारे हरदोई जिले की ही हालत ऐसी है परन्तु मैं तो अपने क्षेत्र की बात बतला रहा हूं। मैंने स्वयं लिखित रूप से प्रार्थना-पत्र दिये पर अभी तक उस पर कार्यवाही नहीं हुई है। हमारे यहां सुखेता नाला है। इस क्षेत्र में वर्षा के दिनों में इतना पानी बढ़ जाता है कि लगभग दो महीने तक १०, ५ गांव तो उसमें घिर जाते हैं और कोई भी व्यक्ति इस तरफ से उस तरफ नहीं जा-आ सकता है। यह नाला शिरोमन नगर के पास है जिस पर पुल बनाने की बड़ी जरूरत है। जहां पर पूर्वी और पश्चिमी जिलों के विकास की बात कही जा रही है वहां पर मैं यह कहता हूं कि हमारा मध्य भाग हरदोई का भी विकास होना चाहिये। अगर ऐसा हो तो वहां की जनता को भी आभास हो सकता है कि २०, २२ साल से जो आजादी का नारा उसने लगाया वह सार्थक हुआ।

श्री ज्वाला प्रसाद कुरील (जिला कानपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी पूर्वी, पर्वतीय और पिछड़े हुये हिस्सों के विकास के बारे में कहा गया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यमुना के किनारे के जो हिस्से हैं १०, २० मील तक के वे बहुत अविकसित दशा में हैं और वह वही असर रखता है जो बुन्देलखंड का हिस्सा रखता है। जमुना के पहले जो बड़े-बड़े कस्बे हैं वहां टाउन एरिया बन सकती है। पहले नाव के जरिए से व्यापार होता था। साधन न होने की वजह से लोग कस्बे छोड़ रहे हैं और व्यापारी, सेठ-साहूकार लोग शहर आ रहे हैं। हालत यह है कि जमुना से जो ८–१० मील की दूरी पर जगह है, चाहे कानपुर में हो या फतेहपुर में हो, वहां न नहरों से सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है और न ट्यूबवेल की व्यवस्था ही हो पायी है। सरकार ने कहा कि अमरौधा और घाटमपुर ब्लाक में नलकूप की व्यवस्था करेंगे, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। किसान

[श्री ज्वाला प्रसाद करील--]

चाहता है कि उसे बिजली की सुविधा मिले। अपनी जमीन रेहन रख कर भी उसे करने के लिए तैयार है। वहां हालत यह है कि अगर बारिस हो गयी तो पदावार होती है, नहीं तो बीज भी नहीं वसूल कर पाता।

मान्यवर, जमुना के करीब की जमीन में मौरंग का अखंड भंडार भरा हुआ है जो इमारत के काम आती है। दौलतपुर एक जगह है, वहां का साढ़ चार लाख का ठेका उठता है। देवराहट एक गांव है वहां का सात हजार का ठेका उठता है। वहां की मौरंग बबीना की मौरंग के मुकाबले अच्छी होती है। आन-जाने के साधन सुलभ हो जायं तो उससे अच्छा पैसा मिल सकता है। वहां के किसानों के पास और कोई आमदनी का जरिया नहीं है।

इसी तरह से सैंगुर का इलाका है। वहां न सिचाई का साधन है और न रास्ता है, न कोई व्यवस्था सरकारी अधिकारियों के आने-जाने की है। अगर ऐसे इलाके भी इसमें जोड़ लिये जायं तो उनका उद्धार हो जाय। इसलिये मेरा निवेदन है कि जमुना और सैंगुर का इलाका भी इसके साथ ही जोड़ा जाय।

श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय इन्द्रमणी जी ने जो संकल्प रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। तीन पंचवर्षीय योजनाएं बीत गयीं और चौथी चल रही है, लकिन हमारे पूर्वी जिले अभी तक पिछड़े हुए हैं। ऐसा क्यों? चाहे कोई भी सरकार रही हो, पूर्वी जिलों की बराबर उपेक्षा की गयी है। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्वी जिलों का जो घाटा हुआ है उसको देख कर पश्चिमी जिलों के मुकाबले में उसको पूरा किया जाय। अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि पूर्वी जिले वाले काम नहीं करते, पश्चिमी जिलों वाले काम करने वाले हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वह चकबर की पत्ती और महुआ खाकर हल जोतते हैं? हमारे पूर्वी जिलों के लोग चकबर की पत्ती और महुआ खाकर हल जोतते हैं। श्रीमन्, मिर्जापुर जिले की धरती पर बिजली उत्पन्न होती है, वहां के लोगों की जमीन ली जाती है, लेकिन दुद्धी और राबर्ट्सगंज क्षेत्र आज भी अन्धकार में हैं। वहां की बिजली इलाहाबाद और वाराणसी को मिलती है, वहां पर ट्यूबवेल लगते हैं और हमारे साथ बराबर उपेक्षा का व्यवहार हुआ है। मैं आप के द्वारा सदन को बताना चाहता हूं कि हमारा मिर्जापुर जिला भी बुन्देलखंड की तरह बहुत ही दयनीय स्थिति में है। मिर्जापुर की स्थिति वैसी ही है और वह अब भी बहुत पिछड़ा हुआ है। वहां की सड़कों के सम्बन्ध में मैं बताऊं कि मुख्य मंत्री जी चोपन गये हैं और वह दुद्धी भी गये हैं। वहां पर मिर्जापुर-पिपरी सड़क के अलावा कोई पक्की सड़क नहीं है। राबर्ट्सगंज -पन्नूगंज खलियारी सड़क की बहुत आवश्यकता है। इसके अलावा राबर्ट्सगंज—पन्नूगंज—रानीडीह की सड़क भी बहुत जरूरी है जिसके बिना उस क्षेत्र का विकास असम्भव है। दुद्धी से बिन्ढमगंज सड़क भी वहां के विकास के लिये बनना अत्यन्त आवश्यक है। यदि एक सड़क चोपन-कोटाकोन बिन्ढमगंज तक बना दी जाय तो वहां के लोगों को यातायात के सम्बन्ध में काफी सुविधा मिल सकती है। इन सड़कों का, चौथी योजना आ गई और अब भी न बन सकना एक बड़ा अन्याय उस क्षेत्र की जनता के साथ है। ६०—६० मील तक कोई पक्की सड़क नहीं है और यातायात की व्यवस्था न होने से उस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाता है।

शिक्षा के मामले में भी हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, ४०—४० मील तक चोपन और विजयगढ़ में कोई हाई स्कूल नहीं है और शिक्षा के सम्बन्ध में कोई सुविधा वहां के बच्चों के लिये दूर-दूर तक नहीं है। यह इलाका हर साल सूखाग्रस्त रहता है और पिछली बार भी सूखे से लोग इतना तबाह हो गये कि वह सेमल और चकवर की पत्तियां खाकर गुजर कर रहे थे। वहां पर कोई बड़ी योजना लागू की जाय तो वहां के लोगों को कार्य मिल सकता है। वहां पर

सड़कों की वजह से सारा विकास रुका पड़ा है। जहां पर गंगा की धारा बह रही है वहां अगर नदी का पानी बांध बना कर दे दें तो पूरा क्षेत्र तरक्की कर सकता है।

इसी तरह से स्वास्थ्य के मामले में भी इस क्षेत्र की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है और हमारे यहां राबर्ट्सगंज और दुद्धी के इलाके में कोई भी महिला अस्पताल नहीं है जिससे वहां की नारियां पीड़ित हैं। इसके साथ ही वहां के लोगों में बेरोजगारी बहुत है। जरूरत यह है कि वहां उद्योग धन्धे लगाये जायं और अगर इधर ध्यान न दिया गया तो फिर सरकार को मजबूर किया जायगा कि वह एक और अलग प्रान्त बनाये। अभी तक १५ पूर्वी जिले बराबर पिछड़े रखे गये हैं और उनके साथ अन्याय हुआ है, कोई ध्यान उनकी उन्नति के लिये नहीं दिया गया है। हमारे सुझाव को ध्यान में रख कर उस क्षेत्र के लिए विकास की सुविधाएं दी जायं, वहां पर सड़कों के लिये योजना बनाई जाय और अस्पताल आदि की व्यवस्था समुचित रूप से की जाय।

श्री कन्हैयालाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां मैं देख रहा हूं कि अपनी अपनी सब लोग कह रहे हैं- अपनी अपनी सब कहें हमार कहे न कोय—— कोई पूर्वी उत्तर प्रदेश की कह रहा है, कोई बुन्देलखंड की कह रहा है, कोई पहाड़ की कह रहा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कह रहा है लेकिन कोई भी दक्षिणी उत्तर प्रदेश की नहीं कह रहा है। बुन्देलखंड के लिये तो कहा गया लेकिन इलाहाबाद भी यू० पी० में ही है और थोड़ा सा पहाड़ी इलाका वहां भी है, वहां के लिए न पटेल आयोग बैठा न कोई आयोग। यह जिम्मेदारी सरकार की है और जिसके लिये यहां बार-बार आवाज उठाई जाती है। वहां पर शंकरगढ़ का पहाड़ी इलाका है और थोड़ा सा मेजा में भी है जहां से शीशे के लिये बालू निकलती है। वहां से लोग बालू के रूप में खनिज पदार्थ देश को भेज रहे हैं। वहां की करुण कहानी कोई सुनने वाला नहीं है। कोल, भील आदिवासी, कंजर आदि वहां बालू निकालते हैं और उस पिछड़े इलाके में आदिवासी रहते हैं। उनको वेतन क्या मिलता है? ४० पैसे रोज के हिसाब से। इसलिए मैंने कहा था कि अपनी अपनी सब कहें, हमरी कहे न कोय। श्रीमन्, वह पथरीला क्षेत्र है, वहां पर कोई नहीं जाता इसलिए वहां पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ती। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां के प्रति भूतपूर्व मुख्य मंत्रियों ने दया दृष्टि नहीं की। आपको कुछ समय के लिए मौका मिला था, उसके बाद वोट मांगने के लिए जब आप यमुना पार गये थे तो आपने देखा होगा कि वहां के आदिवासियों के बदन पर कपड़े भी नहीं थे। और आप दयावान हैं तो आपका हृदय भी पसीजा होगा। मैं कोई शिकवा शिकायत नहीं कर रहा हूं। आपसे केवल बिनती कर रहा हूं कि अगर आप उस क्षेत्र में एक शीशे की फैक्ट्री या कारखाना केन्द्रीय सरकार को लिख कर खुलवाने की चेष्टा करें तो, मैं समझता हूं, उस इलाके से जो शीशे के लिए सामान मिलता है, उससे प्रदेश को बहुत बड़ा लाभ होगा और इस इलाके के आदिवासी जो कोल भील आदि जातियां हैं, जो ४० नये पैसे रोज पर नौकरी करती हैं, उनको अच्छा वेतन मिलने लगेगा। ये बेचारे गरीब लोग जो वहां पर बालू निकालते हैं उनके लिए रहने के लिए कोई मकान भी नहीं है। वे इस गर्म धूप में बालू निकालते हैं दोपहर और शाम को अकरा, मकरा का सत्तू खाकर उन गर्म पत्थरों पर ही सो जाते हैं, जिसके कारण उन्हें लकवा और रतौंधी की बीमारी हो जाती है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से भी निवेदन करता हूं कि वहां पर अपने विभाग के अधिकारियों द्वारा जांच करावें कि मेरी जो बात है वह सत्य है या गलत।

इलाहाबाद जिले में मालूम हो जायगा कि उन आदिवासियों में और पहाड़ी लोगों में से कितने लोग इन दोनों बीमारियों से पीड़ित हैं। मैं यह भी चाहता हूं कि वहां पर कुछ दवाखाने का प्रबन्ध कर दें तो यहां पर जो भी शिकवा शिकायत की जा रही है, वह पहले की सरकार की की जा रही है। वर्तमान सरकार से मेरी यह भी प्रार्थना है कि वहां पर अर्थात् पूर्वी क्षेत्र में, बुन्देलखंड में और पहाड़ी इलाकों में कुटीर उद्योग लगावें तो मैं अनुभव करता हूं वहां कीगरी बी

[श्री कन्हैया लाल सोनकर--]

दूर हो सकेगी। पूर्वी इलाके में जो फैक्ट्रियां आदि हैं वे पूंजीपतियों के हाथ में हैं और वे वहां के गरीबों का शोषण कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं और मेरा सुझाव यह है कि इन क्षेत्रों में छोटे-छोटे कुटीर उद्योग धंधे लगाये जायें जो गरीबों के हाथ में हों, जिस प्रकार से हमारे मुख्य मंत्री जी ने पश्चिमी जिलों में लगवाये हैं और वहां के किसानों ने उनका भरपूर प्रयोग किया है। इनसे ही पूर्व के लोगों को खुशहाली मिल सकेगी।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जनहित वाली सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय इन्द्रमणि जी ने जो प्रस्ताव सदन के समक्ष पेश किया है, वह माना जाय और उसके समर्थन में यह निवेदन करना चाहता हूं कि बुन्देलखण्ड और उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा पिछड़ा हुआ है। इस बात को सदन के सभी माननीय सदस्य स्वीकार करेंगे, मुख्य मंत्री जी स्वीकार करेंगे कि यह इलाका पिछड़ा हुआ है और मैं जहां से जीत कर आता हूं, देवरिया जिला,पहले से सिद्ध हो चुका है, और केंद्रीय सरकार ने और प्रदेशीय सरकार ने भी माना है कि यह जिला पिछड़ा हुआ है और इस पिछड़ेपन का कारण क्या है? कारण एकमात्र है २२ वर्षों के कांग्रेसी शासन का रहना। अगर यह २२ वर्ष तक नहीं रहती तो देवरिया जिला या पहाड़ी हिस्सा जो पिछड़ा हुआ है उसका विकास हो जाता। अब शायद समाजवाद का नारा इधर से भी लग रहा है उधर से भी लग रहा है। हो सकता है कि हम पिछड़े लोगों पर रहम की नजर हो जाय। नौकरी के मामले में सिंचाई के मामले में, सड़क के मामले में, शिक्षा के मामले में और दवादारू के मामले में, पूर्वी उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है और पहाड़ी इलाके पिछड़े हुए हैं। माननीय मुख्य मंत्री से मैं निवेदन करूंगा कि एक बार एक आयोग बैठाकर उसका निरीक्षण करा लें, जांच पड़ताल करा लें और जांच पड़ताल कराने के बाद फिर उस पर कार्यवाही करें और उस पर दया दृष्टि से देखें। जैसे पटेल आयोग पहले बैठा था उसने कुछ किया था। मैं तो यही कहूंगा मुख्य मंत्री को कि वे पटेल आयोग की सिफारिश ही मान लें, उसी पर काम प्रारंभ हो जाय तो हो सकता है कि पिछड़े हुए हिस्से का भाग्य भी जग जाय। इसके अलावा नौकरी चाकरी के मामले में भी पिछड़ा है, अलबत्ता बलिदान के मामले में पूर्वी उत्तर प्रदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सर्वदा आगे ही रहा है। आप देख लीजिए देवरिया जिले में कितने लोग गोली के शिकार हुए। कितने लोग कारावास में रहे। कितनों के घर जलाए गए। यह गणना करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आगे ही है। आज जो कहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश सुखी है। सुख का कारण क्या है? कारण एक मात्र यह है कि माननीय मुख्य मंत्री सर्वदा मंत्री रहते रहे। और जब कृषि मंत्री रहे तब भी इन्होंने यहां नहीं देखा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिंचाई की व्यवस्था सब जगह है। लेकिन मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी निष्पक्ष होकर देखें तो हम लोगों का भाग्य जग जाय। लेकिन मैं उम्मीद तो बहुत कुछ करता था शुरू में कि माननीय मुख्य मंत्री का प्रशासन निष्पक्ष होगा और पिछड़े हुए लोगों पर दयादृष्टि होगी लेकिन जब मैंने देखा तो निराशा हुई।

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री बांकेलाल--

पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग यदि नौकरी-चाकरी मांगते हैं तो उनको निरादर की दृष्टि से देखते हैं।

श्री अध्यक्ष--

यह वापिस लीजिए। (व्यवधान)

[× × ×] श्री अध्यक्ष की आज्ञानुसार निकाल दिया गया।

एक सदस्य—

सिंचाई के मामले में, शिक्षा के मामले में, अस्पताल के मामले में माननीय मुख्य मंत्री को ज्यादा ध्यान देना चाहिये। यह हमारा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष—

(माननीय बांकेलाल से) आप वापस लें। (व्यवधान)

श्री बांके लाल—

(अपना भाषण जारी रखते हुए) पहाड़ी इलाकों में भी पीने के लिये पानी नहीं मिलता है। मैं इन शब्दों के साथ माननीय मुख्य मंत्री से और जनहित वाली सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछड़े हुए हिस्से की तरफ उनकी दयादृष्टि होनी चाहिये और निष्पक्षता से होनी चाहिये, नौकरी के मामले में, दवादारू के मामले में और सड़क के मामले में भी विकास होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

देखिए (श्री बांकेलाल जी को संबोधित करते हुए) आपने अच्छी बातें कहीं हैं। हमें तो उम्मीद यह थी कि आप व्यक्तिगत हमला नहीं करेंगे। आपने जो शब्द कहे हैं आक्षेपात्मक उनको वापिस ले लीजिए।

श्री बांके लाल—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा तो मैं अवश्य मानूंगा। लेकिन मैंने सत्य बात कही है। अगर वह बात गलत हो तो.....आपकी मर्जी है तो मैं वापिस ले लेता हूं।

श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल एक सुझाव देने के लिये खड़ा हुआ हूं। चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके पिछड़े हुए हों, चाहे बुन्देलखण्ड के इलाके पिछड़े हुए हों, चाहे पहाड़ी क्षेत्र पिछड़े हुए हों, यदि आप उनकी तरक्की करना चाहते हैं, उनका विकास करना चाहते हैं, उनका पिछड़ापन दूर करना चाहते हैं तो वह तभी संभव होगा जब आप वहां के बच्चों को शिक्षा देने का प्रबन्ध करेंगे। दुनिया के जिन देशों ने भी प्रगति की है वह उन्हीं देशों ने की है जहां शिक्षा का विकास हुआ है। इस देश के अन्दर भी वही प्रान्त प्रगति कर सके हैं जहां पर शिक्षा का विकास हुआ है। बिना शिक्षा के आप पिछड़ापन दूर नहीं कर सकेंगे। आपको चाहिये कि प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल, तथा इन्टर तक की शिक्षा का आप मुफ्त प्रबन्ध करें तथा वहां कुटीर उद्योग धन्धे लगायें। अगर आपने यह किया तो ५—१० वर्ष में ही सारा पिछड़ापन दूर हो जायगा। खाली सड़कें बना देने से या बिजली पहुंचा देने से ही विकास नहीं होगा। यह कार्य चाहे आप बाद में करें, मगर शिक्षा की तरफ ध्यान देना जरूरी है।

*श्री रामबचन यादव (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)—

मैं अध्यक्ष महोदय, पूर्वी जिले का रहने वाला हूं और पूर्वी जिलों की स्थिति से अवगत हूं। पटेल आयोग ने हमारे यहां के बारे में कुछ सिफारिशें की हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर गये होंगे तो निजामाबाद तथा फूलपुर आदि कुछ स्थानों तक गये होंगे। निजामाबाद तो मेरा घर है, मगर मैं महीनों नहीं जा पाता हूं। मैं आजमगढ़ जिले की स्थिति के बारे में कहना चाहता हूं। वहां की स्थिति बहुत ही खराब है। जो स्थिति वहां आजादी के पहले थी वही आज भी देखी जा सकती है। रेकार्ड में देख कर कह दिया जाता है वहां सड़कें बहुत हैं, मगर वहां सड़कें बहुत ही कम हैं। एक ही रेलवे लाइन वहां जाती है। जो सड़कें हैं उनकी बीच की दूरी क्या है यह भी देखना चाहिये। कितनी कितनी दूरी पर अस्पताल हैं यह भी देखना होगा। इस तरफ ध्यान दिया जाय तो हमारा जिला बहुत ही पिछड़ा हुआ है। आजमगढ़ में कोई भी मिल नहीं है। केवल ईंट का भट्ठा है। उसमें ही काफी स्त्रियां और बच्चे लगे रहते हैं और अपनी गुजर किसी तरह से करते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री चरणसिंह---

कानपुर में इतनी सारी मिलें हैं, फिर भी कानपुर गरीब है और मिर्जापुर में इतनी हैवी इन्डस्ट्रीज लगी हुई है, फिर भी जैसा कि मिर्जापुर के दोस्त कह रहे थे कि वहां पर बड़ी गरीबी है, तो क्या आपके यहां २-४ मिलें लग जाने से वहां के लोगों की गरीबी मिट जायेगी ? इसको आप सोचें, २-४ मिनट सोचें विचारें ।

श्री रामवचन यादव---

अवश्य कुछ वहां की गरीबी में फर्क आयेगा । इतनी गरीबी तो नहीं रहेगी जो इस समय वहां पर है । फिर या तो बम्बई, कलकत्ता में जहां इतनी ज्यादा इन्डस्ट्रीज हैं, थोड़ी गरीबी है । इसे हमें मुकाबला करके देखना होगा । मैं अधिक नहीं कहना चाहता हूं, इस बार आप एक ही दीजिए । निजामाबाद से फूलपुर तक की सड़क ही बनवाइए । आप कुछ ही दीजिए । मैं समझता हूं कि आपको पूरे प्रदेश को देखना है, सारे लोगों को देखना है, लेकिन उस जिले के लिये और हमारे लिये भी कुछ दीजिए । जहां कोई भी कल-कारखाना नहीं है, सड़कें नहीं हैं, पीने का पानी नहीं है और सिंचाई के कोई साधन नहीं है । जहां निजी ट्यूबवेल लग चुके हैं वहीं पर और ट्यूबवेल्स लगते जा रहे हैं और शेष क्षेत्र खाली पड़े हैं । आप प्रतिबन्ध लगाइए कि नई जगह पर हो, जहां पर नहीं है, वहीं पर लगें, यह नहीं कि एक जगह ही सारे के सारे जमा होते रहें । जो १० रुपया प्रति हार्स पावर प्रति ट्यूबवेल लिया जाता है, तो वहां लाइन काफी नहीं पड़ रही है, मगर लोग पहले की उमंग में लगाने की चेष्टा करते हैं । जहां सिंचाई के साधन नहीं हैं, उन लोगों की स्थिति सूखे के दिनों में बड़ी खराब हो जाती है । मैं चाहता हूं कि आप १० रुपया प्रति हार्स पावर वाला प्रतिबन्ध हटा लें, यह आप क्यों लगाते हैं ? गल्ले का भाव कितना बढ़ गया है । गल्ले का भाव जब बढ़ता है तो मजदूर का भी थोड़ा लाभ हो जाता है । जब गल्ले का भाव बढ़ा था तो मजदूर को डेढ़ रुपये करीब प्रतिदिन मिलने लगे थे, किन्तु जब कि आज गल्ले का भाव गिर गया है, उसे १२ आना फिर मिलने लगा है । मजदूर केवल अन्न ही नहीं खाता है वह अन्य चीजें भी इस्तेमाल करता है, जिसे उसे बाहर से, बाजार से बढ़े दामों पर खरीदना पड़ता है ।

कल नक्सलपंथियों की बात आई और आपने (मु० मं०) स्वयं महसूस किया कि नक्सलपन्थी कहां से पैदा होते हैं---जहां गरीबी होती है । लेकिन आप जानते हैं कि आजमगढ़ नक्सलपंथियों का अड्डा है । उत्तर प्रदेश में कहीं से भी मार्कसिस्ट कम्युनिस्ट नहीं चुन कर आते हैं, यह केवल मेरे जिले से ही आते हैं, झारखण्डे राय जी वहीं से आते रहे और वह अब दिल्ली के लिए चुने गये हैं । रोज बड़े कत्ल और बल्वे भी वहीं होते हैं । क्या लोग मौज लेने के लिये ऐसा करते हैं ? नहीं, लोग गरीबी से सताए जाने पर पेट पालने के लिये ऐसा करते हैं । कुछ ही लोग ऐसे हो सकते हैं, जो मौज के लिये या दूसरे कारण से ऐसा करते हों । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि पूर्वी जिलों में जा कर वे उनकी स्थिति का अध्ययन करें और उनको आगे बढ़ाने का उपाय करें । ताकि पूर्वी इलाके और प्रदेश के अन्य पिछड़े इलाके आगे बढ़ सकें ।

श्री अध्यक्ष---

जब यह संकल्प आगे किसी दिन जिस दिन कार्यक्रम में असरकारी दिवस होगा उस दिन चलेगा ।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)---

केवल एक दिन चलेगा या कई दिन चलेगा ?

श्री अध्यक्ष---

यदि विवादान्त प्रस्ताव नहीं करेंगे तो आगे के दिनों में भी चलेगा ।

बजट साहित्य की वितरण व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

मैं एक सूचना देना चाहता हूं बजट साहित्य के बारे में, पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी वित्त मंत्री का बजट भाषण प्रारंभ होने के पूर्व माननीय सदस्यों को बजट भाषण की प्रतियां मिल जायेंगी और शेष बजट साहित्य के वितरण की व्यवस्था दोनों लाबियों में रखी गई है और वह उसी प्रकार से रखा गया है। माननीय सदस्य जिले के हिसाब से सूची में दस्तखत कर प्राप्त कर लें। जो लोग कहते हैं कि हमको नहीं मिला, वह भी प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह से यह बात हुई हर साल के हिसाब से, वह साहित्य प्राप्त कर लें। इसकी लिस्ट यह है।

उत्तर काशी, टेहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, राय बरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा—"हां" की लाबी में तो ये हैं। और बाकी "नहीं" की लाबी में हैं—बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर, इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर, इटावा, फर्रुखाबाद, बांदा, हमीरपुर, झांसी, जालौन, मैनपुरी, एटा, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बुलन्दशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून एक और नाम निर्देशित सदस्य हैं। वह "नहीं" की लाबी में लेंगे।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

एक व्यवस्था का प्रश्न करना चाहता हूं। अभी आपने कहा कि वित्त मंत्री के बजट भाषण की प्रतियां यहां बटेंगी। इससे हमको यह आभास लगा कि वित्त मंत्री जी अभी कोई बजट भाषण करेंगे। मेरा ऐसा खयाल था कि चूंकि पहले जब लेखानुदान इस सदन में प्रस्तुत किया गया था इस सरकार के द्वारा तो उसमें भी यह कहा गया था, वित्त मंत्री ने कहा था अपने बजट भाषण में, बजट भाषण किया था, स्वेत-पत्र इश्यू किया जाय, ये सारी चीजें हुई थीं। संविधान की मंशा के अनुसार मैं ऐसा समझता हूं कि एक ही बजट पेश किया जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष—

इसके ऊपर विवाद हो चुका है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

कहां हो चुकी है ? अभी प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

वह बात हो गई। पहले भी यह प्रश्न उठा था। अब बाधा हो रही है। आप स्थान ग्रहण करें। समय हो रहा है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैं स्थान ग्रहण करूंगा। लेकिन आप देखें संविधान की मंशा के विपरीत माननीय नारायणदत्त तिवारी वित्त मंत्री होने के कारण कोई कार्य करते चले जायेंगे ? और आप उनको छूट दे देंगे ? मैं उन्हीं की इन बेंचों से कही हुई बातें अगर आप कहें तो पढ़ कर सुना दूं।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा कर के बैठें। इस समय आप गड़बड़ न करें। पहले उनको बुलाऊंगा।

श्री कल्पनाथ सिंह—

आप बुलायेंगे तो मैं नहीं बैठूंगा। आपने इजाजत दे दी है। आप सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष—

सुन लिया मैंने। पहले यह सवाल माधव प्रसाद जी ने उठाया था। एक कमेटी बैठी है। उसके ऊपर विचार कर रही है कि आगे क्या होगा। लेकिन अभी जो प्रथा पहले से चली आ रही है उसके अनुसार होगा। मैं वित्त मंत्री को बुलाऊंगा।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, मैं उन्हीं की बात कहना चाहता हूं। (शोर)

श्री अध्यक्ष—

आप कमेटी में आ जाएं।

१९७०–७१ का आय–व्ययक

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मैं वित्तीय वर्ष १९७०–७१ का बजट पेश करना चाहता हूं।

(बजट भाषण की प्रतियां बांटना आरंभ होने पर)

श्री अध्यक्ष—

पहले डिस्ट्रीब्यूट हो जाय। आप लोग बैठें।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

भाषण की किताब नहीं मिली है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने कहा, बटवा रहा हूं।

एक सदस्य—

अभी हमको बजट भाषण की कापी नहीं मिली है। पहले कापी बट जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

बट रही है। यही तरीका रहा है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

दूसरा सवाल मेरा यह है कि ५ बजे समाप्त हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं जानता था इसलिये आपने सवाल उठाया था।

पहले बजट भाषण बट जाने दीजिए। बट जाने पर वित्त मंत्री बजट भाषण देंगे। शुरूवात आपने कर ही दी है।

(बजट भाषण की प्रतियां बट जाने के उपरान्त)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन् , माननीय सदस्यों को स्मरण होगा, ५ मार्च, १९७० को जो बजट पेश किया गया था उसका प्रयोजन तीन महीने की अवधि के लिए लेखानुदान प्राप्त करना था, जिससे कि वर्तमान सेवाओं और स्कीमों के लिये, जिनमें योजना की पहले से चालू स्कीमें सम्मिलित हैं, व्यय की व्यवस्था की जा सके। मौजूदा बजट में नयी मदें और स्कीमें शामिल हैं और यह इस वर्ष का अन्तिम ब्योरेवार बजट है।

विश्व के अन्तर–संसदीय संघ (इन्टर पार्लियामेंटरी यूनियन) के विचार–विमर्ष और प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों से प्रेरणा लेकर, मैं, आप की अनुमति से, कतिपय बजट प्रणाली सम्बन्धी सुधारों के प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं और इस दिशा में कुछ कदम चालू वर्ष में उठाना चाहता हूं।

विश्व के अन्तर–संसदीय संघ ने आधुनिक बजट की परिभाषा इस प्रकार की है :—

"बजट राज्य की समग्र वित्तीय आश्यकताओं और उनकी पूर्ति के लिए अपेक्षित साधनों का लेखा–शास्त्र की दृष्टि से बनाया गया अनुमान है। यह एक विशेष अवधि के, सामान्यतः एक वष के लिय, अनुमानित सार्वजनिक व्यय और आय की सारणी–बद्ध रूपरेखा है। सर्वप्रथम, बजट हिसाब रखने के दृष्टिकोण से तैयार किया जाता है जिससे कि आय और व्यय की पूरी तौर से आवश्यक तुलना की जा सके; दूसरे, वह वित्तीय नीति की दृष्टि से तैयार किया जाता है जिससे कि व्यय का वर्गीकरण तथा उसके तुलनात्मक महत्व और आवश्यकता का निर्धारण किया जा सके; तीसरे, वह समूची अर्थ–व्यवस्था के विचार से तैयार किया जाता है जिससे कि आर्थिक स्थिति पर बजट सम्बन्धी कार्यवाहियों के प्रभाव का पता चल सके; और अन्त में वह संसदीय नियंत्रण को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए तैयार किया जाता है।"

प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार :

"बजट प्रत्येक राज्य और समूचे देश की दृष्टि से राजस्व सम्बन्धी, वित्तीय तथा आर्थिक, प्रशानिक और प्रबन्ध तथा विकास सम्बन्धी अनेक प्रयोजनों को पूरा करता है। यह संसदीय कार्यवाही का दस्तावेज और संसदीय नियंत्रण का प्रालेख है। यह प्रबन्ध का साधन है और प्रशासनिक प्रतिनिधान का आधार है। यह विकास का एक कार्यक्रम प्रस्तुत करता है और कार्यसम्पादन सम्बन्धी मूल्यांकन को सुलभ बनाता है। ये उद्देश्य एक–दूसरे से अलग नहीं हैं। किन्तु यदि आज कोई सर्वोपरि आवश्यकता है तो वह यह है कि सभी सरकारी प्रक्रियाएं, जिनमें बजट सम्बन्धी प्रक्रिया भी शामिल है, कार्यान्वयन तथा कार्यसम्पादन की ओर उन्मुख हों, ऐसा कार्यान्वयन जिसके द्वारा अनुकूलतम परिणामों की प्राप्ति हो और ऐसा कार्य सम्पादन जिसमें उचित से अधिक व्यय, प्रयास और समय न लगे।"

इस सम्मानित सदन की प्राक्कलन (एस्टिमेट) समिति ने विकासशील अर्थ–व्यवस्था तथा विधान मण्डल के प्रति सरकार के उत्तरदायित्व को ध्यान में रख कर बजट के महत्व को सामने रखते हुए यह सिफारिश की कि वार्षिक वित्त-विवरण विधान मण्डल में एसे रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिये जो केवल सदन के सदस्यों के हीं नहीं बल्कि जनसाधारण की समझ में भी आ सके।

मुझे यह सूचना देते हुए प्रसन्नता होती है कि इस प्रसंग में प्राक्कलन समिति की उन्नीसवीं रिपोर्ट में की गयी विभिन्न सिफारिशों में से सरकार ने नीचे लिखी सिफारिशों को स्वीकार किया है और उनके अनुसार कार्यवाही की गयी है :

(१) एक पृथक विवरण–पत्र तैयार किया जाय, जिसमें प्रत्येक बजट अनुदान में की गयी व्यवस्था का विभिन्न विभागों में किया गया वितरण दिखाया जाय और

[श्री नारायण दत्त तिवारी—]

इस विवरण–पत्र को बजट अनुदानों पर विचार–विमर्ष करने से पूर्व विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाय ।

(२) ऐसे विवरण–पत्र को बजट साहित्य के खंड २ में सम्मिलित किया जाय जिसमें वे धनराशियां दिखायी जायं जिन्हें विभिन्न बजट अनुदानों के अधीन स्थानीय निकायों आदि को सहायक अनुदानों के लिये स्वीकृत किया गया हो ।

(३) बजट साहित्य का एक ऐसा पृथक् खंड तैयार किया जाय जिसमें राजपत्रित तथा अराजपत्रित (गजटेड व नान-गजटेड) पदों की संख्या तथा उनके वेतन-मान दिये जायं ।

सरकार ने विधान मंडल के समक्ष अदत्त बकाया धनराशियों का विवरण-पत्र प्रस्तुत करने से सम्बन्धित लोक लेखा समिति की सिफारिश को मान लिया है । बजट साहित्य में ऐसा विवरण-पत्र अब सम्मिलित कर दिया गया है ।

बहुत वर्षों के बाद सरकार ने पुराने मैनुअलों, फाइनेंशियल हैंड बुकों तथा सेवा नियमों (सर्विस रूल्स) के पुनरीक्षण का कार्य आरम्भ किया है । इनमें से कुछ का, जस सिविल सर्विस रेगुलेशन का पुनरीक्षण तथा मुद्रण किया जा चुका है और इस कार्य की चालू वित्तीय वर्ष में और तेजी से प्रगति सुनिश्चित की जायगी ताकि वित्तीय नियम विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप हो सकें ।

प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों में से एक मुख्य सिफारिश यह है कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकार दोनों ही 'परफार्मेन्स (कार्यपूर्ति दिग्दर्शक) बजट' तैयार करना शुरू करें । मुझे सदन को यह सूचित करते हुये प्रसन्नता हो रही है कि राज्य सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार करने का निश्चय कर लिया है और चालू वर्ष के बजट सत्र में यह प्रस्ताव है कि माननीय सदस्यों के समक्ष कुछ चुने हुये विभागों के सम्बन्ध में ऐसे 'परफार्मेन्स बजट' प्रस्तुत किये जायें । प्रशासनिक विभागों में बजट तैयार करने से सम्बन्धित अधिकारियों को समुचित प्रशिक्षण देने के बाद यह प्रस्ताव है कि धीरे-धीरे इस महत्वपूर्ण सुधार के अन्तर्गत सभी विभाग आ जांय ।

अब तक ऐसे आर्थिक विश्लेषण का कोई प्रयास नहीं किया जाता था, जिससे कि राज्य के आर्थिक मानचित्र का व अन्य बातों के साथ-साथ यह भी पता चले कि बजट प्रस्तावों का राज्य की परिसम्पत्तियों के सृजन, राज्य की प्रति व्यक्ति की आय आदि पर क्या प्रभाव पड़ा है । माननीय सदस्यों को यह जान कर खुशी होगी कि चालू सत्र में इस प्रकार के विश्लेषण को सदन में प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है ।

विश्व के अनेक देशों ने अनुदानों की अवधि बढ़ाने की ऐसी प्रणाली को स्वीकार किया है जिससे कि वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिनों में "लैप्स" हो जाने के डर से सहसा एक साथ होने वाले व्यय को रोका जा सके और नया वित्तीय वर्ष आरम्भ होते ही विधान मण्डल द्वारा बजट की औपचारिक स्वीकृति होने तक, बिना किसी रुकावट के निर्माणकारी योजनाएं चालू रखी जा सकें । "इंडियन रोड्स कांग्रेस" ने भी यह सिफारिश की थी कि सड़कों के निर्माण से सम्बन्धित कार्यों के लिए ऐसे अनुदान दिये जांय जो व्यपगत (लैप्स) न हों । अब इस मामले पर गम्भीरता से विचार करने तथा ऐसी कार्यवाहियां करने का प्रस्ताव है जो संवैधानिक रूप से सम्भव हों जिससे कि चालू स्कीमों को किसी वित्तीय वर्ष के प्रारम्भिक भाग में बिना रुकावट के चालू रखा जा सके । इस विषय पर विचार करते समय संविधान के उपबन्धों और साथ ही इस मामले में भारत सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों के विचारों को भी ध्यान में रखा

जायगा। भारत सरकार के चालू स्कीमों के सम्बन्ध में इस निर्णय पर कि वह संसद द्वारा लेखानुदान पारित करने के बाद ऐसी चालू स्कीमों क लिये कुछ प्रतिशत धन खर्च हतु पहले ही नियत कर देगी, को अपनाने पर भी विचार किया जायगा।

जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, प्राक्कलन समिति का सम्बन्ध राज्य की ओर से चलाये जा रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी कारखानों, कारपोरेशनों या कम्पनियों के कार्य-संचालन से रहता है। इस प्रकार की जांच को अधिक उद्देश्यपूर्ण तथा प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से इस सदन के सामने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पब्लिक सेक्टर अंडर-टेकिंग्स) के सम्बन्ध में विधान मंडल की एक संयुक्त समिति के गठन का औपचारिक रूप से एक संकल्प लाने का प्रस्ताव है, जिससे कि इन उपक्रमों के कार्य की प्रतिवर्ष कुछ विस्तृत जांच की जा सके।

वर्ष १९६०–६१ चालू मूल्यों के अनुसार राज्य का शुद्ध आन्तरिक उत्पादन १,७९९ करोड़ रुपय था। १९६०–६१ क मूल्यों क आधार पर मूल्यांकन करने से १९६८–६९ में यह बढ़ कर २,१५९ करोड़ रुपये और १९६९–७० में २,२६० करोड़ रुपये हो गया। इस प्रकार पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में लगभग ४.५ से ५ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। १९६०–६१ के स्थिर मूल्यों के अनुसार प्रति व्यक्ति आय १९६८–६९ के २४८ रुपये से बढ़ कर १९६९–७० में २५३ रुपये हो गयी और इस प्रकार जनसंख्या में २.२ प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद भी प्रति व्यक्ति आय में लगभग २ प्रतिशत की वृद्धि है।

वर्ष १९६०–६१ और १९६९–७० के बीच कृषि सम्बन्धी उत्पादन का मूल्य १,०९६ करोड़ रुपये से बढ़कर १,२६५ करोड़ रुपये हो गया। इसी अवधि में औद्योगिक उत्पादन का मूल्य १८३ करोड़ रुपये से बढ़कर २७० करोड़ रुपये हो गया।

समूचे राज्य की अर्थ-व्यवस्था में ९ वर्ष की इस अवधि के दौरान लगभग २६ प्रतिशत की वृद्धि हुई जो लगभग २.६ प्रतिशत प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि दर के बराबर है। इस अवधि में प्रति व्यक्ति आय में २.८ प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

यहां पर इस बात का उल्लेख करना रुचिकर होगा कि १९६०–६१ में राज्य की कुल आय म कृषि का अंशदान जहां ६०.९ प्रतिशत था, वहां १९६८–६९ में वह ५६.३ प्रतिशत और १९६९–७० में लगभग ५६ प्रतिशत रहा। इस अवधि में उद्योगों से राज्य को होने वाली आय १०.२ प्रतिशत से बढ़कर ११.५ प्रतिशत और व्यापार तथा वाणिज्य से होने वाली आय १२.३ प्रतिशत से बढ़कर १४.१ प्रतिशत हो गयी। इस प्रकार जहां १९६०–६१ में उद्योग, राज्य व्यापार, वाणिज्य और परिवहन के क्षेत्रों से कृषि क्षत्र की आय की लगभग एक तिहाई आय हुई, वहां १९६९–७० में यह प्रतिशत बढ़ कर कृषि क्षेत्र की आय का लगभग ४६ प्रतिशत हो गया। इस प्रकार यद्यपि प्रगति उतनी तेजी से न हो सकी हो जितनी कि हम चाहते थे, इस बात के लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे हैं कि राज्य की अर्थ व्यवस्था अनेक दिशाओं में प्रगति पर रही है।

कृषि उत्पादन

फसल की अधिक उपज वाली किस्मों के कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्पादन बढ़ाने पर जोर देने की कृषि सम्बन्धी नयी नीति से सन्तोषजनक परिणाम प्राप्त होते रहे। १९६६–६७ में खाद्यान्नों का उत्पादन ११७ लाख ७१ हजार टन था जो १९६७–६८ में १६६ लाख ७३ हजार टन हो गया। १९६८–६९ में लम्बी अवधि तक सूखे के कारण उत्पादन घटकर १६१ लाख मीट्रिक टन रह गया, परन्तु यह अनुमान है कि जाड़े में देर से वर्षा के बावजूद १९६९–७० के दौरान कुल उत्पादन १७२ लाख टन होगा और इस प्रकार पिछले वर्ष की अपेक्षा लगभग ६.८ प्रतिशत की वृद्धि होगी। यह आशा की जाती है कि चालू वर्ष के दौरान ९ लाख ५० हजार टन और अधिक खाद्यान्नों का उत्पादन करने की क्षमता सृजित होगी।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

औद्योगिक उत्पादन

मैं यह पहले कह चुका हूं कि १९६०–६१ में औद्योगिक उत्पादन, १९६०–६१ के स्थिर मूल्यों के अनुसार १८३ करोड़ रुपये का हुआ था और यह १९६९–७० में बढ़ कर २७० करोड़ रुपये का हो गया। इस प्रकार १९६०–६१ से १९६९–७० की अवधि में औद्योगिक क्षेत्र में समग्र रूप से ४.४ प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई। अर्थ-व्यवस्था के वाणिज्य, परिवहन तथा संचार क्षेत्र से राज्य को जो आय हुई वह १९६०–६१ के २२० करोड़ ६६ लाख रुपये से बढ़ कर १९६९–७० में ३१९ करोड़ ५ लाख रुपये हो गयी। इस प्रकार ४.२ प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई।

सदन को यह जानने में दिलचस्पी होगी कि १९६९–७० के त्वरित अनुमानों (क्विक एस्टिमेट्स) के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में पिछले वर्ष की अपेक्षा ९ से १० प्रतिशत की वृद्धि हुई। संगठित उत्पादन क्षेत्र (आर्गनाइज्ड मैनूफैक्चरिंग सेक्टर) में यह वृद्धि लगभग २५ प्रतिशत हुई है। इसे बहुत सन्तोषजनक कहा जा सकता है। आशा है, यह प्रवृत्ति आगे भी राज्य में नये उद्योग पनपने के साथ जारी रहेगी।

मूल्य स्तर तथा रहन सहन का व्यय

पिछले वर्ष की अपेक्षा कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होने से कीमतों के स्थिर होने और राज्य की अर्थ-व्यवस्था में मुद्रास्फूर्ति (इन्फ्लेशन) की प्रवृत्ति को रोकने में सहायता मिली है। १९६०–६१ को आधार मानकर राज्य में कृषि सम्बन्धी थोक मूल्यों का सूचकांक १९६८–६९ में २१२ था और वह १९६९–७० में घटकर १९९.१० हो गया। इसी अवधि में औद्योगिक थोक मूल्यों का सूचकांक २१९.१ से काफी घट कर १९२.०० हो गया। इसके फलस्वरूप उपभोक्ता को जो राहत मिली उसका पता कानपुर श्रमिक वर्ग उपभोक्ता भाव सूचकांक के से चलता है, जो वर्ष १९६७–६८ के १८८.५ के औसत मूल्य सूचकांक की तुलना में १९६९–७० में घटकर १८०.६ (१९६०–६१—१००) हो गया। फिर भी, मूल्यों के स्तर में उपयुक्त सन्तुलन प्राप्त करने के लिये तेजी के साथ प्रयत्न करने का विचार है।

वार्षिक योजना १९७०-७१

१९६९–७० के पिछले वर्ष के साथ नियमित रूप से चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। इस वर्ष राज्य को आठ जिलों में वर्षा होने से पहले लगातार भयंकर सूखे और आगे चलकर दूसरे १४ जिलों में विध्वंसक बाढ़ का सामना करना पड़ा जिसका असर ३२ लाख ४३ हजार एकड़ बोये हुए क्षेत्र पर पड़ा। कुछ जिले १९६९–७० के उत्तरार्द्ध में ओला-वृष्टि और असमय वर्षा से भी प्रभावित हुए। फिर भी इन जिलों के लोगों ने सरकार से प्राप्त पर्याप्त सहायता से इन दैवी विपत्तियों का सामना बहादुरी के साथ किया और यह राज्य योजना के इस प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित वित्तीय तथा भौतिक लक्ष्यों की पूर्ति करने में समर्थ हुआ।

वर्ष १९७०–७१ की अन्तिम रूप से स्वीकार की गयी योजना १७९ करोड़ १९ लाख रुपये की है, जब कि पिछले वर्ष की योजना १६० करोड़ रुपये की थी। इसमें से ८३ करोड़ ७५ लाख रुपये राज्य के अपने संसाधनों से तथा शेष ९५ करोड़ ४४ लाख रुपये केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त होंगे।

सरकार राज्य में कृषि के विकास को पहले की तरह सबसे अधिक महत्व दे रही है। १९६९–७० में कृषि तथा सम्बद्ध कार्यक्रमों के लिए कुल परिव्यय का १९.२ प्रतिशत निर्धारित किया गया था। इसकी तुलना में १९७०–७१ में यह परिव्यय १७९ करोड़ १९ लाख रुपये के कुल परिव्यय का २०.६ प्रतिशत होगा। मध्यम तथा बड़े पैमाने के सिंचाई निर्माण कार्यों

पर होने वाला परिव्यय पिछले वर्ष के १०.६ प्रतिशत से बढ़ा कर ११.२ प्रतिशत कर दिया गया है। इसी प्रकार विद्युत् के लिए योजना के कुल परिव्यय का ४२.० प्रतिशत निर्धारित है, क्योंकि वह कृषि तथा उद्योग दोनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक दूसरी बुनियादी आवश्यकता है। कृषि, सिंचाई तथा विद्युत् के इन तीन क्षेत्रों के लिए कुल योजना के परिव्यय का लगभग ७४ प्रतिशत रखा गया है। बजट में छोटे पैमाने के उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों और संचार के विकास के लिये भी पर्याप्त व्यवस्था की गयी है।

प्रदेश की आर्थिक प्रगति में बुनियादी ढांचे के रूप में सड़कों एवं पुलों का महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए, पिछले बहुत से रिकार्डों से आगे बढ़ कर, वर्ष १९७०–७१ में सड़क तथा पुल निर्माण के लिये एक बृहत् कार्यक्रम का प्रस्ताव है। जब ४५ करोड़ ६१ लाख रुपये की लागत की इस वर्ष प्रस्तावित सड़कों की तथा २ करोड़ रुपये की लागत के प्रस्तावित पुलों की ये सभी योजनायें (जिनमें उत्तर प्रदेश सड़क निधि से वित्त–पोषित योजनाएं सम्मिलित हैं) पूरी हो जायेंगी, तो इससे ५,८१० किलोमीटर अतिरिक्त सड़कों की व्यवस्था हो जायगी, जिसके फल स्वरूप राज्य के बहुत से पिछड़े हुए क्षेत्र व्यापार तथा वाणिज्य के लिए खुल जायेंगे। यहां पर मैं इस बात का भी उल्लेख करना चाहता हूं कि सरकार ने राज्य के विभिन्न भागों में पुलों के निर्माण के लिये एक निगम (कारपोरेशन) स्थापित करने का भी निर्णय किया है। इस कारपोरेशन की स्थापना के लिए बजट में एक प्रतीक धनराशि की व्यवस्था की गयी है। इस सेतु निगम (ब्रिज कारपोरेशन) द्वारा वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त किये गये ऋण की अदायगी उन पथकरों से होने की आशा है जो पुलों का प्रयोग करने के लिए एकत्र होते रहे हैं। कारपोरेशन द्वारा प्रारम्भ की जाने वाली स्कीमें उन स्कीमों के अलावा होंगी जो पुलों के निर्माण के लिये योजना के अन्तर्गत पहले स्वीकृत की गई हैं। जिन बड़े पुलों के निर्माण का प्रस्ताव है उनमें मिर्जापुर तथा फर्रूखाबाद में गंगा पर, फतेहगढ़ में, रामगंगा पर तथा हमीरपुर में जमुना पर बनने वाले कुछ पुल शामिल हैं।

श्रीमन्, मैं आप की अनुमति से कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख करना चाहूंगा जिन्हें बजट वर्ष में प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है।

(१) राजस्व तथा करों से राहत—माननीय सदस्यों को विदित है कि सरकार ने ३ १/८ एकड़ या उससे कम की जोतों को भू–राजस्व की अदायगी से मुक्त करने तथा किसानों की पास बुकों के मूल्य को प्रति पास बुक ३ रुपये से घटाकर १ रुपया करने का निश्चय किया है। उर्वरकों (फर्टिलाइजर्स) पर बिक्री-कर भी समाप्त कर दिया गया है। ऐसे सभी व्यक्तियों को जिनकी वार्षिक आय ४,२०० रुपये से अधिक न हो, वृत्ति-कर (प्रोफेशन टैक्स) का भुगतान करने से मुक्त कर देने का निश्चय भी किया गया है और इस संबंध में राजस्व की हानि की पूर्ति ९,००० रुपये से ऊपर की दरों में थोड़ी सी वृद्धि करके जायगी।

(२) पिछड़े हुए क्षेत्र—सरकार राज्य के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों की उन्नति के लिए अपनी सामर्थ्य के भीतर सभी प्रयत्न करना चाहती है। चौथी पंचवर्षीय योजना में इन क्षेत्रों में विकास के लिए ३३८ करोड़ ७२ लाख रुपये की कुल व्यवस्था थी, जिसमें से राज्य के पूर्वी क्षेत्रों के लिए (२२०करोड़ १ लाख रुपये), बुन्देलखंड क्षेत्र के लिए (५३ करोड़ ६५ लाख रुपये) तथा पर्वतीय क्षेत्र के लिए (६५ करोड़ ६ लाख रुपये) की व्यवस्था थी। इन क्षेत्रों के लिए इस वर्ष ५७ करोड़ १२ लाख रुपये की धनराशि नियत की गयी। गत वर्ष २५ लाख रुपये की धनराशि पर्वतीय विकास परिषद् को उपलब्ध की गयी थी।

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में चाहे ये उक्त तीनों क्षेत्रों में स्थित हों या अन्यत्र, सभी लोगों की एक बहुत बड़ी आवश्यकता शुद्ध पेय जल की है। ग्रामीण जल सप्लाई स्कीमों पर कुल लगभग २ करोड़ रुपये और कस्बों तथा शहरों में पेय जल के लिये २ करोड़ ८८ लाख रुपये की धनराशि व्यय करने का प्रस्ताव है।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

(३) आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग—अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों की कल्याण की स्कीमों के लिए बजट में लगभग ६ करोड़ ५० लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। अन्य समुदायों के लोगों को जो अवसर उपलब्ध हैं उन से इन जातियों के लोग वंचित हैं। अतः इन लोगों की दशा में सुधार करने के उद्देश्य से सरकार ने यह निश्चय किया है कि अनुसूचित जातियों के लिए वर्ग ३ के अप्राविधिक (नान-टेक्निकल) पदों में २५ प्रतिशत तथा वर्ग ४ को पदों में ४५ प्रतिशत पदों का आरक्षण करके रोजगार के समुचित अवसरों की व्यवस्था की जाय और यह आरक्षण तब तक जारी रखा जाय जब तक कि सरकारी नौकरी में हरिजनों का अनुपात समग्र रूप से बढ़कर १८ प्रतिशत के निर्धारित स्तर तक न पहुंच जाय। अल्पकालिक रिक्तियों में उपरोक्त २५ प्रतिशत के स्थान पर हरिजनों की भरती वर्ग ३ (अप्राविधिक) तथा वर्ग ४ की सेवाओं में ४५ प्रतिशत तक की जायगी। यह भी निर्णय लिया गया था कि अनुसूचित जन जातियों के लिए २ प्रतिशत का आरक्षण किया जाय। राज्य में सात ऐसे केंद्र खोले गये हैं जिनमें अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों के सदस्यों को पुलिस में कांस्टेबिलों के पदों पर भरती के हेतु ली जाने वाली परीक्षा के लिए तैयार किया जाता है। एक पूर्व-सेवा शिक्षण केंद्र, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में खोला गया है जिससे कि पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के सदस्यों को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जा सके कि वे प्रतियोगिता परीक्षाओं में अधिक सफलता प्राप्त कर सकें।

(४) आवास व्यवस्था—जिस रफ्तार से भारत में जनसंख्या बढ़ रही है और नगरीकरण (अरबनाइजेशन) हो रहा है उस की सूचना हमें लगाये गये वर्तमान अनुमानों से मिलती है। इनसे यह विदित होता है कि देश भर में नगरों की जनसंख्या, जो १९६१ में ८ करोड़ थी, १९७१ में बढ़ कर संभवतः ११ करोड़ २० लाख और १९८१ में १५ करोड़ २० लाख हो जायगी। उत्तर प्रदेश के नगरों की कुल संख्या १९६१ की जनगणना के अनुसार २६७ थी जिनम से १६ केंद्रों की जनसंख्या ५० हजार तथा १ लाख के बीच थी, १४ केंद्रों की जनसंख्या १ लाख से अधिक किन्तु ५ लाख से कम थी और ३ केंद्रों की ५ लाख से अधिक थी। इसलिये यह आवश्यक है कि नगरों में गृह निर्माण को प्रोत्साहन देने तथा पर्याप्त पैमाने पर नई बस्तियों की स्थापना करने के लिए बड़े शहरों में तथा उनके आस पास गृह-निर्माण के योग्य भूमि के विकास पर गम्भीरता से विचार किया जाय ताकि गन्दी बस्तियों, कम स्थान में अधिक व्यक्तियों के रहने से उत्पन्न संकुलता तथा स्वास्थ्य की समस्याओं को बढ़ने से रोका जाय और उनको दूर किया जाय। सदन को यह ज्ञात ही है कि सीमित साधनों को देखते हुए आवास-निर्माण कार्यों के लिए धन जुटाने की गति को अन्य परम आवश्यकीय प्राथमिकता के कार्यों के साथ होड़ लगानी पड़ती है। अतएव, यह आवश्यक है कि संस्थागत वित्त (इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस) की शरण ली जाय जिसमें सार्वजनिक विनियोजन (पब्लिक इन्वेस्टमेंट) निजी बचतों को आकृष्ट करने के लिए बीज-पूंजी का काम करेगा और निधियों का इस प्रकार सतत संचरण होता रहेगा कि कुछ वर्षों की अवधि में विनियोजन की धनराशि आरम्भिक पुंजी की कई गुनी धनराशि के के बराबर हो जायगी। आवास मंत्री सम्मेलन की सिफारिश के अनुसार भारत सरकार ने एक आवास एवं नगर विकास वित्त निगम (हाउसिंग ऐंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन) स्थापित करने का निश्चय किया है। राज्य सरकार इस नये निगम से प्राप्त होने वाली सहायत का लाभ उठाना चाहती है। आवर्तक निधि (रिवाल्विंग फंड) की स्थापना के लिए कार्यवाही आरम्भ कर दी गयी है। राज्य के पंचमहानगरों की नगर महापालिकाओं, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, गाजियाबाद और उत्तर प्रदेश आवास और विकास परिषद् ने २८ स्कीमें तैयार की हैं, जिन पर चार वर्षों की अवधि में २५ करोड़ ३० लाख रुपये के व्यय का अनुमान है। ये स्कीमें भारत सरकार को स्वीकृति के लिए भेजी गयी हैं। इस कार्य के लिए ५,८०० एकड़ भूमि का विकास करने का प्रस्ताव है। इस भूमि को ४५,००० से अधिक के आवासिक तथा व्यावसायिक भवनों के भूखंडों में बांटा जायगा। लगभग ३,८५० भवनों के निर्माण का भी प्रस्ताव है। अधिकांश स्कीमों के लिए भूमि पहले से ही उपलब्ध है और अन्य स्कीमों के लिए भी भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाहियों में काफी प्रगति हो चुकी है।

उपर्युक्त के अलावा वर्ष १९७०–७१ की योजना में आवास-योजनाओं के लिए २ करोड़ ६० लाख रुपये की धनराशि नियत की गयी है। इसमें वे संसाधन सम्मिलित नहीं हैं जिन्हें वित्त संस्थाओं से प्रादेशिक आवासीय सहकारी समिति (कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी) को उपलब्ध होने की संभावना है। वर्ष १९७०–७१ के दौरान इस सोसाइटी को ५ करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत करने के लिए जीवन बीमा निगम से अनुरोध किया गया है।

सरकारी कर्मचारियों की समुच्चयित आवासीय स्कीम (पूल्ड हाउसिंग स्कीम) के लिए १ करोड़ रुपये की धनराशि नियत की जा रही है। यह धनराशि ५ लाख रुपये की उस धन-राशि के अतिरिक्त है जो सरकारी कर्मचारी आवासीय योजना के पांचवें चरण के संबंध में व्यय की जायगी।

सरकार ने लगभग ४ करोड़ ५० लाख रुपये की एक और स्कीम स्वीकृत की है, जिसमें से २० लाख रुपये का उपयोग चालू वर्ष में लखनऊ में राज कर्मचारियों के लिए गृह-निर्माण के लिए किया जायगा। इस स्कीम के अन्तर्गत कुल १,९६१ इकाइयों में से लगभग १,२५० इकाइयां प्रथम और द्वितीय प्रकार की होंगी जिनका निर्माण कम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए प्राथमिकता के आधार पर किया जायगा। ९९ रुपये प्रति मास से कम वेतन वाले कर्मचारियों के लिए प्रथम प्रकार के क्वार्टरों के निर्माण की अधिकतम धनराशि २,२०० रुपये से बढ़ा कर ५,५०० रुपये की दी गयी है। इसी प्रकार द्वितीय तथा तृतीय प्रकार के क्वार्टरों के निर्माण की अधिकतम वित्तीय सीमा भी बढ़ा दी गयी है।

(५) बेरोजगारों की सहायता—बेकारी की आम समस्या के प्रसंग में तकनीकी शिक्षा पाये हुए बहुत से व्यक्तियों को रोजगार न मिलने के कारण जो व्यक्तिगत कठिनाइयां झेलनी पड़ रही हैं और फलस्वरूप जो राष्ट्रीय हानि हो रही है उनसे सरकार पूर्णतया अवगत है। बेरोजगार तकनीकी व्यक्तियों की समस्याओं के संबंध में जांच के लिए एक कार्यकारी मंडल (वर्किंग ग्रुप) का गठन किया गया है। मंडल ने कुछ सिफारिशें की हैं जिन पर सक्रिय रूप से विचार हो रहा है और उन्हें लागू करने के लिए फिलहाल बजट में १० लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है।

एक और स्कीम भी स्वीकृत की गयी है जिसकी अनुमानित लागत २५ लाख रुपये होगी और जिसके लिए भारत सरकार से १०० प्रतिशत ऋण सहायता उपलब्ध होगी। इस स्कीम से प्रस्तावित सिंचाई और विद्युत प्रायोजनाओं का विस्तृत सर्वेक्षण करने में बेरोजगार इंजीनियरों तथा अन्य तकनीकी व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा।

यह प्रस्ताव है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों को सहायता देने के लिए एक ग्रामीण जन-शक्ति कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाय जो इसी प्रकार की एक अन्य स्कीम के स्थान पर होगा जिसे केंद्रीय सरकार ने त्याग दिया है। इस प्रयोजन के लिए बजट में एक करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करने के लिए भारत सरकार का यह प्रस्ताव है कि देश के २५ ऐसे जिलों में जो दीर्घकाल से सूखाग्रस्त हैं, एक स्कीम प्रारम्भ की जाय। इस स्कीम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के लिए केवल ३ जिले नियत किये गये हैं। ऐसा करके स्पष्टतः इस राज्य के साथ न्याय नहीं किया गया है जिसका सहज कारण यह है कि इस राज्य में कम से कम ७ जिले ऐसे हैं जिन्हें दीर्घकाल से सूखाग्रस्त जिलों की श्रेणी में रखा जा सकता है। इस विषय में भारत सरकार से पत्र-व्यवहार हो रहा है।

(६) बाल कल्याण की स्कीमें—यह सर्वमान्य है कि बच्चों पर जो कि देश की भावी आशा हैं धन-विनियोजन अधिक फलप्रद होने के कारण अधिक आवश्यक है। हाल ही में हुए सर्वेक्षणों से यह पता चलता है कि पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले जन-समुदाय के अपेक्षाकृत

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

निर्धन वर्गों की गर्भिणी स्त्रियों और स्कूल जाने वाली आयु से कम आयु वाले बच्चों के लगभग दो-तिहाई को अत्यधिक कम पोषण देने वाले आहार (मालन्युट्रीशन) मिलता है। राज्य की चौथी योजना में एक समेकित पोषाहार कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है। जहां इतने अधिक बच्चों को अल्पमात्रा में पोषाहार मिल रहा है वहां अपेक्षाकृत अच्छे पोषाहार के लिए पहली बात यह है कि उन्हें अधिक भोजन मिले और राज्य सरकार पशुपालन तथा मत्स्य पालन के साथ-साथ कृषि के विकास के लिए जो प्रयास कर रही है, उसे सभी प्रकार के पोषाहार का आधार समझा जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार यह भी निश्चय कर चुकी कि केंद्र द्वारा चालू किये गये व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम (एप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम) का लाभ उठाया जाय जिस पर योजना अवधि में ३ करोड़ रुपये का परिव्यय होगा। चालू वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम पर ४५ लाख रु० से अधिक का व्यय होगा जिसमें व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम का प्रशिक्षण, स्कूल, उद्यानों तथा कुक्कुट पालन इकाइयों की स्थापना और महिला मंडलों को सज्जा की स्वीकृति जैसी मदें सम्मिलित होंगी। चालू वर्ष में इस स्कीम के विस्तार के फलस्वरूप वर्ष १९७०–७१ के अन्त तक व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के कुल ११५ ब्लाक आ जायेंगे। यह भी प्रस्ताव है कि जन-जातियों वाले क्षेत्रों के तथा महानगरों की गरीब बस्तियों के बच्चों के लिए विशेष पोषाहार कार्यक्रम के संबंध में केंद्रीय बजट में ४ करोड़ रुपये की जो व्यवस्था की गई है, उसका पूरा-पूरा लाभ उठाकर योजना चालू की जाय।

एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम यह भी है कि प्रधानतः श्रमिक क्षेत्रों में प्राइमरी स्कूलों के बच्चों के लिए लगभग ३० लाख रुपये की लागत से दोपहर के भोजन की एक स्कीम आरम्भ की जाय। यह स्कीम इसी प्रकार की उन स्कीमों के अलावा होगी जो राज्य के कुछ भागों में पहले से चल रही हैं।

(७) सरकारी कर्मचारी—राज्य सरकार के कर्मचारियों के कतिपय महत्वपूर्ण वर्गों को कुछ सहायता देने के लिए कार्यवाही की गई है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के ३५,००० 'वर्क चार्ज्ड' कर्मचारियों को नियमित अधिष्ठान (रेगुलर इस्टेब्लिशमेंट) के अन्तर्गत लाया जा चुका है। यह निश्चय किया गया है कि रामगंगा प्रायोजना के 'वर्क चार्ज्ड' कर्मचारियों के कतिपय वर्गों को रेगुलर कर्मचारियों के बराबर परिलब्धियां तथा अन्य सुविधायें उपलब्ध कराई जायं। यह भी निश्चय किया गया है कि इस वृहत् प्रायोजना के क्षेत्रीय कर्मचारि वर्ग एक के लिये कार्य-प्रोत्साहन स्कीम (इन्सेंटिव स्कीम) आरम्भ की जाय।

कर्मचारियों के निम्नतम वर्गों के लिए पदोन्नति के अवसर प्रदान करने के लिए यह निश्चय किया गया कि तीसरी श्रेणी के पदों की समस्त रिक्तियों की १० प्रतिशत की पूर्ति, चौथी श्रेणी के उन कर्मचारियों की पदोन्नति करके की जाय जो अर्हता प्राप्त (क्वालीफाइड) हों।

कई वर्षों से, पेंशनों की स्वीकृति में विलम्ब होने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रही थीं और बहुत से सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों को दीर्घकाल तक प्रतीक्षा करने के बाद ही अपनी पेंशन, ग्रेचुइटी और प्राविडेंट फंड मिल पाता था। ऐसे समय में जब कि अधिकांश कर्मचारियों को अपनी संचित निधियों की तत्काल आवश्यकता हो, ऐसी प्राप्ति में देरी होने से उन्हें वास्तव में बड़ी परेशानी होती थी। मुझे यह घोषित करते हुए हर्ष होता है कि सरकार ने हाल ही में गजटेड तथा नान-गजटेड दोनों प्रकार के कर्मचारियों से संबंधित पेंशन प्राप्ति प्रक्रिया को पुनरीक्षित कर दिया है और इन परिवर्तनों के फलस्वरूप यह आशा की जाती है कि कर्मचारी सेवा-निवृत्ति के लगभग तुरन्त बाद अपनी पेंशन पाने लगेंगे। इस नई स्कीम के कार्यान्वयन की देखरेख करने के लिए सरकार के मुख्यालय पर एक 'पेंशन कोष्ठक' (सेल) स्थापित किया गया है जिससे कि पेंशन के मामलों का शीघ्रतापूर्वक निस्तारण

सुनिश्चित हो सके । हाल ही में इस विषय पर प्रशिक्षण कक्षायें भी चालू की गई हैं जिससे उन व्यक्तियों को पुनरीक्षित पेंशन-नियमों तथा प्रक्रिया की जानकारी कराई जा सके जो विभागाध्यक्षों के कार्यालयों के पेंशन-कार्यों से संबंधित हैं । पेंशन पाने वालों को, विशेषकर उन्हें जो नाममात्र की या बहुत कम पेंशन पा रहे हों और जिन्होंने सरकार की कई वर्षों तक सेवा की हो, जो कठिनाई होती है, उन्हें सरकार महसूस करती है। यह निश्चय किया गया कि कम से कम पेंशन बढ़ाकर ३० रुपये प्रति मास कर दी जाय ताकि कम पेंशन पाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम ३० रुपये प्रतिमास पेंशन मिले । यह अनुमान लगाया गया है कि इस न्यूनतम पेंशन वृद्धि के फलस्वरूप प्रति वर्ष लगभग २० लाख रुपया अधिक व्यय होगा ।

(८) संस्थात्मक वित्त---विभागीय प्रयासों को समन्वित करने के लिए गत वर्ष वित्त विभाग में एक संस्थात्मक वित्त कोष्ठक (सेल) स्थापित किया गया था ताकि संस्थात्मक वित्त प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकें । इस कोष्ठक की सलाह से बनायी गयी कुल मिलाकर ७५ करोड़ ७१ लाख रुपये की अनुमानित लागत की ३० स्कीमें एग्रीकल्चरल रिफाइनेंस कारपोरेशन के विचाराधीन थीं । इनमें ६९ करोड़ ७१ लाख रुपये की लघु सिंचाई की ३५ स्कीमें और ६ करोड़ रुपये की गोदामों तथा सिलों के निर्माण की एक स्कीम सम्मिलित थी । इन स्कीमों में से कुल १८ करोड़ ८४ लाख रुपये की स्कीमों की स्वीकृति कारपोरेशन से प्राप्त हो चुकी है ।

इनके अतिरिक्त ९० लाख ७२ हजार रुपये की लागत की १८ स्कीमें एग्रीकल्चरल फाइनेंस कारपोरेशन को ऋणों की स्वीकृति देने के लिए भेजी गई थी । यह आशा की जाती है कि बजट वर्ष के दौरान यह स्वीकृति प्राप्त हो जायेगी ।

कामर्शियल बैंक उर्वरकों की खरीद तथा बिक्री को वित्त पोषित करने के लिए राज्य की गारन्टी पर यू०पी० केन कोआपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड को ५ करोड़ रुपये तक का ऋण देने के लिए राजी हो गये हैं । स्टेट बैंक आफ इंडिया ने इसी प्रयोजन के लिए बिना किसी राज्य गारंटी के एग्रो-इंडस्ट्रियल कारपोरेशन को १० करोड़ रुपये का एक ऋण स्वीकृत किया है ।

वाराणसी, एटा, आजमगढ़ और लखीमपुर-खीरी जिलों में छोटे किसानों को स्टेट बैंक द्वारा कृषि-ऋण दिये जाने से संबंधित राज्य द्वारा चालू स्कीमों के अलावा कृषि-ऋण के क्षेत्र में अन्य कामर्शियल बैंकों के शामिल होने के संबंध में हमारी आकांक्षायें व प्रयत्न फलवती होने की पूरी आशा है । इलाहाबाद बैंक ने छोटे किसानों को ऋण देने के लिए ४ जिलों (अर्थात् शाहजहांपुर, बदायूं, हरदोई और फर्रुखाबाद) को चुना है और इस स्कीम की रिजर्व बैंक आफ इंडिया की स्वीकृति प्राप्त होने की प्रतीक्षा की जा रही है। इसी प्रकार पंजाब नेशनल बैंक ने छोटे किसानों को प्रगाढ़रूप से वित्तीय ऋण देने के लिए गोरखपुर, अलीगढ़, गाजीपुर तथा मुरादाबाद जिले की अमरोहा तहसील को चुनने का प्रस्ताव किया है। दूसरे बैंक भी इस क्षेत्र में आ रहे हैं। ऊपर दिये गये उदाहरणों के समान ही इलाहाबाद बैंक, बैंक आफ इंडिया, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, यूनियन बैंक आफ इंडिया और यूनाइटेड कामर्शियल बैंक द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि वित्त-पोषण में लगभग ७ करोड़ २१ लाख रुपये की धनराशि लगायी गयी थी । राज्य में कार्यरत लगभग सभी अनुसूचित कामर्शियल बैंकों ने गत वर्ष १९७०–७१ के लिए अपेक्षाकृत ऊंचे लक्ष्य रखे हैं । जिन उपर्युक्त बैंकों के आंकड़े उपलब्ध हैं उनका १९७०–७१ का ऋण लक्ष्य १४ करोड़ ३० लाख रुपये है। सरकार का यह पूरा प्रयास रहेगा कि विभिन्न कामर्शियल बैंकों द्वारा राज्य में यथासंभव अधिक से अधिक धन-विनियोजन को प्रोत्साहन दिया जाय । इस उद्देश्य से कि कामर्शियल बैंकों तथा अन्य समस्त वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण दिये जाने में सुविधा हो, राज्य सरकार यथासंभव अधिक से अधिक सुविधायें प्रदान कर रही है ।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

अर्हता प्राप्त टेक्नीशियनों, फार्म ग्रैजुएटों तथा छोटे किसानों को वित्तपोषित करने के लिए स्टेट बैंक आफ इंडिया और अन्य बैंकों ने राज्य सरकार के परामर्श से विभिन्न स्कीमें तैयार की हैं ।

यह भी निश्चय किया गया है कि कामर्शियल बैंकों को चुने हुए क्षेत्रों में विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों में जहां सहकारी बैंक किसानों की उत्पादन ऋण संबंधी सम्पूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकने की स्थिति में नहीं हैं, प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से अतिरिक्त वित्त की व्यवस्था करके कृषकों की सहायता करनी चाहिये । कुछ कामर्शियल बैंकों ने इस प्रयोजन के लिए सहकारी समितियों को पहले ही चुन लिया है और अन्य बैंक भी उनका अनुसरण कर रहे हैं ।

गांवों में बिजली लगाने के लिए ऐग्रीकल्चरल फाइनेंस कारपोरेशन से १ करोड़ ९६ लाख रुपये का ऋण प्राप्त करने के संबंध में बातचीत की गई है । इसी प्रसंग में विभिन्न कामर्शियल बैंकों ने लगभग १५ करोड़ रुपये का ऋण देने का वादा किया है और वे प्राप्त होने की विभिन्न स्थितियों में हैं । भारत सरकार द्वारा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन स्थापित किये जाने पर राज्य विद्युत परिषद् ने उससे ४० करोड़ रुपये के ऋण के लिए अनुरोध किया है, जिसमें से ३० करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की स्कीमों कारपोरेशन को भेजी जा चुकी हैं ।

विद्युत् सप्लाई तथा सहकारी विकास दोनों ही के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटना, कोआपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ की स्थापना है, जिसकी रजिस्ट्री सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के यहां हो चुकी है। इस सोसाइटी की स्थापना रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन द्वारा परिचालित एक स्कीम के अन्तर्गत की गई है, जिससे पर्याप्त मात्रा में ऋण सहायता भी उपलब्ध होने की आशा है । यह सोसाइटी राज्य विद्युत परिषद् से बिजली की थोक सप्लाई प्राप्त करेगी और लखनऊ जिले के गोसाईगंज, मोहनलालगंज, सरोजिनीनगर, मलिहाबाद तथा काकोरी के क्षेत्रों में उसके वितरण का प्रबन्ध करेगी । इसमें कुल २ करोड़ ४० लाख रुपये व्यय होगा, जिसका कुछ भाग शेयरों से एकत्र किया जायगा ।

स्थानीय निकायों की जल सम्पूर्ति स्कीमों को तेजी से चलाने के लिए सरकार ने यह निश्चय किया है कि ऐसी नगर महापालिकायें तथा नगरपालिकायें जिनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है, सरकार की पूर्व स्वीकृति से जीवन बीमा निगम से जल सम्पूर्ति (वाटर सप्लाई) स्कीमों के लिए ऋण ले सकती हैं । ८७ लाख रुपये के अनुमानित परिव्यय की पांच स्कीमें जीवन बीमा निगम से दो-तिहाई की निर्धारित सीमा तक (अर्थात् ५८ लाख रु० तक) ऋण प्राप्त करने के हेतु सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी है।

किन्तु बैंकों की कार्यवाहियों के बारे में जो कुछ मैं पहले कह चुका हूं उसके बावजूद मैं एक महत्व के विषय को सदस्यों की जानकारी में लाना चाहूंगा । अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में जमा धनराशियों के राष्ट्रीय आंकड़ों से यह विदित होता है कि १९६७ से १९६८ की तुलना में १३.०६ प्रतिशत की वृद्धि हुई । इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में जमा धनराशि में १४.७८ प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस राज्य की बहुत अधिक जनसंख्या के बावजूद प्रति व्यक्ति पीछे बैंकों में जमा धनराशि में भी इसी तरह वृद्धि हुई। उस वर्ष जब कि प्रति व्यक्ति पीछे जमा धनराशि में हुई राष्ट्रीय वृद्धि १०.१२ प्रतिशत थी, उत्तर प्रदेश में यह वृद्धि १२.०५ प्रतिशत हुई ।

इसलिये, मुझे यह खेद के साथ कहना पड़ता है कि यद्यपि इस राज्य ने बैंक में जमा धनराशियों में हुई वृद्धि के लिए काफी अंशदान दिया है, बैंकों द्वारा उत्तर प्रदेश में लगायी गयी

धनराशियां जमा-धन के अनुरूप नहीं रही हैं । १९६७ में उत्तर प्रदेश में जमा धनराशि समस्त देश में जमा धनराशियों की ७.०९ प्रतिशत थी । इसकी तुलना में इस राज्य में बैंकों द्वारा जो ऋण दिया गया वह राष्ट्रीय आंकड़े का केवल ४.१ प्रतिशत था । १९६८ की स्थिति भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं रही । वर्ष के दौरान बैंकों के ऋण में हुई वृद्धि का राष्ट्रीय आंकड़ा १५.०४ प्रतिशत था । इसकी तुलना में इस राज्य में दिये गये बैंक-ऋण में केवल २.५१ प्रतिशत की वृद्धि हुई । यदि इस आंकड़े को १९६७ में बैंकों द्वारा लगायी गयी पूंजी के संदर्भ में देखा जाय तो स्थिति की विषमता और भी स्पष्ट हो जाती है ।

बैंकों में जमा धनराशि में हुई वृद्धि से हम पर एक और भी प्रभाव पड़ा है। जैसा कि मैं बाद में भी बताऊंगा, छोटी बचतों के रूप में संगृहीत धनराशि १९६९–७० में लगभग १८ करोड़ रुपये थी । कुल संगृहीत धन, जिसमें छोटी बचतों से मिलने वाला ब्याज भी सम्मिलित है, १९६८-६९ के २३ करोड़ ३४ लाख रुपये के मुकाबले १९६९-७० में २२ करोड़ ६१ लाख रुपये हो गया । सम्पन्नता में, विशेषकर कृषि संबंधी सम्पन्नता में सामान्य रूप से वृद्धि होने पर संगृहीत धन में भी स्पष्टतया उल्लेखनीय वृद्धि होनी चाहिये थी जो नहीं हुई । छोटी बचतों से संगृहीत कुल धनराशि में कमी होने का एक मुख्य कारण यह रहा है कि बैंकों की जमा धनराशि में वृद्धि हुई है जिससे छोटी बचतें करने वालों की बचत की धनराशि का अधिक भाग बैंकों की जमा धनराशि में चला गया । इससे इस राज्य के साधनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है क्योंकि राज्य के भीतर सभी छोटी बचतों द्वारा संगृहीत धनराशियों का दो-तिहाई भाग इस राज्य को विकास के प्रयोजनों के लिए उपलब्ध कराया जाता है । राज्य सरकार बैंकों में की गयी जमा धनराशि से प्रत्यक्षतया लाभान्वित नहीं होती । इन परिस्थितियों में यह और भी आवश्यक है कि अनुसूचित बैंकों को इस राज्य में अपनी लगायी गयी पूंजी को बढ़ाना चाहिये ।

हमारे राज्य में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कम धनराशि लगाये जाने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण निस्संदेह यह रहा है कि १९६७ के अन्त में इस राज्य में वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं, कार्यालयों की संख्या केवल ६१५ थी जबकि समस्त देश में यह संख्या ६,७८२ थी जो केवल ९.१ प्रतिशत होती है । उत्तर प्रदेश में १३८ हजार की औसत जनसंख्या पर एक बैंक कार्यालय था जबकि सम्पूर्ण देश में इस जनसंख्या का औसत ७५ हजार था । इस बात के पूरे प्रयत्न किये जा रहे हैं कि इस राज्य में ऐसे बैंक कार्यालय अधिक से अधिक संख्या में खुलवाये जायं, जो बैंक रहित क्षेत्रों की स्थिति के अनुसार उपयुक्त स्थान पर स्थित हों । इसके लिए विशेष ध्यान उत्पादन तथा व्यापार केंद्रों की ओर दिया जाना चाहिये चाहे उनकी औसत जनसंख्या कम ही क्यों न हो। इस प्रसंग में राज्य के पिछड़े अंचलों की ओर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये । हमारे प्रयत्नों के फलस्वरूप राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा देश में आगामी मासों में खोली जाने वाली १,३५० शाखाओं में से उत्तर प्रदेश को १५० अतिरिक्त शाखायें निर्दिष्ट की गयी हैं । राज्य सरकार इस विनियोजन की कमी हो पूरा कराने का प्रभावकारी प्रयास जारी रखेगी ।

राज्य के संगठित उद्योग की दशा

यह बात सर्वविदित है कि राज्य की अधिकांश सूती मिलों की हालत खराब है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सूती वस्त्र निगम की स्थापना के साथ ही, राज्य में भी दुर्व्यवस्थित मिलों की देखरेख के हेतु एक "राज्य वस्त्र निगम" गठित किया गया है। यह निगम सूती मिलों की समस्याओं का गम्भीरता से अध्ययन करेगा और उन मिलों को भी चलायेगा जो औद्योगिक विकास तथा विनियमन अधिनियम के अधीन सरकार के अधिकार में ली जायं ।

यह वस्तुतः सभी स्वीकार करते हैं कि इस राज्य की अधिकांश चीनी मिलें उत्पादकों तथा सामान्य जनता के सर्वाधिक हित में नहीं चल रही हैं । इनमें से बहुत सी मिलों के ऊपर (सरकार तथा उत्पादकों एवं कर्मचारियों की भविष्य-निधि आदि की) बड़ी-बड़ी देय धनराशियां काफी समय से पड़ी हुयी थीं। इसलिये सरकार को विवश होकर "रिसीवरों"

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

की नियुक्ति करके ऐसी मिलों को अपने अधिकार में लेना पड़ा जो लगातार भुगतान करने में चूक कर रही थी । रिसीवरों द्वारा चलाई जाने वाली ऐसी मिलों की तात्कालिक वित्तीय आवश्यकताओं जैसे किसानों को गन्ने की कीमत का भुगतान आदि की पूर्ति करने हेतु मार्च के अन्त में ३ करोड़ ५० लाख रुपये के कुल ऋण सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये । आवश्यक रक्षात्मक उपाय करने के बाद सरकार ने बैंकों को ऐसी मिलों के वास्ते नकद ऋण की धनराशि की सीमा व्यवस्थित करने के लिए लगभग १० करोड़ रुपये की गारंटी भी दी है ताकि उनका सुचारू-रूप से चलना सुनिश्चित हो सके । सरकार ने उत्तर प्रदेश की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सिद्धांततः यह निश्चय किया कि उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों को अधिकार में लेने के संबंध में निर्णय लिया जाय । यह स्पष्ट है कि मिलों को अधिकार में लेने के तरीके तथा उसमें सन्निहित विभिन्न समस्याओं पर सावधानी से विचार करने की आवश्यकता है । एक समिति इस मामले कि जांच कर रही है और उसकी रिपोर्ट जल्दी ही उपलब्ध हो जाने की आशा है । म सम्मानित सदन को सरकार के इस दृढ़ संकल्प से आश्वस्त करना चाहता हूं कि वह प्रदेश की चीनी मिलों की सुव्यवस्था, सुचालन एवं समुचित नवीनीकरण सुनिश्चित करने के लिये कृतसंकल्प है, ताकि किसानों, मजदूरों व उपभोक्ता जनता के हितों की पूरी रक्षा हो सके ।

१९६९–७० के दौरान योजना की उपलब्धियां तथा १९७०–७१ की योजना की प्रमुख विशेषतायें ।

अब मैं विकास विभागों की १९६९–७० के दौरान कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों तथा उनके चालू वर्ष के कार्यक्रमों का उल्लेख करूंगा ।

कृषि—राज्य की ग्रामीण जनसंख्या में मुख्यतः छोटे किसान या भूमिहीन खेतिहर मजदूर आते हैं । इस प्रसंग में सरकार ऐसे उपायों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है जो इस उद्देश्य से किये जायं कि ग्रामीण जनसंख्या के इन अपेक्षाकृत कमजोर वर्गों को ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक विकास के लाभों में सहभागी बनाया जा सके । ये विशिष्ट कार्यक्रम छोटे किन्तु आत्मनिर्भर होने की क्षमता रखने वाले किसानों, अर्ध-उत्पादन क्षमता वाले (सब-मार्जिनल किसानों, शुष्क असिंचित भूमि पर खेती करने वाले किसानों तथा लगातार सूखा पड़ने वाले क्षेत्रों की हालत सुधारने के लिये तैयार किये जाते हैं । भारत सरकार की एक स्कीम के अधीन छोटे किन्तु आत्मनिर्भर होने की क्षमता वाले किसानों की दशा सुधारने के लिये कुछ चुने हुए जिलों में से प्रत्येक में एक "लघु कृषक विकास एजेंसी" खोलने का विचार है जो एक रजिस्टर्ड समिति होगी और जिसके मुख्य कार्य इस प्रकार होंगे—अपने क्षेत्र में छोटे किसानों की समस्याओं का पता लगाना, तदनुसार समुचित कार्यक्रम तैयार करना, सामग्री (इनपुट्स) सेवाओं तथा ऋण की उपलब्धता निश्चित करना तथा समय समय पर प्रगति का मूल्यांकन करना । राज्य सरकार ने भारत सरकार के विचारार्थ कुछ जिलों में ऐसी एजेंसियों की स्थापना क लिये कुछ प्रयोजनायें पहले ही तैयार की हैं । भारत सरकार की अन्य ३ स्कीमों जो अर्ध-उत्पादन क्षमता वाले किसानों तथा खेतिहर मजदूरों, शुष्क भूमि पर कृषि करने तथा लगातार सूखा पड़ने वाले क्षेत्रों में ग्रामीण निर्माण कार्य प्रयोजनाओं से संबंधित है, का पूर्ण लाभ उठाने के प्रस्तावों पर भी कायवाही हो रही है । वास्तव में राज्य सरकार ने इन स्कीमों के अधीन अपेक्षाकृत अधिक धनराशि नियत करने के लिये कार्यक्रम प्रस्तुत कर दिये हैं ।

कृषि महाविद्यालय, कानपुर का उच्चीकरण (अपग्रेडिंग) करके उसे ऐसे विश्वविद्यालय का दर्जा देने के प्रश्न की भी जो कि मध्य तथा पूर्वी-उत्तर प्रदेश तथा बुन्देलखंड डिवीजनों की कृषि (शोध) रिसर्च संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, जांच की जायगी । किसानों के हित में ट्रैक्टरों के लिये "अंश दो क्रय करो" (हायर पर्चेज) प्रणाली चालू करने का भी प्रस्ताव है । राज्य में ऐसे संस्थानों की स्थापना के प्रश्न पर भारत सरकार से वार्ता चल रही है जिनमें आमों के उत्पादन संबंधी प्रश्नों पर रिसर्च हो सके ।

अच्छी किस्म के बीजों के छटाब, संग्रह तथा क्रय-विक्रय के हेतु तराई विकास निगम की स्थापना की गयी है और विश्व बैंक के साथ १८ जून, १९६९ को हुए एक अनुबन्ध के अधीन बैंक से ५ वर्ष की अवधि में १ करोड़ ३० लाख डालर का ऋण लेने का करार किया गया है। मुझे विश्वास है कि सदन तराई क्षेत्र में बीज विकास की इस प्रयोजना के दूरगामी महत्व को भलीभांति समझेगा, ताकि चौथी योजना-अवधि के दौरान समस्त देश के लिये अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम के लक्ष्य की ३० प्रतिशत की पूर्ति के वास्ते अच्छे किस्म के बीज की व्यवस्था हो सके।

पन्तनगर विश्वविद्यालय ने स्वयं भी ९५७६ एकड़ के कुल क्षेत्र में रबी और खरीफ दोनों फसलों के वास्ते बीज आदि तैयार करने का कार्यक्रम बनाया है। चालू वर्ष के दौरान इस विश्वविद्यालय में ५९ लाख रुपये से अधिक की धनराशि का पूंजीगत निर्माण कार्यों में व्यय होने का आयोजन है। यह आशा है कि चालू वर्ष के दौरान पन्तनगर विश्वविद्यालय फार्म से लगभग १ करोड़ रुपये का लाभ होगा। विश्वविद्यालय ने गेहूं और सोयाबीन की त्रिविधि जीन (ट्रिपिल जीन) वाली नई किस्मों के विकास की दिशा में भी प्रशंसनीय कार्य किया है।

वर्ष १९६९–७० में ८ लाख ४२ हजार टन अतिरिक्त खाद्यान्न पैदा होने का अनुमान था। १९६९–७० के त्वरित अनुमानों के अनुसार खाद्यान्नों का उत्पादन १७२ लाख टन होगा। १९७०–७१ के लक्ष्य के अनुसार ९ लाख ५० हजार टन अतिरिक्त खाद्यान्न पैदा होना चाहिये। इन लक्ष्यों की पूर्ति, अन्य बातों के साथ-साथ अधिक उपज देने वाली किस्म की फसलों के क्षेत्र जो १९६९–७० में ४५ लाख हेक्टेयर था, बढ़ाकर १९७०–७१ में ५० लाख हेक्टेयर करके और रासायनिक उर्वरकों के वितरण को, जो १९६९–७० में ४ लाख ११ हजार टन था, बढ़ाकर १९७०–७१ में ६ लाख टन करके की जायगी। सभी प्रकार की तकावी के लिये की गयी व्यवस्था का अधिकांश भाग छोटे किसानों के लिये उपलब्ध है। छोटे किसानों की विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करने तथा उनके संबंध में परामर्श देने के लिये एक सलाहकार परिषद् भी गठित की गयी है, जिसमें छोटे किसानों के प्रतिनिधि भी रखे गये हैं।

आजमगढ़ में दोहरीघाट में एक भू-संरक्षण स्कीम और पर्वतीय क्षेत्रों में फल की पट्टियां और उद्यान लगाने के लिये एक व्यापक स्कीम इस क्षेत्र में योजना की १९७०–७१ की दूसरी मुख्य विशेषता है।

उद्योग

प्रदेश में उद्योग के क्षेत्र में तीन केन्द्रीय क्षेत्र के उद्योगों अर्थात् कानपुर की माडर्न बेकरीज, टूंडला की एक्सीलरेटेड ड्राइड फ्रोज्ड मीट प्लान्ट तथा त्रिवेनी स्ट्रक्चरल्स, नैनी ने जिनमें क्रमशः १ करोड़ रुपये, ३ करोड़ रुपये और ६ करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है, उत्पादन आरम्भ कर दिया है। केन्द्रीय क्षेत्र में हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स एक्सेसरीज फैक्टरी, लखनऊ (लागत सात करोड़ रुपये) तथा इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज फैक्टरी, नैनी (लागत पांच करोड़ रूपये) की स्थापना के संबंध में प्रारम्भिक कार्य आरम्भ कर दिया है। केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय क्षेत्र की प्रायोजनाओं में कुल लगभग २,४५० करोड़ रुपये का विनियोजन किया है, जिसमें से राज्य में केन्द्रीय क्षेत्र की प्रायोजनाओं में केवल लगभग १४८ करोड़ रुपये का विनियोजन किया गया है। इन प्रायोजनाओं में, उत्तर प्रदश का भाग ६ प्रतिशत से भी कम होता है जो कि प्रत्यक्षतः अपर्याप्त है और इस बात के पूरे प्रयत्न किये जा रहे हैं कि केन्द्रीय क्षेत्र की प्रायोजनायें हमारे प्रदेश में अधिक संख्या में चालू की जायं।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

गैर सरकारी क्षेत्र (सेक्टर) में कानपुर में इंडियन एक्सप्लोसिव्स, जे० के० इलेक्ट्रानिक्स, रेनुकोट में हिन्दल को (एक्सपेंशन) तथा मोदी नगर में मोदीपोन फैक्टरियां चालू हो गयी हैं। औराई की पांचवी सहकारी चीनी मिल के अगले पेराई के मौसम से पेराई आरम्भ करने की संभावना है। डल्ला की दूसरी सहकारी सीमेंट फैक्टरी द्वारा भी शीघ्र ही उत्पादन शुरू कर दिया जायगा। मथुरा में गैर-सरकारी क्षेत्र में एक उर्वरक फैक्टरी स्थापित करने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। गाजियाबाद में एक पोलीएस्टर फाइवर प्लान्ट और रायबरेली में एक सूती मिल के संबंध में शीघ्र कार्य आरम्भ किये जाने की संभावना है।

यद्यपि सरकार और अधिक संख्या में औद्योगिक प्रायोजनायें राज्य में चालू करना चाहती है, तथापि सरकार मौजूदा दुर्व्यवस्थित यूनिटों को फिर चालू करने या छोटे पैमाने पर काम करने वाले उद्यम-कर्ताओं को सहायता देने की आवश्यकता के प्रति भी सतर्क है। छोटे पैमाने के उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों को ऋण वितरित करने के लिये ६४ लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है।

राज्य में औद्योगिक वातावरण उत्पन्न करने के लिये राज्य सरकार ने यथासम्भव कार्यवाहियां की है जिनमें नये उद्योगों को दी जाने वाली सस्ती जमीन और बिजली, आसान शर्तों पर ऋण, बिक्री-कर से छूट जैसी विभिन्न रियायतें भी सम्मिलित हैं। इस पृष्ठ भूमि में मुझे आशा है कि उद्योग-कर्त्ता हमारी उद्योग नीति के आधार पर उत्तर प्रदेश में अधिकाधिक उद्योग लगायेंगे। राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के जरिये पर्वतीय क्षेत्रों में एक औद्योगिक सर्वेक्षण किया गया था जिसका सुझाव है कि पर्वतीय जिलों में विभिन्न प्रकार की ७५ यूनिटें स्थापित की जायं। राज्य के भूगर्भ तथा खनिकर्म निदेशालय द्वारा किये गये अन्वेषणों से यह विदित हुआ है कि बांदा में मेटल ग्रेड औक्साइड की, झांसी में तांबे की इस संभाग तथा टेहरी-गढ़वाल में वेरिटलेड की खानों के वाणिज्यिक उपयोग की संभावनायें हैं। देहरादून में चूने का पत्थर उपलब्ध होने से वहां एक सीमेंट प्लान्ट स्थापित करने की सम्भावना हो गई है और भारत के सीमेंट निगम ने इन खानों के लिये एक माइनिंग पट्टा पहले ही प्राप्त कर लिया है। राज्य में वनों पर आधारित उद्योग की जांच के लिये स्थापित समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के भी प्रयत्न किये जा रहे हैं।

चिकित्सा तथा स्वास्थ्य—राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रभावपूर्ण प्रयत्नों के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टर रहित औषधालयों की संख्या १ जनवरी, १९६९ के ५४४ से घटकर जनवरी, १९७० में ६० रह गयी है। इससे राज्य की ग्रामीण जनता की एक लम्बे अरसे से चली आने वाली शिकायत बहुत सीमा तक दूर हो जानी चाहिये।

बजट में सरकार द्वारा ऐसे २० औषधालयों को अपने अधिकार में लेने की व्यवस्था की गयी है, जो अब तक जिला परिषदों द्वारा चलाये जाते रहे हैं। इनमें से अधिकांश औषधालय असंतोषजनक ढंग से कार्य करते रहे हैं और अब आशा करनी चाहिये कि इनके प्रान्तीयकरण से संबंधित क्षेत्रों की जनता को अवश्य कुछ राहत मिलेगी।

इस वर्ष गोरखपुर में मेडिकल कालेज भवन का शिलान्यास किया गया। यह आशा की जाती है कि झांसी मेडिकल कालेज के जो छात्र मेरठ में दाखिल किये गये हैं वे १९७०-७१ के दौरान झांसी जा सकेंगे। १९७०-७१ के कार्यक्रम में २ एलोपैथिक, १५ आयुर्वेदिक तथा ५ होम्योपैथिक चिकित्सालयों, ६ रक्त बैंकों, ७ दंत चिकित्सालयों तथा २ बच्चों के क्लीनिकों का खोला जाना सम्मिलित है। सरकार आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धतियों के विकास को भी अधिक महत्व देती है। सामान्यतः इन सभी पद्धतियों और विशेषकर होम्योपैथिक वायोकेमिक पद्धतियों को अधिक लोकप्रिय बनाने के संबंध में सुझाव देने

के लिये सरकार द्वारा एक उच्चाधिकार समिति का गठन किया गया है। परिवार नियोजन के कार्य को पूर्ववत् बड़ा महत्व दिया गया है और इसके लिये ८ करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गयी है।

राज्य लाटरी निधि का सृजन राज्य के चिकित्सालयों तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं के लिये बड़ा उपकारी सिद्ध हुआ है। लाटरी की आय के उनके हिस्से के रूप में, जिलों में चिकित्सालयों को ५८ लाख रुपये दिये गये और राज्य के विभिन्न चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थाओं को चिकित्सालय-निधि समिति द्वारा स्वीकृत प्रायोजनायें चालू करने के लिये ५८ लाख रुपये की एक और धनराशि उपलब्ध की गयी। पहली चार लाटरियों की आय से दिये गये १ करोड़ १६ लाख रुपये के ये अनुदान सरकारी तथा गैर सरकारी चिकित्सालयों, औषधालयों और चिकित्सा संस्थाओं में अति अपेक्षित सुविधाओं की वृद्धि करने में निस्संदेह सहायक सिद्ध हुये हैं। इस प्रयोजन के लिये लाटरी स्कीम को वर्ष १९७०–७१ में भी चालू रखने का प्रस्ताव है। परन्तु यह निश्चय किया गया है कि समिति द्वारा अब केवल चिकित्सा योजना में शामिल प्रायोजनाओं के लिये ही अनुदान स्वीकृत किये जायेंगे।

पेय जल की व्यवस्था—पिछले वित्तीय वर्ष के अन्त तक १४६ शहरी जल सप्लाई स्कीमें और ४० भूगर्भ मल-निकास प्रणाली (सीवरेज) तथा जल-निकास (ड्रेनेज) की स्कीमें पूरी की गयीं। १९७०–७१ में ८० पहले से चली आ रही तथा २ नयी शहरी जल-सप्लाई की स्कीमों और ४ नयी भू-गर्भ मल-निकास प्रणाली की स्कीमों पर काम किया जायगा। चालू वर्ष के लिये शहरी स्कीमों के निमित्त २ करोड़ ८८ लाख रुपये की धनराशि नियत की गयी है। पिछले वर्ष गांवों में जल सप्लाई की स्कीमों के लिये की गयी ४ करोड़ ४८ लाख रुपये की व्यवस्था के फलस्वरूप यह आशा की जाती है कि ६९७ गांवों के २ लाख ४० हजार व्यक्ति लाभान्वित होंगे। यह सुविधा उस लाभ के अतिरिक्त होगी जो पर्वतीय क्षेत्रों में अलग से स्वीकृत पेय जल स्कीमों से लगभग एक हजार गांवों के एक लाख व्यक्तियों को प्राप्त होगी।

शिक्षा—वर्ष १९६९–७० के दौरान राज्य सरकार ने प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों, जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों, सेकेंडरी स्कूल के अध्यापकों, डिग्री कालेजों और विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा गैर-शिक्षक कर्मचारियों के वेतन-मानों एवं मंहगाई भत्ते के पुनरीक्षण के फलस्वरूप होने वाले लग भग ९ करोड़ रुपये के अतिरिक्त दायित्व का भार अपने ऊपर लिया। सरकार बहुत चाहती है कि सेकेंडरी स्कूलों के कर्मचारियों को उनका वेतन नियमित रूप से मिले और इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कार्यवाहियां विचाराधीन हैं। सरकार प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के वेतन के नियमित भुगतान से संबंधित प्रश्न पर भी विचार कर रही है।

उत्तराखंड विश्वविद्यालय का स्थान निर्धारित करने के लिये नियुक्त विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें प्राप्त हो गयी हैं और उन पर विचार किया जा रहा है।

सरकार के सभी कार्यालयों में हिन्दी में काम करने के आदेश पहले से ही है। अब यह निश्चय किया गया है कि न्यायिक (जुडीशियल) प्रकार के मामलों में भी ऐसे सभी अधिकारियों/प्राधिकारियों को, जो सीधे सरकार के नियंत्रण में हैं, अपने फैसलों में हिन्दी का प्रयोग करना चाहिये। तदनुसार राजस्व, चकबन्दी, परिवहन और बिक्रीकर विभाग से संबंधित अधिकारियों/प्राधिकारियों के नाम आदेश जारी किये गये हैं कि वे अपने फैसलों में १ अप्रैल, १९७० से हिन्दी का प्रयोग करें—इनमें से कुछ सभी मामलों में और कुछ क्रमिक रूप में हिन्दी का प्रयोग करेंगे।

हिन्दी में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें तैयार करने तथा उन्हें प्रकाशित करने के लिये भी एक निगम स्थापित किया गया है। राज्य सरकार भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी की समृद्धि के लिये प्रत्येक संभव प्रयत्न करने को कटिबद्ध है।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

उर्दू की तरक्की के लिये १२ लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। सरकार राज्य में उर्दू की शिक्षा को बहुत अहमियत देती है।

सिंचाई—पिछले वर्ष बड़ी तथा मध्यम स्कीमों के द्वारा जिनमें डाल (लिफ्ट) सिंचाई की स्कीमें भी शामिल थीं, १ लाख ३३ हजार हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि में सिंचाई की क्षमता सृजित किये जाने का प्रस्ताव था। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ७९ हजार हेक्टेयर भूमि में अतिरिक्त क्षमता सृजित करने के लिये बड़ी तथा मध्यम स्कीमों के वास्ते १९ करोड़ ९३ लाख रुपये की धनराशि नियत की गयी है। राज्य की छोटी सिंचाई स्कीमों, राजकीय नलकूपों तथा लघु डाल (लिफ्ट) सिंचाई स्कीमों पर क्रमशः ११ करोड़ रुपये, ६ करोड़ ५० लाख रुपये तथा ३ करोड़ ९८ लाख रुपये का परिव्यय होगा, जिससे १ लाख १२ हजार हेक्टेयर में सिंचाई की संभाव्य क्षमता सृजित होगी। १९७०–७१ में बाढ़ नियंत्रण के लिये २ करोड़ रुपये की धनराशि पृथक से रखी गयी है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिये १०० करोड़ रुपये की शारदा सहायक योजना १९७०–७१ के दौरान शुरू हो जायगी। इस योजना के पूरी हो जाने पर २९ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई की अतिरिक्त सुविधायें उपलब्ध होने की आशा है। राज्य सरकार इस बात पर भी गंभीरता से विचार कर रही है कि चौथी योजना के दौरान इस योजना के लिये २९ करोड़ ५० लाख रुपये की जो व्यवस्था की गयी है उसके अतिरिक्त कुछ और धनराशि भी प्राप्त कर पाना संभव है या नहीं।

लघु सिंचाई स्कीम के अन्तर्गत पिछले वर्ष के दौरान ७४,००० नलकूपों और पम्पिंग सेटों के लगाये जाने का कार्य पूरा होने की आशा थी। चालू वर्ष के दौरान ७०,००० पक्के कुओं, ३०,००० रहटों, ३०,००० पम्पिंग सेटों और ४०,००० निजी नलकूपों की व्यवस्था होने का लक्ष्य है।

विद्युत—सदन को यह ज्ञात ही है कि चौथी योजना में बिजली उत्पादन एवं वितरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है। आशा की जाती है कि चौथी योजना अवधि के अन्त तक ११७० मेगावाट की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता सृजित हो जायगी। १९७०–७१ में ३०,००० व्यक्तिगत नलकूपों में बिजली लगाने का लक्ष्य है जिसमें उपभोक्ता निक्षेप स्कीम (कन्ज्यूमर डिपाजिट स्कीम) के अधीन १२,००० नलकूप भी सम्मिलित हैं। पिछले वित्तीय वर्ष के अन्त तक लगभग ३,००० गांवों में बिजली लग जाने की आशा थी। अक्तूबर, १९७० तक २,००० और गांवों का विद्युतीकरण हो जाने की आशा है। गेटी छिरा तथा देव प्रयाग की छोटी पर्वतीय जल विद्युत स्कीम के अधीन १९७०–७१ में पर्वतीय क्षेत्रों में १९० किलोमीटर लाइनें तथा ७ सम्बद्ध उप केन्द्र (सब-स्टेशन) निर्मित हो जायेंगे। बुन्देलखंड क्षेत्र के विद्युतीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जायगा।

वर्ष १९६९–७० के दौरान यमुना जल विद्युत स्कीम के भाग १ और २ पर लगभग १० करोड़ ५६ लाख रुपये व्यय किये गये। वर्ष के दौरान २८.२५ मेगावाट क्षमता की अधिष्ठापना के साथ भाग १ पूरा हो जायगा, ऐसी आशा है। भाग २ पर कार्य चल रहा है। ओबरा जल विद्युत स्कीम के अन्तर्गत ३३ मेगावाट की क्षमता अधिष्ठापित की जा चुकी है। आशा है कि ६६ मेगावाट की और क्षमता चालू वर्ष के दौरान अधिष्ठापित की जायगी जिससे इस स्कीम की नियोजित अधिष्ठापित क्षमता ९९ मेगावाट की पूर्ति हो जायेगी। १९६८–६९ तक ओबरा ताप विद्युत स्कीम के अन्तर्गत १५० मेगावाट क्षमता अधिष्ठापित की जा चुकी थी। पिछले वर्ष के दौरान और ५० मेगावाट क्षमता अधिष्ठापित की जा चुकी है और आशा की जाती है कि इस प्रायोजना पर चालू वर्ष में निर्माण कार्य पूरा हो जायगा। हरदुआगंज स्कीम के प्रक्रम ४ के अन्तर्गत ११० मेगावाट की और क्षमता अधिष्ठापित की जायगी। उम्मीद है कि यह कार्य भी चालू वर्ष के दौरान पूरा हो जायगा। रामगंगा, माताटीला आदि जैसी अन्य बड़ी जल विद्युत प्रायोजनाओं में भी प्रगति हो रही है।

आणविक शक्ति आयोग (ऐटामिक एनर्जी कमीशन) द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक आणविक विद्युत केन्द्र तथा राज्य के आगरा, मेरठ और रुहेलखंड डिवीजनों के अन्तर्गत एक कृषि-औद्योगिक संस्थान श्रृंखला (काम्प्लेक्स) स्थापित करने की वांछनीयता के सम्बन्ध में अध्ययन हो रहा है। इस स्कीम में १,२०० करोड़ रुपये के लगभग धनराशि लगाये जाने की परिकल्पना की गयी है और उस लगायी गयी पूंजी पर ६५ प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक आय होने की आशा है। इस स्कीम में उर्वरक संयंत्रों, एक अलुमीनियम फैक्ट्री तथा लगभग २६,००० नलकूपों के लिये व्यवस्था की गयी है, जिन्हें प्रस्तावित आणविक विद्युत केन्द्र से शक्ति मिलेगी। हम भारत सरकार तथा आणविक शक्ति आयोग से राज्य में इस विशाल स्कीम को जल्दी कार्यान्वित करने तथा इसके लिये उसके समक्ष अपने उचित दावों पर जोर देने के लिये सम्पर्क स्थापित किये हुये हैं।

संचार—राज्य में, मार्च, १९६९ में २९,२०० किलोमीटर सड़कें थीं और मार्च, १९७० के अन्त तक २६० किलोमीटर सड़कें और बढ़ायी जाने वाली थीं। १९७०–७१ के दौरान यह प्रस्ताव है कि ३७० किलोमीटर मौजूदा सड़कों का सुधार किया जाय और उन्हें फिर से बनाया जाय तथा २४८ किलोमीटर नयी सड़कों (जिनमें १०४ किलोमीटर की ग्रामीण सड़कें सम्मिलित हैं) तथा १३ नये पुलों का निर्माण किया जाय।

सहकारिता—उत्पादन बढ़ाने के हेतु किसानों को अपेक्षित सामग्री की पूर्ति के लिये सहायता देने की दिशा में जिला सहकारी बैंक तथा भूमि विकास बैंक काफी सफल सिद्ध हुये हैं। ये सहकारी संगठन पिछले वर्ष ८३ करोड़ रुपये ऋण की व्यवस्था कर सके थे, अनुमान है कि यह धनराशि १९७०–७१ में बढ़ कर लगभग ९३ करोड़ रुपये हो जायगी। इस वर्ष मुरादाबाद में एक शिशु आहार फैक्टरी (बेबी फूड फैक्टरी) स्थापित की गयी है और कानपुर दुग्ध सप्लाई स्कीम चालू कर दी गयी है। ऐसी सम्भावना है कि १९७०–७१ के दौरान सहकारी क्षेत्र में दूध का दैनिक वितरण २०,००० लिटर तक होने लगेगा। १९७०–७१ के दौरान फैजाबाद मथुरा तथा गोरखपुर में नयी दुग्धशालायें स्थापित की जायेंगी।

बुलन्दशहर में एक सहकारी कताई मिल तथा बदायूं में एक सहकारी बनस्पति घी उत्पादक यूनिट ३ करोड़ ४६ लाख रुपये की अनुमानित लागत से स्थापित की जा रही है। इटावा की सहकारी कताई मिल की कार्यविधि को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से सरकार बजट वर्ष में उस की अंश पूंजी (शेयर कैपिटल) में २५ लाख रु० की और धनराशि विनियोजित करने का विचार कर रही है।

श्रमिक कल्याण—तुलनात्मक रूप से राज्य में पिछले वर्ष में औद्योगिक शान्ति संतोषप्रद रही। सरकार ने कपड़ा, चीनी, चमड़ा तथा चमड़े से निर्मित वस्तुओं के उद्योगों के लिये स्थापित वेज बोर्डों की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये त्रिदलीय सम्मेलनों में श्रमिकों तथा सेवा-योजकों के प्रतिनिधियों से परामर्श किया। श्रमजीवी, पत्रकारों, गैर-पत्रकारों, उर्वरकों तथा रासायनिक उद्योगों के मजदूरी बोर्डों की सिफारिशें इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, १९४७ की धारा ३ के अधीन त्रिदलीय विचार-विमर्श होने के बाद लागू की गयीं।

वृद्धावस्था पेंशन स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या १५,८०२ तक पहुंच गयी है। राज्य-सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह निर्माण स्कीम के अधीन दिसम्बर, १९६९ के अन्त तक २७,९६३ गृहों का निर्माण हो चुका है।

राजस्व—जैसा कि सदस्यों को विदित है यह राज्य भूमि सुधार के मामले में अग्रणी रहा है। अब तक किये गये उपायों की कार्यविधि का मूल्यांकन करने तथा सरकार की भूमि सुधार नीति के समुचित कार्यान्वयन के लिये उपाय और साधनों के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिये एक भूमि सुधार कार्यान्वयन समिति नियुक्त की गयी है।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

अलाभकर जोतों पर भू-राजस्व समाप्त करने के निर्णय का पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। राज्य के तराई क्षेत्रों में १ लाख ७१ हजार एकड़ भूमि तथा अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के लागू होने के फलस्वरूप इस समय उपलब्ध लगभग एक लाख एकड़ भूमि १९७०-७१ के दौरान भूमिहीन मजदूरों को वितरित की जायगी।

तराई क्षेत्रों में भूमि का सर्वेक्षण तथा पुनः बन्दोबस्त कराने का भी निर्णय किया गया है।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है जिससे अनुसूचित जन जातियों का कोई खातेदार अपनी जाति से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को अपनी भूमि का संक्रम जिला मैजिस्ट्रेट की स्वीकृति प्राप्त करके ही कर सकेगा।

यह निश्चय किया गया है कि चीनी मिलों के फार्मों की वह भूमि, जिसे उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, १९६० के अधीन अतिरिक्त भूमि घोषित किया गया हो, गांवों में रहने वाले भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को स्थायी रूप से उस दशा में दे दी जाय, जब कि सहकारिता, कृषि, उद्योग तथा कारागार विभागों को अपने काम के लिये ऐसी भूमि की आवश्यकता न हो।

वर्ष १९६९-७० में भयंकर सूखा पड़ा और बाढ़ें आयीं। इस कारण सरकार ने भू-राजस्व में १ करोड़ २२ लाख रुपये की छूटें दीं। इसके अतिरिक्त, २५ लाख ३८ हजार रुपये के भू-राजस्व की वसूली स्थगित की गयी और उन क्षेत्रों में, जहां १९६९ की बाढ़ में १३७७ फसली खरीफ की फसल को ५० प्रतिशत तक नुकसान पहुंचा था, भू-राजस्व की वसूली स्थगित कर दी गयी। १९६९-७० में स्वीकृत की गयीं १ करोड़ ६५ लाख रुपये की विपत्ति में दी जाने वाली तकावी के अलावा सरकार ने सूखा सहायता पर ३ करोड़ ३८ लाख रुपये व्यय किये, जिसमें पेय जल की सुविधाओं इत्यादि के लिये २ करोड़ ५० लाख रुपये की धनराशि सम्मिलित है।

विविध विषय—(१) सरकार ने उस समिति की अधिकांश सिफारिशें मान ली हैं जो स्थानीय निकायों में काम करने वाले सफाई मजदूरों की सेवा की शर्तों और मजदूरी की जांच करने के लिये नियुक्त की गई थी। सरकार ने श्रेणी २ से ६ तक के स्थानीय निकायों के पूर्णकालिक सफाई-मजदूरों के वेतन-मान भी पुनरीक्षित कर दिये हैं जिससे सभी श्रेणियों के स्थानीय निकायों के सफाई-मजदूरों के वेतनमानों में एकरूपता आ गयी है। सफाई-मजदूरों को दी जाने वाली वर्दी की संख्या में भी वृद्धि कर दी गयी है।

(२) पंचायत मंत्रियों का जो जिला परिषद् के कर्मचारी हैं, वेतन-मान भी ५०-७५ रु० से बढ़ा कर ७५-११५ रुपये कर दिया गया है। पंचायतराज अधिकारियों के लिये उनके संवर्ग की कुल संख्या के १२ १/२ प्रतिशत तक का सेलेक्शन ग्रेड बनाने का प्रस्ताव है।

(३) यह एक आम भावना है कि हमारी न्याय प्रणाली बिलम्बकारी है और इसकी प्रक्रिया में जनसाधारण को बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। अतः सरकार द्वारा मामलों के निपटारे में बिलम्ब के कारणों, प्रक्रिया-नियमावलियों तथा अन्य ऐसी बातों जिनके कारण मामलों को निपटाने में बिलम्ब होता है या जो बिलम्ब में सहायक होती हैं और न्याय मांगने वाले पक्षों को परेशानी होती है, वे कारण जिनकी वजह से पक्षों को व्यर्थ का व्यय करना पड़ता है या जिनके कारण जनसाधारण को न्याय प्राप्त करने में बिलम्ब होता है, झूठी गवाहियों की विद्यमानता और अधीनस्थ न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारणों पर विशेष रूप से ध्यान देते हुये सामान्यतः राज्य में न्याय प्रशासन प्रणाली की पूरी जांच कर संस्तुतियां देने के लिये उच्च न्यायालय के एक सेवा-निवृत्ति न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विधि आयोग (ला कमीशन) स्थापित किया गया है।

(४) सरकार मद्य निषेध की नीति के कार्यान्वयन को काफी महत्व देती है। पिछले वर्ष उत्तराखंड के तीन जिलों में मद्य-निषेध लागू किया गया था। अब सरकार ने इनके अतिरिक्त टेहरी-गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल के दो और जिलों में तथा १ जुलाई, १९७० से इलाहाबाद, वाराणसी और मथुरा के धार्मिक नगरों में मद्य-निषेध लागू करने का निश्चय किया है। इन सब कार्यवाहियों के फलस्वरूप आबकारी की प्राप्तियों में प्रति वर्ष लगभग १ करोड़ ७० लाख रुपये की हानि होने की सम्भावना है। सरकार इस हानि को पूरा करने के उपाय तथा साधनों पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

(५) शांति तथा व्यवस्था बनी रहने पर ही सभी प्रकार की प्रगति के लिये उपयुक्त वातावरण सम्भव है। माननीय सदस्यों को विदित है कि पिछले वर्षों में पुलिस आयोग द्वारा की गयी अनेक सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया था। अब चालू वर्ष के दौरान पुलिस आयोग की सिफारिशों के द्वितीय तथा तृतीय भागों को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। इसमें लगभग ८७ लाख रुपया व्यय होगा। हाल ही में हुये वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सम्मेलन द्वारा की गयी सिफारिशों के आधार पर ७४ लाख रुपये के अनुमानित व्यय पर पुलिस व्यवस्था के कुछ और सुधारों को लागू करने का निश्चय किया गया है। अपराधों को छिपाने तथा अपर्याप्त जांच आदि समस्याओं का अध्ययन करने के लिये एक पुलिस आयोग नियुक्त किया गया है जिसके अध्यक्ष उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश होंगे। इस आयोग के सदस्यों में से एक सदस्य एक सेवा-निवृत्ति पुलिस महानिरीक्षक होंगे। आयोग से तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देने को कहा गया है।

(६) सरकार सार्वजनिक सेवाओं में सत्यनिष्ठा को बहुत महत्व देती है और वह स्वच्छ प्रशासन देने के लिये कटिबद्ध है। वर्तमान सरकार बनने के बाद जिला मैजिस्ट्रेटों का एक सम्मेलन बुलाया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ साथ भ्रष्टाचार दूर करने के उपायों पर विचार किया गया था और इस विषय में कारगर कार्यवाही करने पर जोर दिया गया था। इसके बाद पुलिस अधीक्षकों का भी एक सम्मेलन आयोजित किया गया था और उनका भी ध्यान इस समस्या तथा उसके निराकरण के सम्बन्ध में उनके कर्तव्यों की ओर दिलाया गया था। विशेष रूप से सभी जिला मैजिस्ट्रेटों तथा पुलिस अधीक्षकों को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि भ्रष्टाचार निवारण के विषय में उन्हें अपने वैयक्तिक उत्तरदायित्व को समझना चाहिये और अगर उनके अधीनस्थ अधिकारियों तथा कर्मचारियों में भ्रष्टाचार व्याप्त रहा तो यह उनकी व्यक्तिगत असफलता समझी जायगी।

१९६९–७० में एक और पूर्णकालिक प्रशासनाधिकरण (एटमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल) स्थापित किया गया था और इस प्रकार अब दो पूर्णकालिक प्रशासनाधिकरण हो गये हैं उन्हें १९६९–७० में जांच के लिये ३६ मामले सौंपे गये थे। उक्त वर्ष में दोनों प्रशासनाधिकरणों से २० मामलों में अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जिनमें से ६ मामलों में कड़ा दण्ड देने की सिफारिश की गयी थी और १२ मामलों में हल्का दण्ड देने की सिफारिश की गयी थी जब कि २ मामलों में कोई अपराध सिद्ध हुआ नहीं पाया गया।

वर्ष १९६९–७० के दौरान सतर्कता अधिष्ठान (विजिलेंस कमीशन) को ८८ अधिकारियों के विरुद्ध जांच का कार्य सौंपा गया था, जिनमें ३२ ऐसी जांचें सम्मिलित हैं जिनके लिये वर्तमान सरकार ने आदेश दिया है। सतर्कता अधिष्ठान ने पिछले वर्ष ११० मामलों में जांच पूरी की जिनमें से १६ मामलों में शिकायतें प्रमाणित नहीं हो सकीं और शेष मामलों में उन्हें सेवायें समाप्त करने या विभागीय कार्यवाही किये जाने के लिये संबंधित विषय को प्रशासकीय न्यायाधिकरण या बोर्ड आफ इन्क्वायरी को सौंपे जाने की सिफारिश की गयी। पिछले वित्तीय वर्ष के अन्त में ५२ मामले प्रशासकीय न्यायाधिकरण के पास और १७८ जांच के मामले सतर्कता अधिष्ठान के पास विचाराधीन थे।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

वर्ष १९६९–७० के दौरान २४ अधिकारी और कर्मचारी निलम्बित किये गये, जिनमें १७ ऐसे थे जो वर्तमान सरकार द्वारा निलम्बित किये गये।

१९७०–७१ के लिए बजट अनुमान

वर्ष १९७०–७१ में राजस्व लेखे के अन्तर्गत प्रत्याशित प्राप्तियां ४६७ करोड़ ३४ लाख रुपये और प्रत्याशित राजस्व व्यय ४१८ करोड़ ७१ लाख रुपये है, जिससे ४८ करोड़ ६३ लाख रुपये के राजस्व की बचत की सम्भावना है। अनुमानित राजस्व प्राप्तियों में केन्द्रीय अनुदान के रूप में ५६ करोड़ ४६ लाख रुपये की सहायता सम्मिलित है, जिनमें योजना सम्बन्धी स्कीमों के लिये २८ करोड़ ६३ लाख रुपये, केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित (स्पोंसर्ड) स्कीमों के लिये २० करोड़ १० लाख रुपये और आयोजनेतर स्कीमों के लिये ७ करोड़ ७३ लाख रुपये भी सम्मिलित हैं। राजस्व व्यय के लिये बजट अनुमानों में ३७ करोड़ २२ लाख रुपये योजनागत स्कीमों के लिये और २० करोड़ ३० लाख रुपये केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित स्कीमों के लिये नियत हैं और शेष ३६१ करोड़ १९ लाख रुपये की धनराशि आयोजनेतर (योजना के बाहर) व्यय के लिये है।

पूंजी मद में प्राप्तियों का अनुमान ८४ करोड़ ८० लाख रुपये है। पूंजी व्यय का कुल बजट अनुमान, जिस में ९५ करोड़ ४० लाख रुपये की धनराशि राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋणों तथा अग्रिम धनराशियों के लिये शामिल है, १५७ करोड़ १५ लाख रुपये है। इस प्रकार पूंजीगत लेखे में ७२ करोड़ ३५ लाख रुपये से अधिक का घाटा होने की सम्भावना है। अतः ५५२ करोड़ १४ लाख रु० के शुद्ध राजस्व तथा पूंजी प्राप्तियों और ५७५ करोड़ ८६ लाख रु० के शुद्ध राजस्व तथा पूंजी व्यय के आधारण की गयी गणना के अनुसार राजस्व और पूंजीगत दोनों लेखों को सम्मिलित करके २३ करोड़ ७२ लाख रुपये का घाटा होने की सम्भावना है।

मेरे पूर्ववर्ती मन्त्री के लेखानुदान सम्बन्धी बजट भाषण में पहले ही बताया जा चुका है कि इस मद्य हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना ९६५ करोड़ रुपये की है जिसमें से ४३९ करोड़ रुपये की पूर्ति राज्य के अपने संसाधनों से करनी है और शेष धनराशि केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त होगी। राज्य सरकार इस चौथी योजना को परिचालित कर सके, इसके लिये चालू व्यय में १० करोड़ रु० की मितव्ययिता करने के अतिरिक्त योजना अवधि में लगभग १७५ करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन जुटाना आवश्यक होगा। यह अनुमान लगाया गया था कि लगभग ८० करोड़ रुपये ऐसे उपायों से प्राप्त हो जायेंगे जो पिछले वर्ष के दौरान अतिरिक्त संसाधनों के जुटाने के लिये किये गये थे और शेष ९५ करोड़ रुपये की धनराशि योजना के शेष चार वर्षों में जुटानी होगी। यह ९५ करोड़ रुपये की अपेक्षित धनराशि राजस्व की उस हानि को दृष्टिगत रखते हुये बढ़ कर अब १३५ करोड़ रुपये हो गयी है जो अलाभकर जोतों को भू-राजस्व के भुगतान से मुक्त करने और उर्वरकों पर से बिक्री-कर हटा लेने से होगी।

बिक्री-कर की दरों में और सीमा-क्षेत्र में वृद्धि कर के, राज्य आबकारी शुल्क और सिंचाई दरों तथा भारी मोटर गाड़ियों से सम्बन्धित करों में वृद्धि करके, अतिरिक्त कोर्ट फीस लगाये जाने और स्टाम्प-ड्यूटी लगाये जाने के तरीके में परिवर्तन करके पिछले वर्ष जो उपाय किये गये हैं उनसे १९७०–७१ में अनुमानतः १२ करोड़ १७ लाख रुपये प्राप्त होने की सम्भावना है। अलाभकर जोतों को भू-राजस्व से मुक्त करने और उर्वरकों पर से बिक्री-कर हटाये जाने के परिणामस्वरूप होने वाली हानि को पूरा करने के उपायों पर सरकार विचार कर रही है। ये उपाय मनोरंजन कर की दर में वृद्धि, औद्योगिक प्रयोजनों के लिये प्रयोग में लायी जाने वाली बिजली पर शुल्क लगाये जाने और खाली पड़ी नगर भूमियों पर कर लगाये जाने से सम्बन्धित हैं। यह सुझाव दिया गया है कि खाली पड़ी हुई नागर भूमियों पर कर लगाये जाने से दो प्रयोजन हल होंगे—एक तो यह कि इस से बढ़ी हुई नागर समृद्धि के कारण जिसमें राज्य की निधियों ने पर्याप्त अंशदान दिया है भूमि के मूल्यों में जो वृद्धि हुई है उसका एक अंश राज्य को भी प्राप्त

होगा, दूसरे इससे नगरों में मकानों के निर्माण में वृद्धि होगी जिसकी कि बहुत आवश्यकता है। अन्य विचारणीय उपायों में कोर्ट फीस ऐक्ट, सेल्स टैक्स ऐक्ट और सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव भी हैं। यह भी प्रस्ताव है कि भारत सरकार के परामर्श से आर्म्स रूल्स के अन्तर्गत जो फीस ली जाती हैं उनमें कतिपय परिवर्तन किये जायें। होने वाले घाटे की शेष धनराशि की पूर्ति अंशतः उपर्युक्त विचाराधीन उपायों से और अंशतः लोक लेखे के अन्तर्गत होने वाली शुद्ध प्राप्तियों से, जिनमें रक्षित निधि से निकाली जाने वाली धनराशि सम्मिलित है, और अंशतः अतिरिक्त संसाधन जुटा कर की जायगी।

वर्ष १९६९–७० में आकस्मिक व्यय और यात्रा भत्तों के अन्तर्गत व्यय में १० प्रतिशत की कमी की गयी थी जिससे लगभग १ करोड़ ५० लाख रुपये की शुद्ध बचत हुई।

मितव्ययिता सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकार ने प्रशासकीय सुधार का एक विभाग स्थापित करने का निश्चय किया है जहां आयुक्त, प्रशासकीय सुधार, प्रशासन को सुदृढ़ बनाने पर आवश्यक ध्यान देंगे वहां उनसे कहा जायगा कि वे सरकारी व्यय में सभी प्रकार की मितव्ययिता करने के लिये प्रस्ताव तैयार करने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

सरकार इस बात पर कटिबद्ध है कि वह छोटी बचत से संसाधन जुटाने के संबंध में निरन्तर प्रयास करे। यह अनुमान है कि छोटी बचतों से होने वाली कुल संगृहीत धनराशि पिछले वर्ष लगभग १८ करोड़ रुपये थी। यह आशा की जाती है कि १९७०-७१ में इस धनराशि में पर्याप्त वृद्धि करना संभव होगा। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि छोटी बचत की स्कीम वास्तविक रूप से छोटी बचत करने वाले के लिये अधिक आकर्षक हो, इसके लिये भारत सरकार ने स्कीम में कतिपय परिवर्तन कर दिये हैं। ये परिवर्तन ब्याज की दर और अवधि पूर्ण होने से संबंधित हैं। उदाहरण के लिये वर्तमान डाक-घर बचत बैंक स्कीम के अन्तर्गत ब्याज ३१/२ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से मिलता है। भविष्य में पूरे वित्तीय वर्ष में रखी गयी न्यूनतम शेष धनराशि पर ४ प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज मिलेगा, किन्तु शर्त यह है कि शेष धनराशि १०० रुपये से कम न हो। धनराशियां दो या तीन वर्ष के लिए जमा भी रहेंगी, जो धनराशियां तीन वर्ष तक जमा रहेंगी उन पर ४ २/३ प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज मिलेगा। नियत कालिक जमाओं (फिक्स्ड डिपाजिट) पर ब्याज की दर, डाकघरों और राज्य बैंकों की शाखाओं दोनों ही में ५ प्रतिशत से बढ़ा कर ५ १/४ प्रतिशत साधारण कर दी गयी है। जमाओं की एक नई स्कीम जो डाकघर सावधि जमा (टाइम डिपाजिट) कहलाती है, छोटी बचत करने वाले ऐसे लोगों के लाभार्थ चलाई गई है जो कर नहीं देते या कम दरों पर कर देते हैं। ब्याज जिस पर आय कर लगेगा, एक वर्ष की जमाओं के लिये ५ १/२ प्रतिशत की दर से और ५ वर्ष की जमाओं के लिये ६ ३/४ प्रतिशत तक की दर से प्रति वर्ष देय होगा। क्यमिलेटिव टाइम डिपाजिट पर ५ वर्ष और १० वर्ष के लेखों के लिये चक्रवृद्धि ब्याज की दर ४.५ प्रतिशत से बढ़कर ४ ३/४ प्रतिशत की जा रही है और १५ वर्ष के लेखों के लिये चक्रवृद्धि ब्याज की दर ४.८ प्रतिशत से बढ़ाकर ५ प्रतिशत की जा रही है। वर्तमान १२ वर्षीय राष्ट्रीय प्रतिरक्षा प्रमाण–पत्र, १० वर्षीय प्रतिरिक्षा जमा प्रमाण-पत्र और १० वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र (पहली बार जारी किये गये) के स्थान पर तीन नये प्रकार के ७ वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र जारी किये जायेंगे। इन पर ५ प्रतिशत से७ १/४ प्रतिशत तक ब्याज मिलेगा।

राज्य सरकार का यह भी विचार है कि पुलों इत्यादि जैसी विशिष्ट प्रायोजनाओं के निर्माण के लिये ऋण–पत्र जारी करके अतिरिक्त संसाधन जुटाये जायें।

सरकार इस बात की आवश्यकता के प्रति पूर्णतया सजग है कि सरकारी बकाया धनराशियों को वसूल करने के लिये कड़ी कार्यवाही की जाय। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, ऐसी शक्कर मिलों में रिसीवर नियुक्त कर दिये गये है जिन पर सरकारी धनराशि बकाया है।

करापवंचन द्वारा राजस्व की चोरी को रोकने के उद्देश्य से भी यह निश्चय किया गया है कि देशी स्प्रिट पर १० प्रतिशत बिक्रीकर के स्थान पर उत्पादन शुल्क लगा दिया जाय।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

एक और विषय है जिसका मैं यहां पर उल्लेख करना चाहूंगा । सदस्यों ने केन्द्रीय बजट में राज्य के लिये की गयी १७५ करोड़ रुपये की "विशेष व्यवस्था" से संबंधित रिपोर्ट अवश्य देखी होंगी । पिछले वर्ष के बजट में भी योजनेतर (योजना के बाहर) सहायता के लिये इसी प्रकार की २७५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी । यह स्पष्ट नहीं है कि पिछले वर्ष यह सहायता राज्यों को किस आधार पर उपलब्ध कराई गई थी । जहां तक चालू वर्ष का संबंध है यह कहा गया है कि यह सहायता उन राज्यों को अपने संसाधनों की योजनेतर कमी को पूरा करने के लिये दी जायगी जिन्हें लगातार घाटा होता रहा है ।

केन्द्रीय सहायता दिये जाने के दो मान्य तरीके हैं अर्थात वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को केन्द्र में एकत्रित निधियों का न्यागमन (डिवोल्यूशन) और राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा बताये गये सिद्धांत के अनुसार योजना-सहायता का वितरण । सरकार का यह विचार है कि यदि ऐसी केन्द्रीय सहायता राज्यों को दी जाती है तो वह इन दो तरीकों में से किसी एक तरीके से दी जानी चाहिये । पहला तरीका यह है कि योजना-कार्यक्रम के समस्त उपलब्ध संसाधनों को इकट्ठा कर लिया जाय और उसे केन्द्रीय सहायता वितरण के सर्वसम्मत सिद्धान्त के अनुसार वितरित किया जाय । दूसरा तरीका यह है कि यदि १७५ करोड़ रुपये की धनराशि अलग रखी जाती है तो ऐसे सभी राज्यों को जिनकी प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम हो इस धनराशि में से सहायता प्राप्त करने का पात्र बनाया जाना चाहिये । ऐसे राज्यों को इस प्रकार की आयोजनेतर सहायता उपलब्ध कराना जो अनधिकृत ओवरड्राफ्ट लेने के आदी हो गये हैं और अपने साधनों से अधिक व्यय करते रहे हैं, ऐसे दूसरे राज्यों को जो वित्तीय मामलों में सावधानी तथा अनुशासन कायम रखते हैं, दंडित करना होगा तथा राज्यों में दिवालियापन तथा वित्तीय रूप से दिवालिया हो जाने की प्रवृत्ति को पुरस्कृत करने के बराबर होगा । इस सम्बन्ध में भारत सरकार से हमने अपनी चिन्ता व्यक्त कर दी है और उनसे इस प्रसंग में आगे भी पत्र-व्यवहार करने का विचार है ।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं यह विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी बजट भाषण सुनहले सपनों का चित्रण या नारों का प्रवर्तन करने का अवसर नहीं होता । बजट ही सरकार की नीतियों और कार्यों का वार्षिक प्रति रूप होता है और मुझे यह विश्वास है कि इस बजट को देखने पर यहां उपस्थित प्रत्येक माननीय सदस्य को यकीन हो जायगा कि उसमें या तो उत्पादन में वृद्धि करने के उपायों का ध्यान रखा गया है या जनता के सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के लिये बहुमुखी प्रयत्न किये जाने के साथ-साथ साधनहीन जनता की बाधाओं, असमानताओं और अक्षमताओं को दूर करने के लिये उपाय किये गये हैं । कोई भी व्यक्ति एक ही वर्ष की बजट अवधि में समाजवादी समाज या यों कहें कि कल्याणकारी समाज नहीं ला सकता । बहुत अंशों में आर्थिक व सामाजिक परिवर्तन का बुनियादी काम केंद्र का दायित्व है, यह भी हम सभी जानते हैं । पर, यदि हमारी नीतियों को लागू किये जाने के परिणामस्वरूप उत्पीड़ित वर्गों को थोड़ा भी लाभ पहुंच सके, समाज के निर्बल वर्गों को प्रगति के अधिक अवसर मिल सकें और औद्योगिक या कृषि उत्पादन बढ़ा कर राज्य की सम्पत्ति व आमदनी को बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन मिल सके तो मैं यह समझूंगा कि कार्य आशा के अनुरूप ही हुआ है ।

मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान दशक (१९७०-८०) राज्य के लिये सर्वाधिक निर्णायक दशक होगा । जब भविष्य में वर्तमान का इतिहास लिखा जायगा तब उनमें यह कहने का किसी को अवसर नहीं मिलना चाहिये कि इस दशक के प्रारम्भिक निर्णायक वर्ष में जन-नेताओं ने, चाहे वे सरकार में हों या विपक्ष में, प्रगति के अवसरों को हाथ से निकल जाने दिया । कोई यह न कह सके कि जब काम करने का समय था तब हम शब्दजाल के भूल भुलैये में पड़े रहे और हमने राज्य की आर्थिक स्थिरता तथा प्रगति को ऐसे समय अवरुद्ध कर दिया जब व्यवस्थित सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति की नितान्त आवश्यकता थी । अगर इस वक्त हम चूक गये तो भावी पीढ़ी हमें कभी क्षमा नहीं करेगी । वर्तमान सरकार राज्य में राज-

नतिक स्थिरता लाने और जनता की आर्थिक उन्नति सुनिश्चित करने की व्यवस्था करने के लिये वचनबद्ध है। यह बजट, प्रमाणरूप में, यह विश्वास दिलाने का एक विनीत प्रयत्न है कि यह सरकार सामाजिक और आर्थिक न्याय का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये आप सभी सम्मानित सदस्यों के साथ रह कर केवल नारों में विश्वास नहीं करती बल्कि ठोस काम में विश्वास करती है। इस भगीरथ प्रयास में सहयोग देने के लिये मैं यहां उपस्थित सदन के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे हमारे संविधान में दिये हुये पावन उद्देश्यों की प्राप्ति में तथा योजनाओं की सम्पूर्ति में सरकार को अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।

अन्त में, मैं अपने वित्त सचिव, श्री राम कृष्ण त्रिवेदी और विशेष सचिव सर्वश्री भरत नारायण तथा शिव प्रसाद पांडेय के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने बजट तैयार करने में बहुत परिश्रम किया है। मैं विभाग के अन्य अधिकारियों, विशेषकर सर्वश्री स्वतन्त्र वीर सिंह जुनेजा, संयुक्त सचिव और सुशील कुमार गोयल, विशेष कार्याधिकारी को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अनेक बाधाओं के होते हुये भी समय के भीतर बड़ी योग्यता से बजट कार्य पूरा कर दिया। मैं वित्त एवं भाषा विभाग के अधिकारियों एवं सभी कर्मचारियों को भी उनकी बहुमूल्य सहायता के लिये धन्यवाद देता हूं। मैं सरकारी मुद्रणालय के अधीक्षक, संयुक्त अधीक्षक तथा कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने दक्षता और सतर्कता के साथ बजट साहित्य का मुद्रण किया।

श्रीमन्, मैं १९७०–७१ का बजट प्रस्तुत करता हूं।

(इसके बाद सदन ६ बजकर २५ मिनट पर सोमवार ११ मई, १९७० के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
८ मई, १९७०।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तां० प्र० १२–१३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३९५ पर)

तालिका–१

वर्ष	लीसा जो आई० टी० आर० कम्पनी, बरेली को दिया गया (क्विन्टल में)	लीसा जो पी० सी० एफ०, हल्द्वानी को दिया गया (क्विन्टल में)
१	२	३
१९६७–६८ ..	१,३४,६२१	२१,२५९
१९६८–६९ ..	१,६७,९४१	२१,६४९

तालिका—२

वर्ष	लीसा का मूल्य प्रति क्विन्टल (रुपयों में)	जिला परिषदों का अंशदान प्रति क्विन्टल (रुपयों में)	वन विभाग का लाभ अंश प्रति क्विन्टल (रुपयों में)	मूल्य प्रति क्विन्टल (रुपयों में)
१	२	३	४	५
१९६७–६८	८५.७४	१.३४	०.८८	८७.९६
१९६८–६९	८५.७५	१.३४	९.००	९६.०९

तालिका—३

वर्ष	औसत मूल्य प्रति क्विटल (रुपयों में)	
	कुमायूं वृत्त	टिहरी-गढ़वाल वृत्त
१	२	३
१९६७–६८ ..	१०९.९३	१०७.९६
१९६८–६९ ..	१४८.११	१४५.४१

नत्थी 'ख'

तालिका—२

(देखिये प्र० सं० २८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३९९ पर)

वर्ष १९६८—६९ में जिन उद्योगपतियों को मुलायम लकड़ी के खड़े पेड़ों का नियतन किया गया उनके नाम निम्न प्रकार हैं :—

मेसर्स —

१—वेस्टर्न इण्डिया मैच कम्पनी, कलक्टरबकगंज, बरेली ।
२—टाइगर मैच कम्पनी, कलक्टरबकगंज, बरेली ।
३—अवध प्लाईउड इण्डस्ट्रीज, गोंडा ।
४—साइमण्ड एण्ड कम्पनी, इलाहाबाद ।
५—प्लाईउड प्रोडक्ट्स, सीतापुर ।
६—मुश्ताक अली रिजवी, बांस मण्डी, बरेली ।
७—अशोक प्लाईउड ट्रेडिंग कम्पनी, ज्वालापुर ।
८—भारत प्लाईउड प्रोडक्ट्स, नजीबाबाद ।
९—इन्द्रा प्लाईउड प्रोडक्ट्स उद्योग, बाजपुर ।
१०—के० के० इण्डस्ट्रीज, रामपुर ।
११—कुमाऊं प्लाईउड उद्योग, रामनगर ।
१२—सरस्वती स्केल मैन्यूफैक्चरिंग फैक्टरी, देहरादून ।
१३—सेठ एण्ड कम्पनी, देहरादून ।
१४—गवर्नमेन्ट स्पोर्ट्स गुड्स सेन्टर, बरेली ।
१५—गवर्नमेन्ट स्पोर्ट्स गुड्स सेन्टर, देहरादून ।
१६—न्यू बोर्ड मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी, रामपुर ।
१७—सुप्रीम पेन्सिल इण्डस्ट्रीज, इज्जतनगर ।
१८—अनवर हुसैन तिकोनिया, हलद्वानी ।
१९—राज पेन्सिल मैन्यूफैक्चरिंग फैक्टरी, कलटरबकगंज, बरेली ।
२०—नन्दन एण्ड नन्दन, रामनगर ।
२१—इण्डियन पेन्सिल फैक्टरी, इलाहाबाद ।
२२—नार्थ इण्डिया पेन्सिल इण्डस्ट्री, डोईवाला, देहरादून ।
२३—भाटिया सा मिल्स, हरद्वार ।
२४—हिमालिया उड इण्डस्ट्रीज, हरद्वार ।
२५—इण्डियन फ्रूट एण्ड विजिटेबिल प्रोडक्ट, मसानी, मथुरा ।
२६—मोरोको स्पोर्ट्स वर्क्स, मेरठ ।
२७—हिन्द एण्ड कम्पनी, मुरादाबाद ।
२८—रूहेलखंड आइरन एण्ड टिन मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी, भोजीपुरा, बरेली ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

२९—नरेन्द्र स्टेशनरी वर्क्स, बरेली ।

३०—राज इण्डस्ट्रीज, हलद्वानी ।

३१—यू० पी० वविन फैक्टरी, पूरनपुर, पीलीभीत ।

३२—कल्याण वविन वर्क्स, कल्याण, कानपुर ।

३३—ऐलाइड उड एण्ड वविन इण्डस्ट्री, क्लटरबकगंज, बरेली ।

३४—बरेली वविन एण्ड उड इण्डस्ट्री, क्लटरबकगंज, बरेली ।

३५—आर० आई० उडेन स्केल, बरेली ।

तालिका—२

वर्ष १९६९—७० म जिन उद्योगपतियों को मुलायम लकड़ी के खड़े पेड़ों का नियतन किया गया उनके नाम निम्न प्रकार हैं :—

मेसर्स—

१—वेस्टर्न इण्डिया मैच कम्पनी, कलक्टरबकगंज, बरेली ।

२—टाइगर मैच कम्पनी, कलक्टरबकगंज, बरेली ।

३—न्यू इण्डिया मैच कम्पनी, काशीपुर ।

४—हिमालिया उड इण्डस्ट्रीज, हरद्वार ।

५—भाटिया सा मिल्स, हरद्वार ।

६—अमर ज्योति पेन्सिल इण्डस्ट्री, कोटद्वारा ।

७—नन्दन एण्ड नन्दन, रामनगर ।

८—राज पेन्सिल मैन्युफैक्चरिंग फैक्टरी, कलक्टरबकगंज, बरेली ।

९—कुमाऊं पेन्सिल इण्डस्ट्री, हलद्वानी ।

१०—सुप्रीम पेन्सिल इण्डस्ट्री, इज्जतनगर ।

११—यू० पी० वविन फैक्टरी, पूरनपुर, पीलीभीत ।

१२—बरेली वविन एण्ड उड इण्डस्ट्री, कलक्टरबकगंज, बरेली ।

१३—सेठ एण्ड कम्पनी, देहरादून ।

१४—नरेन्द्र स्टेशनरी वर्क्स, बरेली ।

१५—कुमाऊं स्केल इण्डस्ट्री, हलद्वानी ।

१६—आर० आई० उडेन स्केल इण्डस्ट्री, बरेली ।

१७—उत्तम सिंह इन्दर सिंह, बांस मण्डी, बरेली ।

१८—मुश्ताकअली रिजवी, बरेली ।

१९—प्लाईउड इण्डस्ट्री, गोंडा ।

२०—अवध प्लाईउड इण्डस्ट्री, गोंडा ।

२१—अशोक प्लाईउड ट्रेडिंग कम्पनी, ज्वालापुर ।

२२—भारत प्लाईउड प्रोडक्ट्स, नजीबाबाद ।

२३—न्यू बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग फैक्टरी, रामनगर ।

२४—आई० टी० एण्ड आर कम्पनी, करक्टरबकगंज, बरेली ।

२५—मिडलेण्ड फ़्रूट एण्ड वेंजिटेबिल प्रोडक्ट, मसानी, मथरा ।

२६—कुमाऊं प्लाईउड उद्योग, रामनगर ।

२७—इन्द्रा प्लाईउड उद्योग, बाजपुर ।

२८—राज इण्डस्ट्रीज, हलद्वानी ।

२९—के० के० इण्डस्ट्रीज, रामपुर ।

३०—गवर्नमेंट स्पोर्ट्स गुड्स सेन्टर, बरेली ।

३१—गवर्नमेन्ट स्पोर्ट्स गुड्स सेन्टर, देहरादून

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये ता० प्र० २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१३ पर)

विद्यालय प्रति उप निरीक्षकों के नाम तथा उनकी तैनाती के जिले उनके नाम के सामने लिखे हैं :—

क्रम संख्या	नाम	जिला
१	२	३
	१९६५–६६	
१	श्री घनश्याम डबराल	
	वर्ष ६६–६७	
२	श्री सईद उद्दीन खां	रामपुर
३	श्री जे० पी० मिश्रा	शाहजहांपुर
४	श्री गंगादास सिंह	शाहजहांपुर
५	श्री बलबीर सहाय कुलश्रेष्ठ	पीलीभीत
६	श्री हरि शंकर सक्सेना	बरेली
७	श्री यतीन्द्र नारायन सक्सेना	बरेली
	वर्ष ६७–६८	
८	सर्वश्री रमेश चन्द्र बहुगुना	बिजनौर
९	,, देवेन्द्र सिंह सक्सेना	बिजनौर
१०	,, ज्वाला प्रसाद पन्त	बिजनौर
११	,, सतीश चन्द्र मनाहुली	बिजनौर
१२	,, राधेश्याम मिश्रा	मुरादाबाद
१३	,, गुरु प्रसाद सत्संगी	बरेली
१४	,, भुवन चन्द्र पंत	बरेली
१५	,, शान्ती स्वरूप मिश्रा	बदायूं
१६	,, हफीज उल्ला खां	रामपुर
१७	,, हरनन्दन प्रसाद सक्सेना	रामपुर
१८	,, गुलाम शब्बर	बदायूं
१९	,, चन्द्र भाल दीक्षित	बदायूं
२०	,, मोहम्मद इश्हाक	बदायूं
२१	,, सतीश चन्द्र शर्मा	शाहजहांपुर

विधान सभा

१		२		३
२२	सर्व श्री	सबी० एन० भटनागर	..	.. बदायूं
२३	,,	एम० ए० जेमील कामील	..	.. बदायूं
		वर्ष १९६८–६९		
२४	,,	राम कुमार कोटनाला	..	.. बिजनौर
२५	,,	देवेन्द्र कुमार बंसल	..	.. बिजनौर
२६	,,	दीवान सिंह कलाकोठी	..	.. मुरादाबाद
२७	,,	रघुनाथ सिंह त्यागी	..	.. मुरादाबाद
२८	,,	फतेह बहादुर निगम	..	.. बरेली
२९	,,	प्राणेश कुमार कुलश्रेष्ठ	..	.. बरेली
३०	,,	तिलक राम	..	.. पीलीभीत
३१	,,	रमेश चन्द्र द्विवेदी	..	.. पीलीभीत
३२	,,	मुरारी लाल मिश्रा	..	.. पीलीभीत
३३	,,	लल्लू सिंह	..	.. पीलीभीत
३४	,,	राम कृपाल सिंह	..	.. पीलीभीत
३५	,,	श्री कृष्ण त्रिवेदी	..	.. शाहजहांपुर
३६	,,	प्रेम वल्लभ उपाध्याय	..	.. मुरादाबाद
३७	,,	श्रीधर त्रिवेदी	..	.. शाहजहांपुर
३८	,,	मुकुट बिहारी लाल दीक्षित	..	.. शाहजहांपुर
३९	,,	जियाउल इस्लाम अंसारी	..	.. बिजनौर
४०	,,	फतेह चन्द बाधवा	..	.. मुरादाबाद
		वर्ष १९६९–७०		
४१	,,	लीला नन्द जोशी	..	.. बरेली
४२	,,	ठाकुर शरण सिंह	..	.. रामपुर
४३	,,	सुखबीर सिंह प्रधान	..	.. रामपुर
४४	,,	भुवन चन्द्र पांडेय	..	.. बिजनौर
४५	,,	शिशु पाल शर्मा	..	.. बदायूं
४६	,,	ओम प्रकाश रस्तोगी	..	.. बदायूं
४७	,,	हर पाल सक्सेना ..	..	.. बदायूं
४८	,,	चन्द्र शेखर घिलडियाल	..	.. बदायूं
४९	,,	ईश्वरी प्रसाद ..	..	.. बदायूं
५०	,,	नत्थू लाल शर्मा ..	..	.. बदायुं
५१	,,	चन्द्रभान सिंह ..	..	.. बदायं
५२	,,	मोहन लाल शाह ..	..	.. मुरादाबाद
५३	,,	सुरेन्द्र नाथ भटनागर	..	.. मुरादाबाद

क्रम-संख्या		नाम				जिला
५४	सर्वश्री	अब्दुल समद	..	..	..	मुरादाबाद
५५	,,	राम कुमार शर्मा	..	..	..	मुरादाबाद
५६	,,	सै० इजहार हुसैन		..	..	पीलीभीत
५७	,,	कौशल किशोर बाजपेई		..	..	बरेली
५८	,,	ओम प्रकाश दीक्षित		..	..	शाहजहांपुर
५९	,,	मुंशी लाल सारस्वत		..	..	बदायूं
६०	,,	रमा कान्त अस्थाना		..	..	शाहजहांपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये ता० प्र० सं० ३४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१६ पर)

सहायता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालयों की सूची जहां के अध्यापकों को दो अथवा दो से अधिक महीनों का वेतन नहीं वितरित किया गया

१—अजूर इण्टर कालेज, हाथरस
२—जी० एस० हिन्दू इण्टर कालेज, सिकन्दरा राऊ
३—राष्ट्रीय विद्यालय इण्टर कालेज, खैर
४—जवाहर इण्टर कालेज, इगलास
५—आर० एल० इण्टर कालेज, एहन
६—गांधी स्मारक इण्टर कालेज, भरतपुर, बफेड़ा
७—आदर्श कृषि इण्टर कालेज, सारोल
८—आर्य कन्या इण्टर कालेज, सिकन्दराराऊ
९—बी० सी० झूरिया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हाथरस
१०—सी० एल० आर० एम० सेकसरिया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हाथरस
११—सुरजा बाई गर्ल्स उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हाथरस
१२—ए० सी० ए० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रामपुर
१३—अमर चन्द्र गर्ल्स उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मतरौली।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी "ड."

(देखिये ता० प्र० सं ३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१७ पर)

श्रीमती कृष्ण प्यारी गुप्ता, प्रधानाचार्या, आर्य कन्या हायर सेकेन्डरी स्कूल, बित्सो बदायूं द्वारा की गई अपील में निर्णय

यह अपील (दिनांक ११-८-६९) श्रीमती कृष्ण प्यारी गुप्ता प्रधानाचार्या, आर्य कन्या हायर सेकेन्डरी स्कूल, बित्सो, बदायूं (जिनको बाद में प्रधानाचार्या कहा गया है) द्वारा मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, बरेली के आदेशों के विरुद्ध की गई है जो इस विभाग में १९-८-६९ को प्राप्त हुई है।

इस अपील में प्रधानाचार्या ने अपील किया है कि मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, बरेली (जिनको बाद में निरीक्षिका कहा गया है) का आदेश पत्रांक ई-३/११६/६९-७०, दिनांक १-७-६९ निरस्त किया जाय तथा प्रधानाचार्या पद में बहाल किया जाय।

प्रधानाचार्या को इस अपील के उपर विद्यालय के प्रशासक का भी उत्तर मंगाया गया। प्रबन्धक ने अपना उत्तर अपने पत्रांक सी०/एफ०/३६७, दिनांक ४-११-६९ में भेजा है।

मामले की सुनवायी दिनांक १८-१२-७० को ११ बजे हुई। प्रबन्धक स्वयं उपस्थित हुये। प्रधानाचार्या को इस कार्यालय के पत्रांक सा (१)/२१११०/१७-६४(२१)/६९-७०, दिनांक २९-१-७० द्वारा आदेश दिया गया था कि १८-२-७० को अपने मामले की पैरवी हेतु उपस्थित हों। लेकिन यह पत्र डाक विभाग द्वारा यह लिख कर "पाने वाली मर गई है" वापस आ गया है।

प्रबन्धक ने सुनवाई के समय सूचित किया है कि श्रीमती कृष्ण प्यारी गुप्त, प्रधानाचार्या, आर्य कन्या हायर सेकेन्डरी स्कूल, बित्सो बदायूं की मृत्यु हो गयी है। प्रधानाचार्या की अपील दिनांक ११-८-६९ डिसमिस की जाती है।

(ह०) प्रतिभा रस्तोगी
उप शिक्षा निदेशक (म०)
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश।

बी० एस० यू० पी०—ए० बी० ६५ एल० ए०—१९७०—८४५। (मैग०)